



Vol. 01A • No. 02

July 2018

ISSN 2349-672X

JIR

A Journal of Interdisciplinary Research

A Peer-Reviewed Journal
Valid Under UGC Gazette Regulations

Prof. Mohammad Alamgeer

The Tragedy of a Rightist ideology: an Analysis of RSS attitude toward the Muslims

Dr. Ritam Priya

Industry: Potential and Growth in Tirhut Division

Dr. Ashti Alamgeer

The Role of Social media in Promoting Feminism in India

Dr Mohammad Taqui

Stagnation in the Economy of Bihar: An Analytical Study

Devendra Prasad Sah

Impact of Globalization on labour market in India

Dr. Vinita Bharadwaj

Gandhi and Corporate Social Responsibility: Challenging Aspects

Bharat Kumar

Indo-US Relationship: An overview

Dr. Bishwambhar Prasad

Development skipped in Electoral politics of Bihar since 90s

Prity Kishore

Shashi Deshpande's Portrayal of Woman in "That Long Silence"

Deepak Kumar Tiwari

Theorizing Political Participation at Grassroots Level

Dr. Ram Kumar Sah

Study of Some Political Aspects of Regionalism in India



Bihar, Samastipur

9431425239, 7004287153

editor123ajidr@gmail.com

drmalamgeer@gmail.com

www.jidr.org

Prof. Mohammad Alamgeer

Editor-in-Chief

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

SAMASTIPUR COLLEGE, SAMASTIPUR



JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH
A Peer-Reviewed Journal under New UGC Regulations
A Bi-annual and bi-lingual Journal ISSN 2349-672X

editor123ajidr@gmail.com, drmalamgeer@gmail.com
Contact No.: 9431425239, 7004287153
www.jidr.org

PROF. MOHAMMAD ALAMGEER

Editor-in-Chief

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8602-3275>

Department of Political Science
SAMASTIPUR COLLEGE, SAMASTIPUR
LALIT NARAYAN MITHILA UNIVERSITY, DARBHANGA

MEMBERS:

1. **Prof. S.N. Mishra**
Former Director IIPA
14 Gandhi Smara Nidhi
Raj Ghat, New Delhi 110002
2. **Prof. Shriprakash Mani Tirpathi**
Vice- Chancellor
Indira Gandhi National Tribal
Central University, Amarkantak
Email: spm.ddu@rediffmail.com
Contact: 9451514015
3. **Dr. Gopal Prasad**
Dept. of Political Science
DDU University
Gorakhpur
Email: drgopalprasa@gmail.com
4. **Prof. Nigar Zuber**
Chair-person, Department of Pol. Science
AMU, Aligarh 202001
Email: nigar.zuberi@gmail.com
5. **Dr. Shivalingappa Annarao Palekar**
Professor, and former Dean
Dept. of PG Studies and Research in Political Science
Gulbarga University
Gulbarga - 585 106, Karnataka, India
Email: s_paleker@rediffmail.com

REVIEWER-IN-CHIEF:

Dr. Abhay Kumar
Prof. of Botany,
Samastipur College, Samastipur
Email: abhayabot@gmail.com



EDITORIAL

The Students of political science must be acquainted with term **Magna Carta** and its significance in the British constitutional history which stabled rule of law in England. **Magna Carta** still forms an important symbol of liberty today, often cited by politicians and campaigners, and is held in great respect by the British and American legal communities It has a long history and struggle after which the despotic rulers agreed to grant minimum liberty to its subject in England. We in India have not experienced such a struggle for the achievement of basic rights as we enjoyed these rights as guaranteed by our constitution in modern India. People in modern India are enjoying a number of social, political religious another basic right without having struggle a little, therefore they unable to attach much importance to them. The people of England had to struggle for hundred years for universal adult franchise.

Magna Carta is the cornerstone of English liberties. This is despite the fact that the vast majority of its clauses have now been repealed, or in some cases superseded by other legislation such as the Human Rights Act (1998). **Magna Carta** nonetheless retains enormous symbolic power as an ancient defense against arbitrary and tyrannical rulers, and as a guarantor of individual liberties. **Magna Carta** still forms an important symbol of liberty today, often cited by politicians and campaigners, and is held in great respect by the British and American legal communities, Lord Denning describing it as “the greatest constitutional document of all times – the foundation of the freedom of the individual against the arbitrary authority of the despot

Magna Carta Libertatum, meaning ‘The Great Charter’ medieval Latin for “Great Charter of Freedoms, commonly called **Magna Carta** also Magna Charta; is a royal Charter of Rights agreed to by King John of England at Runnymede near Windsor on 15 June 1215. First drafted by Archbishop of Canterbury Stephen Langton to make peace between the unpopular king and a group of rebel baron, it promised the protection of church rights, protection for the barons from illegal imprisonment, access to swift justice, and limitations on feudal payments to the Crown, to be implemented through a council of 25 barons.

Magna Carta is regarded as the foundation of democracy in England. In fact, most of its terms applied only to a small proportion of the population in 1215, and the implementation of the charter in subsequent centuries remained open to the interpretation of the courts. Revised versions of **Magna Carta** were issued by King Henry III (in 1216, 1217 and 1225), and the text of the 1225 version was entered onto the statute roll in 1297.

Prof. Mohammad Alamgeer
 Editor-in-Chief

CONTENTS

1. The Tragedy of a Rightist ideology: an Analysis of RSS attitude toward the Muslims	Prof. Mohammad Alamgeer	Page 17
2. Industry: Potential and Growth in Tirhut Division	Dr. Ritam Priya	24
3. The Role of Social media in Promoting Feminism in India	Dr. Ashti Alamgeer*	31
4. Stagnation in the Economy of Bihar: An Analytical Study	Dr. Mohammad Taqui	37
5. Impact of Globalization on labour market in India	Devendra Prasad Sah	42
6. Gandhi and Corporate Social Responsibility: Challenging Aspects	Dr. Vinita Bharadwaj	47
7. Indo-US Relationship: An overview	Bharat Kumar	53
8. Development skipped in Electoral politics of Bihar since 90s	Dr. Bishwambhar Prasad	58
9. Shashi Deshpande’s Portrayal of Woman in “That Long Silence”	Prity Kishore	63
10. Theorizing Political Participation at Grassroots Level	Deepak Kumar Tiwari (UGC NET)	66
11. Study of Some Political Aspects of Regionalism in India	Dr. Ram Kumar Sah	71

Hindi Section Contents

1. बालक-बालिकाओं के संवेगात्मक बुद्धि पर माता-पिता के सम्बन्धों का प्रभाव: एक अध्ययन	प्रीती कुमारी	Page 76
2. राजपूती शासन व्यवस्था में व्यापार एवं वाणिज्य	राम लक्ष्मण पासवान	80
3. 1967 से बिहार की राजनीति में हाशिये पर जाती रही कांग्रेस	डा. मुकेश कुमार	84
4. मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति: एक अध्ययन	पल्लवी	87
5. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसान आन्दोलन	रवि कुमार गुप्ता	90
6. बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक एवं व्यक्तित्व विकास में मनोविज्ञान की भूमिका	डॉ० प्रमोद कुमार साहु	95
7. सांप्रदायिकता के सैद्धांतिक पक्ष एवं भारतीय राजनीति	डॉ० मो० खुर्शीद आलम	99
8. पंथ निरपेक्षता का उद्भव और विकास: एक अध्ययन	डॉ० जोनी इम्मानुएल तिरकी	102
9. भारत में समाजवाद का उदय एवं विकास: एक अध्ययन	गायत्री कुमारी	106
10. मुसलमानों में तीन तलाक का मुद्दा: एक अध्ययन	डॉ० निहाल सरवर	109
11. दल-बदल विरोधी कानून: चुनौतियाँ और समाधान	डॉ० रजनीश	114
12. संविधान पर विभिन्न विचार एवं अनिवार्यता	डॉ० धनंजय कुमार	118
13. सुशासन की चुनौतियों से निपटने में सीएजी की भूमिका	डॉ० कुमार कौशल	121
14. संत मगनीराम की रचना शैली: एक अनुशीलन	मनमोहन कुमार	125
15. संस्कृत साहित्य की विभिन्न विधाओं में नारियों का महत्त्व और उनका विशुद्ध प्रेम	माया कुमारी	130
16. बिहार में मुसहर आंदोलन की भूमिका	डॉ. अशोक कुमार राम	135
17. भारतीय संविधान और बाल-मजदूरी: बिहार के संदर्भ में एक अध्ययन	डॉ० प्रियम्बदा कुमारी	139
18. बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के महत्वपूर्ण कारक: एक अध्ययन	डॉ० कल्पना कुमारी	143
19. कुपोषण का निदान	डॉ० कुमारी शबनम	148
20. बिहार में अगस्त क्रांति छात्र एवं किसानों की भूमिका	शिवनाथ चौधरी	151
21. प्राचीन भारत में ग्राम-नगर विभेद का एक अध्ययन	कमलेश चौधरी	154

Journal of Interdisciplinary Research

About JIDR

Journal of Interdisciplinary Research is the bi-annual journal of Department of Political Science, Samastipur College, Samastipur. It reflects the aims and intellectual tradition of the advancement of political science, scientific study of politics and dissemination of knowledge through rigorous political inquiry. The journal has evolved over the years as a major forum for publication of scholarly work on ideas and issues important to the study of politics. It seeks to promote greater collaborations and exchange of ideas among social scientists in Indian and Abroad. Quality papers/articles are invited from the faculty members, social scientists, scholars and academicians.

About Samastipur College

Samastipur College, Samastipur is the oldest institution of higher learning in the district, celebrated its 'Diamond Jubilee' in 2010, rendering yeomen service for the last 60 years. The college was established in 1947 with the sole objective to impart quality education to the students of the area at tertiary level. It was recognized by the UGC under its section 2 (t) & 12 (b) in November 1976, NAAC accorded grade 'B' to the College in May 2005. In 2010 **The College achieved the distinction of getting CPE statue from the UGC.** This is a rare achievement which brings the College at par with some of the prestigious institutions of the country.

The college apart from general transmission and generation of knowledge provides amenities such as highly rich library with study room, Computer aid reference facility moving towards full automation, well equipped science laboratories to carry out teaching and research, an Auditorium for Cultural activities, a newly constructed conference hall shortly to be opened for use. The college also makes all out efforts to ensure purposive teaching, personality development of boys and girls through lessons and lectures to practice discipline, punctuality and general ethics of life. The Department of Political Science like other departments is engaged in PG teaching since 1984.

Editorial Office

Email: editor123ajidr@gmail.com

drmalamageer@gmail.com

Contact: 9431425239/7004287153



JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH
 A Peer-Reviewed Journal under New UGC Regulations
 A Bi-annual and bi-lingual Journal ISSN 2349-672X

editor123ajidr@gmail.com, drmalamgeer@gmail.com
 Contact No.: 9431425239, 7004287153
 www.jidr.org

Journal of Interdisciplinary Research

(SUBSCRIPTION ORDER FORM)

1. Name
2. Address
3. Tel./Mobile
3. Email:
4. Life Membership/Annual Yes / No
5. Type of Subscription: Individual / Institution
6. Period of subscription: Annual/Three years
- 7.....DD. No Date:
- BankAmount:
8. Number of Copies Subscribed:

Dear Editor

Kindly acknowledge the receipt of my subscription and start sending the issue (s) of JIDR at above Address.

The subscription rates are as follows:		
	Individual	Institution
Single Copy	Rs. 1500	Rs. 2000
Annual	Rs. 6000	Rs.8000
Three years	Rs. 18000	Rs. 25000
Life Membership	Rs. 22000	Rs. 25,000

PROCESSING CHARGES

The publisher charges the publication fee of a manuscript to cover the expenses of the open-access publication. These expenses include paper handling, peer review, editing, formatting, tagging, indexing, production, hosting on different servers, hard copy print and post expenses, website maintenance, electric and internet expenses, staff salaries etc. This fee is paid by the author from his research budget or his supporting institution.

PUBLICATION FEES

JIDR charges a humble amount towards publication fees of Rs. 3000/- for single author, (with maximum 2 to 3 graph/charts/tables/maps etc., else cost increases by Rs.500/- upto 2000 words. For every additional 750 words, Rs.500/- extra) for every Addition author Rs. 500/- extra to be paid which is Non-Refundable**, all authors are entitle to receive a complimentary copy of Journals & Certificates. **The amount may be transferred through NFT/RTGC to the following account. Cheque/ D/D be sent in favour of Editor JIDR payable at Samastipur Central Bank of India: Samastipur College Branch**

A/C No. 3233461647

IFSC: CBIN0284102

A/C Holder: Editor, Journal of Interdisciplinary Research

Amount: Rs 3000/ (Rs. Three thousand only)

As JIDR does not get funding from any funding agencies it solely runs on the small fees that is collected from the esteem authors. The entire amount that is collected from the authors is reinvested on the Journal maintenance and growth. The publication fees will not be refunded if any author withdraws the article (for any reason) after review or acceptance as lot of resources and manpower are invested in processing the article and making it reach the final stage to be accepted by our distinguished reviewers.

EDITORIAL BOARD

Our reviewers are responsible to make sure the clarity of review. They perform their duty of reviewing honestly and clearly focusing on maintaining the quality of the journal. They review the manuscript critically for the purpose of maintaining the quality of the paper. They review the paper and present their valuable comments and arguments so that it should be sent to the author to enable him/her to revise the manuscript.

We publish both scientific and social science journals, so it is seeking reviewers all over the World. We welcome the scholars to join our journals' editorial board. The candidates who are willing to join our journals' editorial board must determine to maintain the quality of the journals by reviewing impartially.

REVIEWER GUIDELINES

Journal of Social Science Research encourages reviewers to help authors improve their manuscript. The report should give constructive analysis to authors, particularly where revisions are recommended. Where reviewers do not wish authors to see specific comments, these can be added to the confidential comments to the academic editor.

While expectations vary by discipline, some core aspects that should be critiqued by reviewers may include:

- Are the research questions valid?
- Is the sample size sufficient?

Is there necessary ethical approval and consent, and was the research ethical?
Are the study design and methods appropriate to answer the research question?
Do the experiments have appropriate controls?
Is the reporting of the methods, including any equipment and materials, sufficiently detailed that the research might be reproduced?
Are statistical tests appropriate and correctly reported?
Are the figures and tables clear, and do they accurately represent the results?
Has previous research by the authors and others been discussed, and have those results been compared to the current results?
Are there any inappropriate citations, for example, not supporting the claim being made or too many citations to the authors' articles?
Do the results support the conclusions?
Are the limitations of the research acknowledged?
Is the abstract an accurate summary of the research and results, without spin?
Is the language clear and understandable?
Reviewer reports should be submitted online on or before the agreed deadline to help the authors to receive timely reviews of the article. Reviewers should contact Journal of Social Science Research if they are unable to meet the deadline to arrange the alternative date.

Journal of Social Science Research encourages reviewers to focus their reports on objectively critiquing the scientific aspects of the submission, including the soundness of the methodology and whether the results can support the conclusions. Comments may also be given on novelty and the potential impact of the work. Reviewers provide a recommendation to accept, revise, or reject; however, the academic editor will make the decision.

Confidentiality

Manuscripts under peer review should be strictly confidential. Reviewers must not share papers or discuss their content with anyone outside the peer-review process. Reviewers may, on request, consult with colleagues from their research group, trusting that the confidentiality of the manuscript is maintained. Reviewers should first contact Journal of Social Science Research or the academic editor handling the paper and note the name of the colleague(s) in the 'Comments to the editor' section of their report.

Duties of Reviewers

Contribution to Editorial Decisions:

Peer review is an important component of formal scholarly communication and lies at the heart of the scientific method. Peer Review of a journal is one of the most important ingredient of UGC Gazette Regulation 2018, only after following the process of review contained in the above referred UGC Gazette a research article is accorded its recognition. It may help the editor in making editorial decisions and through the editorial communication with the author he also assist the author in improving the paper. Apart from the described and specific ethics-related duties, reviewers are expected usually to treat authors and their work as they would like to be treated themselves and to observe good reviewing etiquettes. Any selected reviewer who feels unqualified to review the research article or knows that its prompt review will be impossible should communicate to the editor and refuse to participate in the review process.

Confidentiality

Any research article received for review must be dealt with as a confidential document. Reviewers must not share or communicate with anyone the review report or information about the paper or contact the authors directly without permission from the editor. Discussion with colleagues or co-reviewing exercises may be held, but reviewers should first communicate this with the editor in order to ensure confidentiality.

The reviewers cannot use unpublished materials presented in a submitted research article in their own research without the prior written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept in secret and must not be used for personal gains.

Alertness to Ethical Issues

A reviewer's duty is to be vigilant regarding any potential ethical issues in the paper and the same should be brought to the attention of the editor. Potential ethical issues may include any similarity in the disclosed material or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which the reviewer has personal knowledge. Any statement or any observation, derivation, or argument that had been previously reported should be accompanied by the relevant citation.

Standards of Objectivity & Competing Interests

Reviewers should be objective and unbiased in the review process. Personal criticism of the author is altogether inappropriate. Referees should express their opinions clearly with supporting arguments.

Reviewers should counsel the Editor before agreeing to review a paper where they have potential conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

If a reviewer recommends that an author includes citations to the reviewer's work, this must be based on genuine scientific reasons and not with the intention of increasing the reviewer's citation count or enhancing the visibility of their work.

The conditions to join JIDR.

This job will be part-time.

This job will be on an honorary basis.

Candidate must have sound knowledge of spoken English.

Candidate must have command on internet usage because this job will be performed through the internet.

Determination

The candidates who are willing to join our journals' editorial board must determine to maintain the quality of the journals by reviewing impartially. They must complete the review process within the given time. After completing the review process they will have to send the review report immediately to the editor. We will include the name and the affiliation of the reviewers in the list of the editorial board members on journals' hard copy and also on its webpage.


Requirements

- a. Candidate must have a doctoral degree in the specific subject related to the journal he/she is going to apply.
- b. PhD students can also apply.
- c. Professors of the university are also welcomed.
- d. Candidate should be impartial in the review process.

- e. He must be aware of the value of the review process.
- f. He must be interested and expert in the specific field.

How to apply for the reviewer

Download the application form here. Send the complete application form or your complete and updated CV as an email attachment to editor123ajdr@gmail.com



REVIEWER-IN CHIEF:

Dr. Abhay Kumar
Prof. of Botany, Samastipur College, Samastipur

REVIEWERS:

Dr. Rajesh Singh
Prof. Dept. of Pol. Sc DDU, Gorakhpur UP

Prof. C.P. Sharma
VB University, Hazari Bagh Jharkhand

Dr. Sudhir Chandra Jena
Utkal University, BSSR, Orissa

Dr. Rakesh Jha
Rajasthan University Jaipur

Dr. Shazia Akhtar
Deptt. of Pol. SC. KK PG College Etawa, UP

Dr. Sunil Kumar Jha
Principal JN College Dhurwa, Ranchi

Prof. Jainandan Prasad Singh
Dept. of Pol. Sc. Magadh University, Bodh Gaya

Prof. Rajiv Kumar
Head Dept. of Pol. Sc, CUB, Motihari

Prof. Ram Ranveer Singh
Dept. of Pol. Sc. VKSU, Ara, Bihar

Prof. Shiv Balak Prasad Singh
Dept of Pol. Sc. BNMU, Madhepura

Dr. Kazim Shabbir
Dept. of Economics, A N College, Patna

Dr. Marghoob Alam
Dept. of Pol. Sc., Purnia University, Purnia



JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH
 A Peer-Reviewed Journal under New UGC Regulations
 A Bi-annual and bi-lingual Journal ISSN 2349-672X

editor123ajidr@gmail.com, drmalamgeer@gmail.com
 Contact No.: 9431425239, 7004287153
 www.jidr.org

APPLICATION FORM FOR REVIEWERS

Name	
Position	
Department	
Organizational Affiliation	
City	
Country	
E-mail address (1)	
E-mail address (2)	
Phone	
Your area (s) of interest	
No. of reviews that you can do per month Put a number here (Minimum 1 and maximum 3)	

Privacy declaration: All information you have given in this form will only be used for selecting reviewers for the journal. We guarantee this information will be not used for any other purpose.
 Please Contact if you have any query: editor123ajidr@gmail.com or drmalamgeer@gmail.com

Contribution to Editorial Decisions

Peer review is an important component of formal scholarly communication and lies at the heart of the scientific method. Peer review helps the editor in making editorial decisions and through the editorial communication with the author he may also assist the author in improving the paper. Apart from the described and specific ethics-related duties, reviewers are expected usually to treat authors and their work as they would like to be treated themselves and to observe good reviewing etiquettes.

Any selected reviewer who feels unqualified to review the research article or knows that its prompt review will be impossible should communicate to the editor and refuse to participate in the review process.

Confidentiality

Any research article received for review must be dealt with as a confidential document. Reviewers must not share or communicate with anyone the review report or information about the paper or contact the authors directly without permission from the editor.

Discussion with colleagues or co-reviewing exercises may be held, but reviewers should first communicate this with the editor in order to ensure confidentiality.

The reviewers cannot use unpublished materials presented in a submitted research article in their own research without the prior written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept in secret and must not be used for personal gains.

Alertness to Ethical Issues

A reviewer's duty is to be vigilant regarding any potential ethical issues in the paper and the same should be brought to the attention of the editor. Potential ethical issues may include any similarity in the disclosed material or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which the reviewer has personal knowledge. Any statement or any observation, derivation, or argument that had been previously reported should be accompanied by the relevant citation.

Standards of Objectivity & Competing Interests

Reviewers should be objective and unbiased in the review process. Personal criticism of the author is altogether inappropriate. Referees should express their opinions clearly with supporting arguments.

Reviewers should counsel the Editor before agreeing to review a paper where they have potential conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

If a reviewer recommends that an author includes citations to the reviewer's work, this must be based on genuine scientific reasons and not with the intention of increasing the reviewer's citation count or enhancing the visibility of their work.

The conditions to join JIDR.

This job will be part-time.

This job will be on an honorary basis.

Candidate must have sound knowledge of spoken English.

Candidate must have command on internet usage because this job will be performed through the internet.

Determination

The candidates who are willing to join our journals' editorial board must determine to maintain the quality of the journals by reviewing impartially. They must complete the review process within the given time. After completing the review process they will have to send the review report immediately to the editor.

We will include the name and the affiliation of the reviewers in the list of the editorial board members on journals' hard copy and also on its webpage.

Requirements

- a. Candidate must have a doctoral degree in the specific subject related to the journal he/she is going to apply.
- b. PhD students can also apply.
- c. Professors of the university are also welcomed.
- d. Candidate should be impartial in the review process.
- e. He must be aware of the value of the review process.
- f. He must be interested and expert in the specific field.

How to apply for the reviewer

Download the application form here. Send the complete application form or your complete and updated CV as an email attachment to editor 123ajidr@gmail.com

About the Journal

JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH; JIDR started publishing in June 2013, which is Volume 1, No. 1, the Year 2014. JIDR is a scientific, peer-reviewed and open-access online journal devoted to the field of Social Sciences, humanities and provides rapid publication of articles frequently in its issues. JIDR publishes original review papers, as well as auxiliary material such as Research Papers, Case Studies, Review Articles, and Reports, etc. AJIDR is the place for the exchange of information and research results within all areas of Social Sciences and allied fields. Journal items can be published collectively, as part of an issue with its Table of Contents. Alternatively, individual items can be published as soon as they are ready by adding them to the "current" volume's Table of Content

Peer Review Policy

Peer review is an essential part of maintaining a substantial standard in publishing and brings out the best possible scientific novel information from potential authors and researchers globally.

Peer Review process JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH uses a blind peer review system to ensure originality, timeliness, relevance, and readability.

The open journal system will be used for peer-review of scientific journals to meet the criteria of an international editorial manager system. It provides greater flexibility and degree of transparency at each level concerning the authors, editors, and reviewers, respectively. The standard peer review process is also essential from the perspective of editorial board members, who take the responsibility in shaping the open access articles to meet the international standards of open access journals.

Peer-reviewed articles are assessed and critiqued by the scientists and experts in the same field after the article is distributed for review. An author is expected to incorporate the suggested changes before publication. This process enriches the content and improves the quality of the presentation considerably.

Applications for Reviewer

Journal of Interdisciplinary Research appreciates applications to join our community of peer reviewers. Our Academic Editors select reviewers on a manuscript-by-manuscript basis. In each case, the most relevant scientists will be invited. To provide up-to-date contact details, interested reviewers should Plagiarism Policy

JOURNAL will check plagiarism for all the articles before prior publication. If the plagiarism content is observed by editors, peer reviewers or by editorial staff members at any stage of publication process at the time of editing or proofreading will be informed to the author to rewrite the manuscript. We also check for plagiarism and research fabrication (Grammarly) and reserves the right to use plagiarism detecting software to screen submitted papers at all times; falsification (manipulation of existing research data, tables, or images). In accordance with the code of conduct, we will report any cases of suspected plagiarism or duplicate publishing. In any case, if the submitted original manuscript is 25% plagiarized then the article will be rejected and the same will be notified to the author.

Author Guidelines for Submissions

Prospective authors are invited to submit original papers (not being considered for publication elsewhere) in standard format (that is provided) describing new theoretical and/or experimental research. Author can submit paper with have any number of pages including figures, tables, and references. Submissions will be judged on originality, significance, interest, clarity, relevance, correctness, and presentation.

Page size: A4 size only

Text Column: Single texts align: justify

Title: 24pt Times New Roman align: Centre

Page Margins: Left – 0.51", Right – 0.51", Top – 0.75", Bottom – 0.75"

Font: Use Only Times New Roman for whole paper

Figure caption: Font size- 10", lower case and Write below the figure, position-center

Table Caption: Font- 10", lower case and Top of the table, position-center

Paragraph: Paragraph Indentation by- 0.2"

Line Spacing: single

Before: 0" **After:** 0"

Header 0.3" Footer 0"

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

- i. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
- ii. The submission file is in Open Office, Microsoft Word, or RTF document file format. Where available, URLs for the references have been provided.
- iii. The text is formatted according to the template of the journal and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.

Manuscript Template

Manuscript Template of *Journal of Interdisciplinary Research* available in two versions. For authors, please download the following link.

- 1) Manuscript Template
- 2) Latex Template

References

- This section only includes paper, books, or other types of publications referred to in the body of the text. Quotes and references must strictly follow the APA (American Psychological Association) style.
- Authors must use a minimum of 60% of the primary reference sources (national journals or international journals) of the last ten years of publication. The reference list is arranged in a way from the following examples and sorted alphabetically and chronologically.
- Please use Reference Manager Applications like End Note, Mendeley, Zotero, etc.
- The references must be linked to CrossRef by listing DOI below each reference (if available).
- The DOI of the reference can be obtained by using the Simple-Text Query Form from CrossRef available at <http://www.crossref.org/SimpleTextQuery/>.
- URLs for the references have been provided (if available).

Short Communications

Short communication should not exceed 3000 words (4 printed pages) with a maximum 4 figures or tables

Copyright Notice

The author warrants that the article is original, written by stated author(s), has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author(s).

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

The Tragedy of a Rightist ideology: An Analysis of RSS Attitude toward the Muslims

Prof. Mohammad Alamgeer

**Prof. of Political Science and Editor of the JIDR*

Email: drmalamgeer@gmail.com

Abstract: *The RSS was founded by a Hindu nationalist leader Dr. Hedgewar in 1925 with the sole aim of uniting the Hindus and for revival of the pre-Islamic past of India. The ideology of RSS is "tactically communal and strategically ultra patriotic." Since its inception the RSS has operated diligently on a countryside scale through its cell called shakha to indoctrinate its members with Hindu fundamentalism. The original goal is to capture political power. The research paper attempts to analyze the ideological foundation of The rightist organization- The .R.R.S. and its attitude towards the largest minority –the Muslims in India with help of speeches and writings of successive Sarsanghchalaks.*

Key Words: *Fascism, sakha, Hindu Rashtra, Sarsanghchalaks, De-islamize, Appeasement.*

In examining anything about this organization, an investigator is handicapped by a number of factors. The experience is that the RSS point of view is voiced, almost exclusively, by its Sarsanghchalaks. The three Sarsanghchalaks that we have had so far have not written a single book projecting their organization, it is not their practice to write for the press; as a policy measure they do not maintain their own press; their speeches are made generally behind closed doors, and, whenever they come out in the public, care is taken to reveal themselves very inadequately. Fortunately, these handicaps are partially overcome by the recent official publication of a few selected speeches of these Sarsanghchalaks. These yield a reasonably adequate data to work upon for an objective understanding of the charge of communalism against the RSS. Our focus in what follows is on RSS attitude toward Muslims. But what is true for Muslims is true for Christians as well. Sikhs and Jains are regarded by the RSS as a section of Hindus.

With what mental framework Hedgewar founded the RSS in 1925?

The answer to this question is provided by H.P. Bhashikar, Hedgewar's official biographer. According to him these were the concepts that oriented his mind at that time; khilafat movement fanned Muslim communalism, "Muslims are fanatically anti-Hindus", "Muslims seek to divide the country", "Gandhiji is wrong in believing that freedom without Hindu-Muslim unity is not possible", "to believe that Muslims can be pleased by bending before them" and in this way a nation came into being is to ignore both history and human psychology. Bhashikar describes him as an outstanding participant in Nagpur, Hindu-Muslim riot two years before the Sangh was founded, and a valuable supporter for Dr. Moonje a few more facts need be in his politicking. Alongside this, stated. On the testimony of Golwalkar, Hedgewar remained throughout his life a pillar of strength in central India of Dr. Moonje's avowedly communal organization, Hindu Maha Sabha. He played an outstanding communal role in 1927 Hindu-Muslim riot of Nagpur, which by giving serious blows to Muslims, accelerated the spread of Shakhwas in Vidharbha. Much is made of Hedgewar's courting a short-term imprisonment in 1930 forest satyagrah led by Gandhiji. But two things are conveniently forgotten. Hedgewar took all steps to ensure that Sangh was kept away from the national movement. According to Bhashikar, his motive for going to jail at that time was to peddle Sangh ideology in jail where a large number of Vidharbha social workers were confined.⁶

The avowedly anti-Muslim character of the Sangh was underlined when its founders sat down to give a name to the organization soon after it was founded. The suggestion of Hindu Swayam Sewak Sangh was made, but Hedgewar rejected it in favour of its present name, arguing: If we use the word 'Hindu', it will only mean that we consider ourselves only as one of the innumerable communities in *this land* we do not realize that it is we, the Hindus, who have been *the* sole architects of culture, the history and all such other vital elements that go to form the main national stream of the land."

What image of Muslims Hedgewar sought to build up in the minds of his Swayam Sewaks? This is indicated by the following excerpt from one of his speeches, delivered in 1935- We are surrounded by countless difficulties, Yet we chose to remain weak. We can neither protect our wives nor save the honour of our daughters and daughters-in-law. They consider us mere carrots. They believe that daughters and daughters-in-law of Hindus are their property. They are not afraid of us because- we are weak. In Hindustan Hindus are 25 crores. Where from the remaining ten crores have come. These ten crores have come out of us. They left us because we were in deep sleep.... Let us open our eyes and resolve not to commit this sin in future. Those who take us to-day as mere carrots not so weak that others can swallow us. Only because of our sins, a part of us has been cut off. Now we have become thorny and he who attempts to put us in his mouth would find his mouth bleeding. The Rashtrya Swayam Sewak Sangh has come into being to make our Samaj powerful and organized".

Muslims are held responsible for progressive extinction of Hindu community. Hedgewar describes this in the following lines:-

"That which is Afghanistan today was sometime back our country of Gandhar. It is now completely Islamic. Since ancient days Kashmir has been a Hindu state. But Muslims are in majority there. The ruler is a Hindu but majority of subjects are Muslims. Is this not something surprising? It was said that Kashmir is the Nandan forest of Hindus. Is this not a matter of anxiety for Hindus that Muslims in Bharat have a population of ten crores? Once upon a time they were all Hindus. They have left us because of our indifference and inaction. In the same way Muslims have become a majority community in Panjab and Sind. Bengal was called our golden land; it was the birthplace of knowledge. Now Muslims are 55 percent of the population. Is this not very strange for us? In U.P. Muslim population is quite effective. In the South we have a Muslim state like Hyderabad.... I am putting all these things before you so that we are able to know how fast is the process of our destruction, *ks* against this, Muslims are openly demanding Pakistan from the British. In this situation we should arouse ourselves and organize ourselves in self-defence."⁹

Hedgewar's concept of Hindu nation and the place of Muslims in it brings into light another aspect of RSS attitude toward Muslims. According to his official biographer, mentioned above, he was opposed to the idea of Indian nation being made up of Hindus as well as Muslims because, according to him, Muslims do not feel that they have any commonality with Hindus with regard to their interests, traditions and ideals. He argued that nationalism in India is synonymous with Hinduism because Hindus alone have been living in the country since ancient days and that they have alone built up the life values of the country, its culture and ideals. This is what he said in 1935 "Sangh acts upon the principle that Hindustan belongs to Hindus only. Hindustan is only for Hindus."¹⁰ It believes that the country should follow only that which Hindus decide. This is the only thing that Sangh knows. It is not concerned with anything else."¹¹ Elaborating this point, he said in 1938 "This is absolutely true that Hindustan belongs to Hindus and Hindus alone are its masters. Is it not our responsibility to make this a reality? ... Is it not our responsibility to bring about a situation suitable for the realization of this goal."¹²

What would be the state of Muslims in India of Hedgewar's dream. Prabhakar Balwant Dani, a founder member of RSS and its former general secretary, writes about Hedgewar's view on the subject as under ;

"A study of history has made it clear to him that Bharat was always subjected to foreign attacks. At that time our society was strong and it followed with determination its life values. Therefore, the invaders were completely absorbed by it and today we cannot find trace of Shuks and Huns among us. Can we make the modern invaders merge with our society in the same way? Is it possible? In Hedgewar's mind, the question of possibility or otherwise did not arise. He was of the opinion that it should happen and that it could happen if we make our Samaj stand firmly on our ancient life values."¹³ In other words in Hedgewar's India, Muslims should lose their identity with respect to their ideals, culture and tradition and become an indistinguishable part of Hindu society. In the course of building up Hindu Rashtra, would RSS use force and coercion with respect to non-Hindus? Hedgewar answers as under; "it is the Hindus alone who can teach others the lesson of non-violence. If we want others to attend to our teachings, we will have to build the requisite strength. Today we are weak: and people with violent tendencies attach no value to us. Therefore, if we want to pour the mantra of non-violence down the throat of violence loving people, we will have to make ourselves strong enough to see that our teachings are effective."¹⁴

According to Hedgewar's official biographer, Hedgewar disagreed with Gandhi's concept of non-violence. On his writing pad there was printed a shloka of saint Tuktarara which in English means; "Mercy means that we should help living beings and grind into powder evil persons."¹⁵

Golwalkar, who succeeded Hedgewar as Sarsangbchalak in 1940, during 33 years of his chieftancy, expressed himself on RSS attitude toward Muslims much more frequently and elaborately. We give a representative sample of his statements. Addressing the Vidharbha RSS camp on January 10, 1971, he traces the history of Indian Muslim's behavior as follows? "During the last 1200 years, in the wake of the invasion of the country, the believers of Islam have converted a large number of Hindus to Islam, sometimes through force and sometimes by the use of incentives. With the help of such people they ruled the country. Hindus felt miserable on account of the loss of their freedom and the establishment of the rule of people belonging to an alien dharama. This led to their continuous struggle to root out the invaders. Their power was destroyed just before the English arrived. Those who had accepted the alien dharama remained and their separate existence was established in the country. It was believed that after independence they would give up their designs. But it happened otherwise. Their political aspirations to a higher pitch and they are feverishly striving to set up their independent states in different parts of the country."¹⁶

Muslim localities in free India, Golwalkar expressed himself as below:-

"In fact, all over the country wherever there is a Muslim masjid or a Muslim mohalla, Muslims feel that it is their own independent country. If there is a procession of Hindus with music and singing, they get enraged, saying that their religious susceptibilities are wounded. If their religious feelings have become

so sensitive so as to be irritated by sweet music they why do they not shift their masjids to forests and pray there in silence? Why should they insist on planting a stone on the roadside, whitewash it, call it a prayer spot and then raise a hue and cry that their prayers are disturbed if music is played. ... Is it not obvious that the so-called susceptibility of the Muslims here regarding music has nothing to do with religion but it is solely motivated with a view to picking up quarrel with Hindus and establish their independent cells? How is it that they dare to carry on these offensive anti-national practices openly? It is because the government overtly and covertly supports them. that within the country there are so many Muslim pockets i.e. so many miniature Pakistans, where the general law of the land is to be enforced with certain modifications and the whims of the miscreants have to be given the final say.. .This acceptance is a dangerous theory fraught with possibilities of the destruction life. Such pockets wide-spread network of a of pro-Pakistan elements in this land ”¹⁸

In order to further understand RSS attitude toward Muslims, its concept of Hindu Rashtra has to be understood. Why the Indian nation-.should necessarily be Hindu nation a and not a composite nation that include Muslims along with others, is explained by Golwalkar in one of his speeches at RSS all-India camp at Nagpur. This is how he explains

“According to scholars, community becomes a nation when its members live on one common land, are devoted to this land unceasingly and in an organized manner, have a common dharma. common ancestors, common history and memories, common ideals, aspirations and hopes, common experience of happiness and sorrow and common experience of enmity and friendship with others. On the basis of this definition, the national life of Bharat is the life of Hindu nation.

Not only from the view point of scholars but also from the point of view of hi story, Hindus have been living here since times in the remote past. Muslims and Christians came here as invaders, Parsis and Jews as guests. Invaders have been coming here to destroy our peace and prosperity. In the present period all efforts have been made to assuage their anti-national feelings through humanity and pacification. But our leaders have failed. ”¹⁹

How firmly is RSS committed to the goal of Hindu Rashtra is evident from the following **words** of Golwalkar’s 1960 speech at Indore before a gathering of top RSS **cadres**:-“Hindu Rashtra is an irrefutable fact. It is beyond controversy. It is an established truth. This belief is treasured in the hearts of all Swayam Sewaks and must remain as such ... We will not rest till we have established this Rashtra. We will make it powerful and sovereign. Those who will come in our way will do so at their own risk. ... There can be no compromise on this issue, no bargaining. ”²⁰

How can Muslims be integrated with Hindu nation, which,-as is claimed, have been in existence over the last so many thousands of years and which RSS seeks to make supreme and sovereign. In this respect, let us examine the following lines from an article by Golwalkar “There are quite a number of friends in the country who became Muslims or Christians. A large number of them are off-springs of the people living in this country. They accepted these faiths not because of any devotion to them but because of fear, coercion and enticement or because they had no other alternative to keep themselves alive. That they continue to remain in these faiths is due to their state of enslavement over the last so many centuries. This shows their mentality continues to be *slavish*. In order to enjoy freedom in the real sense of the word, Muslims and Christians who come from Hindu ancestry should give up their present religion, which is nothing but an insulting reminder to the atrocities and coercion committed by foreigners, ancestor and, come back to Hindu Dharma of their ancestors. ”²¹

The theme of this appeal to Muslims to return to Hindu Dharma of their ancestors receives further elaboration from the following excerpt from his Bunch of Thoughts- “It is our duty to call these forlorn brothers, suffering under religious slavery for centuries, to their ancestral home as honest freedom loving persons, let them overthrow all signs of slavery and foreign domination and follow the accessorial ways of

devotion and national life, all types of slavery are repugnant to our nature and should be given up. This is a call for all brothers to take their original place in our national life. And let us all celebrate a great Diwali on the return of those prodigal sons of our society. There is no compulsion here. This is only a call and request to them to understand these things properly and come back and identify themselves with their ancestral Hindu ways of life in dress, customs, marriage ceremonies, funeral rites and such other things. ”²²

The above is an account of the national mainstream which the RSS wants the Muslims to join as a condition precedent to their admittance to Hindu Rashtera, which they consider the only valid form of Indian nation. The reader is asked to take note of one more element in this concept of national mainstream, underlined by Golwalkar in these words:- “Muslims should have no objection to bringing Islam in line with reason and so facilitate their passage into the mother society ...Once Muslims rationalize Islam, there would be no difficulty.”²³ When at a press conference Golwalkar was asked to explain what he meant by “merging of non-Hindus in the national mainstream”, he elucidated- “They should experience the same sense of belongingness as Hindus do to this country its people, its culture and its future aspirations, if after fulfilling all these? Anybody says he has studied Quran or Bible and that the way of worship strikes a sympathetic chord in his heart, he is welcome to follow it. Thus he has a choice in a portion of his individual life. For the rest he must be one with the national current. We have been in existence as a nation for scores of centuries. There are some fundamentals on which our national life is resting. These are enunciated by Hindu seers. That is the mainstream. We want all people to come to the mainstream of the national life but not to lose their identity.

Many people have come here from various parts of the world. They have chosen to stay here, live here. They have adapted themselves to the life here, the ideology and philosophy here. Some have even made their contribution toward enriching the mainstream. The Muslims unfortunately stayed apart ... They remained separate ...Had this not been so, there, would not have been communal riots, nor partition. ”²⁴

A strong Hindu Rashtera is the surnum bonum for RSS and this is not possible as long as aliens like non-Hindus, such as Christians and Muslims, remain outside the national mainstream. They must be brought to their ‘**ancestor** al home’. How to bring this about? RSS recommends two methods. First is to organize all the Hindus of the country in a particular manner. For want of space we would not dilate upon this. Second is the use of force by an organized section of Hindus. Golwalkar does not mince words while advocating use of ‘force’ for this purpose. “In this task of self-protection of Hindu Dharma and culture, we might have to destroy evil persons. Conflicts will take place, today or tomorrow. Conflict might take time to arise, but it will take place In a conflict situation, truth is always victorious and we will have to show that this happens. If these Asur (evil) forces can be defeated through the use of force, force should be used; if good behavior works, it should be brought into play and if logic can succeed it should be used. Generally speaking, it is a matter of common experience that evil forces do not understand She language of logic and sweet nature. They can be controlled by force.”²⁵

A more explicit statement of Golwalkar on this issue is as follows-

“We will teach the Indian Muslims to identify themselves with this country and its culture. We may have to beat them in order to teach them. Beating is of two kinds. 1- Mother beating her child and an enemy striking a man. We have not, done any beating. But if and when we do teach them by beating, it -would be like out of love and solicitude for the child’s welfare. ”²⁶

Now coming to the views of Bala Saheb Deoras, one of the Sarsanghchhalak of RSS first of all knowing him. Like his two predecessors, he too works under a veil of secrecy. He must have delivered scores of speeches to Sangh workers during the six years of his chieftancy but the outside world knows nothing about them, and, the few speeches that he has made in the public are merely the tip of the iceberg. Golwalkar also functioned like this for thirty years delivering a number of speeches in Sangh conferences and camps, but the world could know something of his mind only, when one year after his death,

selections of his speeches began to be published. As indicated in the beginning as a matter of principle RSS does not have a press of its own. However, a couple of Balasaheb's speeches made in public have been published and they do provide useful data.

As admitted by him in his address to the nation on Vijaydashmi Utsav, October 1, 1979, Balasaheb is following the footsteps of Golwalkar, his mentor, whose views we have just examined in some detail. He is saying nothing new. Yet it would be worthwhile to examine some of his statements. Speaking about the Muslims of the country on March 4, 1979, Balasaheb Deoras offers them the following advice; "We Say to Muslims and Christians that they have not come from Iran, Turkistan, England or France. You are as old inhabitants of the country as our blood is the we are the same . If a few generations ago,

same; our ancestors and so is the case with our parents, because of change in your religion, you started going to masjid and church, it does not imply your culture and nationality have been changed..... The Cultural stream of the country will essentially remain Hindu. It is essential for you to join it."²⁷

In another part of the same speech, referring to what he calls elements of Hindu culture in the life of Indonesian Muslims, he repeats the same advice but in a domineering tone reflecting the openly bellicose attitude of Golwalkar; "We cannot understand why that which has been possible in Indonesia cannot be done in India. If we put this thing before Muslims with one voice and with proper insistence, they will understand us in India. It would not be difficult for them to agree to it."

Balasaheb's Vijaydashmi speech made last year is important in many respects. By implication he predicted that a day would come when every citizen of the country would call himself a Hindu. He underlined that RSS rejects the idea of a composite nation and that the only nation that exists in India is the one that has been existing for the last so many thousands of years, implying thereby that Hindus alone constitute the Indian nation He held that to accuse Hindus of communalism is an insult to them because a Hindu cannot be communal, which, in other words means that non-Hindus alone are responsible for communal disturbance. His concept of the national mainstream with which non-Hindus should identify themselves, is the same as that of Golwalkar. Hindus are Bharat and Bharat is Hindus; Hindi Rashtera is based on Hindu Dharma ; Hindu Dharm is as old as Indian society and it is a way of life which is evolved by a selected group of ancient and modern thinkers most of whom thought in the same manner as Shivaji and his mentor Ramdas. Therefore, the attitude toward Muslims of Deoras is not a bit different from that of his predecessors. The belief that RSS has undergone a distinct ideological change has no basis.

The present Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) chief Mohan Bhagwat late Sunday created a flutter at a public meeting here by claiming that Indian Muslims were originally Hindus and follow Hindu rituals he said, "India is a country of Hindus. Even Muslims and Christians are also Hindus as they have inherited the Hindu culture. They too have roots in Hinduism," Bhagwat said while addressing a huge gathering of RSS activists the sprawling Bangalore Palace grounds substantiating his claim, Bhagwat said Muslims sing qawwalis because they inherited the trait of singing bhajans (hymns) from their forefathers. They also worship at mausoleums of great Muslim saints by offering chadar (quilt), which is equivalent to idol worshipping by Hindus. "We are a country of unity in diversity. We are all one despite so many languages, different religions, cultures, traditions and food habits. All Indians derive strength from the spirit of Hindutva, which is a way of life - sanatana dharma," he said

There have been consistent attempt to remind the Muslims of their pre-medieval past and expect them to develop an attitude of "common identity" with Hindu nationalism as political philosophy. The Indian Muslims however, suspect it as an attempt to *de-Islamise* them. The Muslim Personal Law, Uniform Civil Code, management of Waqf Board, polygamy, Talaq, upliftment of women, Purdah system, family planning, the Haj subsidy, Aligarh Muslim University with special provisions for minority institutions granted under Articles 29 and 30 of Indian constitution and the status of Urdu language were all seen as linked with Islamic identity by the Muslims. Any attempt to modernize the community is perceived by

common Muslims as an attempt to destroy Muslim culture and identity. To conclude RSS attitude toward Muslims is oriented by these concepts Bharat is Hindu and Hindus are Bharat; non Hindus are aligns; Hindus alone constitute the Indian nation and this nation cannot If grow in strength without making the non-Hindus join the mainstream of Hindu culture and Hindu way of life, as conceived by the RSS, and, non-Hindus should be pressurized in all ways, including the use of violence, to identify themselves with this mainstream.

REFERENCES

1. *Bhishikar, H.P., Kesbavs Sangh Nirmata, pp. 23-29, Surichi Sahatya, Keshav Kunj, New Delhi, 1979.*
2. *Ibid., pp. 25-26.*
3. *Ibid., pp. 18-20.*
4. *Shri Guruji Samagar Darshan, Vol. IV, p. 4, Bharatya Vichar Sndbna, Nagpur, 1974.*
5. *H.P., Kesbav: Sangh Nirmata, Sahatya, Jhandewala, New Delhi. pp.444, Surichi*
6. *Ibid., p. 80-*
7. *M.S. Golwalkar; Spotlights, p. 171, Sahitya Sindhu Kampegowda, Nagpur, Bangalore.*
8. *Kesbav Baliram Hedgewar; Rashtraya Swayam Sewak Sangh, pp. 9-10, Lokhit Prakashan,*
9. *Bishikar, H.P. Keshavs Sangh Nirmata, pp. 84-85, Surichi Sahatya, Jhandewala, New Delhi.*
10. *Ibid., pp. 31-32.*
11. *Ibid., p. 40.*
12. *Ibid., p. 53.*
13. *Prebhakar Balwant Dani; Sangh Darshan, p. 44, Rashtraya Dharam Pustak Prakashan, Lucknow.*
14. *Ibid., p 78.*
15. *Bishikar, H.P. Kesbav Sangh Nirmata, p. 29. Siruchi Sahatya, Jh^ndewalan, New Delhi.*
16. *Shri Guruji, Samag-ar Darshan, Vol. VI, pp. 56-57, Bharatya Vichar Sadhna, Nagpur.*
17. *Shri Guruji, Samagar Darsban, p. 35. Bbaratya Vichar Sadhna, Nagpur.*
18. *M S Golwalkar, Bunch of Thoughts, pp. 174-175,*
19. *Shri Guruji? Samagar Darshan, Vol. VI, pp. 11-13, Bharatya Vichar Sadhna, Nagpur.*
20. *Sri Guruji; Samagar Darshan, Vol. IV, pp. 24-25, Bharatya Vichar S^ihna, Nagpur.*
21. *Shri Gurujis Samagar Darshan, Vol. III, p. 102, Bharatya Vichar Sa-lhna, Nagpur.*
22. *Bunch of Thoughts; M.S. Golwalkar, P 131, Rashtraya thana Sahatya, South End Roai, Bangalore.*
23. *Golwalkar, M. S.: Spotlights, pp. 46-47, Sahatya Sindhu Kanpegowda Nagar, Bangalore.*
24. *Ibid., p.*
25. *Sri Guru ji Samagar Darsan Vol.V, pp, 32, 33 Bhartya Vichr Nagpur*
26. *Gulwarker MS, Sahitya Sindhu, pp 44*
27. *Balasaheb Deoras, Hindustan and national needs, pp 15, 16 Sirch Sahitya Jhandewalan, New Delhi*
28. *Organizer, October 14, 19323379, New Delhi.*

Industry: Potential and Growth in Tirhut Division

Dr. Ritam Priya

Resource Scientist, Bihar Remote Sensing Application Centre
Email: ritampriya3@gmail.com

Abstract: Industrial development is the building and growing of industries within an economy. These industries include mass production technological advances and other services. When an area or economy is industrialized it experiences an increased standard of living, job, growth and more productivity as it sustains growth. Industrial development is the measurement scale of the progress of any area or region. The establishment of industries attracts many factors which provide the base of development. Industrialization generates employment, opportunities, encourages advancement and innovation and better utilizes resources. It also attracts the population and means of transportation and simulates the process of urbanization. Industrial growth has had a large impact on the economy. As it has in the past industrial development provides endless opportunity for an area. So this topic is very important in the context of these days.

INTRODUCTION

There are six districts included in Tirhut Division. The names of these districts are West Champaran, East Champaran, Muzaffarpur, Vaishali, Sitamarhi and Sheohar. From the view point of relief the Tirhut Division is divided into two unequal parts (a) The north western Shiwalik hills (b) The alluvial plains. Shiwalik hills is the lower part of the great Himalayas which lies in the N.W. part of the study region in the West Champaran district. It has a very short span of the hill which is stretched about 932 Sq. Km. It has a height between 250 to 850m. The Shiwalik hill is composed of sandstone, sand and gravel of the Tertiary era.

Most of the study area is formed by the alluvial soil deposits in the Quaternary era. These areas are formed by the great Ganga and its tributaries rivers brought down alluvial and deposited to make a fertile plain. So the condition of rocks and minerals finding are not satisfactory here. Sodium salt and salt peter are an important component for the production of fertilizer, glass and Barood. So it can be considered as minerals found in the West Champaran, East Champaran, Muzaffarpur, Vaishali district of Tirhut Division. Sandstone and limestone are the only major rock types that found in the study area. It is found in the N.W. part of the West Champaran. These rocks are used as a building material. Bhikhanathori is the famous place of the study area which supplies sandstone to the distant area of the division. Due to the lack of minerals generally agriculture and forest based industries are found here.

STUDY AREA

There are six districts included in Tirhut Division. The names of these districts are West Champaran, East Champaran, Muzaffarpur, Vaishali, Sitamarhi and Sheohar. The Tirhut Division shares the international boundary of Nepal. In north west side it touches the state boundary of U.P. and Darbhanga Division lies in the east. It is bounded between the Siwalik Himalayas in the north and the great Gandak in the extreme west and great Ganga flows in south side.

METHODOLOGY



The study is mainly based on the secondary data source. Data and information have been collected from various statistical abstracts; handbooks and publications have been accumulated from different books and by the Government of Bihar. These information and data are arranged for fulfil the main objectives of the study. Qualitative and quantitative both methods are used and field study is also included in the study method.


Generally industry establishment depends on many complex factors, which dominates one another. Each factor like power, raw material, transportation cost, labour agglomeration and capital has its defined role in multifunctional industrial zone. Agglomerative or deglomerative factors do not operate regionally, but assist the concentration or dispersal of industrial activity within a region. It is essential to portray primary facts related to location of industries and outlining industrial zones of any area. The industry is divided into three types, large scale, medium scale and small scale industries. On the basis of raw materials industries based on agricultural product, forest based on agricultural product, forest based industry and mineral based industry.

Our study region is famous fertile plain having a little stretch of forest and hilly area in the extreme north. So mostly the industries that are found here are mostly based on agricultural raw materials and forest based raw materials. As a broad sense the original concept of industry like mineral based industry is not found here. Present condition of industry in the Tirhut division can be seen in the following table.

Distribution of Large and Medium Scale Industries in 2001

S.No.	District	No. of Industrial Units
1	Paschim Champaran	9
2	Purbi Champaran	4
3	Muzaffarpur	17
4	Vaishali	24
5	Sitamarhi	2
6	Sheohar	-





Small scale industries run in our study area. Maximum number of such industrial unit found in Muzaffarpur (4342) and Sheohar has only 112 units of it. There are many industries in the study area but sugar industry and Rice mills are main industries are prominent as the area of Tirhut division is a producer of such crops. Paschim and Purbi Champaran are famous for sugar mill and rest part is for Rice Mill. One industry which is except the league, engineering industry, found in the Muzaffarpur district of Tirhut division. The brief of main industries are:-

i) AGRO BASED INDUSTRIES

a. SUGAR INDUSTRY- It is the oldest industry of Bihar and in our study area. The first sugar industry was tried to establish in Bettiah by the Dutch company, then the English but was failed. The main raw material is sugarcane which is a weight loose raw material. The production of one tone sugar it need ten tons of sugarcane. But some of the demerits make this industry sufferer in this area. Most of the sugar mills are concentrated in the Purbi and Paschim Champaran and some in Vaishali districts. There are 14 sugar mills situated in division out of which 8 mills alone situated in Paschim Champaran.

Major mills are in - 1. Bagaha, 2. Rainnagar 3. Narkatiaganj, 4. Chanpatia, 5. Sikta 6. Bettiah 7. Manjhaulia 8. Sugauli, 9. Motihari, 10. Righa, 11. Motipur, 12. Lauriya, 13. Sitatmarhi, 14. Janakpur.

RICE MILLS- As our study area produce a large amount of rice. So most of the areas of N. Tirhut Region, Parallel to the Tarai region have many rice mills there. Main centres of Rice mills are: 1. Chanpatia, 2. Ramnagar, 3. Narkatiaganj, 4. Raxaul, 5. Adapur, 6. Kotwa, 7. Bairgania, 8. Motihari, 9. Sitatmarhi, 10. Janakpur. The heavy density of population creates the condition for rice mill establishment.

ii) FOREST BASED INDUSTRY

Such industries need the raw materials that obtained from the forest the N. W. part of Tirhut Division, Paschim Champaran have some condition of forest development so most of the forest industry developed here.

a. WOOD INDUSTRY- The N. W. hilly region of Paschim Champaran district and the Tarai region have forest covered area from where humid deciduous forests are obtained. Such forest is covered in 91.745 sq. km area that is 18.94% of total land of Paschim Champaran. Sal, teak, bamboo canes are some important trees here which is used as a wood in furniture industries. Narkatiaganj, Bairgania, Jogbani in the Tarai region and Lalganj, Hajipur, Muzaffarpur in the plain region are some important area having wood industries. Saw mills, Furniture making and plywood making is prominent. Narkatiaganj is famous for its beautiful cane furniture industry.

b. PAPER INDUSTRY- Such industries on the sabai grass the waste art of sugarcane and paddy. Such things are used as a pulp in the paper such industries are found in Paschim Champaran as a small scale in. Here papers are made for the parching purpose. So quality of paper is very low. Muzaffarpur is one of the paper industry zones in our study area.

Other industries are as follows:-

iii) LEATHER INDUSTRY

The skin of the animals is the raw materials in such industries. Our study area has a large number of cattle. So leather industry is flourished here. Muzaffarpur, Hajipur and Bettiah have leather industries where shoes, footwear, bag, belt are made in large amount.

iv) PLASTIC INDUSTRY

Plastic is a synthetic material made from wide range of organic polymers that can be melded into any shape or form i.e. soft, rigid or slightly elastic. At present, there low cost ease of manufacture, adaptability and opaque, impenetrable, impassable to water makes it a final usable raw material than any other component. The plastic industry contributes to almost every daily requirement of human being. In Bettiah. this industry runs well. Plastic pipes, ropes, baskets, bags, pots, toys and bottles are manufactured here.

v) DAIRY INDUSTRY


As our area has a great amount cattle and milk production is higher. But Muzaffarpur has well developed Dairy industries that fulfil the different needs by the milk in the whole Tirhut division. Such factory is famous as Sudha milk such as full cream, Half Cream as well as different milk products like sweets, Pannier, Ghee, Curd, butter etc.

vi) GLASS INDUSTRY

The float glass as we know is manufactured by the PPG process. This process was invented by Sir Alistair Pilkington in 1952. Fine grand ingredients closely controlled for quality are mixed to make a batch which flows into the furnace, which is heated up to 1500 degree Celsius. The temperature is the melting point of glass. The raw materials that floats glass is made up of are silica, sand, sodium oxide, calcium oxide from lime stone, dolomite, feldspar. The above raw materials primarily mixed to make clear glass. This industry is well developed in Hajipur. Major raw materials are found from the Rajmahal Hilly region. Different, Bottles, Pots, Mirrors are manufactured here.

vii) CHEMICAL INDUSTRY

Under this head, Colour making factories run in Mahanar. Wall pain, wood paint, metal paint and other different colours are manufactured. There are medicine factories in Hajipur and Muzaffarpur. But they are not up to the mark. Some oil and soap industries also run in the study area as small scale industry famous for its beautiful cane furniture industry.



The Role of Social media in Promoting Feminism in India

Dr. Ashti Alamgeer

Ph.D. Dept, of English, LNMU, Darbhanga

viii) CIGARETTE AND BIDI INDUSTRY

It had a great industrial Value once at a time but after the division this industry loses its importance even for Tobacco Company. Probht Zarda Factory is a famous one in this region. Muzaffarpur, Vaishali is the great producer of Tobacco, they use it as a raw material in their own industries but a great amount is exported out of the Mahanar has cigarette industry and Chanpatia, Sitamarhi, Dumra have Bidi Industries in their places.

ix) BANGLE INDUSTRY

Muzaffarpur is famous for this industry. Such industries got raw material from out of the region but in the industries the Bangles of Lah is made in different colour, designs.

x) TEXTILE INDUSTRY

This industry is not very prominent here. Some of the industry in small scale is developed in Muzaffarpur. Low quality blanket, Hosiery and

REFERENCE

1. *A Systematic Geography of Bihar* by Prof. L.N. Ram, Patna University, Dept. of Geopgraphy, Published by Geographical society, Dept. of Geography, Patna University 1991.
2. *Bihar: A Physical Economical and Regional Geography* by Enayat Ahmad, Published by Ranchi University.
3. *Historical Geography and Topography of Bihar: M.S. Pandey*, Published by Motilal Banarasidass Publisher pvt Ltd., 2001.
4. *Industrial Department, Govt. of Bihar, Patna*
5. *Development of Small Scale Industries In Bihar* by S. Akram

Abstract: *The impact social media on galvanizing international outrage after the horrific and deadly gang rape of a young Indian medical student, or the power of Malala Yousafzai of Pakistan, an advocate for the right of girls to an education, who was targeted and shot by a gunman, and who has since become an international heroine... "I think it's provided a voice for the voiceless, so we wouldn't know some of the things that were going on in countries like India or if it wasn't for some of those social networks. "A feminist assessment of social media, then, is an exploration of how communities form and interact in social media spaces as well as if values expressed via these participatory cultures align or misalign with feminist ethical criteria.*

Key Words: *social media, gender, inclusion, patriarchal, media House*

FEMINISM THE CONCEPT

Feminism is an awareness of patriarchal control, exploitation and oppression at the material and ideological levels of women's labour, fertility and sexuality, in the family, at the place of work and in society in general, and conscious action by women and men to transform the present situation (Bhasin and Khan, 1999: 3). Feminism is an awareness of women's oppression and exploitation at work, within and uplift the life of women. Feminism has no specific abstract definition applicable to all women at all times, since it is based on historically and culturally concrete realities and levels consciousness, perceptions and actions. It can be articulated differently in different parts of the world, depending upon various backgrounds. Feminism is against patriarchy expressed in domination, selfishness, aggression,

violence and oppression (Singh, Ivy –Feminism: Various Approaches and Its Values). The recent form of feminism that came after 1960s has become an evolving socio-political movement. It is a political project aiming to understanding the power structures and relations in the society and to challenge it as well, which is still working in the forms of male domination, through the transmitters of social practices, social institutions. So, it devises the strategies to emancipate and empower women out of this imbalanced environment.

The essence of Feminism has a strong fundamental case intended to mean only that there are excellent reasons for thinking that woman suffer from systematic social injustice because of their sex, the proposition is to be regarded as constituting feminism.”——Richards, Janet:1981 As an ideology¹ and as the chains of movements² for women’s empowerment, the be all and end all of feminism, in all the fields— political, cultural, literary or social, feminism emerges against the discriminatory³ treatment of women in all aspects of life— social, economic, political etc. in consistent with the humanitarian perspective. It challenges the age old perceptions of people regarding women and gender⁴ discrimination and stands deadly against the patriarchal hegemonic phenomenon to which women at large are being subjected in every stage of their lives and besets itself with the charge of searching solutions. It also endeavors to edit the stereotypical perception of patriarchy for women asserting their identity as parallel to men in all walks of life in the teeth of the opposition of the fundamentalists of course.

“A feminist assessment of social media, then, is an exploration of how communities form and interact in social media spaces as well as if values expressed via these participatory cultures align or misalign with feminist ethical criteria. Digital social media in theory align with feminist values such as access, cooperation, and inclusion. However, the opportunities social media platforms afford are increasingly shaped by the business models and algorithms behind them, not to mention the material biases users bring with them” (Ott, 2018)

Social media has proved to be a powerful vehicle for bringing women’s rights issues to the attention of a wider public, galvanizing action on the streets of cities around the world and encouraging policy makers to step up commitments to gender equality. Recent cases in Turkey and India reflect the potential of social media to bridge the gap that often separates grassroots women’s activism from policy-making processes. The explosion of social media and unprecedented use by women of new technologies represents important opportunities to bring gender equality and women’s rights issues to the forefront of both policy making and media attention.

This briefing note examines the extent to which social media can be an effective lever to amplify women’s voices and identify strategies to better facilitate their impact on decision-making processes. Over the past seven years, the OECD Development Centre’s Wikigender platform¹ has been engaging with a cross-section of gender equality actors, from civil society to governments, as a means of promoting women’s voices in policy-making fora. This note will present key arguments shared during a recent Wikigender online discussion on “Advancing women’s rights through social media: which strategies?”.² It will review successful social media campaigns, analyze current obstacles, and conclude rights and gender equality within a post-2015 agenda.

THE SOCIAL MEDIA REVOLUTION AND WOMEN'S EMPOWERMENT

Social media has transformed the landscape of how information is shared globally and the relationship between citizens and governments (Shirky, 2011). Beyond its use as a social networking tool, social media allows for the first time any individual to share content and opinions to a global audience, bypassing traditional media or other modes of information transmission (European Parliament, 2013). Platforms such as YouTube, Face book or Twitter have allowed activists around the world to retransmit events

live to a broad online audience, such as during the Arab Spring movement (Pew Research Center, 2012). Local issues become global concerns; local activists become connected with global citizens.

Women’s rights movements have also been quick to capitalize on social media’s unprecedented political and awareness-raising potential. During the Wikigender online discussion, participants stressed the importance of social media in allowing gender activists to connect within and across borders, at a low cost. The surge of female bloggers has in particular helped attract a younger generation of activists, who represent a key target audience to break established stereotypes and help advance gender equality.

The major contradiction made on men and women in a patriarchy is either the concept of gender or sex stereotyped conceptions regarding these are cultivated in the minds of the people. In consequence of this, those norms are becoming culture in which women are structured as inferior in comparison to men. The following citations will exert some light on it.... In pursuance of this, Feminists being aware are trying to regenerate the ideas of equality and justice, in the form of Ideology and movements. From a philosophical point of view, the term feminism’ generally designates a mindset that is not limited to women or to gender in its definition. Rather, the core of the definition of feminism is in discrimination on the basis of gender (Nagel-Docekal 1999: 8).

The principle which regulates the existing social relations between the two sexes – the legal subordination of one sex to the other – is wrong in itself and now one of the chief hindrances to human improvement; and ought to be replaced by a principle of perfect equality, admitting no power or privilege on the one side, nor disability on the other. (Mill, 1984: 261) It was during the 1960 and 70s when the feminists in US, at large, looked into the images and portrayal of women in media as a concern for making in-depth studies. In this particular point of time, the studies were based on the principle of liberalism and by and large advocated for equal participation of women in media for the positive portrayal of women. Out of multiple concerns of feminist critics, stereotyping of women is the one which perhaps bothers them the most. With a view to theorize the on-going objectifications of women as sex objects, and the representation of women in the mythical roles, feminists come to fore front. That is why the necessity and viability of Feminist approach to the media is being acknowledged in the present day situation.

R.R Dwivedi observes, Media in general both but the electronic media in particular is usually proven notorious for projecting women as stereotypical characters where they supposedly play an underrated role in the household ambience. Feminists’ objections stand even more relevant when understanding of women as either object of consumption or in their oversimplified roles prevails in a time when women articulate their representations advocating their prerogative in public and private spheres. (Rajiv Ranjan Dwivedi: 2014). In India also, in 1970 with the advent of the second wave of Feminism, and the emergency period during Indira Gandhi’s tenure, women of India were making voices against the domination of male in everywhere and demanded democratization of every fields and equal distribution of the resources. It is noteworthy that the space assigned by the society towards women in patriarchal society of the world in general and India in particular is defined by two characters, firstly as sex objects, for satisfying the men and secondly as their all pervasive stereotypical roles as good mother, house wives, and daughter etc. In regard to the stereotype roles, it is seen that, women might be attributed some ultra modern qualities or some traditional qualities inspired from the myths of culture and religion, but in both cases women are not portrayed in a positive way. The atrocious discrimination in India or any other society towards women is born of the sadist and miserable treatment showed to them by the male society in general as the males always carve for victimizing women. This has led to the emergence of many a literary feminist critic in defense of their cause. Simone de Beauvoir’s opinion in this respect is amply suitable when she says: – One is not born but rather becomes a woman. No biological, psychological or economic fate determines the figure that the human female presents in the society; it is civilization as whole that produces this

creature. (Beauvoir, 457) –While stating a sharp distinction between –sex and –gender being biological and cultural/social/psychological construct respectively, Kate Millet in her *Sexual Politics* observes the repression and subordination of a woman as –a most ingenious form of interior colonization. (Kate Millet) J.S. Mill, the ardent supporter of women’s liberty expressed his critical concern reflecting on the pathetic and sadist condition of women in society at large. In his book, *The Subjection of Women*, Mill writes about the problems of women’s inequality in society and stated—What is now called the nature of women is an eminently artificial thing the result of forced repression in some directions. In the 1990s, the feminist intrusions in the media have gained more attention in the field of cultural studies group of centre for contemporary cultural studies (CCCS) at Birmingham. The feminist scholars recognized the importance of Gender, questioned the naturalization of masculinity and masculine discourse in media studies and argued for Feminine’ as a new philosophy of study. (McMillan: 2007) Further feminist issues gained remarkably more importance in the media, especially after the UN Fourth World conference on Women held at Beijing in 1995. –The strategic objectives of the Beijing Platform for Action were– Increase the participation and access of women to expression and decision making in and through the media and new technologies of communication; promote a balanced portrayal of women in the media. Thereafter, many women’s organizations began to voice their concerns against the negative portrayal of women as –Commodity and Second Class Citizen through both private and government controlled Print and electronic media, and the crying need for encouraging women to join the profession. Feminist Media studies differs from other studies such as Post-modernism, Pluralism, Neo-Marxism because of its absolute focus on analysing gender as a mechanism that structures material and symbolic worlds and our experiences of them.(Van Zoonen)

As a matter of fact, Feminist is someone who cherishes the thought that the reason behind all the sufferings of discrimination by women is due to their sex and the value laden concept of gender. The words Feminist and Feminism are all political brands emerged in the late 1960 aiming the support of the new women’s movement. Feminist criticize feminists have politicized existing critical methods (in much the same sort of way that Marxist have) and it is on this basis that feminist criticism has grown to become a new branch of literary studies . Feminist reader looks towards politics of gender.

FAILURE OF MEDIA AS AN AGENCY OF SOCIAL CHANGE AND STATUS OF WOMEN

“Feminist studies emphasized the major role of institutions for gender inequality early and repeatedly. They argued that patriarchal structures perpetuate gender inequality” Media, one of the powerful institutions of today’s world through which ideas are shared and opinions get the shape of policies, is still in the hands of male owners. As a result, women are still in the position of victims rather than decision makers: media are projecting women as the objects of entertainment and sex. The obsession for fair skin still marching ahead, the number of fairness cosmetics flooded in the market and rich sponsorships in the form of advertisements uncountable. In this regard Dr. P.C. Joshi says— –Women are still projected as beauty objects. Still she has to look beautiful and fresh all the time from rising from the bed till she drops dead after working the whole day playing the dutiful role of many of the status, she is holding. She is managing Business Empire but when returns home –the dutiful bahu is the expected role (Joshi, P.C: 1989). Women, at the global level and in India particular, by and large, are presented as glamorous or elegant having the capabilities of handling jobs like compeer, newsreader and anchorperson, where women are shown as mere objects of entertainment and lagging behind men in regard to the intellectual power. Women appear in magazines, fictions and in television soap operas, and films as self deprecating and dependent, irrational, and over emotional along with being beautiful.

Present day, children grow up, reared and bearded in the constant interaction with role models from mass media. They follow them every inch and want to be like the way they are. In this regard Routray says, How many of us know about Homai Vyarawalla, the first woman press photographer, who took many memorable pictures of the old India at various important stages of its history? Similarly, in print media, news related to atrocities on women is published to gain on TRPs. It is sensationalized and the core issue is rarely focused (SujayaRoutray:2011). Lastly, it is worth mentioning that Media and its contents influence the social image and the self image of women. Media affects the choices they make, what they eat and what they wear. It influences their behavioral attitude, their learning processes and ultimately what they become. Media has clearly discouraged the emergence of a new confident, assertive woman. Such differential media treatment increases their isolation, disembowels them, and weakens them. They remain unheard, unrepresented and _incommunicable’(Sharda, Adhikari: 2014; Dr.V. Deepa, Nair18). To liberate and emancipate women from the age old inequality and in-equal practices, Media have to play a positive and constructive role in promoting intellectual growth rather than physical beauty.

According to her the issues which need to be addressed to assess the role of media in transformation of the society are:

- Is media presenting woman as an object of desire or a strong individual with specific needs and requirements?
- How media is portraying women – confining her to traditional private domain or showcasing their eligibility as befitting members negotiating for space in the public domain which is considered as a male domain?
- Are –personal issues of the common women made political?
- What kind of social messages are being spread through media? The quality of coverage of women’s issues in news media.
- Is media an agent of social change or just social policing – maintaining the existing order in accordance to the desired and approved social control of the dominating group i.e. men ?

The necessary structural change within media will certainly help in reducing the existing gender bias in the society as well change in the gendered role of men and women as prescribed by the society (ibid). These are described below:

- i. The folk media/grass root media or the alternative media should be encouraged so that issues happening at community level which are empowering in itself can have a wider viewership.
- ii. There should be proper presentation of the role of feminist movement in any small form it might be taking place in a small hamlet to worldwide, the efforts made by village women in curbing the menace of alcoholism, dowry, and environmental degradation and so on.
- iii. Women consist of a heterogeneous group but are the tribal and dalit women given a space to raise their concern, their voice. All the women faces should be discussed frankly and neutrally.
- iv. Highlight the success stories of _women in respective fields as well as in their contribution in bringing a gender just society.
- v. Women should not treated as objects that the other half desires and accordingly get used and exploited for marketing, advertisement and promotion.
- vi. There should be avoidance of any media presentation of women which is sexist and gender bias in nature.
- vii. There should be an increased number of women journalists in the media scenario further more there should be gender sensitization among the male journalist. The female journalist should have the courage to discuss and cover issues responsibly.

- viii. Sexist advertisement and messages which are humiliating to womanhood and out of context should be prevented.
- ix. Need for campaign for media literacy in rural areas which teaches the common people to analyze the messages conveyed through media and also the ability to react to the information in a rational and conscious manner.

BIBLIOGRAPHY

1. Gandhi, Sushma (2001). *Portrayal of Women in India—the Human Rights Perspective*, Sage Publication, New Delhi.
2. Jain, Prativa & Muhan, R (1996). (Ed.), *Women's Images*, Rawat Publications, Jaipur.
3. Jha, Jyotsna and Nigam, Divya, (2007). *Women in Advertising: Changing Perception*, ICFAI Uni press.
4. Joseph, Ammu & Sharma, Kalpana, (1994). *Whose News?*, Sage Publications, New Delhi.
5. Keval J. Kumar, (1981). *Mass Communication in India*, Jaico, Bombay.
6. Kiran, R.N., (2000). *Philosophies of Communication and Media Ethics: Theory, concepts and Empirical Issues*. BRPC, New Delhi.
7. Krishnan, Prava & Dighe, Anita, (1990). *Affirmation and Denial: Construction of Femininity on Indian TV.*, Sage Publication, New Delhi.
8. Kumar, A., (1989). *Indian Women towards 21st century*, Criterion Publications, New Delhi.
9. Maitra, Sinha, A., (1993). *Women in a Changing Society*, Ashis Publishing House, New Delhi.
10. Mishra, L. (Ed) (1992). *Women's issues: an Indian Perspective*, Northern Book Centre, New Delhi.
11. Munsri, S., (2000). *Wife/mother/daughter-in-law: Multiple avatars of homemaker in 1990s Indian advertising*, Sage Publication, New Delhi.
12. Pandey, M. (1991). *The subject is Woman*, Sanchar Publishing House. New Delhi.
13. Phukan, Dolly, (2012). (Ed), *Democracy, Media and Gender*. New Century Publication, New Delhi.
14. Phukan, Dolly, (2008). (Ed), *Gender Senitisation: A Critical analysis of the role of media*. Omsons Publications, New Delhi.
15. Prasad, Kiran, (2004). *Communication and Empowerment of Women: Strategies and Policy Insight from India*. New Delhi, The women's press.
16. Choudhury, Prasenjit, (1994). *Socio-Cultural Aspects of Assam in the 19th Century*, Vikash Publishing House, Guwahati.
17. Rabindran, R.K., (2001). *Handbook of Mass Communication*, Anmol Publication.
18. Sharma, A., (1990). *Modernization and Status of working women in India*, Mittal Publication, New Delhi.

Stagnation in the Economy of Bihar: An Analytical Study

Dr. Mohammad Taqui

Asstt. Dept. of MBA, Prof. AN College Patna

Abstract: Deep historical legacy, both in the era of colonial subjugation and in the post-independence period, forced Bihar to remain economically and infrastructural the most backward state in the country. The historical setting of permanent settlement established production relations that inhibited the growth of productivity resulting in stagnation of Bihar's economy in general and agricultural stagnation in particular. A host of policy measures undertaken by the Central Government in the post-independence era also strangled the development of Bihar. A policy of freight equalization directly sabotaged any chances of industrialization of Bihar. Given this freight equalization there was no incentive for industrial capital to come to place like Bihar which had rich mineral resources but comparatively lower infrastructural capacity

Keywords: Historical Legacy, Colonial Subjugation, Negative Discrimination, Freight Agrarian Relations

INTRODUCTION

Bihar has a glorious past. It has been a place of splendor and grandeur in the ancient and medieval periods, a cradle of ancient civilization, seat of education and spiritual wisdom that enlightened the world, from where rose great empires and dynasties, a land of Budha, Mahivr, Aryabhata, Banabhata, Patanjali, Gargi, Maitrayee, Vatsyana, Balmiki, Vishwamitra, Panini, Chanakya, Chandra Gupta Maurya, Ashok, Samudragupta, Skandgupta in the ancient period, Sher Shah, Guru Govind Singh, Babu Kuer Singh in the medieval period, but in the modern era it not only remained neglected and overlooked place in the colonial period due to colonial interest but it was also deliberately ignored in the post-independence period. Even other states or regions rose to their new heights of development at the cost of Bihar.

Objective of the Study Bihar is a tragic paradox of stagnation, poverty and backwardness amidst nature's

unlimited bounties. Not only industrial backwardness but slow growth of agriculture has been a major factor for the sluggishness of the state's economy. A large number of social, economic and institutional factors have been responsible for the stagnation and high incidence of poverty in the state. But historical factors have also been responsible for keeping Bihar a backward state. The objective of this paper is to explore briefly two of the historical factors which may be held responsible for making Bihar backward as compared to other states of the country. These are the Permanent Settlement system of land revenue under the British Raj and Freight Equalisation Policy in the post-independence era. This paper seeks to examine how, while under Permanent settlement Bihar experienced the worst exploitative agricultural growth, the freight equalization policy stifled industrial progress of Bihar.

DEPRIVATION

Deprivation of Bihar stands out on several counts among the Indian States. In some cases, its deprivation is more acute than even states which have been granted special category status. Deep historical legacy running through both the era of colonial subjugation and the post independence period forced Bihar to remain economically and infrastructurally the most backward state in the country. Developmental woes of Bihar are compounded by a significant and explicit bias in the central policy environment against the state. Bihar has faced negative discrimination in the de-facto allocation of resources from the central pool. Some central policies like freight equalisation have effectively frustrated all opportunities of industrial development in Bihar which was bestowed with rich mineral resources. Institutions like banks, which were meant to facilitate development and build capacity for investment, have been draining out whatever surplus is generated in the state's economy.

POOR INFRASTRUCTURE

Infrastructure development is critically linked to economic development. It is also a key factor influencing the cost and quality of governance. On the one hand, a sound infrastructural base entails positive externalities for the economy as a whole by creating an enabling environment for private sector and on the other hand it reduces cost of governance by reducing the cost of public services. The states with less developed infrastructure attracts less private capital, putting pressure on government to step up their spending.

PRE-INDEPENDENCE PERIOD

Poor infrastructure in Bihar is a historical continuity of a colonial construct which have been left un-addressed in the post independence period too, continues to fetter state's development. The historical setting of Permanent Settlement of 1793 by Lord Cornwallis ensured backwardness of the region. As the revenue of the colonial state was fixed permanently, there was no incentive for the state to undertake productive investments in the region or to create institutional or administrative infrastructure other than the absolute minimum required for maintaining the imperial hold on the region. Permanent Settlement defined the legal and administrative framework within which the agrarian relations were determined until the zamindari abolition Act of 1950. Under the settlement, zamindars were not only to act as agents of the government in collecting land revenue from the ryot but also to become the owners of the entire land in their zamindaris. Their right to ownership was made hereditary and transferable. British officials being foreigners looked in zamindars as local supporters. However, the cultivators were reduced to a low status of mere tenants and were deprived of long standing rights of the social and other customary rights such as use of pastureland, forest lands, irrigation canals, fisheries and homestead plots. This permanent marriage of interest between the colonial masters and their native co-horts i.e. zamindars obviated

the need for expansive reach of institutions in the region. The production relations under the system established a certain distinctive mechanism for distributing and a few limited methods for developing productivity, which together led to economic stagnation and involution of Bihar. Members of the major social classes, feudal lords and land possessing peasants were incompatible with the requirements of economic growth. Due to extra economic compulsion for extraction of surplus by tords and production for subsistence by peasants precluded any tendency towards specialization of productive units, systematic reinvestments of surpluses or continuous technical innovation.

Within the Permanent Settlement regions, Bengal was relatively better placed, because it was centre of the colonial empire. The edifice of colonial administration, centered in Bengal had obvious institutional and infrastructural ramifications, along with the releases of developmental externalities in social sector such as education. Further, since the state is not land locked like Bihar, historically Calcutta even in the colonial period, was major centre of colonial trade thereby generating an economic dynamics of its own. Similarly, though Orissa, like Bihar, is home to huge mass of poverty, its historical deprivation was lesser than that of Bihar. On the one hand, like Bengal, this region too was not land locked and on the other, in terms of revenue administration, Orissa was not as homogeneous a region as were Bihar and Bengal. In contrast to Permanent Settlement areas, in Ryotwari and Mahalwari areas, there was hardly any intermediary between the rent paying production units, be it tenant farmer (Royat) or a collective tenant farmer (Mahal) and the colonial state. This resulted in two things, one that the state had to have an expansive reach, right to the to the village level, with a very robust institutional capacity to ensure a steady flow of revenue, and two, that the farmers had an incentive as well as the wherewithal to enhance their productivity, as what was left after paying revenue was to be their own income. Secondly since the revenue had to be periodically assessed, it was in the interest of the colonial government to invest in infrastructural development of the region so as to generate a greater volume of revenue flow. Since these regions came under colonial subjugation much later than the Permanent Settlement areas, and the fact that the control was much shaky in these areas, local trade and industry were not stifled by colonial interests to the extent they were in the former regions.

Post-independence Policies: A host of policy measures undertaken by the Central government in the post- independence era also strangled the development of Bihar. A policy decision of freight equalization directly sabotaged any chances of industrialisation of backward Bihar. The locational advantage of erstwhile Bihar due to its rich mineral resources base was manipulated in such a way that it entailed an implicit charge on the development of industrial enterprises in Bihar subsidizing its competitors elsewhere in the country. An equitable regional development of industries in the country, as manouvered by Indian planners worked against the industrialisation of Bihar itself. Freight equalisation policy covered essential developmental inputs like coal, steel, cement, fertilizers etc and was introduced in order to make available these products at the same price throughout the country irrespective of the distance between the source of supply and consumer location. The consumers of freight equalised commodity were entitled to buy it at same delivered price all over the country from its main producer agencies. Thus the consumer location nearer the source of supplies of these basic industrial commodities cross-subsidized the consumers located at disadvantageous distance. Given this freight equalization, there was no incentive for industrial capital to come to place like Bihar, which had rich mineral resource base but comparatively lower infrastructural capacity.

As a matter of fact, this policy facilitated the process of concentration of industries in already developed industrial pockets in two major ways: First, the already developed industrial pockets in the country did not have to face cost disabilities because of their distant geographical location from the

key raw input or other material sources. Secondly, more bizarre consequence of this policy was that cost disabilities of developed states were subsidised by resource rich but backward state like Bihar. For every unit of consumption of key inputs like steel or any other item covered under this policy, Bihar had to literally subsidise its competitors in other states, as it paid a freight element in the price which would have been ideally borne by the industry at a distant place. Consequently, the Bihari consumers who were actually located nearer the source of supplies of these basic industrial commodities actually paid higher rates to cross subsidise the consumers located at disadvantageous distance. There were two different ways by which this policy had damaged the growth of industrialisation in Bihar. First, since the local industries using steel were to pay the average freight cost, in spite of the actual freight cost being negligible, it implied that the steel based industries were actually subsidising similar industries elsewhere in India. By no standard this was a small amount for Bihar where the existing industrial base was rather narrow. However, the second component of deprivation was extremely large and relates to the investment in steel based industries that Bihar would have attracted because of its locational advantage. One should remember that in the post-independence phase, it was the metal based industries in general and steel based industries in particular that had accounted for major part of industrial growth in the country. In absence of freight equalisation policy, Bihar would have been the natural beneficiary of that huge industrial growth. Thus not only Bihar has been denied its due share in country's resources, there has been a negative discrimination against the state.

CONCLUSION

The historical roots of Bihar's backwardness can be traced back to nineteenth century or even earlier. The backwardness of Bihar's agriculture has its roots in its colonial past. The Permanent Settlement had a definite negative role in Bihar's economy that brought about stagnation and backwardness. After independence it was hoped that the regional disparities that had emerged in the country during colonial rule will be gradually lessened through appropriate policies. Unfortunately it was not to be. The freight equalisation policy whereby basic raw materials like steel, coal and minerals became available at the same price throughout the country destroyed comparative factor advantage of Bihar. This did not allow the state in developing manufacturing. It also destroyed all incentives for industry to locate in a mineral rich state but infrastructurally deficient state like Bihar.

Even before bifurcation the state lagged much behind other states in respect of industrialization. After division, however, the situation became worse as the bifurcation of the state also changed the parameters of development matrix, particularly in terms of resource endowment.

SUGGESTION

Post-2005 Bihar has made good strides to erase the ills of stagnant economy. Still, the recent turn-around notwithstanding, the challenges facing Bihar remain huge. The most important constraint is the lack of adequate infrastructure. Centre has a definite and important role to play in developing basic infrastructure in the state. The Centre should take measures to compensate the loss Bihar suffered historically. If not special status, then at least special package of sufficient size is a must for Bihar to make it catch up with other developed states of the country.

REFERENCES

1. Sinha Sachidanand, *The Internal Colony: A study in Regional Exploitation*, Sindhu Publications, New Delhi, 1973.
2. Chandra, Bipin, *The Rise and Growth of Economic Nationalism*, People's Publishing House, New Delhi, 1969.
3. Munshi, Sunil Kumar, *India : Resource, Regions and Regional Disparity*, People's Publishing House, New Delhi, 1984.
4. Bagchi A.K., *De-industrialisation in Gangetic Bihar 1809-1901 in Essays in Honour of Prof. S.C. Sarkar (ed.)*, Baru Dey, People's Publishing House, New Delhi.
5. Gupta, Shaibal, *Non-Development of Bihar, A Case of Retarded Sub-Nationalism*, *Economic and Political Weekly*, 12th September 1981, Vol.XVI, No. 37.
6. *Bihar Industries Association, Report of the council, 1985-86.*
7. Das Arbind N., *Bihar Society in Perspective*, Alakh N. Sharma & Shaibal Gupta (Ed.) Bihar, Stagnation or Growth. Spectrum Publishing House, Patna, 1987.
8. Banerjee, A.V. and L. Iyer, *History, Institutions and Economic Performance: The Legacy of Colonial Land Tenure System in India*, *The American Economic Review*, Vol. 95, No.4 (Sept. 2005).
9. Ghosh, P.P. and Shaibal Gupta, *Economic Growth and Human Development in Bihar*, in Shovan Ray (Ed.) *Backwaters of Development : Six Deprived States of Bihar*, OUP India (2010).
10. Kishore, A., *Understanding Agrarian Impasse in Bihar*, *Economic and Political Weekly*, Vol.39, No.31, July 31-Aug.6, 2004.
11. Prasad K N, *Bihar Economy Through the Plans*, Nothern Book Centre, New Delhi, 1997.
12. Mukerjee Arhab and Mukerjee Anjan, *Bihar: What Went Wrong? And What Changed*, National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi 2012.

Impact of Globalization on Labour Market in India

Devendra Prasad Sah

Asstt. Professor, Dept. of Commerce, G.K.P.D. College, Karpurigram, Samastipur

Abstract: Globalization affected Indian labour market significantly since two decade. The Indian labour market is characterized by predominance of informal employment with more than 90 percent of India's informal workforce working as self-employed and casual workers. The worrying trend is the increasing rate of informal employment even in the organized sector. Globalization, measured in terms of trade liberalization, is considered an effective tool for economic development, poverty and income inequalities reduction. Trade equalizes factor as well as product despite economic gains from trade. liberalization, concerns have been raised over the effects of trade liberalization on the labour market in terms of employment and wages because during the process of adjustments, some will be losers and some will be gainers. The direction of job creation depends on comparative advantages relative to the scope for relocating production and jobs. Further, wage formation also depends on the trade position of the country. Empirical evidence shows that export opportunities tend to improve labour market prospects, while the import threat does the opposite.

Keyword: Globalization, Labour, Market, Liberalization, Wages.

INTRODUCTION

Globalization is the process of closer economic integration between countries in terms of trade in goods and services, in investment, in the free movement of labour, in the adoption of common currencies, and in joint international action on cross-order issues such as pollution. World Bank summarizes Globalization as the global circulation of goods, services and capital, information, ideas and people. The recent wave of Globalization (after the 1980s) is not entirely a new phenomenon. It started

around the 1870s and continued until the onset of the First World War. The new wave of Globalization is different from the first wave of Globalization in the sense that the first wave was characterized by an integration of markets through an exchange of goods and movements of capital and labour across national boundaries. There was a simple vertical division of labour between countries. But the new wave of Globalization is marked by increasing flow of foreign direct investment (FDI), intra-firm trade among multinational corporations (MNCs), portfolio investment, mergers and acquisitions, internationalization of the money market with instant computer-based satellite communications, increase in electronic commerce, and growth of consumerism. Thus, the game is the same but the players of the game are new and the rules of game are different.

Among the developing countries, inequality has been steadily declining in Latin America from the 1960s onwards. In Africa and in the Pacific Rim, inequalities rose between the 1960s and 1970s, decreased throughout the 1980s, and again rose between the 1980s and 1990s. Within the country, Lindert and Williamson confirmed that inequality has been rising in China and India since the mid-1980s. He report that in China, dramatic increases in openness over the last few decades have been accompanied by higher overall income inequality. The Gini coefficient increased from 38.2 in 1988 to 45.2 in 1995. But across China, openness and urban-rural inequality is negatively associated: Cities that have had a greater increase in trade-to- GDP ratio have witnessed a reduction rather than an increase in urban- rural income inequality.

The globalization process turns out to have performed a double-edged sword for the Indian labour. In terms of 'current daily status' estimates brought out by the National Sample Survey Organization, there has been a significant deceleration in labour force participation rate to 1.3 percent per annum during 1993-2015 and 2.4 percent during 1983-1994. Notwithstanding a higher GDP growth in the latter phase, employment growth declined to 1.1 percent from 2.7 percent in the backdrop of decline in employment elasticity to 0.16 from 0.52 over the same period. The sharp deceleration in employment growth has raised fears that economic growth in the 1990s has been a 'jobless' variety. Besides, there is evidence of increasing capital intensity almost in all sectors including small un-organized ones and services particularly in the latter half of the 1990s.

The Indian Government embarked upon strategy of trade liberalization in 1991, when the government announced a series of trade liberalization measures in the form of removal of trade protections and of the dualistic structure in production, abolition of the cash compensatory scheme, lowering of trade tariffs, abolition of trade restrictions, integration of the Indian economy with the world economy, allowing the use of foreign brand names, protection of patents, introduction of the market-determined exchange rate and of current and capital account convertibility, and the setting up of agricultural export processing zones (EPZs) and special economic zones (SEZs). Apart from domestic trade reform measures, at the international level, the WTO acts as a watchdog in trade in goods and services investment and finance. As a result of these internal and external sector trade reforms, India's openness ratio (the sum of exports and imports as a percentage of the GDP) (a measure of Globalization) has increased rapidly from 14.6 per cent in 1990-91 to 22.6 per cent in 2005-06. As a result, the per capita income has increased from Rs. 5365 in 1990-91 to Rs. 48734 in 2015-16.

As compared to 1991-92, within the export-intensive industries, the w/s ratio increased for non-metallic mineral products, and the metals and metal products industries. Within import-competing industries, the w/s ratio increased for the machinery, chemical, and transport industries. Thus, the hypothesis that exporting firms pay more wages is being rejected. Thus, the study reveals that wages have increased at a lower rate as compared to exports and imports in all manufacturing industries during the post-reform period of the nine industries considered, chemicals, metals and metal products, and the machinery industries continued to constitute a high share in exports, import and wages during the study period.

However, as compared to 1991-92, the chemicals and non-metallic industries gained importance in exports as well as in imports in 2015-16. While in terms of wages, the chemicals and the textiles industries gained importance. Simple regression results indicated that exports as well as imports have significantly and positively affected wages in all industries except the metals and metal products industries (thus supporting the hypothesis that exports exert upward pressure on wages but rejecting the hypothesis that imports exert downward pressure on wages). The inter-industry openness ratio has positively as well as significantly increased while wage inequalities have decreased significantly. Broadly, this may be due to relatively more wages paid by import-competing industries. However, trade liberalization has reduced wage inequalities but non-significantly during the post-reform period. Import-competing industries have gained in terms of a wage increase as a result of trade liberalization. These industries are found to be intermediate capital- using technology, technology-intensive and skilled labour industries.

Labour sector addresses multi-dimensional socio-economic aspects affecting labour welfare, productivity, living standards of labour force and social security. To raise living standards of the work force and achieve higher productivity, skill up gradation through suitable training is of utmost importance. Manpower development to provide adequate labour force of appropriate skills and quality to different sectors is essential for rapid socio- economic development. Employment generation in all the productive sectors is one of the basic objectives. In this context, efforts are being made for providing the environment for self-employment both in urban and rural areas. During the Ninth Plan period, elimination of undesirable practices such as child labour, bonded labour, and aspects such as ensuring workers' safety and social security, looking after labour welfare and providing of the necessary support measures for sorting out problems relating to employment of both men and women workers in different sectors has received priority attention.

Various plan schemes of the Ministry of Labour aim at achievement of welfare and social security of the working class and maintenance of industrial peace. As against the approved outlay of Rs.130 crore for the year 2010-11, the anticipated expenditure would be Rs.104 crore. The approved outlay for the year 2011-12 is Rs. 123 crore. Plan initiatives in the Labour & Labour Welfare Sector are as under: (i) Training for skill development, (ii) Services to job seeker. (iii) Welfare of labor. (iv) Administration of labor regulations. Under the Constitution of India, Vocational Training is a concurrent subject. The development of training schemes at National level, evolution of policy, laying of training standards, procedures, conducting of examinations, certification, etc. are the responsibility of the Central Government, where as the implementation of the training schemes largely rests with the State governments. The Central Government is advised by the National Council of Vocational Training (NCVT), a tripartite body which has representation from employers, workers and Central/State governments. At the State level, similar councils known as State Councils for Vocational Training are constituted for the same purpose by the respective state governments at state levels.

The main Vocational Training Schemes comprise of Craftsmen Training Scheme, Apprenticeship Training Scheme, Training of skilled workers, training of women as a special target group, Training of Craft Instructors, Training of Supervisors and also to carry out applied research on vocational training problems while paying adequate attention towards preparation and development of instructional material. The Craftsmen Training Scheme and Apprenticeship Training Scheme which are adequately dovetailed and meant to bring maximum benefit to the youth in their formative years, form the centre stage of the vocational training schemes. A number of other departments have also started training activities for their respective sectors e.g. Small Industry, KVIC, handlooms, tourism (hotel management & catering), electronics, medical technicians, agriculture and rural development. These training schemes are smaller but serve a very useful and essential purpose

in the overall sphere of vocational training. In spite of difficulties and shortcomings, the Vocational Training Schemes have continued to make progress especially in terms of being the primary source of manpower for the industry.

Directorate General of Employment and Training, through its women's occupational Training Directorate, launched the women's vocational Training Programme in 1977. The programme aimed at providing Vocational Training facilities to women, thereby increasing their employability and consequently their participation in the economy of the country. Under the Vocational Training Programme at Central Sector, training facilities for women in Vocational Skills are being provided through a network of Women's Vocational Training Institutes. The Government has initiated steps for strengthening and modification of Industrial Training Institutes (ITIs) in Jammu & Kashmir. All trades that have demand and local relevance will be covered by including even such activities that are presently outside NCVT approved trades such as construction, carpet weaving, horticulture, catering, tourism, etc. The existing training institutions have, no doubt, been meeting a significant part of the requirements of the skilled manpower of the organized industry. It, however, seems necessary that the process of restructuring and reorientation of their courses is expedited with a view to quickly responding to the labour market. For skill up gradation of the workers in the unorganized sector, flexibility in the duration, training and location of training courses would need to be introduced. To the extent a sizeable proportion of employment would have to be self employment in tiny and small units in various sectors, the training system should also gear up not only for providing hard skills for suitable trades, but also the soft skills of entrepreneurship, management and marketing, as part of training courses.

The Central Government mainly concentrates on laying down the policies, procedures and training standards while the management of ITIs is under the concerned State Government(s)/U.Ts. In this process, the Central Government is advised by two, tripartite advisory bodies namely, the National Council for Vocational Training (NCVT) and the Central Apprenticeship Council (CAC). Both the Councils have the Union Labour Minister as the Chairman. Annual meeting of the two bodies was held in the month of July, 1999. In the meeting the steps to improve the quality of training both under NCVT and CAe were discussed and concrete recommendations emerged. The following are the important recommendations: Setting up an Expert group to look into the issues relating to Vocational Training Programme for persons with disability (equal opportunities under the persons 'with Disability Act, 1995) and its implementation under CTS. Introduction of four new trades VIZ. Computer Hardware, Medical Electronics, Consumer Electronics and Industrial Electronics under CTS.

The Craftsmen Training Scheme (CTS) under the National Vocational Training System was introduced in 1950 for imparting skill training. Training is imparted mainly in engineering trades. A few trades outside the engineering field are also covered but the bulk of the services sector and need of industries other than manufacturing are not handled by DGE&T. In the area of training, six new trades (in the areas of Information Technology, Electronics) in Craftsmen Training Scheme, in different ITIs and nine new trades under Apprenticeship Training Scheme have been introduced.³

There has been a significant growth and expansion in the network of ITIs which have grown to 4172 in the Public and Private sectors with a seating capacity of 6.78 lakh as on 31.12.99 (State-wise details presented in Annexure 5.7.3) and another 2.33 lakh under the Trade Apprentice Scheme. The Apprenticeship Training Scheme provides practical training in 137 designated trades to train apprentices in 101 subject fields in engineering and technology for graduates and diploma, holders and 94 subject fields for technicians. Details of Region wise utilisation in respect of Trade Apprentices in the Central Sector and State Sectors as on 30.6.99 are given in Annexure 5.7.4 & 5.7.5

CONCLUSION

Present paper concluded that the Labour sector addresses multi-dimensional socio-economic aspects affecting labour welfare, productivity, living standards of labour force and social security. To raise living standards of the work force and achieve higher productivity, skill up gradation through suitable training is of utmost importance. Manpower development to provide adequate labour force of appropriate skills and quality to different sectors is essential for rapid socio-economic development. Employment generation in all the productive sectors is one of the basic objectives. Globalization has given rise to a number of interrelated concerns that include impact on employment, distribution of income, role of labour standards and mode of labour activism.

REFERENCE

1. S. Amin, 1964, *Accumulation on a World Scale: A Critique of the Theory of Underdevelopment*, Monthly Review Press, New York, p. 16
2. J. Banaji, and R. Hensman, 1990, *Beyond Multinationalism: Management Policy and Bargaining Relationships in International Companies*, Sage Publications, New Delhi, p. 6
3. Manju Bhagat, (1997), "Poverty and Minimum Wages", *The Indian Journal of Labour Economics*, Vol. 40, No. 4, p30.
4. Breman, 1990, "Even Dogs are Better Off": *The Ongoing Battle Between Capital and Labour in the Canefields of Gujarat*, *Journal of Peasant Studies*, 17, pp. 8
5. G.K. Chadha, 2001. "Impact of economic reforms on rural employment: Not smooth sailing anticipated", in *Indian Journal of Agricultural Economic (Mumbai, Indian Society of Agricultural Economics)*, Vol. 56, No. 3, p 36.
6. G.K. Chadha, 1996. "The industrialisation and growth of rural industries in India", *Working Paper (New Delhi, ILO-SAAT)* p 95.

Gandhi and Corporate Social Responsibility: Challenging Aspects

Dr. Vinita Bharadwaj

Flat No. 301, Neelam Mension, Durga Ashram Gali, Baily Road, Patna

INTRODUCTION

Every religion in India advocated the philanthropic practices. Hindus called it 'Daan', Muslim called it 'Zakaat' and Sikhs called it 'Daashaant'. Christian, Jain & Buddhist missionaries' view on charity is well known in the world. After independence struggle when the industrialists were pressurized to show their dedication towards the benefit of the society. Mahatma Gandhi urged to the powerful industrialists to share their wealth for the benefit of underprivileged section of the society. He gave the concept of trusteeship. This concept of trusteeship helped in the socioeconomic growth of India. Gandhi regarded the Indian companies and industries as "Temples of Modern India". He influenced the industrialists and business houses to build trusts for colleges, research and training institutes. These trusts also worked to enhance social reforms like rural development, women empowerment and education.

So Corporate Social Responsibility (CSR) links Corporate Sector to Social Sector. It is becoming more relevant in our society plagued by increasing inequalities between haves and havenots. Corporate Social Responsibility means that the corporate sector, which earns profit through the sale of its goods and services in the society also has some responsibility towards it.

Indian corporations should set their paradigms based on Mahatma Gandhi's trusteeship principle. A distilled essence of this principle is found in the first verse of the Ishopanishad (Shukla Yajur Veda) *Isavasyam idam sarvam...dhanam* (the One God is present here and everywhere). It underlines that

everything around us has the Supreme residing in them and hence He is the rightful owner. We, who actually possess it, can enjoy a “delegated ownership” as trustees.

Different organisations have framed different definitions – although there is considerable common ground between them. Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.

Charity and philanthropy is in the DNA of Indian culture and ancient religious practices. The popular Indian economist of ancient origin Chankya to the pioneer Indian business group Tata advocated the principles of social responsibilities. In spite of such extraordinary foundation, CSR in India is still in a nascent stage. It is still a least understood social initiative. Not all the organizations understand and realize the requirement of imbuing CSR initiatives into core business.

CSR is a voluntary action taken by an organization towards betterment of society and environmental sustainability. CSR initiatives no doubt become a social investment that help the organization in building sustainable business. The last decade has seen growing number of companies investing in CSR strategies because of the unseen pressure from all the stakeholders (customers, government, shareholders and public at large).

The Concept of Corporate Social Responsibility for firms and businesses has undergone a radical change since its early days and has evolved from a mere slogan to the present day situation where it is considered no longer a fashion but as the part and parcel of a company’s functioning to be socially responsible.

The reason that the firms should put their heart and soul while carrying out CSR activities is that humanity finds itself in the second decade of the 21st century and taking into considerations of all the political, economic, social, and environmental problems that the humans are facing, corporations have a serious responsibility of playing their role in contributing to the well-being of mankind and society.

CSR has become an integral part of a company’s functioning and today it has become indispensable that a firm demonstrates such responsibility. Although, earlier it was not a legal compulsion that had to be walked through by any firm, but following it was considered as a good practice for taking into account social and environmental issues.

LEGAL FRAMEWORK

THE COMPANIES ACT, 2013: As per as Corporate Social Responsibility is concerned, the **Companies Act, 2013** is a landmark legislation that made India the first country to mandate and quantify CSR expenditure. The inclusion of CSR is an attempt by the government to engage the businesses with the national development agenda. The Act came into force from April 1, 2014, Sec. 135 says every company, private limited or public limited, which either has a net worth of Rs 500 crore or a turnover of Rs 1,000 crore or net profit of Rs 5 crore, needs to spend at least 2% of its average net profit for the immediately preceding three financial years on Corporate social responsibility activities. The CSR activities in India should not be undertaken in the normal course of business and must be with respect to any of the activities mentioned in Schedule VII of the act.

The corporations are required to setup a CSR committee which designs a CSR policy which is approved by the board and encompasses the CSR activities the corporations is willing to undertake. The act also has penal provisions for corporations and individuals for failure to abide by the norms. The details of the same are highlighted in the act.

The act in its current form adopts the principle of ‘comply or explain’ requiring companies to report on its CSR spending and explain the shortfalls, if any.

CSR: PRESENT SCENARIO

CSR is not a concept of the present day society but has been present in India since the antediluvian times as corporates like the Tata Group, the Aditya Birla Group and Indian Oil Corporation, to name a few, have been involved in serving the community from the inception.

Nowadays the main objective of companies is to maximize their impact on the society and stakeholders and in order to achieve their objective, many corporates indulge in various social events such as donations and charity events. CSR activities have become so embedded in a corporate’s life that they no longer consider it as an indirect expense and treat it as a route for improving their goodwill, reputation, defending attacks and increasing business competitiveness.

So, in order to give shape to their strategies, many corporates have specialized CSR teams that formulate policies, strategies, and goals for their CSR programs and set aside budgets to fund them. The policies developed by the assigned teams are always made keeping in mind the main goal of business.

For example, a more comprehensive method of development is adopted by some corporations such as Bharat Petroleum Corporation Limited, Maruti Suzuki India Limited, and Hindustan Unilever Limited. Provision of improved medical and sanitation facilities, building schools and houses, and empowering the villagers and in the process making them more self-reliant by providing vocational training and a knowledge of business operations are the facilities that these corporations focus on.

Even though CSR sounds mandatory, companies failing to spend money are required to give reasons for the same in their annual reports. Companies will have to draw shareholders attention to their non-compliance.

CSR: PROBLEMS IN ITS IMPLEMENTATION

Mandating CSR for businesses will not do any good unless there are proper mechanisms for its enforcement. One of the main hindrances that stand in the way of effective CSR enforcement is finding credible projects that the corporates can support. According to Guardian, bigger charities are being flooded with money, while the smaller charities have to seek their way for finding of funds due to which they lack the resources and capacity to cope up with the company’s bureaucratic and operational demands.

The CSR spending by top Indian companies in 2018 was 47% higher than what it was back in 2014 when India first made it mandatory for large private and public sector firms to spend at least 2% of their net profits on special development projects. Companies in the energy and power sector were the leaders in terms of overall CSR spending in India followed by those in the banking and financial services industry (BFSI), survey showed. Media and entertainment firms were the laggards.

According to a Report, geographic bias with respect to the company’s funding of CSR activities is also prevalent, as firms tend to fund those projects that are closer to where they are based. This results in industrialized areas getting preference over the poorer and underdeveloped areas that are truly in need of some development and aid.

A survey by accountancy firm found that 52 of the country’s largest 100 companies failed to spend the required 2% last year. A smaller proportion has gone further, according to an Economic Times investigation, allegedly cheating the system by giving donations to charitable foundations that then return the monies minus a commission. The main problem with the CSR is the reported expenditure on the projects. Most firms don’t mention the exact amount of expenditure spent by them on the CSR activities. Due to this, it becomes very problematic for the government to comprehend the exact amount of funds spent by the firms in this relationship because there is evidence showing that the firms were initially spending less than 2% increased their CSR activity, but those that were initially spending more than 2% reduced their CSR expenditure.

But, even if we were to take the CSR expenditure at its face value and assume the validity of all the numbers reported, there are still major issues that are to be dealt with. An expenditure that does not lead to higher profits for firms is treated as a tax by them. According to the survey, the corporate tax rate in India is one of the highest in the world, compared to a global average. So, the CSR is viewed by the firms as a 2% tax, albeit it is not paid to the government but many companies consider the 2% CSR expenditure as another way of burning their pockets.

IMPACT OF DEDUCTION OF TDS FROM CSR GRANTS

On a practical level, NGOs have been facing some new situations which they have not faced in past. Several companies deduct **TDS (Tax Deducted at Source)** from the CSR grants, treating it more like a service contract. This not only reduces cash-flow, but also gives rise to other complications. For example, NGOs are not sure whether companies would require them to certify utilisation against the actual net amount received or the gross CSR grant, since the TDS amount can be received by NGOs as refund from the Income Tax department, but that generally could take 2-3 years.

Another major complication has been observed – at times, the Income Tax department takes a position that if the TDS has been deducted, that Income must be 'for profit' and decides to treat the same accordingly. Although courts have generally not accepted such interpretations, deduction of TDS creates a situation that tax authorities could interpret it against the interests of NGOs and make such income subject to tax.

NON-DEDUCTIBILITY OF CSR EXPENDITURE UNDER THE INCOME TAX ACT

Corporates are currently involved in various areas of social responsibility / community development as part of nation building. Further, the concept of Corporate Social Responsibility Costs has been introduced under Companies Act, 2013. The expenditure is mandatory in its nature and as such it is a statutory levy. Accordingly it deserves tax deduction. However, amendment made in section 37 vide Finance (No. 2) Act, 2014 has made it clear that expenditure incurred on activities relating to CSR under Companies Act, 2013 will be deemed to be a non-business expenditure. Providing suitable tax incentives in respect of such Corporate Social Responsibility Costs would accelerate the process and ensure that the country can reach the goal of being a developed nation in the near future and is the need of the hour.

GST AND LIKELY IMPACT ON NGOS

Currently, as the Goods & Services Tax (GST) is in an early stage of implementation, it may be of interest to understand how it could impact NGOs while they implement CSR projects. Per se, NGOs are not exempt from GST, as the exemption notification is applicable to very few charitable activities, leaving most NGOs out of scope of exemption. However, GST is applicable only if the activity is undertaken in furtherance of business and for consideration. This could adversely impact NGOs, as Income Tax authorities may treat this as service and include it as Business Income under Section 5.2(15) of Income Tax rules.

Even though there has been a substantial increase in the social activities incurred by the firms, but the spending has mostly gone to the set priorities of the company rather than the democratically determined priorities. Of the nine different schedules prescribed by The Companies Act, 2013 two schedules: combating various diseases and promotion of education accounted for 44% of the total CSR expenditure while reducing child mortality received no funding and eradicating extreme hunger and poverty received only 6% of the total CSR expenditure.

The fact that about 50% children in India are malnourished due to acute poverty, relief and care only appears as a distant dream to them. It is the government's duty to determine and fulfil the needs of the

society by channelizing the funds of the public. With the CSR law, the government has failed in one of its primary functions.

The issue of geographic inequity also needs to be taken into consideration as there is a wide amount of gap in spending on CSR activities between the states of India. For example, Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Rajasthan and Tamil Nadu account for well over one-quarter of all CSR spending. Towards the bottom of the list are Nagaland, Mizoram, Tripura, Sikkim and Meghalaya—all from the North-East.

This inequity reflects the interests and priorities of the business sector. Therefore, it is the duty of the government to ensure that the society moves towards a more egalitarian society.

ISSUES HINDERING THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The earlier government used to rely on legislation and regulations for regulating the objectives of the business sectors. But, the reduction of government involvement in CSR has resulted in the exploration of non-voluntary actions.

To ensure that CSR becomes a success, it is necessary that there should be a consensus among the local agencies. But, a lack of consensus, results in duplication of activities by the corporates which further results in generating a competitive spirit between the local agencies rather than a collaborative approach.

The success fruit of CSR can only be plucked when there exists knowledge about the CSR activities within the local communities. Since not much efforts have been put in creating awareness about the CSR activities, thereby it has resulted in a lack of interest on part of local communities in participating towards CSR activities.

Also, there is non-availability of well-organized governmental or non-governmental organizations in remote and rural areas. Due to the absence of any proper authority, the needs of the rural people often gets unnoticed and there remains no proper authority along which a company can assess and identify the needs of the society.

Further, the key to any successful CSR initiative is transparency, but there are certain perceptions that partner NGOs or local agencies do not disclose the information about their programs, address concerns, assess Impacts and utilize funds. This lack of transparency creates an indelible impact on the relationship and trust between the companies and local communities which is the key to the success rate of any CSR initiative.

In order to ensure that the CSR activities are carried out in an efficient and effective manner, it is necessary to ensure that each organization and institution is well equipped with proper resources. But due to a dearth of trained and effective organizations, fulfilment of CSR initiatives, appears to be a distant dream. This results in the compromise and limitation of various CSR initiatives.

Various analysis shows that the law in its current form is failing to promote healthy CSR initiatives due to its poor enforcement and lack of clear obligations. The legal provisions related to CSR contains vague language which results in a high degree of self-interpretation. Another flaw from which the CSR has to struggle is that the Act doesn't penalize a defaulter and just allows them to walk away with an explanation regarding their failure on CSR activities. This results in high corruption, low levels of public confidence, low development and weak institutions.

It is noted that only medium and large corporate houses are involved in CSR activities, that too in selected geographical areas. This issue builds a case for more companies to be brought under the CSR domain. To address the issue of reaching out to wider geographical areas, the involvement of small and medium enterprises (SMEs) in the CSR domain will be essential.

It is found that corporate houses and non-governmental organizations should actively consider pooling their resources and building synergies to implement best CSR practices to scale up projects and

innovate new ones to reach out to more beneficiaries. This will increase the impact of their initiatives on the lives of the common people.

Recently Maneka Gandhi also criticised the corporate houses for not taking the CSR initiatives seriously. Her criticism was in lieu of the poor response given by the corporate houses to Prime Minister Narendra Modi's call of using the CSR route for Swacch Bharat Abhiyan.

CONCLUSION

Corporate Social Responsibility has become an innate part of the working of Corporates in recent times. Though the concept of CSR was prevalent in India since antediluvian times, it is only, recently that the concept has picked favouritism in the companies. Finally, and importantly, the mandatory requirements create anchoring effects which may alter the quality of the CSR activities as also reduce the spending magnitudes. Therefore, the government may want to rethink its policy on the mandatory trusteeship. A reconsideration of Friedman, Smith, and Gandhi's ideas of rules of ethics, moral sentiments, and voluntary trusteeship respectively could be a step towards saving the firms' CSR from getting trapped in the legal net. Transparency and dialogue can help to make a business appear more trustworthy, and push up the standards of other organizations at the same time.

REFERENCES

1. Arora, B. & Puranik, R. (2004). *A Review of Corporate Social Responsibility in India*. *Development*, 47(3), 93-100, DOI: 10.1057/palgrave.development.110005
2. Balch, O. (2013, January 28). *The Relevance of Gandhi in the Capitalism Debate*, *The Guardian*, Retrieved 24 March 2017, from <https://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/relevance-gandhicapitalism-debate-rajni-bakshi>
3. Branzei, O. (2010). *Tata: Leadership with Trust*. London, ON: Richard Ivey School of Business Publishing, Western University. *European Commission (2011). Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union p. 9. Gandhi, M. K. (1925, November 22). Navjivan. Compiled in The collected works of Mahatma Gandhi, 1984, 28, 468. New Delhi: Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.*
4. Gandhi, M.K. (1940). *My Experiments With Truth*, Navjeevan Trust, Ahmedabad
5. Gandhi, M. K. (1941). *Constructive Programme*, Navjivan Trust, Ahmedabad viewed at Gandhiheritageportal.org. Retrieved 27 February 2017, from <https://www.gandhiheritageportal.org/mahatma-gandhi-books/the-story-of-my-experiments-with-truth> Gandhi, M.K. (1998). *Trusteeship*, Ahmedabad: Navajivan, 39-40.
6. Gandhi, M.K. (1942). *The Collected Works of Mahatma Gandhi*. Gandhi, M.K. (1973). *Harijan: A journal of applied Gandhism, 1933-1955 (in nineteen volumes)*, New York: Garland Pub.

Indo-US Relationship: An Overview

Bharat Kumar

Research Scholar, P.G. Dept. of Political Science, L.N.M.U., Darbhanga (Bihar)

India-America bilateral relations have developed into a "global strategic partnership", based on shared democratic values and increasing convergence of interests on bilateral, regional and global issues. The emphasis placed by the Government in India on development and good governance has created opportunity to reinvigorate bilateral ties and enhance cooperation under the motto — "Chalein Saath Saath: Forward Together We Go", and "Sanjha Prayas, Sab ka Vikas" adopted during the first two summits of Prime Minister Modi and President Obama in September 2014 and January 2015 respectively. The summit level joint statement issued in June 2016 called the India-America relationship an "Enduring Global Partners in the 21st Century". Regular exchange of high-level political visits has provided sustained momentum to bilateral cooperation, while the wide-ranging and ever-expanding dialogue architecture has established a long-term framework for India-America engagement. Today, the India-America bilateral cooperation is broad-based and multi-sectoral, covering trade and investment, defence and security, education, science and technology, cyber security, high-technology, civil nuclear energy, space technology and applications, clean energy, environment, agriculture and health. Vibrant people-to-people interaction and support across the political spectrum in both countries nurture our bilateral relationship.

The frequency of high-level visits and exchanges between India and the U.S. has gone up significantly of late. Prime Minister Modi visited the U.S. on 26-30 September 2014; he held meetings with President Obama, members of the U.S. Congress and political leaders, including from various States and cities in the U.S., and interacted with members of President Obama's Cabinet. He also reached out to the captains of the U.S. commerce and industry, the American civil society and think tanks, and the Indian-American community. A Vision Statement and a Joint Statement were issued during the visit. The visit was followed

by President Obama's visit to India on 25-27 January 2015 as the Chief Guest at India's Republic Day. During the visit, the two sides issued a Delhi Declaration of Friendship and adopted a Joint Strategic Vision for Asia-Pacific and the Indian Ocean Region. Both sides elevated the Strategic Dialogue between their Foreign Ministers to Strategic and Commercial Dialogue of Foreign and Commerce Ministers.

Prime Minister Modi again visited the U.S. on 23-28 September 2015, during which he held a bilateral meeting with President Obama, interacted with leaders of business, media, academia, the provincial leaders and the Indian community, including during his travel to the Silicon Valley. In 2016, Prime Minister visited the U.S. for the multilateral Nuclear Security Summit hosted by President Obama in Washington D.C. on 31 March-1 April. This was soon followed by an official working visit by Prime Minister on 6-8 June, during which he held bilateral discussions with President Obama, and also addressed a Joint Session of the U.S. Congress. Prime Minister Modi was the sixth Indian Prime Minister to address the U.S. Congress. There is frequent interaction between the leadership of the two countries, including telephone calls and meetings on the sidelines of international summits. President Trump and Prime Minister Modi have spoken thrice over phone since the former's election in November 2016. A hotline has been established between the Prime Minister's Office and the U.S. White House.

There are more than 50 bilateral dialogue mechanisms between the two governments. The first two meetings of the Strategic and Commercial Dialogue at the level of EAM and MoS (Commerce & Industry) were held in Washington DC in September 2015 and New Delhi in August 2016. This apex-level dialogue has added a commercial component to the five traditional pillars of bilateral relations on which the erstwhile Strategic Dialogue of Foreign Ministers had focussed, namely: Strategic Cooperation; Energy and Climate Change, Education and Development; Economy, Trade and Agriculture; Science and Technology; and Health and Innovation. The second meeting of the Strategic and Commercial Dialogue took place on 30 August 2016 in New Delhi. In addition, there are Ministerial-level dialogues involving home (Homeland Security Dialogue), finance (Financial and Economic Partnership), commerce (Trade Policy Forum), HRD (Higher Education Dialogue), Science & Technology (Joint Commission Meeting on S&T) and energy.

There were a number of high-level delegations in both directions in 2015. In January, Secretary of State John Kerry led the U.S. delegation to the Vibrant Gujarat Summit in Ahmedabad. In February, U.S. Secretary of Treasury Jacob Lew visited India for the fifth meeting of the Economic and Financial Partnership Initiative with our Finance Minister. U.S. Secretary of Transportation Anthony Foxx visited India in April for meeting with his counterpart Ministers in India. Secretary of Defense Ashton Carter paid a bilateral visit to India in June. From the Indian side, Finance Minister and MOS (IC) for Environment, Forests & Climate Change visited Washington DC in April, the former for the Spring meeting of the IMF/World Bank and the latter for the Major Economies' Forum meeting. Finance Minister again visited the U.S. in June to promote Investment into India. External Affairs Minister and MOS (IC) for Commerce & Industry co-chaired the first meeting of the Strategic and Commercial Dialogue with their U.S. counterparts in Washington DC in September. MOS (IC) for Power held the Energy Dialogue with his U.S. counterpart in September in Washington DC. MOS (IC) for Power, Coal and New & Renewable Energy also attended the Climate and Clean Energy Investment Forum 2015 hosted by Secretary of State Kerry in Washington DC in October. MOS (IC) for Commerce & Industry held the 9th meeting of the Trade Policy Forum with the U.S. Trade Representative in Washington DC in October. Raksha Mantri visited the U.S. at the invitation of his U.S. counterpart in December 2015. Chief Minister of Haryana led a delegation of the State government in August. There have been numerous visits of parliamentarians and senior officials in both directions.

Major Ministerial visits in 2016 included Railway Minister Shri Suresh Prabhu in January, Finance Minister Shri Arun Jaitley in April, Minister for Urban Development Shri Venkaiah Naidu, Minister of Road

Transport, Highways and Shipping Shri Nitin Gadkari, and Minister of State (IC) for Petroleum and Natural Gas Shri Dharmendra Pradhan in July, Raksha Mantri Shri Manohar Parrikar in August, Minister for S&T and Earth Sciences Dr. Harsh Vardhan in September and Finance Minister Shri Arun Jaitley in October (from India to the U.S.) and U.S. Secretary of Defence Ashton Carter twice—in April and December, Secretary of State John Kerry and Secretary of Commerce Penny Pritzker in August and U.S. Trade Representative Mike Froman in October (from the U.S. to India). In addition, Shri Shivraj Singh Chouhan, Chief Minister of Madhya Pradesh (August), Shri. Raghubar Das, Chief Minister of Jharkhand (September), Shri Chandra Sekhar Rao, Chief Minister of Telangana (September) and Shri Raman Singh, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh (November/December) visited the U.S. promote investment in their states.

In 2017, the high-level exchanges have continued. Minister of State (I/C) Petroleum & Natural Gas Shri Dharmendra Pradhan visited Houston and Washington DC in March and met US Energy Secretary Mr. Rick Perry. Finance Minister Shri Arun Jaitley visited the U.S. in April for the IMF-WB meeting and met with his U.S. counterpart. National Security Adviser and Foreign Secretary have visited the U.S. in March and interacted with a wide cross-section of top U.S. policymakers. From the U.S. side, NSA H.R. McMaster visited India in April.

There have been regular contacts at political and official levels on bilateral, regional and global issues. Foreign Office Consultations, at the level of Foreign Secretary of India and U.S. Undersecretary for Political Affairs, are an important part of the dialogue structure. The last round of Foreign Office Consultations was held in New Delhi in April 2015. A new High-level Consultation between Foreign Secretary of India and the U.S. Deputy Secretary of State was launched in September 2015, and has met twice since then, in December 2015 in New Delhi and July 2016 in Washington D.C.. A Policy Planning Dialogue has also been started between the two sides in September 2015. There have been regular contacts at political and official levels on bilateral, regional and global issues. Foreign Office Consultations, at the level of Foreign Secretary of India and U.S. Undersecretary for Political Affairs, are an important part of the dialogue structure. The last round of Foreign Office Consultations was held in New Delhi in April 2015. A new High-level Consultation between Foreign Secretary of India and the U.S. Deputy Secretary of State was launched in September 2015, and has met twice since then, in December 2015 in New Delhi and July 2016 in Washington D.C.. A Policy Planning Dialogue has also been started between the two sides in September 2015.

The bilateral civil nuclear cooperation agreement was finalized in July 2007 and signed in October 2008. During Prime Minister Modi's visit to the U.S. in September 2014, the two sides set up a Contact Group for advancing the full and timely implementation of the India-America Civil Nuclear Cooperation Agreement, and to resolve pending issues. Culminating a decade of partnership on civil nuclear issues, the two sides have started the preparatory work on site in India for six AP 1000 reactors to be built by Westinghouse. Once completed, the project would be among the largest of its kind. The Nuclear Power Corporation of India Ltd, and Westinghouse are in talks toward finalizing the contractual arrangements, and addressing related issues.

Defence relationship has emerged as a major pillar of India-America strategic partnership with the signing of 'New Framework for India-America Defense Relations' in 2005 and the resulting intensification in defence trade, joint exercises, personnel exchanges, collaboration and cooperation in maritime security and counter-piracy, and exchanges between each of the three services. The Defence Framework Agreement was updated and renewed for another 10 years in June 2015. The two countries now conduct more bilateral exercises with each other than they do with any other country. India participated in Rim of the Pacific (RIMPAC) exercise in July-August 2016 for the second time with an Indian Naval Frigate. Bilateral dialogue mechanisms in the field of defence include Defence Policy

Group (DPG), Defence Joint Working Group (DJWG), Defence Procurement and Production Group (DPPG), Senior Technology Security Group (STSG), Joint Technical Group (JTG), Military Cooperation Group (MCG), and Service-to-Service Executive Steering Groups (ESGs). The agreements signed during the past one year include, Logistics Exchange Memorandum of Association (LEMOA) signed in August 2016, Fuel Exchange Agreement signed in November 2015, Technical Agreement (TA) on information sharing on White (merchant) Shipping signed in May 2016 and the Information Exchange Annexe (IEA) on Aircraft Carrier Technologies signed in June 2016.

Aggregate worth of defence acquisition from U.S. Defence has crossed over US\$ 13 billion. India and the United States have launched a Defence Technology and Trade Initiative (DTTI) aimed at simplifying technology transfer policies and exploring possibilities of co-development and co-production to invest the defence relationship with strategic value. The DTTI Working Group and its Task Force will expeditiously evaluate and decide on unique projects and technologies which would have a transformative impact on bilateral defence relations and enhance India's defence industry and military capabilities. During President Obama's visit in January 2015, the two sides agreed to start cooperation on 4 DTTI pathfinder projects and 2 pathfinder initiatives, which are currently at various stages of execution. During RM's visit in December 2015, the two sides also identified opportunities for bilateral cooperation in production and design of jet engine components. During Secretary Carter's visit in April 2014, two more G-2-G DTTI projects were added to the list. The DTTI meeting in Delhi in July 2016 decided to broaden its agenda by setting up five new Joint Working Groups on: Naval Systems; Air Systems, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance; Chemical and Biological Protection; and Other Systems. During the visit of Prime Minister to the U.S. in June 2016, the U.S. recognised India as a "Major Defence Partner", which commits the U.S. to facilitate technology sharing with India to a level commensurate with that of its closest allies and partners, and industry collaboration for defence co-production and co-development.

Cooperation in counter-terrorism has seen considerable progress with intelligence sharing, information exchange, operational cooperation, counter-terrorism technology and equipment. India-America Counter-Terrorism Cooperation Initiative was signed in 2010 to expand collaboration on counter-terrorism, information sharing and capacity building. A Homeland Security Dialogue was announced during President Obama's visit to India in November 2010 to further deepen operational cooperation, counter-terrorism technology transfers and capacity building. Two rounds of this Dialogue have been held, in May 2011 and May 2013, with six Sub-Groups steering cooperation in specific areas. In December 2013, India-U.S Police Chief Conference on homeland security was organized in New Delhi. Police Commissioners from India's top four metropolises paid a study visit to the U.S. to learn the practices of megacities policing in the U.S. in November 2015. The two sides have agreed on a joint work plan to counter the threat of Improvised Explosives Device (IED). In order to further enhance the counter terrorism cooperation between India and the U.S., an arrangement was concluded in June 2016 to facilitate exchange of terrorist screening information through the designated contact points. India-America Joint Working Group on Counter-Terrorism held its 14th meeting in July 2016 in Washington DC.

India-US bilateral trade in goods and services increased from \$104 billion in 2014 to \$114 billion in 2016. Two-way merchandise trade stood at \$66.7 billion. Of this, India's exports of goods to the US were valued at \$46 billion and India's imports of goods from US were valued at \$21.7 billion. India-US trade in services stood at \$47.2 billion. Of this, India's exports of services to the US were valued at \$26.8 billion and India's imports of services from US were valued at \$20.3 billion. Both countries have made a commitment to facilitate actions necessary for increasing the bilateral trade to \$500 billion. The bilateral merchandise trade is showing an encouraging growth trajectory in 2017.

During the visit of Prime Minister to the U.S. in June 2016, the two countries also announced their decision to celebrate 2017 as Travel and Tourism Partner Countries.

REFERENCES

1. "One year of Modi Government: Us versus them". *Indian Express*. May 25, 2015.
2. "Indo-US joint statement after Obama-Modi talks". *The Hindu*. January 25, 2015.
3. "An India-US Tussle Over Technology Transfer". *The Diplomat*. June 11, 2015.
4. "India, US Sign Logistics Exchange Agreement". *The Diplomat*. Retrieved August 30, 2016.
5. "In key step toward stronger defense ties, U.S., India ink military logistics agreement". *The Japan Times*. August 30, 2016. Retrieved August 30, 2016.
6. "U.S., India sign military logistics agreement". *Reuters*. August 30, 2016. Retrieved August 30, 2016.
7. "India, US finalise Major Defence Partner agreement". *The Indian Express*. December 9, 2016. Retrieved December 9, 2016.
8. Grant, R. G. (October 24, 2017). *1001 Battles That Changed the Course of History*. Book Sales, 2016.
9. ISBN 978-0785835530.
10. Barbara Schmidt. "Chronology of Known Mark Twain Speeches, Public Readings, and Lectures". *marktwainquotes.com*. Retrieved January 1, 2013.
11. Gupta, Vipin; Saran, Pankaj (2007). David Leninson; Karen Christensen (eds.). *Global Perspectives on the United States: A Nation by Nation Survey*. 1. Great Barrington, MA: Berkshire Publishing Group. pp. 294–300. ISBN 978-1-933782-06-5.
12. McMahon, Robert J. (August 13, 2013). *The Cold War on the Periphery: The United States, India, and Pakistan*. Columbia University Press. p. 40. ISBN 9780231514675. Retrieved November 28, 2015.
13. "Strategic Counter Nuclear Fuel Supply Visit". *The Times of India*. January 21, 2009. Retrieved December 17, 2013.

Development Skipped in Electoral Politics of Bihar Since 90s

Dr. Bishwambhar Prasad

Ph.D. Dept. of Political Science, L.N.Mitila University, Darbhanga

History testifies that Bihar has been at the centre of politics in India for a very long time. Many significant political changes that have taken place in India during the last several decades have had their genesis in Bihar. Not only was Bihar the epicenter of pro- and anti-Mandal agitations in the 1990s, the state was also the epicenter of the anti-Emergency movement of 1975, popularly referred to as the 'JP Movement' and led by the great socialist leader Jayaprakash Narayan when the Prime Minister Indira Gandhi imposed a national emergency. It is important to mention that Bihar played an important role in bringing about political changes even during the British rule. Mahatma Gandhi began his famous Indigo movement – called the Champaran Movement in our history books – in 1917 against the British in Champaran, a district in the northeastern region of the state. The nature of political contest and political representation in North Indian states during the post-Mandal period also had deep roots in Bihar.

In the past, Bihar's political landscape was largely dominated by the Congress party, like many other states of India. The Congress had an uninterrupted rule in the state for several decades until 1990, with a non-Congress government taking its place for short periods only five times. The nature of electoral politics and political representation in the state witnessed major changes during the post-Mandal period. This period witnessed the rise of regional political parties and regional leaders with a reasonable support base, especially among the voters belonging to the lower social strata – namely, the Other Backward Classes (OBCs), the Dalits, the Adivasis (in undivided Bihar), and the Muslims. The post-Mandal politics in the state marked the beginning of the decline of the Congress. Since the first post-Mandal assembly elections held in the state in 1995, the support base of the Congress has declined – election after election – ultimately reducing the age-old party to a very minor political player in the state.

The post-Mandal politics in Bihar began as a contest between the established national party, Congress, and Janata Dal, which had newly emerged on the national stage, in the 1990s. It has now turned into an electoral battle between two fragments of Janata Dal – the Rashtriya Janata Dal (RJD) and the Janata Dal (United) or JD (U) – which have become the dominant regional political parties, with the two national political parties – the Congress and the Bharatiya Janata Party (BJP) – playing second fiddle as alliance partners. While occasionally forming an alliance with the RJD, the Congress also went alone in a few elections. Moreover, the BJP and JD(U) led by Nitish Kumar have managed to form a durable alliance since the 1996 Lok Sabha elections. Other regional parties such as the Ram Vilas Paswan-led Lok Janshakti Party (LJP); Left parties such as the Communist Party of India (Marxist) (CPM), the Communist Party of India (CPI), and the Communist Party of India (Marxist-Leninist) (CPML); and a few smaller regional parties contributed to electoral politics during the last three decades. These smaller regional parties normally played very minor roles but at times they have also played significant roles in the state's electoral politics. In the February 2005 assembly elections, LJP's refusal to extend support – to any of the bigger parties with a sizeable number of seats in the hung assembly – resulted in the state going to polls again in October 2005, which resulted in a change of guard. Nitish Kumar became the chief minister of Bihar for the second time, after forging an alliance with the BJP.

The nearly three-decade-long post-Mandal politics of Bihar has witnessed several twists and turns, the latest being the change of government in July 2017 when Nitish Kumar, after breaking alliance with the RJD, formed the government in alliance with BJP in less than 24 hours of his resignation. It is important to note that Nitish Kumar contested the 2015 assembly election in alliance with the RJD and Congress, a rather unusual alliance. The two archrivals in Bihar politics, Nitish Kumar and Lalu Prasad, came together and formed an electoral alliance, referred to as *Mahagathbandhan*, with the singular aim of preventing a BJP win in Bihar. The grand alliance (GA) managed to win the 2015 assembly elections by defeating the BJP and its allies LJP and Rashtriya Lok Samata Party (RLSP), and formed the government; however, this government was short-lived. Nitish Kumar decided to break the alliance with the RJD due to the allegation of corruption charges against and CBI raids on his deputy Tejashwi Yadav and other members of the ruling RJD. Nitish Kumar demonstrated his zero tolerance for corruption, but ended up forming the government with the party that he criticized as being communal during his campaign of the 2015 assembly election. If there was something unusual about Nitish Kumar forming a *Mahagathbandhan* with Lalu Prasad Yadav and the Congress before elections, it was no less strange than his forming the government with the BJP against whom he managed to win the mandate of the people of Bihar. This book analyses in great detail these twists and turns in the electoral politics of Bihar during the post-Mandal period using empirical evidence from various surveys conducted by a team of research investigators in Bihar.

Politics of a state is the product of its society and economy. An understanding of the social and economic history of Bihar will help in understanding the changing nature of its electoral politics during the last several decades. Chapter 1 provides an introduction to the social and economic history of Bihar. At the time when Bihar was united, when Jharkhand was also part of the state, the state was divided into three broad regions: North Bihar, Central Bihar, and South Bihar. After the separation of Jharkhand from Bihar, a new geographical classification was worked out on the basis of social, cultural and political differences. The chapter discusses in detail these differences in the five regions, namely, Tirhut, Mithila, Magadh, Bhojpur, and Seemanchal (East). Although these divisions are primarily cultural, they are also used for studying political orientations. Each of the regions exhibits its own unique blend of social and cultural values, with a language and tone different from the others. Caste plays an important role in the politics of the state, and the chapter rightfully pays attention to the various caste dynamics in the social and political spheres. From an upper-caste dominated power structure, the politics in Bihar during the post-Mandal period, which this book is all about, has got transferred to the dominant middle castes,

namely, the OBCs in general and the Yadavs in particular. The Yadavs and the Muslims constitute a sizeable portion of the voters in Bihar. The sizeable presence of Muslims in districts such as Katihar, Darbhanga, Purnia, Siwan, and a few others has resulted in political parties looking at the Muslims as their vote bank. The mobilization by some political parties centres on the Muslims. A section in this chapter gives a brief history of the important political parties in Bihar, its electoral history and its leadership.

The electoral process and political changes in Bihar during the post-Mandal period, a political history is always important for an understanding of the present. This period is also referred to as the Congress period in the Indian electoral history, though there were brief interruptions. For the first time, non-Congress governments were formed in many states including Bihar. A cursory review of the political history of Bihar in the post-Independence period unfolds three distinctive phases. The first phase (1947-1967) is marked by the complete dominance of the Congress party, with upper castes at the apex of the power structure. The second phase (1967-1990) could be designated as a transition period with the gradual decline in dominance of the Congress party as well as of the upper castes and the slowly but steadily emerging influence of the middle castes in the political arena. The third phase (1990 and after) is marked by complete reversal of the first phase, that is, marginalization of the Congress party and the upper castes in the politics of the state. The chapter analyses in great detail the various phases of the electoral history of the state.

The 1990s marked the beginning of the political domination of regional parties in many states including Bihar. This in a way was also the beginning of OBC politics in Bihar, after V.P. Singh became the prime minister of India following the 1989 Lok Sabha election. After V.P. Singh became prime minister, the state witnessed the first assembly election in 1990. Chapter 3 discusses in detail the process of political mobilization and the political outcome of the 1990 and 1995 assembly elections. The 1990 assembly elections witnessed the formation of a non-Congress government after a long time, with Lalu Prasad Yadav becoming the chief minister of the state for the first time. This victory of the Janata Dal ended the long rule of the Congress in Bihar. Not only did the Congress lose power in the state after being defeated in the 1990 assembly election, but this defeat also marked the beginning of a systematic decline of the Congress. The 1995 assembly election resulted in the further domination of the Janata Dal under Lalu Prasad's leadership, winning a majority of its own, beyond the expectations of many. With the BJP's limited support base in the state, systematic decline in the electoral support of the Congress, and Nitish Kumar having left the Janata Dal to form Samata Party, the Janata Dal under the leadership of Lalu Prasad Yadav registered a massive victory in the 1995 assembly election. This was the first election in the post-Mandal period that witnessed the electoral contest centred around the OBC vs the OBC.

The long period in Bihar's political history – beginning from the 1995 assembly election and going up to the 1999 general election and various political upheavals that took place during that period. From Lalu Prasad Yadav's singular dominance during the 1990 and 1995 assembly elections to the swift rise in the BJP's electoral presence, the chapter analyses significant events in the state's politics and posits them against the backdrop of the changing nature of political mandate at the Centre. The rise of regional parties and the clout of backward castes are weighed against a declining Congress authority, and an in-depth analysis of both phenomena is done to understand its possible mechanics. Furthermore, the relation of caste and religious identities vis-à-vis political parties is analysed with the help of rich evidence collected by the Lokniti-Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) team through surveys to examine the dynamic nature of political alliances and the effects they have on political parties. Questions of voters' behaviour and motivations take centre stage as the chapter reflects on the nebulous nature of Bihar's politics, where change remains the only constant and the relationship between a voter, a party, and a leader is subject to a complex, multi-layered society.

Chapter 5 primarily deals with the political scenario in Bihar post 1999 Lok Sabha elections. While

the BJP-JD (U) combine won convincingly in these elections, by the time of the assembly elections in the state, there was damaging infighting that benefited the RJD-Congress alliance, which registered a thumping victory. Thus, the chapter seeks to analyse the proverbial reversal of fortunes and tries to posit possible reasons for the same. In addition, it also delves into possible reasons for the surprising wins registered by the RJD in the 2004 Lok Sabha election. Given the substantial lack of developmental achievements under the Lalu-Rabri regime, the continued support of the poor backward classes to the RJD seems to be a paradox of sorts, but the chapter analyses it through the lens of identity and social justice to argue that in spite of the poor developmental record of Lalu's government, his charismatic image as the "messiah of the poor" went a long way in ensuring his victory.

When we examine the 2005 assembly elections, detail the voting patterns and coalition politics that drove these momentous elections. For most observers of politics in the state, these elections marked the beginning of a new era for not just the politics in Bihar but also the social and economic life here. Nitish Kumar's rallying slogan, "*Nutan Bihar*", firmly established his name among stalwart leaders, not just of the state but also of the country. In the coming years, the story of an impoverished Bihar racked with inefficiency, corruption, and crime would undergo significant changes, which could be credited in large part to the rainbow coalition that Kumar sought to create.

The dynamics of social justice were incorporated in the state action, ranging from the creation of the Mahadalit Commission to the thrust on female empowerment and the resultant political gains. While examining caste-based mobilization in the state, the chapter consciously disparages any overarching macro theories about voter behaviour of individual caste groups to make a case for the vitality and volatility that typifies voting patterns. For instance, while it is generally accepted that Muslims have remained staunch supporters of the RJD, Chapter 5, through careful analysis of the CSDS data generated from election studies in the state, argues that the relationship of the Muslim community with the RJD, too, has undergone significant changes between the 1995 and the 2005 elections. In doing so, the ostensible aim of the chapter is to constantly underline the importance of understanding the dynamism that characterises the political life of a state. In addition, the chapter also focuses on landmark reforms introduced by the Election Commission of India (ECI) and interrogates possible repercussions that these reforms could have had on the level of voter turnout and the defeat of certain political parties (RJD) to the benefit of others (BJP-JD(U)). Both these aspects manage to give a cohesive picture of a period of visible reforms within the state and firmly establish Nitish Kumar as the face of changing politics of a new Bihar.

If the 2009 Lok Sabha elections were a powerful blow to the dominance of the RJD and its leader Lalu Prasad Yadav, then the 2010 assembly election was a cause of further embarrassment. Both the voter share and the number of seats declined sharply, causing many observers to believe that the people had finally and summarily rejected Lalu Prasad Yadav's politics of social justice and had put their faith in the model of development presented by Nitish Kumar. By making close observations of these claims in Chapter 7, an effort has been made to understand the efficacy of such an argument. Reflecting on the diverse social and political culture in the different regions of Bihar, the chapter argues for heterogeneity of reasons that exist for the popular verdict in favour of Nitish Kumar (and against Lalu Prasad Yadav). Analysing the statistics and survey reports as well as the final voting figures, the chapter seeks to throw more light on what possible factors could have made the 2010 elections so resolutely one-sided. Debates around development, caste and caste-based mobilization are each given relevant attention as the chapter examines the connection between caste identity, aspirational politics and electoral politics.

The quick turnaround that Bihar politics had witnessed within a couple of years. analyzes the political events starting with the BJP's alliance with the LJP and the RLSP registering a massive victory in 2014, the same alliance getting badly routed during the assembly election held next year in 2015, to the latest turnaround of Nitish Kumar switching alliance from the RJD back again to the BJP. The first section

of the chapter analyzes the Lok Sabha election of 2014, which was unique in various respects. First, it marked the end of the decades-long alliance between the JD (U) and the BJP; second, the public mandate received by the BJP was the clearest mandate given to any political party at the national level during the past several decades; and finally, it brought unlikely alliance partners together to claim victory in Bihar. Breaking away from their successful partnership with Nitish, the BJP joined hands with Ram Vilas Paswan's LJP and Upendra Kushwaha's RLSP, which made the alliance the unchallenged victor from Bihar, winning 31 of the 40 Lok Sabha seats of the state. The results of the 2014 Lok Sabha election were popularly referred to as victory of politics of development over caste alliance. This chapter reopens the debate between caste and development, also mentioned in the previous chapter, but this time in favour of the BJP and against the success story of Nitish's transformative policies. Attributing the BJP's win to a number of factors such as anti-incumbency against the Congress and the promise of transformative, fast-paced development by the BJP, the chapter argues that while traditional caste loyalties changed, it is in no way a reflection of the absolute rejection of caste in favour of development.

The landmark election – that of Bihar Assembly in 2015 – that managed to stall the BJP juggernaut for the first time and provided hope to a faltering opposition. The *Mahagathbandhan* or the GA, the chapter posits, was successful due to a multiplicity of factors, most of which managed to give the *gathbandhan* a substantive edge over the BJP. Caste again played a crucial role, but the chapter also seeks to understand voter appraisal of the government's 10 years of positive reforms. In doing so, the chapter tries to challenge the false binary in development or caste identity, to reflect on ways in which they inform, affect, and reshape one another to make politics in the state very dynamic and versatile. It would be an injustice to the reader if the latest turnaround of politics is not mentioned in the book, so the last section of the last chapter analyses in some detail the events that resulted in the breaking of the alliance between Nitish Kumar and Lalu Prasad Yadav over the issue of charges of corruption against Tejashwi Yadav, Nitish Kumar's deputy and leader of the RJD. The analysis ends with a hint at the future possibilities about electoral politics in Bihar in general and more so about the future of Nitish Kumar and his image, his popularity in particular. The question remains: Will Nitish Kumar be able to gain electorally from his new political move in alliance with new partners, or has he managed to burn his fingers while offering *Yagya* (*Havan*) to prove his zero tolerance for corruption.

REFERENCES

1. Sanjay Kumar. *Bihar ki Chunavi Rajniti: Jati-Varg ka Samikaran 1990-2015* Forward Press 2018
2. Mohammad Aamgeer, *Dynamics of Bihar Politics*, Axis publication Darayagamj New Delhi, 2016
3. Sharma, Alakh N. (1995) 'Political Economy of Poverty in Bihar', *Economic and Political Weekly*, 30(41/42) (14 October): 2587–602.
4. Jha, Manish & Pushpendra (2012) *Governing Caste and Managing Conflicts: Bihar, 1990–2011*. Kolkata: Calcutta Research Group.
5. Government of Bihar (2011) *Economic Survey 2010–11* (February). Patna: Finance Department.
6. Das, Arvind N. (1992) *The Republic of Bihar*. New Delhi: Penguin. (1998) 'Para-Democracy in Bihar', *Economic and Political Weekly*, 33(47/48) (21 November): 2959–60.
7. Thakur, Manindra (2012) 'Sapno Ka Bihar', *Sablog*, 4(3) (March): 18–20.
8. Yadav, Yogendra (1996) 'Reconfiguration in Indian Politics: State Assembly Elections, 1993–95', *Economic and Political Weekly*, 31(2/3) (13 January): 95–104.
9. Yadav, Yogendra (2009) 'Why Manifestos Matter' [Editorial]. *The Hindu*, 8 April. Available at <http://blogs.thehindu.com/elections2009/delhi> (last accessed on 25 February 2013).

Shashi Deshpande's Portrayal of Woman in "That Long Silence"

Prity Kishore

Research Scholar, LNM University, Darbhanga, Bihar

Email: pritykishore@gmail.com

Abstract: *Women of today is literate and aware of her rights. She can stand for herself. On the surface we may find education and awareness in middle class family, but still the discrimination remains present. Invisible like salt in water but present. A nice family, a loving husband and two lovely children everything seems so perfect in Jaya's life. Jaya resembles any typical Indian housewife, compromising herself, putting family first, suffering silently. Her education could not end the gender discrimination. Shashi Deshpande brings this unfair treatment of society into light. Though middle class society claims to be progressive it is not ready to accept the individuality of a woman. A woman is seen as an ingredient of family, important but not enough to stand alone.*

Keywords: *Individuality, Compromise, patriarchy, retrospection, Introspection, Facile, Subjugation.*

INTRODUCTION

Education plays a critical role in the development of a nation whether it is social or economic growth. Education is the gateway to economic security and opportunity particularly for women in India. It is the master key to unlock the door to women empowerment at the grass root level. But can we assure that education changes their status. May be the form of oppression or subjugation changes but it does not vanish. It remains there in a different avatar. If we dive deep in Shashi Deshpande's writing we'll find that her protagonist is educated, economically strong but still suffer. Her protagonists are modern, educated young women, but crushed under male-dominated society. Her attempt to give an honest portrayal of their sufferings, disappointments and frustrations makes her novel highly successful. Most

of her protagonists are educated and exposed to western ideas. More even the attitudes and reactions of her protagonists to various issues related to women who are caught between tradition and modernity do provide ample material for treatment from a feminist angle.

THAT LONG SILENCE

Throughout the novel, Jaya ponders over her role clarity. She keeps on searching when and where she failed. She questions herself why she was not able to take charge of a situation and turned submissive. From being a failed writer to circumstances where she could not oppose changing her name after marriage. She dissects each and every moment where she could have done something different to keep a hold on her life. Now, shifted to a small suburban Bombay flat, Jaya is left alone to deal with demons of her past and her soul. Her constant fight to fend off that long silence which is embedded in her since childhood and emerging as a new self-aware individual is the main plot of the novel.

RETROSPECTION

A reading of Shashi Deshpande's novels reveals a deep understanding of the female psyche particularly that of the educated, urban, middle class women. Deshpande's novel 'That Long Silence' brought her into limelight as it was published by the British Feminist publishing house, Virago. The novel deals with the protagonist Jaya's self-doubts and fears towards the affirmation of herself. A crisis in the middle class family of the protagonist triggers off a chain of events which compel her to view her life in retrospection. What follows is an honest and frank account of Jaya's life. In her anxiety to play the role of wife and mother to perfection, Jaya realizes that she does not do justice to her talents as a writer. Jaya in the Novel 'That Long Silence' represents the modern young woman who is educated and aware but unable to break free from the hold of tradition. In the process of telling her story, she offers us a glimpse into the lives of contented housewives who are suppressed under the weight of male dominance. Deshpande, however, avoids the facile solution of laying the blame on men alone and tries to view the man-woman relationship objectively. She observes through her novel that both men and women, being products of their culture, find it difficult to outgrow the images and roles allotted to them by society.

HER ACHIEVEMENT

The novel achieves greater credibility from the fact that Jaya, the protagonist, is a very well-read person, possessing a literary sensitivity which corresponds with her fictional role. Articulate women characters are obviously difficult to create nurtured as they are in the culture of silence. The author has managed to overcome this difficulty by endowing her protagonist with abundant creative talent. In the words of Vimala Rama Rao, "Jaya is one of the rare narrative voices in Indian English fiction who possesses and displays a literary sensibility commensurate with her fictional role as a writer telling her own story, one whose college education and reading habits are in evidence in her speaking voice. This indeed is an achievement."

THE CONFLICT

That Long Silence portrays the conflict in the mind of the narrator between the writer and the housewife. For seventeen long years, Jaya manages to suppress her feelings, thinking that it is more important to be a good wife than a good writer. She perhaps would have remained in the shadow of her husband, for the rest of her life if it had not been for the jolt received to the carefully constructed edifice of her family. A crisis is sparked off by her husband's involvement in a shady deal. There are charges of corruption against him and it is expected that an enquiry will be conducted. He takes it for granted that his wife will

go along with him into hiding. Jaya follows her husband into exile. Jaya goes into an intense introspection of her life due to the absence of her usual domestic routine. After seventeen years of playing out her many faceted role of a loyal wife and tireless mother, the silence becomes deafening. Jaya's loneliness is further accentuated as she ponders over the intrinsic isolation of the human condition. Jaya appears to be a satisfied housewife married to an apparently caring man and having two normal, healthy children. But in reality she is not contented.

REALITY

Jaya is a representative of the urban, middle class woman exposed to liberal western ideas. But she is unable to free herself entirely from the clutches of male chauvinist ideas. These ideas are a part and parcel of her culture, thrust upon her by those around her. But in the small, drab flat at Dadar, Jaya's carefully built façade cracks and she breaks her self-imposed silence. She proceeds to unmask layer by layer the superficial aspects of her married life to reveal the hard core of reality. She rejects the persistent image of "two bullocks yoked together". She recollects that while studying Sanskrit she had learnt with outrage that women characters were not allowed to speak Sanskrit and had to use Prakrit. She realizes now that she had been speaking Prakrit all along. She resolves to "plug that hole in the heart," and to speak as well as listen, in order to erase the silence. She does not want to play the role of a passive wife.

NO ANTAGONIST

There are no antagonists or villains in Deshpande's novels. She does not take sides with her characters. She presents them as close to reality as possible, portraying both their strengths and weakness. In one of her interviews she said, "Once you understand the mind of a person you can't be harsh. I don't see in terms of black and white, all of us have several shades of grey in us." She further says that the men in her books are never entirely bad and women never entirely good. The only unfairness she finds in the setup is the fact that men having made the rules of the game, have made the world a more comfortable place for themselves.

CONCLUSION

At the end of the novel, Jaya very honestly questions herself "But why am I making myself the heroine of this story? Why do I presume that the understanding is mine alone." It is statements like this which prove that 'That Long Silence' is not just another novel filled with hysterical ranting by a prejudiced writer but almost the diary of a sane housewife. Thus unlike many other novels which are written from the feminist point of view, That Long Silence is a "muted and essentially sympathetic treatment of the problems of marital relationships; maintaining a credible balance between the sexes." The novel ends with emergence of faith in herself.

REFERENCES

1. Shashi Deshpande, *That Long Silence* (New Delhi: Penguin, 1989)
2. Subhash Chandra, "Silent No More: A Study of That Long Silence," *Indian Women Novelists*, ed. R.K.Dhawan (New Delhi: Prestige, 1991), Set I, Vol.I.
3. Vimala Rama Rao, "Rev. of That Long Silence," *The journal of Indian writing in English*, Vol.21, Jan 1993, no. 1, 72.

Theorizing Political Participation at Grassroots Level

Deepak Kumar Tiwari (UGC NET)

Research Scholar, Political Science, B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur

INTRODUCTION

Politics has been the principal pillar of empowerment. The more the participation of women in politics, the more they can change the modalities and outcomes of politics.¹ After the introduction of the seventy-third Amendment Act, rural women although, are participating in large numbers in rural grass-root level institutions, they still remain largely outside the realm of power and decision making. The gender difference in rural participatory politics is still very high. Many interrelated factors affect women's ability to participate in politics.² The social hierarchies and inequalities that exist in Indian society deter the woman for centuries to play an active role in the societal functions including participation in political institutions.

The seventy-third Constitution Amendment Act (1993) ushered in watershed in the history of state initiatives with regard to political empowerment of rural women. The Parliament of India in April 1993 passed the Seventy Third Amendment Act, providing thirty three percent reservation in all tiers panchayat structure for all rural women. The Act provided a definite space for women to participate in Panchayat politics and to involve in local political decision making process. This legislative innovation has enabled women to participate in decentralized governance, planning and development.

It is said that such an arrangement has created scope for women forming 'Critical Mass' whereby they can raise their voice felt in a regimented manner. (The 'Critical Mass' is a concept originally derived from nuclear physics and refers to a quantity needed to start an irreversible chain reaction. Its basic tenet in this context is that a certain number of women must be present in order to be able to effect change. Alternatively thirty three percent reservation of seats in Panchayat structure for women, although still minority, is an effective size of minority to effect change).³ However, if any one subscribes to the view that a 'critical mass' of women will introduce changes in politics, the scope for that is less at the local than at the national level, where more far reaching policy formulation takes place.

In order to get a clear cut picture of the contours of women's political participation in India, one will have to go through the concept of political participation and modes of political participation.

CONCEPT OF POLITICAL PARTICIPATION

The term political participation generally refers to those voluntary activities of members of a society, in the selection of rulers and formation of public policy. Since popular sovereignty is one of the inseparable attributes of democracy, the right to participate is an important aspect of democratic government and an inherent right in a democratic process. Many writers have rightly argued that political participation of citizens is the distinguishing mark of modern states. More than anything else, the modern state is distinguished from the traditional ones by the extent to which people participate in politics. High levels of political participation are usually associated with democracy, which is beneficial both to the individual and to the society. Political participation has been considered as a 'sine qua non' of democracy.⁴

Political participation has been characterised as a civic duty, as a sign of political health and the best method of ensuring that one's private interests are not neglected. Although political power in every society is monopolised by a few, incumbents of political authority in every system are found to be quite keen on ensuring some amount of political participation by the people. Thus, by involving the many in the matters of the state, political participation fosters stability and order by reinforcing the legitimacy of political authority.

Political participation is a term that has many meanings. The term is applied to the activities of people from all levels of political system. Sometimes the term is applied more to political orientations than to activities. Political participation is defined in such a way as to include the exercise of power in nongovernmental as well as governmental spheres. It is true that there exists a great deal of confusion with regard to what is meant by that term. "Participation" may be viewed from two angles again-intensity and width. How deeply a person is involved in an issue and to what extent he would go towards achievement of this objective would determine the intensity which arises because of the complex nature of political activity that requires participation in different issues ranging from casting votes to participating in a technical expert committee or becoming a minister.⁵

Political participation has been defined in various ways. Political participation means not only exercising the right to vote, but also power sharing, co-decision making, co-policy making at all levels of governance of the state.⁶

Political participation may be defined as those actions of private citizens by which they seek to influence or support government and politics.⁷ This definition is broader than most others, as it includes not only active roles that people pursue in order to influence political outcomes but also ceremonial and support activities. To Almond and Powell, "political participation is the involvement of the members of the society in the decision making process of the system".⁸

Verba and Nie define it as, "Those activities by private citizens that are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental personnel and the actions they take".⁹

Political participation is generally defined as being a process through which individual plays a role in political life of his society, has the opportunity to take part in deciding what the common goals of that society are and the best way of achieving these goals. Political participation refers to actual participation in these voluntary activities by which members of the society share in the selection of rules and directly or indirectly in the formulation of public policy.¹⁰

It means that by the process of political participation, the people actually take part in political activities. No doubt, one of the important political activities of the people is exercising voting rights during elections; however, political participation is not just casting vote rather wide range of other activities is also included in it—like membership of political party, electoral campaigning, attending party meetings, demonstrations, communication with leaders, holding party positions, contesting elections, membership in representative bodies, influencing decision making and other related activities. So, political participation may be defined as voluntary participation in the political affairs through membership, voting and partaking in the activities of the political parties, legislative bodies and/ or politically motivated movements.

MODES OF POLITICAL PARTICIPATION

The conceptualisation of political participation has been undergoing drastic changes. Such changes will have a direct impact upon different modes of political participation. Citizens can participate in different and alternative ways to influence the government and the political system. Until recently most survey studies of political participation confined their enquiry to a relatively limited set of political acts. Most of them asked whether a person had voted or not and some went on to ask about such behaviour as attendance at political meetings or rallies, working for a party, making a monetary contribution or seeking a public office.

However, these alternative ways of political participation depend on the types of citizens who participate, the way in which they act, the amount of pressure they can exert and the system's response towards their activities. Thus political participation is more than the vote and more than an activity in the electoral system. Verba and Nie grouped into four broad modes of participation the alternative activities by which citizens can participate in politics, i.e., voting, campaign activity, co-operative activity and citizen-initiated contact. Milbrath and Goel add protest and communication to these modes mentioned by Verba and Nie, which relate individuals to the polity. They are also of the view that political acts could be hierarchically organised from the least difficult to the most difficult, if a person performed a more difficult act, he was likely to perform those that are less difficult as well.¹¹

It is useful to consider political participation in a hierarchical sense, but it should also be born in mind that some levels of participation may be absent in some political systems. Not all political systems have elections or a form of voting, some systems severely restrict or ban public meetings and demonstrations, while others forbid the formation of political parties and other types of political or quasi-political organisation, and so on. Explaining the extent of political participation Michael Rush and Philip Althoff added that apathy, alienation and the use of violence vary clearly and considerably from system to system, but remain quite important factors in any examination of political participation.¹²

Examining the modes of political participation Schonfeld has mentioned ten types of activities which include (1) running for or holding public or party offices, (2) belonging to a party or other political organisation, (3) working in an election, (4) attending political meetings or rallies, (5) making financial contribution to a party or a candidate, (6) contacting a public official, (7) publicly expressing a political opinion to convince others, (8) partaking in political discussion, (9) voting, and (10) exposing oneself to political stimuli.¹³

Political participation is the mother and politics is the child. The former creates and determines politics and hence is of utmost importance both for the nation and the individual. The politics of the nation is determined therefore, by political participation in all its processes.

CONCEPTUAL FRAMEWORK ON QUALITATIVE WOMEN PARTICIPATION

The means by which we may look at qualitative women participation consist of the following conceptual framework. The two variables examined here are:

- Improved Governance: Governance is improved if it is more transparent, accountable, equitable, sustainable and participatory for the community at large.
- Engendered Governance: Governance is engendered and improved if it is more transparent for women, accountable to women, equitable for women, has lasting sustainable changes for women and invites not just community participation but women's participation in particular.

The question is: Why do we make this distinction? It is because while a panchayat may hold gram sabhas and open up its accounts, budgets and decision making processes to the gram sabha, it may be said to have improved governance. However, if women are not present in that gram sabha then it implies that while the panchayat has become more transparent and accountable to the larger community, it has not to women. Even if women are present at meetings but do not talk, are excluded in any way or are due to illiteracy or other factors are unable to access the same information, then governance is not engendered despite the

best of intentions. Therefore while governance has improved to the larger community it has not improved vis-à-vis women. What are the indicators and measures of each indicator of these two variables?

What needs to be noted is that these variables obviously have indicators that are gender sensitive in order for the variable governance itself to be engendered. Table 1 given below provides a listing of such indicators to be developed. These measures are used to guide the analysis as we examine the field evidence to see to what extent these indicators reflect the ground realities of qualitative women participation. The measures for each of the indicators below differs sharply vis-a-vis their sensitivity to women. Table 1 outlines the indicators.

Table 1

INDICATORS OF IMPROVED AND ENGENDERED PARTICIPATION

Improved Participation	Engendered Participation
Transparency	Engendered Transparency
Accountability	Engendered Accountability
Equity for rich and poor	Equity for poor women
Sustainability	Sustainability for women
Community participation	Participation of women

MEASURES OF INDICATORS OF POLITICAL PARTICIPATION:

Increased transparency	Extent to which budgets and decisions are made public. Number of public assemblies held per year Extent to which people participate in assemblies Extent to which elected officials are accessible to people Extent to which programmes are explained to people
Engendered transparency	Extent to which women participate in the assemblies Extent to which elected officials are accessible to women Extent to which programmes are explained to women Extent to which information is accessible to women
Increased accountability	Nature of communication between elected officials and the community
Engendered Accountability	Communication between elected officials and women Increased access to resources of the voting constituency
Equity	Improved standard of living
Equity for women	Increased access to resources for women
Sustainability	Lasting changes for the community
Sustainability for women	Enduring changes for women
Community Participation	Increased participation of the community in decision-making processes
Participation of women	Increased participation of women in decision making Increased participation of the sangha at panchayat meetings Extent to which the panchayat consults the sangha

MODUS OPERANDI OF WOMEN PARTICIPATION

Participation of women in the Panchayats is one major indicator by which the impact of the amendments on qualitative participation can be measured. One indicator of improved governance is community participation but the participation of women implies that governance is both improved and engendered. The participation of women includes several aspects:

- The physical presence of women in the Panchayats, Panchayat meetings and in the gram sabhas
- Whether women voice their opinions in these meetings,
- Whether the issues taken up are of concern to women
- Whether women bring up issues for the betterment of the community
- Whether women have actually been able to do work, help people in the community, particularly women.

CONCLUSION

There is a need to empower rural women to enhance their quality of participation. The awakening of women in India towards a society where justice and brotherhood prevail, can best be achieved by woman-to-woman contact. The cultural patterns of Indian society are such that social progress among women can be promoted effectively through the medium of personal relationship among them. It is women who can inspire confidence and offer stimulus for social change especially among their sisters in the rural areas. Hence, effective leadership among women must come from the ranks of women themselves. Their qualitative participation can be achieved through training besides of course the literacy educational programmes. Links have to be strengthened between the village and the bureaucracy at the lower level.

REFERENCES

1. B. Suguna, Strategies for Empowerment of Rural Women, Social Welfare, Vol. 49, No.5, Aug. 2002
2. Susheela Kaushik, "Women and Political Participation", Women in Politics, FES, New Delhi, 1992
3. Abha Chauhan, 'Women in Politics', *Women's link*, Vol. 4, No.2, 1998, April-June, p.13
4. Hari Hara Das, *Introduction to Political Sociology*, Vikas Publishing House, New Delhi, 1997, p. 146
5. K. Seshadri, *Political Linkages and Rural Development*, National Publishing House, New Delhi, 1976, p. 175.
6. Singh J.P., "Indian Democracy and Empowerment of Women", *The Indian Journal of Public Administration*, Oct-Dec, Vol. XLVI, No. 4, 2000, pp. 619.
7. Lester W. Milbrath, *Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics*, Rand McNally, Chicago, 1977, p.2.
8. G.A. Almond, G.B. Powell Jr., *Comparative Politics: A Developmental Approach*, Arvind Publishing Company, New Delhi, 1975, p.98.
9. Sidney Verba, Norman H. Nie, *Participation in America: Political Democracy and Social Equality*, Harper Row, New York, 1972, p.44.
10. Srivastava Rashmi, "Empowerment of Women Through Political Participation, with special reference to Madhya Pradesh", in Niroj Sinha (ed), *Women in Indian Politics*, Gyan publications, New Delhi, 2000, pp.206.
11. Lester W. Milbrath, M.L. Goel, op.cit., p.11
12. Michael Rush and Philip Althoff, *An Introduction to Political Sociology*, Thomas Nelson and Sons, London, 1971, p.8 1.
13. William R. Schonfeld, "The Meaning of Democratic Participation", *World Politics*, Vol. XXVIII, No. , 1975, pp. 136-37.

Study of Some Political Aspects of Regionalism in India

Dr. Ram Kumar Sah

Vill.- Ajna, P.O.- Gopalpur, P.S.- Kalyanpur, Dist.- Samastipur

Abstract: India is a land of various ethnic and tribal groups. Ethnicity relates to ascriptive identities like caste, language, religion, region etc. Inequality in terms of sharing power between two ethnic groups' results into conflict. The ethnicity is socially mobilized and territorially confined. It has numerically sufficient population and is a pool of symbols depicting distinctiveness. It has a reference group in relation to which a sense of relative deprivation is aggregated. Ethnicity causes ethnic movements after being left out of the developmental process or even being a victim of uneven development. Ethnicity is manifested in Indian politics not merely due to grass root discontent but is also a creation of vested political interest. Ethnic groups that use ethnicity to make demands in the political arena for alteration in their status, in their economic well being etc are engaged very often in a form of interest group politics.

INTRODUCTION

Regionalism in India is the Expression of the neglected socio-political elements which not succeed to find expression in the mainstream polity and culture. These feelings of frustration and annoyance resulting from exclusion and neglect find demonstration in regionalism. Narrow-mindedness and biases have a lasting impact on the mind of the people. They themselves do not play a part in the political process, but as a psychic factor they do influence their party organisations and their political behaviour. Seen in this perspective, regionalism in India, as elsewhere, is which can also be described as a psychic phenomenon. It has its root in the minds of the people.

In India, the states share a common legal, constitutional and administrative structure but their international functioning has no match with each other and vary considerably. It was in the early 1950s, mass agitation occurred throughout the country with a demand to reorganize the states on linguistic

lines. As the linguistic movement swept the country, there was increasing concern about the powerful sense of regional attachment and what then appeared to be a low level of national identification. Scholarly and journalistic attention was then given to development within the states, but the focus was on the relationship of one linguistic group to another, the attitudes that existed in each multilingual state towards linguistic reorganization and the relationship between the state and the central government. With the reorganization of the Indian States in 1956 along linguistic lines there was considerable apprehension that the states would be concerned primarily with their own development, that national authority would be eroded and that only a slender thread Nehru's leadership would bind the Union.

The intention expression by the scholars that the Indian states would stay united under Nehruvian rule did not last long and it was after Nehru's death that the national authority over states started to weaken and the states started to operate in an open atmosphere which resulted in the unique development process within the states. What came out was the growth of regional sentiments which had aggravated the growth of regionalism. Regionalism in India has found expression in different ways, where boundaries cannot be considered sacrosanct, states can be taken as vital components for evolving different forms of regionalism. Supra-state regionalism or secession from the Indian Union; this kind of regionalism can be classified as the most dangerous form of regionalism as it is based on the policy of division from the Indian Union. The Kashmir issue is the classic example of this form of regionalism which is based on the demand for a separate state outside India and the Kashmiri militants persistently committing bloodshed in pursuit of their desire to divide away. Intra-state regionalism or disputes between states; regionalism can be looked as an inter-state competition under the federal structure of India, which could be seen in regard to inter-state river water dispute. Inter-state regionalism or demands of certain areas for separate state, this type of regionalism is noticeable with demands for parts within the state for fulfillment of self identity and gaining more autonomy.

CULTIVATION OF REGIONALISM IN PRE-INDEPENDENT INDIA

The British empire building started around the three nuclei of Calcutta, Bombay and Madras. The acquired territories of east, west and south India were gradually added to the presidencies of Bengal, Bombay and Madras. This resulted into the formation of 3 original British Indian provinces. The British formed bigger states during the first phase of the empire building. The second phase of the formation of the British Indian provinces was initiated by the bifurcation of bigger states into smaller ones. The Assam was the first state of its kind. The sole purpose of the Britishers in the territorial reorganization and the formation of new States was the advancement of the imperial interest and the efficient administration. Development and welfare did not form the agenda of the British State. Due weightage was always given to the furtherance of the policy 'Divide And rule'. The British India had three kinds of provinces, namely, the Governor's provinces, the Lt. Governor's provinces and the Chief Commissioner's provinces. India during the British period was not uniformly controlled and various regions may be categorized as given below:

1. Areas under effective British control,
2. Partially administered areas,
3. Un-administered areas and
4. The areas controlled by the native princes.

The following observation of B.B. Kumar about the rulers of North-East India equally applies to the large number of cases: "the British were not aware of the strengths and weaknesses of the rulers of this region and were very cautious in their dealings with them. Their cautious approach gradually gave way to unusual firmness. The Kings and Chiefs who were initially treated on equal footings, were gradually reduced to the status of Sanad and Kabuliati holders. British paramountcy gradually eclipsed the sovereignty of the Kings. This gradually happened as British established their stronghold on other parts of the country and could know the inner weakness of the society, the ruling elite and the polity of the region".

THE CATEGORICAL DIVISION OF POST INDEPENDENT INDIA

India, that is Bharat, was proclaimed to be a Sovereign Democratic Republic and a Union of States on 26th January, 1950. The merger of Princely States was almost complete by that time. The country had following categories of State at that time:

Category A: Assam, Bihar, Bombay, Madhya Pradesh (Central Provinces and Berar), Madras, Orissa, Punjab (East Punjab), the United Provinces (U.P.) and the West Bengal. These States continued to be headed by the Governors as was the case during the British days. They were allowed to have the elected Legislative Assemblies and the Councils of the Ministers.

Category B: The erstwhile Princely States/State Unions included in this category were Hyderabad, J&K, Madhya Bharat, Mysore, PEPSU (Patiala and East Punjab States Union), Rajasthan, Saurashtra, Travancore-Cochin, and Vindhya Pradesh. The Maharaja of the State functioned as the Raj Pramukh of the State. In J&K, it was termed Sadar-e-Riyasat. One of the Maharajas acted as the Raj Pramukh in the case of the State Union.

Category C: Included the Chief Commissioner's provinces of Ajmer, Bhopal, Bilaspur, Coorg, Delhi, Himachal Pradesh, Kutch, Manipur, Tripura and Cooch Behar. This included three pre-existing Chief Commissioner's Provinces, namely, Delhi, Coorg, Ajmer-Merwara.

Category D: The Andaman and Nicobar islands.

Historically it is found that the regional forces played a highly valuable role against the anti-imperialist forces to liberate the country on basis of national movement. It often fights against the oppressed forces of chauvinist big nations. After Independence the leaders tried to encourage a feeling among the people that they belonged to one single nation. The framers of the constitution wanted to achieve this by introducing single citizenship for all. But India is a complex country and keeping in view of its vastness and diversity in culture and language, a strong sense of regional loyalty and love started appearing and thus regionalism became inevitable.

INDIA AFTER INDEPENDENCE

The following two processes were initiated at the dawn of independence in India by the national leaders.

1. Integration of the country: All parts of the country were not equally integrated by the Britishers. The national leadership took effective steps to integrate the following in the national mainstream:
 - a) The Princely States were brought under unified constitutional framework. The people of these States were no more subjected to the autocratic excesses and the tyrannies of their rulers.
 - b) Uniform administration was gradually extended throughout the country. This was not so during the British days when a very large area of the country remained either non-administered or partially administered.
2. The entire country was uniformly democratized. This brought a change in the quality of life of the people of the Princely States of this country.

THE DARJEELING AREA

The Britishers had divided the conquered territory in the hill region into a range of categories like regulated, non regulated areas on the basis of location character and importance. The Council Act of 1861 abolished such distinction. Prior to 1861 and from 1870-1874, Darjeeling District was a 'Non-Regulated Area' (where acts and regulations of the British Raj did not automatically apply in the district in line with rest of the country, unless specifically extended) for preservation of indigenous system of simple natives. From 1862 to 1870, it was considered a 'Regulated Area'. The term 'Non-Regulated Area' was changed to 'Scheduled District' which kept the area outside the ambit of general law which was in operation throughout the country, in 1874 and again to 'Backward Tracts' in 1919. The status was known as "Partially Excluded Area" from 1935 until the independence of India. However, the district had been kept under the overall jurisdiction of Bengal since 1912.

THE HYDERABAD AREA

When India became independent from the British Empire in 1947, the Nizam of Hyderabad did not want to merge with Indian Union and wanted to remain independent under the special provisions given to princely states. He even asked for a corridor, a passage from India. Rebellion had started throughout the state against the Nizam's rule and his army, known as the Razakars. The Government of India annexed Hyderabad State on 17 September 1948, in an operation by the Indian Army called 'Operation Polo' which government called Police action. When India became independent, Telugu-speaking people were distributed in about 22 districts, 9 of them in the former Nizam's dominions of the princely state of Hyderabad, 12 in the Madras Presidency (Northern Circars), and one in French-controlled Yanam. It can be thus seen that both Telengana and Gorkhaland movement operate within a historical context shaped by British colonial rule before independence. The view of the territory underlying the Constitution of 1950 reflected the Weberian conception of a uniform-rational legal state. The organisation did not meet historical or cultural criteria but those of administrative efficacy. However, under the pressure of regionalist movements the territory of India was gradually differentiated in the 1950s according to particularist criteria: language. However the British administrative division exhibit the Weberian legal rational state truly. Under the province division scheme as discussed earlier none of the regional unit had cultural or ethnic criteria such as that of language, religion, caste and tribe. The British provinces were multicultural. Further the state was subdivided according to the same non-ethnic rationale.

In the early years it was feared that the demand for linguistic state would jeopardize the unity and integration of the country, it was accepted that the adaptation of regional claims would reduce regional demands and also seen as more democratic way of representation and also underlined the principle of diversity and also changed the nature and path of democratic politics and leadership which was open for people other than the small English speaking elite.

With its unbelievable 4,635 communities and 325 languages spoken by a population of a billion plus, India has been the home of rich and diverse social movements representing protest, dissent, reform or reassertion and is often mentioned as the Babel of languages with its multi-lingual character, we are fairly aware of the fact that language is one of the pertinent marks of group identification. Linguistic homogeneity strengthens regionalism both in *positive* and *negative* senses; in the former it strengthens in unity and in the later through emotional frenzy.

REGIONALISM AS A SUB STATE MOVEMENT

On the contrary, in its positive sense, regionalism implies an idea of searching the self identity of the people of that particular area. In other sense it is rather a separate demand for protecting and preserving racial, linguistic and economic interest of a group of people belonging to a nation. To be precise, Regionalism is in fact, is a movement of a Sub-nationality against a prevailing nationality. It is often distinguished by a particular racial, linguistic or religious group settled in a particular part of the country which demands either separation or sovereignty of special constitutional, administrative, economic or political status for themselves to the exclusion of the rights and interest of other communities and takes recourse to necessary political measures with a view to coercing the authorities to accede to their demands, then that movement is certainly a regionalist movement. Hence, regionalism is the other name of distinctive and restrictive political movement having no broad based liberal and democratic elements but in some cases it also had a clear objective of attaining separate statehood, as in the case of Gorkhaland and Telengan.

The regional movement is also considered as the 'diverse trend detrimental to national unity'. In popular parlance, it is supposed to be a synonym of provincialism, which breeds localism, isolationism and separatism. But regionalism is not always regarded as parochial anti-national movements. Historically it is found that the regional forces played a very glorified role against the anti-imperialist

forces to liberate the country on basis of national movement. It often fights against the oppressed forces of chauvinist big nations. Regionalism is thus a movement against social, political and economic deprivations and it is also a movement against the hegemonic groups who are dominant in the mainstream of the country as a whole.

It is important to note that regionalism in India, in its present form, has various connotations like 'provincialism', 'localism', 'son of the soil theory', 'disintegration of Indian States', struggle for separate statehood or provincial autonomy, struggle for more power, especially economic power etc. whatever may be the connotations, the concept of regionalism has now become a separatist movement in different parts of India in various forms. India is now infected with regional upsurge of different kinds like geographical regionalism, linguistic regionalism, cultural regionalism, ethnic regionalism and so on.

In this scenario, it can be stated that it is very difficult to provide an acceptance to a particular definition of regionalism. However it can further be added that the process of state formation in India is going on which can be claimed by the fact that after independence, there were not as many States and union territories but at present there are 28 States and 8 Union territories. One of the most significant factors contributing to the process of State construction in India is regionalism and has further quicken the growth of this process in the Indian society.

CONCLUSION

Regionalism as a phenomenon in the Indian political system is not new. Regionalism has remained perhaps the most potent force in Indian politics ever since 1947, if not before. Regionalism is rooted in India's manifold diversity of languages, cultures, tribes, communities, religions and so on, and encouraged by the regional concentration of those identity markers, and fuelled by a sense of regional deprivation. For many centuries, India remained the land of many lands, regions, cultures and traditions. The basic point that highlights in this respect is that internal self-determination of community, whether linguistic, tribal, religious, regional, or their combinations, has remained the principal form in which regionalism in India has sought to express itself, historically as well as contemporaneously. In the pre-independence period it was applied by the British imperialist, as they intentionally encouraged the people of various regions to think in terms of their region rather than the nation as a whole, with an aim to maintain their hold over India during the national movement.

REFERENCE

1. *Abbi, B.L., 1984, North East Region- Problems and Prospects of Development, Chandigarh, p. 157.*
2. *Abdullah, Sheikh Mohammad, 1992, Kashmir and National Integration, Mainstream, Annual Number, November 14, p. 162.*
3. *Abraham, Amrita, 1979, Maharashtra: Gendarme of Bourgeoisie, Economic and Political Weekly, Vol. XIV, No. 15, April, p. 112.*
4. *Aiyar, S.P. 1965, Studies in Indian Democracy, Bombay, p. 141.*
5. *Azara, Kousar J., 1981, Political Aspects of National Integration, Meerut, p. 113.*
6. *Danda, Ajit K., 1992, Ethnicity and Social Transformation in North East India, Man in India, Vol. 72, No. 2, p. 96.*

बालक-बालिकाओं के संवेगात्मक बुद्धि पर माता-पिता के सम्बन्धों का प्रभाव: एक अध्ययन

प्रीती कुमारी

शोध-छात्रा, स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

प्रस्तावना

किसी घटना के प्रति बालक-बालिकाओं की प्रतिक्रियाओं को संवेग कहा जाता है। स्नेह, प्यार, प्रेम, खुशी, आश्चर्य जैसे सकारात्मक संवेग व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से क्रियायें करने के लिए प्रेरित करते हैं एवं क्रोध, भय, दुःख, घृणा, कामवासना जैसे नकारात्मक संवेग व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से प्रतिक्रियायें करने के लिए उत्साहित करते हैं। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य बालक-बालिकाओं की उस समग्र क्षमता से है जो उसे उसकी विचार प्रक्रिया का उपयोग करते हुए अपने तथा दूसरे के संवेगों को जानने-समझने तथा उसका सर्वोत्तम प्रबन्धन करने में उसकी सहायता करती है। संवेगात्मक बुद्धि स्वयं के संवेगों को, दूसरे के संवेगों को तथा समूह के संवेगों को चिन्हित करना, मूल्यांकन करना तथा नियन्त्रित करने की योग्यता है। विद्वानों के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि में तर्क निहित है परन्तु यह संज्ञानात्मक बुद्धि नहीं कही जा सकती है। सेलोवे तथा मेयर के अनुसार, "चिन्तन को सुगम बनाने हेतु संवेगों के प्रत्यक्षन, अवबोध, प्रबंधन व प्रयोग की योग्यता संवेगात्मक बुद्धि है।" संवेगात्मक बुद्धि सामाजिक बुद्धि का एक समुच्च्य होता है, जिसमें स्वयं तथा अन्य की भावनाओं और संवेगों को नियंत्रित करने, पृथक् करने और सूचना के अनुसार व्यक्ति के चिन्तन और क्रियाओं को निर्देशित करने की क्षमता निहित होती है। संवेगात्मक बुद्धि में संवेगों के प्रत्यक्षीकरण करने, संवेगों के प्रति पहुँच बनाने एवं उसे उत्पन्न करने की क्षमता शामिल होती है जिससे कि चिन्तन में सहायता हो सके, संवेग को समझा जा सके तथा उसे चिन्तनशील तरीके से नियमित किया जा सके।

संवेगात्मक बुद्धि संवेगों एवं उनके कारणों को समझने की योग्यता है। यह अपने भीतर और दूसरों में संवेगों को प्रभावशाली ढंग से नियमित करने की योग्यता है तथा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह समस्या हल करने के लिए सूचना का स्रोत, सृजनात्मक एवं सामाजिक स्थितियों से निपटने के लिये प्रयुक्त करने योग्य है।

संवेगात्मक बुद्धि की इस श्रेणी की परिभाषाएँ कुछ विशेषताओं के माध्यम से संवेगात्मक बुद्धि की विवेचना करती है। सेलोवे तथा मेयर की परिभाषाएँ योग्यता पर ही आधारित हैं— इन्होंने अपनी पुस्तक इमोशनल डेवलपमेंट एण्ड इमोशनल

बुद्धि (1997) में निम्न रूप में परिभाषित किया— "संवेगात्मक बुद्धि को ऐसी क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें संवेगों को तार्किक ढंग से प्रत्यक्षीकरण करना, उसे अपनी विचार प्रक्रिया में एकीकृत करना, उसे समझना तथा उसके प्रबन्धन से है।" जॉन डी मेयर तथा पीटर सेलोवे (1990) ने संवेगात्मक बुद्धि को निम्न प्रकार परिभाषित किया— "संवेगात्मक बुद्धि एक योग्यता है जिसमें हम अपने स्वयं तथा अन्य व्यक्तियों की भावनाओं एवं संवेगों का अनुवीक्षण करते हैं। इन सूचनाओं के आधार पर उनमें अन्तर करते हैं और अपने कार्यों एवं चिन्तन को निर्देशित करते हैं।"

परिभाषा पर विचार करे तो स्पष्ट होता है कि हम सभी में अपने संवेगों से निपटने हेतु अलग-अलग ढंग की क्षमता और योग्यता पायी जाती है और उसी के अनुरूप एक समूह से दूसरों की तुलना में किसी भी व्यक्ति विशेष की संवेगात्मक बुद्धि की दृष्टि से अधिक या कम बुद्धिमान माना जाता है। एक व्यक्ति को उतना ही संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान माना जाता है जितना कि क्षमता और योग्यता वह निम्न रूपों में प्रदर्शित करता है—

- अपने स्वयं के संवेगों की सही जानकारी।
- दूसरों की शारीरिक भाषा, मुख, मुद्रा, बोलने के अन्दाज द्वारा संवेगों को पहचानना।
- दूसरों के संवेगों को पहचानकर अपनी विचार प्रक्रिया
- अपने संवेगों तथा भावनाओं का समस्या समाधान विश्लेषण करना, निर्णय लेना आदि में विचार प्रक्रिया शामिल करना।
- संवेगों की प्रकृति उसकी तीव्रता तथा परिणामों से अवगत रहना।
- संवेगों की अभिवृत्ति तथा उस पर नियन्त्रण कर सकना तथा उन्हें अपने स्वयं के तथा दूसरों के हित चिन्तन, आपसी मेल-जोल तथा भाईचारे हेतु प्रयोग में लाने की क्षमता।

गोलमैन (1995) के अनुसार, संवेगात्मक बुद्धि में स्वयं को अभिप्रेरित करने तथा निराशा मिलने पर उसे बनाए रखने, आवेगों को नियंत्रित करने व उनकी सन्तुष्टि को विलम्बित करने, अनुभूति व्यक्त करने अथवा आशा करने की योग्यताएँ शामिल हैं। गोलमैन ने उक्त परिभाषा के आधार पर 'संवेगात्मक बुद्धि' के पांच आयामों का उल्लेख किया जिनका कार्य जगत की परिस्थितियों में मानव व्यवहार को समझने की दृष्टि से विशेष महत्व है।

संवेगात्मक बुद्धि की विशेषताएँ

गोलमैन ने 1998 में अपनी पुस्तक 'Emotional Intelligence: Why it matters more than I.Q.' में कहा कि 'संवेगात्मक बुद्धि अपनी एवं दूसरों की भावनाओं को पहचानने, अपने आप को अभिप्रेरित करने तथा अपने आप के साथ और दूसरों के सम्बन्ध में संवेगों के प्रबन्धन की क्षमता है।'

संवेगात्मक बुद्धि की विलक्षणता

'संवेगात्मक बुद्धि' में बुद्धि की आम अवधारणा में परिलक्षित पुरुष प्रधान गुणों के प्रति झुकाव को सन्तुलित करते हुए 'पुरुष' एवं 'महिला' दोनों ही के गुणों के समन्वय का प्रयास किया गया है जिससे यह अवधारणा अपनी प्रकृति में उभयलिङ्गता का परिसूचक बन जाती है। यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि 'संवेगात्मक बुद्धि' की अवधारणा के अधिकांश घटक भारतीय संस्कृति एवं परम्परा में महत्वपूर्ण माने जाते रहे हैं।

किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास

किशोरावस्था में शारीरिक विकास, विशेषकर यौन परिपक्वता तूफानी वेग से प्रकट होती है। इस अवधि में शरीर का विकास तीव्र गति से होता है तथा शरीर में अनेक परिवर्तन होने लगते हैं। इस कारण किशोर-किशोरियों के संवेग भी प्रभावित होते हैं। उनके संवेगों में अस्थिरता की मात्रा बढ़ जाती है। किशोरावस्था में संवेगों पर नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। फलतः किशोर का व्यवहार जटिल हो जाता है। पी.टी. यंग के अनुसार— "संवेग मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है जिसके अन्तर्गत व्यवहार, चेतन, अनुभव तथा अंतरंग क्रियाएँ सम्मिलित रहती हैं।" क्रो तथा क्रो ने लिखा है— "एक संवेग इस प्रकार से एक भावात्मक अनुभव है जो व्यक्ति में सामान्यीकृत आन्तरिक समायोजन और मानसिक तथा शारीरिक रूप से उत्तेजित दशाओं के साथ-साथ होता है और वह उसके व्यवहार में दिखाई देता है।"

भावना-प्रधान जीवन

बालक-बालिकाओं का व्यक्तित्व भाव-प्रधान होता है, उसमें 'आत्म-सम्मान का स्थायी भाव' की प्रवृत्ति की प्रबलता स्पष्ट दिखाई देती है, वह किसी भी प्रकार अपने आत्म-सम्मान पर चोट सहन नहीं कर सकता। जिज्ञासा प्रवृत्ति की प्रबलता —

किशोरावस्था में किशोर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जिज्ञासा प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति करता है। इस प्रवृत्ति से प्रेरित होकर वह 'क्या है' का उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं होता बल्कि वह 'क्यों' और 'कैसे' का उत्तर जानकर ही संतुष्ट होता है, इस प्रवृत्ति से प्रेरित होकर उसमें वैज्ञानिक खोज तथा अन्वेषण की भावना का विकास होता है।

कल्पनाशील जीवन

किशोरावस्था में किशोर अपनी प्रबल मूल प्रवृत्तियों एवं संवेगों की अभिव्यक्ति दिवा-स्वप्नों के रूप में करता है। किशोर काल्पनिक जगत में विचरण करता रहता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किशोर में आत्मचेतना, विद्रोह, विपरीत लिंग में रुचि और आदर्शवाद की अधिकता देखने को मिलती है। हॉल ने जहाँ एक ओर इस अवस्था को 'संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था' की संज्ञा दी है, वहीं दूसरी ओर कहा है कि— "किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है।"

माता-पिता सम्बन्ध एवं बालक-बालिकाओं में संवेगात्मक बुद्धि

परिवार एक ऐसा वातावरण है जहाँ बच्चे अपने संवेगों का उपयोग करने और भौतिक दुनिया को समझने और उनका सामना करने के लिए सीखता है। परिवार एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे यह सीखते हैं कि रिश्ते कैसे काम करते हैं? अपने माता-पिता, दादा-दादी, भाई-बहनों और परिवार के बांकी सदस्यों को देखकर वे यह समझने का प्रयास करते हैं कि सभी एक-दूसरे के साथ किस प्रकार सामंजस्य बनाते हैं। परिवार में व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है जीवन के मूल्य जानने के लिए और व्यक्ति बनने के लिए आवश्यक शक्ति प्राप्त करता है। जब बालक बड़ा होता है वह लोगों का सम्मान करना सीखता है, जो उसके करीब रहते हैं। बालक अपने माता-पिता के आज्ञा का पालन करते हैं और उनके द्वारा दिये गये जीवन्त उदाहरणों को अपनाकर जीवन में अपना रास्ता चुनते हैं।

एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार के बच्चे जीवन में सहयोग एवं समायोजन करना सीखते हैं और भविष्य का निर्माण सही रूप में करते हैं। सांख्यिकीय आँकड़ों के आधार पर जिस परिवार में माता या पिता एक होते हैं उनके बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में खुशी का अनुभव कम करते हैं। वर्तमान समाज के संदर्भ में स्वस्थ परिवार के रिश्तों के महत्व को समझना अतिआवश्यक है। परिवार में कैरियर तथा वित्तीय स्थिति खुशी नहीं ला सकता है जितनी खुशी परिवार की निकटता प्रदान करती है। परिवार में ही बालक जिम्मेदारी, दया, सहिष्णुता, सहानुभूति आदि संवेगों को धारण करता है। संवेग के बारे में मैकडूगल ने कहा है कि संवेग अनुभव का एक ढंग है, कार्य करने का एक तरीका है, क्रियाशीलता का एक तरीका है। इस कथन की सार्थकता किशोरावस्था के संवेगात्मक विकास में पायी जाती है। किशोर अनुभव को प्रकट करता है और अनुभव भी करता है, साथ ही साथ अत्यधिक क्रियाशील भी होता है। इस क्रियाशीलता के कारण बालक-बालिकाओं के संवेगों में अस्थिरता पायी जाती है जैसा कि शैशवावस्था में पाया जाता है। बालक-बालिकाओं के संवेगों में अस्थिरता होने से उसे समायोजन करने की समस्या का सामना करना पड़ता है। वह अनुकूल परिस्थितियों में प्रोत्साहन पाता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में निराशा पाता है। यह निराशा आत्महत्या की भावना एवं क्रिया तक पहुँच जाती है। इस सम्बन्ध में बी0एन0 झा महोदय का कथन उपयुक्त है, उनके मतानुसार— किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास इतना विचित्र होता है कि किशोर एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। एक अवसर उसे उल्लास से भर देती है, वही परिस्थिति दूसरे अवसर पर उसे खिन्न कर देती है। किशोरावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति का ढंग ही कुछ बदला हुआ होता है। किशोर की संवेगात्मक अभिव्यक्ति उसकी शारीरिक अभिवृद्धि, ज्ञान, अनुभव एवं रुचियों पर आधारित होती है। हरलॉक ने संवेगों की परिवर्तनशीलता के बारे में लिखा है— संवेगात्मकता व्यक्ति का स्वास्थ्य दिन के समय वातावरण सम्बन्धित प्रभाव और कारकों पर आश्रित रहने की वजह से समय-समय पर परिवर्तित होता रहता है। किशोरावस्था में यौन अंगों का तीव्र विकास होने के कारण प्रेम व स्नेह नामक संवेग अधिक बढ़े हुए रूप में होता है। यह संवेग विषम लिंगीय के प्रति आकर्षण के रूप में अभिव्यक्त होता है। शारीरिक शक्ति एवं संवेगात्मक विकास में उच्च सहसम्बन्ध पाया जाता है। इसीलिए सबल एवं सशक्त किशोरों में संवेग अधिक स्थिर एवं तीव्र होते हैं, और उनकी अभिव्यक्ति में भी तीव्रता पायी जाती है। इसके विपरीत अस्वस्थ और निर्बल किशोरों में संवेग निर्बल और अधिक अस्थिर पाये जाते हैं उनका प्रकाशन दबा-दबा सा होता है।

निष्कर्ष

संवेगात्मक बुद्धि का संबंध सामाजिक बुद्धि से है जहाँ व्यक्ति विभिन्न संवेगों का प्रत्यक्षीकरण अपनी क्षमता के अनुसार करता है। व्यक्ति की अपनी योग्यताएँ उसके संवेगात्मक बुद्धि के समुचित उपयोग के लिए उत्तरदायी होती है। संवेगात्मक बुद्धि अपनी एवं दूसरी की भावनाओं को पहचानने, अभिप्रेरित करने तथा संवेगों के प्रबंधन की क्षमता है। जहाँ तक किशोरावस्था

के बालक-बालिकाओं में संवेगात्मक विकास की बात है यह अति आवश्यक जान पड़ता है क्योंकि किशोरावस्था में संवेगों की अस्थिरता की मात्रा बढ़ जाती है और संवेगों पर नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है, जो सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था की संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था की संज्ञा भी दी है। बढ़ती संवेगात्मक अस्थिरता किशोरों में विभिन्न समस्याओं को भी उत्पन्न करती है। कभी-कभी यह स्थिति भयावह भक्ति दिखलाई पड़ती है। माता-पिता के आपसी संबंध का प्रभाव भी किशोरावस्था के बालक-बालिकाओं के संवेगात्मक बुद्धि पर पड़ता है। पारिवारिक वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के संवेगात्मक बुद्धि में परिवर्तन कर सकता है। इस प्रकार का परिवर्तन किशोर विचित्र अभिव्यक्तियों जैसे— प्रेम, स्नेह, सहानुभूति आदि के माध्यम से सकारात्मक रूप में प्रदर्शित करता है। किशोर की संवेगात्मक अधिव्यक्ति उसकी शारीरिक अभिवृद्धि, ज्ञान, अनुभव एवं रुचियों पर आधारित होती है। इस प्रकार संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति/किशोर की सामाजिक दृष्टि से वांछनीय क्रियाओं तथा अवांछनीय प्रक्रियाओं की ओर अग्रसित करता है और जब व्यक्ति संवेगों का प्रबंधन या नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है तो वह उसकी संवेगात्मक बुद्धि संतुलित मानी जाती है।

संदर्भ सूची

1. थॉमस, जे. एण्ड अन्य (2013). पैरेन्ट पर्सनॉलिटी एण्ड पॉजिटिव पैरेन्टिंग एज प्रेडिक्टर्स ऑफ पॉजिटिव एडोल्सेन्ट पर्सनॉलिटी डेवलपमेंट ओवर टाइम. Merrill Palmer Q (Qayne State Univ Press). 58(2) : 255-283
2. देब, सिबनाथ एवं अन्य (2015). रोल ऑफ होम इन्चार्जमेंट, पैरेन्टल केयर, पैरेन्ट्स पर्सनॉलिटी एण्ड देयर रिलेशनशिप टू एडोल्सेन्ट मेन्टल हेल्थ. जे. साइकोल साइकोथेर, साइकोलॉजी एण्ड साइकोथेरेपी, वाल्यूम-5, इश्यू-6, पृ 0 1-8
3. दीपिका एवं शीला (2016). इम्पैक्ट ऑफ फेमिली इन्चार्जमेंट ऑफ एडोल्सेन्ट्स एग्रीसेन्स. एडवान्स रिसर्च जर्नल ऑफ सोशल साइंस, वाल्यूम-7, इश्यू-2, पृ 225-229
4. नाघवी, फतनेह एवं रेडजॉन, मारुफ (2011). द रिलेशनशिप बिटविन जेण्डर एण्ड इमोशनल इंटेलिजेन्स. वर्ल्ड एप्लाइड साइंसेस जर्नल. 15(4). 555-561
5. नेहरा, सुमन (2014). रिलेशनशिप बिटविन ऐडजस्टमेंट एण्ड इमोशनल मैचुरिटी ऑफ प क्लास स्टूडेन्ट्स, एजुकेशनिया कनफ्रेंस, 3(2), पृ 67-75
6. पाठक, स्वेता (2012). पैरेन्टल मॉनिटरिंग एण्ड सेल्फ-डिस्कोजर ऑफ एडोल्सेन्ट्स. आई.ओ.एस.आर. जर्नल ऑफ ह्युमिनिटिज एण्ड सोशल साइंस, वाल्यूम-5, इश्यू 2, पृ 01-05
7. पामेला, एच. ऑलिवर एवं अन्य (2009). बिग पाइव पैरेन्टल पर्सनॉलिटी ट्रेट्स, पैरेन्टिंग बिहेवियर एण्ड एडोल्सेन्ट बिहेवियर प्राब्लम्स : ए मेडिटेशन मॉडल. पर्सनॉलिटी एण्ड इण्डीविजुअल डिफरेंसेस. 47, पृ 631-636

राजपूती शासन व्यवस्था में व्यापार एवं वाणिज्य

राम लक्ष्मण पासवान

शोधार्थी: इतिहास विभाग, ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

राजपूती शासन व्यवस्था में व्यापार एवं वाणिज्य की उन्नति में उसकी भौगोलिक स्थिति का काफी महत्त्व था। मूलतः सैनिक और व्यापारिक आवश्यकताओं ने राजस्थान के विभिन्न नगरों को देश के प्रमुख मार्गों से जोड़ रखा था।

एक तो राजस्थान की केंद्रीय स्थिति भारत के अन्य मार्गों से व्यापारिक संबंध जोड़ने में बड़ी सहायक सिद्ध हुई और दूसरे मुगलों के आने से नए सूबों का महत्त्व बढ़ने लगा। फलस्वरूप नई-नई "मंडियों" की स्थापना हुई। मुगल दरबार में और अन्य सूबों में भी राजस्थान के माल की माग थी। राजस्थान से चमड़े का सामान, लकड़ी का सामान, संगमरमर से बनी वस्तुएँ, बर्तन, घोड़े, ऊट आदि मुगल दरबार में या तो उपहार के रूप में भेजे जाते थे या तो खरीदे जाते थे।

राजस्थान में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के भी कई मार्ग थे। जोधपुर, चित्तौड़ और बयाना से सड़कें जाती थीं। अजमेर से कई सड़कें, आमेर, मेवाड़, पाली, मेड़ता, सिवाना, सांभर जाती थीं और चित्तौड़ से रणथंभौर जाने के मार्ग थे। साधारणतः राजस्थान के एक भाग से दूसरे भाग में जिन वस्तुओं का लेन-देन होता रहता था, वे थीं कपड़े, नमक, तंबाकू और अनाज आदि। जैसलमेर, फलौदा, अजमेर, आमेर, पाली मेड़ता आदि मंडियों से बंजारे दैनिक प्रयोग की वस्तुएँ सैकड़ों बैलों पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे। टॉड (Tod) के अनुसार ये काफिले कभी-कभी 40,000 बैलों के भी होते थे।¹

समकालीन साहित्य से पता चलता है कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में राजस्थान का स्थानीय व्यापार बड़ा व्यापक था। कुछ विशिष्ट वस्तुओं के लिए विशिष्ट बाजार होते थे जहाँ एक प्रकार की वस्तुएँ कई व्यापारी बेचते और खरीदते थे। पुष्कर, परवतसर, राजनगर और नागौर में विशेष रूप से पशुओं का मेला लगता था। ऊन के लिए जैसलमेर तथा बीकानेर, रुई के लिए कोटा, अफीम के लिए प्रतापगढ़ और जंगल से उपलब्ध लकड़ी आदि के लिए दक्षिण-पश्चिम राजस्थान प्रसिद्ध थे।²

उद्योग: 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के अंत तक राजस्थान में स्थानीय उद्योग-धंधे धीरे-धीरे विकास कर रहे थे। मुगलों से संपर्क स्थापित होने से उद्योग में कुछ परिवर्तन आए। गावों और कस्बे में कारीगरी तथा शिल्पी अपने पुराने पेशों को अपनाए हुए थे। राजस्थान में अभी तक बड़े पैमाने पर किसी उद्योग का विकास नहीं हुआ था। अधिकांश उद्योग वही थे जो पिता से पुत्रा को कई पीढ़ियों तक हस्तांतरित किए जाते रहे थे। फलस्वरूप देश के विभिन्न क्षेत्रों एक ही प्रकार का उद्योग चलाते रहने के कारण अपने-अपने उत्पादों के लिए मशहूर हो गए थे।

सूत्री वस्त्र उद्योग: मोटे सूती कपड़े की बुनाई का काम तो राजस्थान के लगभग प्रत्येक गांव में होता था। भीलवाड़ा, पाली, अजमेर सूत कातने और कपड़े बुनने, सांगानेर, भरतपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और कोआ में रंगाई, बधाई और छपाई का काम अच्छा होने लगा। जयपुर, सांगानेर की छपाई और रंगाई संपूर्ण उत्तर भारत में मशहूर थी। चुंदड़ी बाधने का काम जयपुर और जोधपुर में भी बहुत अच्छा होता था।

ऊन उद्योग: इस काल में ऊन इसके मुख्य केंद्र बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर के शेखावटी क्षेत्रों थे। बीकानेर तथा जैसलमेर के ऊनी कंबल एवं दरिया जयपुर का मालपुरा परगना ऊनी टोपियों और शाल के लिए अत्यंत प्रसिद्ध था।

धातु उद्योग: इस काल में राजस्थान के धातुकर्मी लोहे के प्रयोग से भली-भांति परिचित थे, तलवारें, छुरिया, बर्छे तथा अन्य हथियार बनाने में लोहे का मेवाड़ में कृपापुर, उदयपुर में गागरीन, कोटा में गिरधपुर और जोधपुर में मेड़ता विशेष प्रसिद्ध थे। इन्हीं स्थानों में तोप, बंदूकों एवं गोलियों का उत्पादन होता था। कृषि के औजार बनते थे, अपितु त्रिशूल, मूर्ति, लोहे, सीसे और तांबे की खानों के होने से धातु कार्य में राजस्थान ने बड़ी उन्नति कर ली थी।³

आभूषण: सोने-चांदी के आभूषणों में जयपुर, कोटा, नाथद्वारा आदि स्थानों में जड़ाई और मीनाकारी का काम बहुत उत्कृष्ट होता था। लाल रंग की मीनाकारी जयपुर की मुख्य विशेषता थी। लाख का उद्योग काफी प्रचलित था। इसका सर्वाधिक प्रयोग चूड़िया बनाने में किया जाता था।

पत्थर उद्योग: पत्थर का काम राजस्थान में सदियों से चला आ रहा है। इस कला की उत्कृष्टता का प्रमाण हमें आमेर, उदयपुर, आबू और जैसलमेर आदि स्थानों के मंदिरों से या इनके अवशेष से स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं।

कागज बनाने का उद्योग: कागज बनाने का उद्योग यद्यपि अधिक उन्नत नहीं था, यहाँ हाथ से कागज बनते थे जिनका उपयोग बहीखाते और दस्तावेज लिखने में होता रहा है। यह कागज अपनी मोटाई और मजबूती तथा प्रसिद्ध था। सांगानेर का कागज चित्रकला के लिए बहुत अच्छा माना जाता था।

चमड़ा उद्योग: इस काल में राजस्थान में चमड़े से घोड़े के लिए काठी तथा लगाम, तलवार के लिए मियान, जूते, मशकें आदि वस्तुएँ बनाई जाती थीं। इस उद्योग ने काफी उन्नति कर ली थी।

नमक उद्योग: वस्तुतः सदियों में राजस्थान में नमक उद्योग के कई केंद्र थे जो न केवल स्थानीय मार्गों की पूर्ति करते थे बल्कि आसपास के प्रदेशों की माग भी पूरी करते थे। बढ़िया किस्म का नमक राजस्थान में सांभर, डीडवाना, फलौदी, पंचमट्टा में पाया जाता रहा है। बीकानेर, जोधपुर और जयपुर के नमक पर लगाए गए कर से खूब लाभ होता था। कृषि प्रधान समुदाय में घरेलू उद्योग-धंधे का क्षेत्र स्थानीय माग की पूर्ति करने तक ही सीमित रहा। कुम्हार, सुनार व बुनकर इत्यादि अपना सामान तैयार कर सीधे ही ग्राहकों को बेच दिया करते थे। अपेक्षाकृत बड़े व्यापारियों को राज्य की ओर से सुरक्षा का प्रबंध रहता था किंतु माल इकट्ठा करने की सुविधा तथा परिवहन और सुरक्षित मार्गों के अभाव के कारण राजस्थान में इस काल में व्यापारिक गति मंद थी। अतः आर्थिक विकास उस रूप में न हो पाया जैसा कि बंगाल व गुजरात में हुआ था।⁴ तत्कालीन स्रोतों से यह स्पष्ट होता है कि सत्राहवीं-अठारहवीं शताब्दी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब रूपयों की आवश्यकता होती थी तो "हुंडी" के माध्यम से रुपया भेज दिया जाता था। "हुंडी" स्वदेशी बैंकर द्वारा जारी किया गया भुगतान-पत्रा होता था जिसके आधार पर एक स्थान के व्यापारी को रुपये देकर दूसरे स्थान के व्यापारी से रुपए ले लिए जाते थे। 1639 से 1728 ई0 के राजस्थानी अर्जदाशतों से यह स्पष्ट होता है कि राजधानी से दूर रह रहे राजाओं के लिए भी रुपया हुंडी के माध्यम से भेजा जाता था। उपलब्ध सामग्री से पता चलता है कि ब्याज की दर काफी ऊँची थी। यह दर कहीं वार्षिक 10 प्रतिशत और कहीं 36 प्रतिशत होती थी।⁵

हेमचन्द्र कृत प्रबन्धचिन्तामणि में सत्राह प्रकार के 'धान्यों' का उल्लेख मिलता है। शून्य पुराण से पता चलता है कि बंगाल में पचास से भी अधिक प्रकार के चावल का उत्पादन किया जाता था।⁶ हिरण्य, नकद वसूल किया जाने वाला कर था। उपरिपर तथा उद्वंग भूमि पर अस्थाई तथा स्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था। लल्लन जी गोपाल का विचार है कि उपरिपर तथा उद्वंग का उल्लेख ही अर्थशास्त्रा में उपविलप्त (अनिश्चित अथवा अतिरिक्त कर) तथा विलप्त (निश्चित कर) के रूप में किया गया है।⁷ उनके अनुसार कृषक राज्य की भूमि की सिंचाई के लिये जल के भाग के रूप में कर देते थे। इसे ही 'उदकभाग' कहा गया है। उन्होंने सिंचाई के लिये लगाने वाले करों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया है।⁸ राजा भूमि का स्वामी होने के कारण उसकी उपज का अपना भाग नियमित रूप से प्राप्त करता था जब कि कृषक उसका स्वामी होने के कारण अपनी इच्छा तथा सुविधा के अनुसार उसका उपयोग करता था। गाहड़वाल तथा कलचुरि लेखों में विभिन्न करों की एक लम्बी सूची मिलती है जिनमें से कुछ का अर्थ अस्पष्ट है। इन्हीं में से एक 'तुरुषकदण्ड' नामक कर था जो मुस्लिम जनता से लिया जाता था। फुटकर सामानों की बिक्री करने वाले व्यापारी 'प्रवणिकर' देते थे। राजपूत शासकों ने कृषि के लिये सिंचाई की उत्तम व्यवस्था करवाई थी। इस उद्देश्य से उन्होंने कई कुएँ, तालाब, झीलें, नहरों आदि का निर्माण करवाया था। अब सिंचाई में तकनीकी निपुणता प्राप्त कर ली गयी थी।⁹

व्यापार-व्यवसाय के लिए यातायात की सुविधा के लिए देश के प्रमुख नगरों को सड़कों द्वारा जोड़ दिया गया था। तत्कालीन साहित्य तथा लेखों में विभिन्न प्रकार के उद्यमियों जैसे-तैलिक, रथकार, बढई, ताम्बूलिक, मालाकार, कलाल (सुरा बेचने वाले) आदि का उल्लेख मिलता है। इस युग के अधिकांश नगरों के निर्माण में विशाल पाषाणखण्डों का प्रयोग हुआ है। इससे ऐसा लगता है कि पत्थर तराशने का उद्योग भी काफी विकसित दशा में रहा होगा। लोहे के अस्त्रा-शस्त्रा एवं धातुओं के बर्तन तथा आभूषण बनाने का व्यवसाय भी प्रगति पर था। अल्बेरूनी जूते बनाने, टोकरी बनाने, ढाल तैयार करने, मत्स्य-पालन, कताई-बुनाई, आदि का उल्लेख करता है।¹⁰

राजपूत युग में आन्तरिक तथा वाह्य दोनों ही व्यापार प्रगति पर थे। अल्बेरूनी भारत के प्रमुख नगरों को जोड़ने वाले मार्गों का विस्तारपूर्वक उल्लेख करता है। स्थल मार्ग के अतिरिक्त जलमार्ग भी थे। बड़े-बड़े नगर नदियाँ से जुड़े हुए थे। वाह्य देशों के साथ समुद्र के माध्यम से व्यापार होता था। भारतीय मालवाहक जहाज अरब, फारस, मिस्र, चीन, पूर्वी द्वीपसमूह आदि को जाया करते थे। पश्चिमी एशिया तथा मिस्र से अरब व्यापारी तथा सौदागर भारत पहुँचते थे। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस युग में अतिरिक्त उत्पादन के अभाव ने दूरवर्ती देशों के साथ व्यापार को प्रभावित किया तथा यह सीमित हो गया। निरन्तर युद्धों के कारण भी व्यापार की प्रगति में बाधा पहुँची थी। आर्थिक क्षेत्रों में हमें इस समय साहूकारों का महत्त्व बढ़ा हुआ पाते हैं। कारण कि अब ऋण पर ब्याज की दर पच्चीस से तीस प्रतिशत तक हो गयी और इससे सूदखोर लोग अत्यधिक समृद्ध हो गये। विद्वानों ने आर्थिक विकास की दृष्टि से पूर्व मध्यकाल को दो चरणों में विभाजित किया है। प्रथम चरण (650-1000 ई0) में सिक्कों तथा मुहरों का घोर अभाव है। इस कारण इसे आर्थिक दृष्टि से पतन का काल निरूपित किया गया है। अनवरत युद्धों तथा सामन्तों के अत्यधिक प्रभाव के कारण व्यापार-वाणिज्य की प्रगति को ठेस पहुँची। क्षेत्रीयता की भावना प्रबल हुई तथा सामाजिक गतिशीलता अवरुद्ध हो गयी। सामन्तों ने आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को ही प्रोत्साहन प्रदान किया। सामन्त शासक अपने-अपने राज्यों में व्यापारियों से चुंगी वसूल करते थे जिससे उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाने में काफी कठिनाई होती थी। आवागमन के मार्ग भी सुरक्षित नहीं थे। कुछ सामन्त भी चोर-डाकुओं के साथ मिलकर व्यापारियों को लूटते थे। चन्देल वंश के कुछ दान पत्रों से पता चलता है कि भूमि के साथ-साथ व्यापारियों को भी धार्मिक अनुदान भोगियों को हस्तान्तरित किया जाता था। व्यापारियों की हीन स्थिति का संकेत स्कन्द पुराण के इस कथन में भी मिलता है कि 'कलियुग में व्यापारियों की संख्या राजपुत्रों पर आश्रित हो जाने के कारण कम हो जायेगी।' इन सभी कारणों से व्यापार-वाणिज्य का मार्ग अवरुद्ध हो गया। राष्ट्रकूट अथवा पाल राजाओं के सुदृढ़ शासन के बावजूद उनके कोई सिक्के हमें नहीं मिलते। किन्तु ग्यारहवीं-बारहवीं शती (1000-1200 ई0) में जब कुछ बड़े राजपूत राज्यों-चौहान, परमार, चन्देल आदि-की स्थापना हुई और राजनैतिक विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति पर अंकुशल लगा तो व्यापार-वाणिज्य का पुनरुत्थान हुआ। इन वंशों के शासकों ने इसे प्रोत्साहन प्रदान किया। परमार शासक भोज की व्यापार-वाणिज्य में गहरी अभिरुचि का प्रमाण उसकी रचना युक्तिकल्पतरु से मिलता है जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यापारिक जहाजों का विवरण दिया गया है। दो प्रकार के जहाजों-नदी मार्ग से होकर जाने वाले तथा समुद्री मार्ग से होकर जाने वाले, का उल्लेख मिलता है। जहाजों के निर्माण का विवरण देते हुए इसमें बताया गया है कि तख्तों को लोहे की कीलों के बजाय रस्सी से जोड़ना चाहिए क्योंकि कील लगी होने से जहाज को चुम्बकीय चट्टानें अपनी ओर खींच सकती है। इस विवरण से जहाजरानी उद्योग के समुन्नत होने का भी प्रमाण मिलता है। प्रबन्धकोश से पता चलता है कि राज्य व्यापारियों एवं व्यवसायियों की सुरक्षा के निमित्त सैनिक सहायता भी प्रदान करता था। व्यापारी बहुत अधिक कर प्रदान करते थे। यही कारण है कि बारहवीं शती की कुछ रचनाओं में वणिक् वर्ग को 'राजा का कोष' कहा गया है। चौलुक्य नरेश कुमारपाल ने संभवतः वणिजों से मधुर संबंध बनाये रखने के उद्देश्य से ही जैन धर्म को शासकीय संरक्षण प्रदान किया था। क्य क्योंकि अधिकांश व्यापारी एवं व्यवसायी उसी के अनुयायी थे। ग्यारहवीं-बारहवीं शती में व्यापार-वाणिज्य का जो पुनरुत्थान हुआ उसका एक कारण उत्पादन अधिशेष को भी माना जा सकता है। मध्य तथा पश्चिमी भारत में गन्ना, कपास तथा सन जैसी नकदी फसलों की खेती प्रभूत मात्रा में होने लगी। इनसे तैयार वस्तुओं को देहाती सौदागर खरीदकर बन्दरगाहों में भेजते थे जहाँ से उनका निर्यात किया जाता था। मार्कोपोलो के विवरण से पता चलता है कि गुजरात में कपास के पौधों से काफी रूई निकलती थी। व्यापार-वाणिज्य की प्रगति के कारण ही हमें पूर्व मध्यकाल के द्वितीय चरण में सिक्के तथा मुहरें बड़ी संख्या में मिलने लगती हैं। सिक्का प्रचलित करने का कार्य सत्रप्रथम गहड़वाल वंश के शासकों ने किया। मदनल (1102-11 ई0) के 'द्रम्म' नामक सिक्के मिलते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के लगभग चार शताब्दियों बाद डाहल (त्रिपुरी) के कलचुरि नरेश गांगेयदेव (1019-1040 ई0) ने स्वर्ण सिक्कों का निर्माण प्रारम्भ किया। उसके उत्तराधिकारियों के भी सिक्के मिलते हैं। कुछ ताम्र सिक्कों पर 'हनुमान' की आकृति मिलती है। तत्पश्चात् चन्देल शासकों-कीर्तिवर्मा, मदनवर्मा, परमर्दि एवं त्रैलोक्यवर्मा, गहड़वाल गोविन्दचन्द्र, चौलुक्य जयसिंह सिद्धराज, परमार उदयादित्य आदि ने भी स्वर्ण सिक्के निर्मित करवाये। स्वर्ण के साथ-साथ रजत, कांस्य तथा ताम्र सिक्के भी ढलवाये गये। कलचुरि तथा चन्देल सिक्कों पर

लक्ष्मी की भी आकृति मिलती है। मुहम्मद ने भी लक्ष्मी प्रकार के सिक्के ढलवाये थे। चाहमानों को भी बहुत से सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। इस समय हजारों की संख्या में प्राप्त गधैया सिक्कों में अधिकांश गुहिलों और चाहमानों के हैं। अक्षरांकित गधैया सिक्कों को ग्यारहवीं शती से पहले का नहीं माना जा सकता। पूर्व मध्यकालीन साहित्य तथा लेखों में सिक्कों के लिये विविध नाम-दीनार, द्रम्म, रूपक, कार्षापण, विंशोपक, विंशतिका आदि दिये गये हैं। विंशोपक या विशोयक, रूपक (सिक्का) का बीसवां भाग था जो संभवतः ताँबे का होता था। मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मालवा तथा गुजरात में जो सिक्कों का प्रचलन पुनः प्रारम्भ हुआ उसका संबंध व्यापार-वाणिज्य की प्रगति जोड़ा जा सकता है। अब दुकानदारों तथा व्यापारियों से कर नकद लिया जाने लगा। ग्यारहवीं शती से भारत का विदेशों के साथ व्यापार पुनः तेज हो गया। कोंकण क्षेत्रों के व्यापारी सुदूर विदेशों को जाते थे तथा वहाँ के शासकों को व्यापारियों से काफी कर मिलता था। चीन के साथ भी भारत का व्यापार प्रारम्भ हो गया। मार्कोपोलो कई भारतीय जहाजों का उल्लेख करता है जो माल लेकर चीन के फूचो बन्दरगाह पर उतरते थे। पश्चिमी तट पर कई बन्दरगाहों का उल्लेख मिलता है जहाँ अरब तथा चीन के व्यापारी आते थे। भारत से मोटे कपड़े, शकर, अदरख आदि भी चीन भेजे जाते थे। भारतीय सामानों के लिये चीन को ढेर सारी स्वर्ण मुद्रायें भारत को देनी पड़ती थी। चाऊ-जू-कुआ के विवरण से पता चलता है कि अपनी आर्थिक दशा सुधारने के लिये चीन को बारहवीं शती में मालवार तथा क्विलोन के साथ अपना व्यापार प्रतिबन्धित करना पड़ा था।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि राजपूत युग में देश की अधिकांश सम्पत्ति मन्दिरों में जमा थी। इसी कारण मुस्लिम विजेताओं ने मन्दिरों को लूटा तथा अपने साथ बहुत अधिक सम्पत्ति एवं बहुमूल्य सामग्रियाँ ले गये। कहा जाता है कि महमूद गजनवी अकेले सोमनाथ मन्दिर से ही बीस लाख दीनार मूल्य का माल ले गया था। इसी प्रकार मथुरा की लूट में भी उसे अतुल सम्पत्ति प्राप्त हुई थी। नगरकोट की लूट में प्राप्त सिक्कों का मूल्य सत्तर हजार दिरहम (दीनार) था।

संदर्भ सूची

1. अकबरनामा अबुल फजल भाग-1, पृ0 7-14 व भाग
2. पृ0 517 2 . डॉ0 गोपीनाथ शर्मा , राजस्थान का इतिहास, पृ0 495
3. डॉ0 मांगीलाल ब्यास मयंक, जोधपुर का इतिहास, पृ0 243
4. वही, पृ0 244
5. वही, पृ0 584
6. हरिश्चंद्र वर्मा, मध्यकालीन भारत, भाग-2, (1540-1761), पृ0 579
7. द इकोनामिक लाइफ ऑफ नार्दन इण्डिया, पृ0-41
8. एस्पेक्टस ऑफ हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन ऐन्वोन्ट इण्डिया, पृ0-170-180
9. हरिश्चन्द्र वर्मा, उपर्युक्त, पृ0 582
10. वही, पृ0 583 11. वही, पृ0 584 12. वही,

1967 से बिहार की राजनीति में हाशिये पर जाती रही कांग्रेस

डॉ० मुकेश कुमार

व्याख्याता, राजनीतिविज्ञान विभाग, संत कबीर महाविद्यालय, समस्तीपुर।

सूबे में पहले विधानसभा चुनाव 1951 से लेकर 1962 तक कांग्रेस सत्तासीन रही। ऐसा भी नहीं था कि उस समय कोई विपक्षी दल अस्तित्व में नहीं थी, लेकिन कांग्रेस का प्रभाव इतना जबर्दस्त था कि कोई दल उनके कार्यकर्ताओं के समक्ष टिक ही नहीं पाती थी। लेकिन 1967 आते-आते देश की सबसे पुरानी पार्टी बिहार में अवसान की ओर चलती चली गई। प्रस्तुत शोध पत्र में हमने कांग्रेस पार्टी के घटते जनाधार को आंकड़ों के माध्यम से विश्लेषित करने की कोशिश की है।

बिहार विधानसभा का पहला चुनाव 1951 में हुआ। उस समय बिहार में कुल 330 सीटें थी। इसके लिए 1594 उम्मीदवार मैदान में थे। कुल 42.60 फीसद मतदान हुआ था। कुल 1 करोड़ 81 लाख 58 हजार 956 वोटों में से 95 लाख 48 हजार 835 मतदाताओं के वोट गिनती में शामिल किये गए थे। राज्य में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आयी थी। कांग्रेस को उस समय कुल मतदान का 42.16 फीसद वोट हासिल हुआ था। दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में सोशलिस्ट पार्टी उभरकर सामने आयी थी। जबकि तीसरी बड़ी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। यहां एक बात और अहम रही कि आजादी के बाद पहले आम चुनाव में कुल 276 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे। उस समय की 54 ऐसी सीटें थी जहां दो-दो विधायक चुने जाते थे। इस विधानसभा चुनाव में 239 सीटों पर कांग्रेस विजयी हुई थी तो 23 पर सोशलिस्ट पार्टी। इस चुनाव के बाद श्रीकृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने और अनुग्रह नारायण सिंह उपमुख्यमंत्री। यह वह समय था जब स्वतंत्रता आंदोलन के बाद पहली बार चुनाव हुए थे। विपक्षी पार्टियों के रहते हुए भी लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में जमकर मतदान किया।

आजादी के बाद बिहार में वर्ष 1957 में दूसरी बार चुनाव हुआ। लगातार दूसरी बार कांग्रेस सत्ता में आई। हालांकि बिहार का पहला चुनाव जो 1952 में हुआ था, उसके मुकाबले, कांग्रेस को 29 सीटें कम आईं। बावजूद इसके सबसे अधिक उम्मीदवार कांग्रेस के ही विधानसभा पहुंचे। इस चुनाव में 210 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए थे। कुल मिलाकर 1957 के चुनाव में 1952 की तुलना में कांग्रेस की सीटें घटी पर दबदबा बरकरार रहा।

1962 का आम चुनाव कांग्रेस के लिए कई मायने में महत्वपूर्ण था। क्योंकि इस चुनाव में पहली बार पार्टी अपने दिग्गज नेता श्रीकृष्ण सिंह के बिना चुनाव में उतर रही थी। चुनाव से पहले ही उनका निधन हो गया था। पहली बार एकल सीट पर प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके पहले के दो चुनावों में कई सीटों पर संयुक्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी। इस चुनाव में भी एक बार फिर कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई लेकिन कुल 318 सीटों में से 185 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। जबकि कांग्रेस ने 57 के चुनाव में 210 सीटें जीती थी। स्वतंत्र पार्टी 50 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। इसी चुनाव से जनसंघ का खाता खुला। इसके भी तीन विधायक सदन में पहुंचे थे। इस बार पहले विनोदानंद झा और फिर केबी सहाय मुख्यमंत्री बने। यहां यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को अपने दिग्गज डा श्रीकृष्ण सिंह की असामयिक मौत ने काफी हद तक प्रभावित किया।

1967 में बिहार में विधानसभा का चौथा चुनाव हुआ। पहली बार इस चुनाव में कांग्रेस को बहुमत हासिल नहीं हो सकी। आजादी के बाद पहली बार बिहार में गैर कांग्रेस सरकार बनी। इस चुनाव में कांग्रेस को कुल 318 सीटों में से 128 पर ही संतोष करना

पड़ा। 68 सीटें प्राप्त कर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। भारतीय जनसंघ को 26 सीटें मिली थी। सीपीआई को 24 व प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 18 सीटें मिली। इसके साथ ही बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल भी आया। सवा साल में चार मुख्यमंत्री बने। इसमें तीन तो महज पांच महीने के अंदर बनाए गए। 5 मार्च 1967 को पहली बार राज्य में गैर कांग्रेस की सरकार बनी। जन क्रांति दल के नेता महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बनाये गए। जिन्हें तमाम सोशलिस्ट, वामपंथी दलों और जनसंघ ने भी समर्थन दिया। हालांकि महामाया प्रसाद एक साल का सफर भी पूरा नहीं करा पाए और यह सरकार 28 जनवरी 1968 को ही गिर गई। महामाया बाबू के बाद सतीश प्रसाद सिंह कुशवाहा महज पांच दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। उनके बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बीपी मंडल ने कुर्सी संभाली। वे महज 31 दिन ही मुख्यमंत्री के पद पर रहे। सोशलिस्ट पार्टी की सरकार गिरने के बाद कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री के नेतृत्व में सरकार बनाई लेकिन 100 दिन में ही उनकी सरकार भी गिर गई। 29 जून 1968 को राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। 1969 में जनता को चुनाव का सामना करना पड़ा।

1969 में बिहार विधानसभा का पहला मध्यावधि चुनाव हुआ। इस चुनाव का परिणाम भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहा। हालांकि इस चुनाव में 118 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी अवश्य बनीं। वहीं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 52 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस दौरान कम-कम समय के लिए दिल्ली से ही मुख्यमंत्री मनोनीत होते रहे। हरिहर प्रसाद सिंह, भोला पासवान शास्त्री, दारोगा प्रसाद राय सहित कई नेता थोड़े-थोड़े दिनों के लिए मुख्यमंत्री होते रहे। इस बीच कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी का व्यापक जनाधार तैयार करने के लिए देशभर में सामंतवाद का विरोध, गरीबी हटाओ जैसे अभियान की शुरुआत की। 1969 चुनाव की यह खासियत रही कि अलौली सुरक्षित सीट से रामविलास पासवान और कहलगांव सीट से सदानंद सिंह ने विधानसभा में प्रवेश किया।

लगातार दो बार के चुनावों में सरकार बनाने लायक सीट प्राप्त करने में असफल रही कांग्रेस ने 1972 के चुनाव में एक बार फिर खोयी बाजी अपने खाते में कर ली। इस बार बहुमत से कांग्रेस ने सरकार बनाई और केदार पांडेय मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। 318 सीटों में से कांग्रेस को 167 सीटों पर विजयी मिली।

देश की आजादी के बाद बिहार में पहली बार कांग्रेस की करारी हार वर्ष 1977 के विधानसभा चुनाव में हुई। उस समय उसे 324 में से महज 57 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। मगर तत्कालीन सरकार पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और और तीन वर्षों बाद ही वर्ष 1980 में हुए चुनाव में कांग्रेस 169 सीटें लाकर फिर बहुमत हासिल की। 1980 के पहले भी बिहार में दो बार मध्यावधि चुनाव हुए। एक 1969 और दूसरा 1972 में। 1972 में भी कांग्रेस 318 में 167 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल की थी। वहीं 1969 में कांग्रेस को 118 सीटें मिली। इस तरह देखा जाए तो आजादी के बाद 1980 तक मध्यावधि चुनाव की नौबत तीन बार आई। जिनमें दो बार कांग्रेस पर जनता ने पूरा भरोसा जताया। एक मध्यावधि चुनाव 1969 में हुआ था, जिसमें किसी भी दल को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ था। पर कांग्रेस सबसे अधिक सीट जीतने में कामयाब हुई थी।

1980 के बाद 85 में हुए विधानसभा चुनाव में हिंसा के बीच कांग्रेस ने पुनः सत्ता की बागडोर संभाल ली थी। राज्य में सामाजिक एवं जातीय गोलबंदी का एक नया दौर शुरू हो गया था। इस चुनाव के पहले बिक्रमगंज, सीतामढ़ी, दलसिंहसराय, मोतिहारी, बेतिया सहित कई इलाकों में हिंसक घटनाओं ने चुनाव की रूपरेखा तैयार दी थी। इस चुनावी हिंसा में पूरे बिहार में 69 लोगों की मौत हुई थी। 1370 हिंसक घटनाएं हुईं। इस चुनाव में कांग्रेस 196 सीटों पर विजयी हुई। भाजपा को 16 सीटें मिली तो अन्य पार्टियां 13 सीटों पर ही सिमट गईं।

1990 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 324 में से 122 सीटें लाकर जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। विभिन्न पार्टियों को जोड़कर अक्टूबर 1988 में गठित जनता दल ने शानदार प्रदर्शन किया। इस चुनाव में बिहार की राजनीति में पिछड़ों के नेता के तौर पर लालू प्रसाद विधायक दल के नेता फिर और मुख्यमंत्री चुने गए। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। उसे महज 71 विधानसभा सीटों पर ही विजयश्री मिली। आजादी के बाद से यह दूसरा मौका था जब कांग्रेस को बिहार विधानसभा चुनाव में 100 से कम सीटें मिली। इससे पहले 1977 के चुनाव में कांग्रेस को 57 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। 1995 के विधानसभा चुनाव से पूर्व मंडल-कमंडल विवाद चरम पर था। वीपी सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर पिछड़ी जातियों की सहानुभूति अर्जित कर ली गई थी। इससे खार खाई भाजपा ने राममंदिर निर्माण का मुद्दा उठाकर 25 सितंबर 1990 से सोमनाथ से रथयात्रा आरंभ की। उस रथयात्रा के नायक लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी 23 अक्टूबर को समस्तीपुर में कर ली गई। यही वह पल था जब बिहार में मुसलमान मतदाताओं का एक प्रकार से स्थायी झुकाव भी लालू प्रसाद के पक्ष में होने वाला था। इस चुनाव में 1994 में गठित समता पार्टी ने 310 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, उसमें सात विजयी हुए थे। हालांकि यह पहला चुनाव था जब पिछड़ी जाति के दो नेता लालू और नीतीश आमने-सामने थे। इस चुनाव में कांग्रेस ने 320 सीट पर अपने प्रत्याशी को खड़ा किया था। इसमें वह महज 29 सीटें जीत पायी थी। जनता दल 167 सीटों पर विजयी हुई थी जबकि उसने 264 सीटों पर प्रत्याशी खड़ा किए थे।

2000 के विधानसभा चुनाव में ऐसा हुआ कि पहली बार राष्ट्रीय पार्टियों से अधिक क्षेत्रीय दलों को मत मिले। संयुक्त बिहार का यह अंतिम चुनाव साबित हुआ। 2000 में ही 15 नवंबर को झारखंड अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ। इसके

बाद बिहार विधानसभा की सीटें 324 से घटकर 243 हो गईं। 2000 के चुनाव में राजद सबसे अधिक 124 सीटों पर विजयी रहा। तीन साल पहले 1997 में इस दल का गठन जनता दल से अलग होकर हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस चौथे स्थान पर चली गई। इस पार्टी को महज 23 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। जबकि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा को 67 सीटें मिली। वहीं समता पार्टी को 23 सीटों पर संतोष करना पड़ा। जनता दलयू को 21 सीटें मिली। इसमें किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। समता पार्टी के संस्थापकों में एक रहे तीन नीतीश कुमार ने तीन मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि बहुमत साबित करने के पूर्व ही उन्होंने इस्तीफा दिया था।

महज नौ सीटों पर ही सिमट गई कांग्रेस

2005 का चुनाव दूरगामी परिणामदायी रहा। राज्य में पंद्रह साल बाद राजद शासन ने करवट ली और सत्ता की बागडोर नीतीश कुमार को संभालने का मौका मिला। राज्य की 243 सीटों के लिए फरवरी 2005 में हुए चुनाव में किसी दल को सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं मिली। गठबंधन की सरकार बनाने को बेताब राजद को इस बार सत्ता की चाबी नहीं मिली। सत्ता की चाभी अपने पास होने का दावा करते हुए भी लोजपा कोई विकल्प नहीं सामने आ सकी। ऐसे में फिर चुनाव में जाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। आठ माह बाद अक्टूबर 2005 में फिर विधानसभा का चुनाव हुआ। इसमें जदयू व भाजपा गठबंधन को बहुमत हासिल हुई। इस चुनाव में जनता ने राजनीतिक बदलाव को लेकर स्पष्ट संकेत दिए। सत्ता का जो समीकरण फरवरी में उलझा हुआ था वह अक्टूबर में पूरी तरह स्पष्ट मिला। फरवरी चुनाव में राजद को जहां 75 सीटें मिली थीं, वहीं अक्टूबर में यह घटकर 54 हो गई। जदयू को 55 की जगह 88 व भाजपा को 37 के स्थान पर 55 सीटें मिलीं। इसी प्रकार कांग्रेस को 10 के स्थान पर नौ तो लोजपा को 29 की जगह महज 10 सीटें भी मिली।

2010 में चार सीटों पर ही सिमट गई कांग्रेस

2010 के विधानसभा चुनाव में भाजपा जदयू गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला। विधानसभा की 243 सीटों में से 206 सीटें एनडीए के खाते में आईं। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी राजद को भी महज 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। पिछली सरकार के कारण नीतीश कुमार को बेहतर मत आए लेकिन इसका प्रमुख कारण विपक्षी मतों का बिखराव भी हुआ। कांग्रेस और राजद ने अलग-अलग चुनाव लड़ा। इसके कारण विपक्षी वोट का बिखराव भी हुआ। कांग्रेस ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे मगर पार्टी महज चार सीट ही जीत पायी। इस चुनाव में राजद-लोजपा गठबंधन ने साथ-साथ चुनाव लड़ा था। मगर यह गठबंधन कामयाब नहीं रहा। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने।

2015 का विधानसभा चुनाव पिछले चुनाव के मुकाबले अलग रहा। इसमें दोनों ही गठबंधनों का चेहरा बदला। महागठबंधन में जदयू, राजद और कांग्रेस एक साथ रहे तो राजग में भाजपा, लोजपा, रालोसपा और हम रही। चुनाव परिणाम में महागठबंधन का पलड़ा भारी रहा। उसे 178 सीटें मिली। राजद 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो जदयू के खाते में 71 सीटें आईं। कांग्रेस के 27 विधायक जीतकर आए। दूसरी तरफ एनडीए को महज 58 सीटें ही मिल सकी। इसमें 53 सीटें सिर्फ भाजपा की थीं। लोजपा और रालोसपा को दो-दो सीटें मिली।

निष्कर्ष

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार में कांग्रेस का स्वर्णिम काल 1951 से आरंभ हुआ जो कमोवेश 1962 तक कायम रहा। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की मृत्यु और भारतीय जनसंघ के उत्तरोत्तर विकास ने कांग्रेस की मिट्टी पलीद करनी शुरू कर दी। 1967 से इस पार्टी के विकास का पहिया रुकने लगा। 1980 आते-आते तो कांग्रेस समर्थित मतदाता मुस्लिम और सवर्णी का झुकाव क्रमशः जनता दल और भाजपा की ओर होता गया। सबसे खराब स्थिति पार्टी की 2005 आते-आते हो गई जब उसे महज 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा।

ग्रंथ सूची

1. बिहार : विकास और संघर्ष: संस्करण 2012: लेखक-डा. जगन्नाथ मिश्र
2. बिहार की चुनावी राजनीति: जाति-वर्ग का समीकरण-1990 से 2015-लेखक संजय कुमार
3. भारत निर्वाचन आयोग: संदर्भ बिहार विधानसभा चुनाव: 1951 से 2015 तक
4. मासिक पत्रिका-माया- यह बिहार है- लेखक विकास कुमार झा
5. दैनिक जागरण-2005 विधानसभा चुनाव: महासमर से।
6. दैनिक हिंदुस्तान: 2000 विधानसभा चुनाव: आओ वोट करें।
7. दैनिक जागरण-2010 विधानसभा चुनाव: महासमर।

मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति: एक अध्ययन

पल्लवी

शोधार्थीए इतिहास विभाग, ल.ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
Email: pallavivatas@gmail.com

मध्यकाल में प्राचीन काल से चली आ रही मौलिक एकता नष्ट हो गयी इसका प्रमुख कारण भारत में इस्लाम का प्रवेश था, यद्यपि देश में हिन्दू धर्म के अतिरिक्त बौद्ध, जैन आदि अनेक धर्म तथा सम्प्रदाय विद्यमान थे, किन्तु वे एक धर्म के ही विविध रूप समझे जाते थे। लेकिन इस्लाम को भारतीय व्यवस्थाओं में एक धर्म, एक जाति, एक राजनीति और एक संस्कृति के रूप में आत्मसात नहीं किया जा सका। इस देश में अपने आगमन के पश्चात् इस्लाम ने अपना विशिष्ट स्थान बनाये रखा। इस नये विदेशी तत्व के प्रवेश के पश्चात् भारत के इतिहास में अनेकानेक महत्वपूर्ण मोड़ आये।

इस काल में मुसलमानों ने बहुत से सुन्दर युवतियों से विवाह करना शुरू किया। मुसलमान आक्रमणकारियों से अपनी स्त्री-समाज की रक्षा के लिये हिन्दुओं ने बाल काल में अपनी कन्याओं की शादी शुरू कर दी इस प्रकार, इस काल में हिन्दू समाज में बाल विवाह की प्रथा का आरम्भ हुआ जिससे सदियों हिन्दू समाज संतप्त रहा।

उपर्युक्त कारणों से ही बाल विवाह के समान इस काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ। किन्तु यह प्रथा सिर्फ उच्च तथा मध्य वर्ग की स्त्रियों तक ही सीमित रही। निम्नवर्ग की स्त्रियां, जिन्हें अपनी जीविकोपार्जन के लिये आर्थिक कार्यों में पति का हाथ बटाना पड़ता था, पर्दा प्रथा के दुर्गुणों से मुक्त रहीं। इस युग में स्त्रियां अपने पति के मृत्यु पर उसके शव के साथ ही चिता में जल जाती थी। यद्यपि यह प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही थी, किन्तु मध्य काल में इसमें तीव्रता आयी। इसका एक कारण यह भी था कि विधवाओं को मुसलमानों से अपने सतीत्व का भय बना रहता था। विधवा विवाह की प्रथा नहीं थी। अतः सती प्रथा नाम की इस कुप्रथा का काफी विकास हुआ।

युद्ध काल में राज्य रमणियों को जब यह आशा नहीं रहती थी कि उनके पतियों को लड़ाई में विजय प्राप्त होगी तो अपने सतीत्व की रक्षा के लिये सामूहिक रूप से चिता में जलकर अपने प्राणों की आहुति दे देती थी। इस प्रथा को जौहर प्रथा कहा जाता है। सल्तनतकाल में जौहर के अनेक उदाहरण मिलते हैं इस काल में तिलक दहेज प्रथा भी प्रचलित थी।

हिन्दू स्त्रियों की स्थिति में पतन आया था। वे अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती थी। उनकी स्वतंत्रता और अधिकार कम हो गये थे। स्त्री समाज में अनेक बुराइयां आ गयी थी। समाज में जब उनका पूर्ववत् सम्मान नहीं हो रहा था उनके स्वाभिमान को करारी चोट लगी थी। सुरक्षा के कारण उनका कार्य क्षेत्र घर की चारदीवारी तक ही सीमित था। शिक्षा का उनके बीच विशेष प्रचार नहीं था।

हिन्दुओं की अपेक्षा मुस्लिम परिवारों में स्त्रियों की स्थिति और भी शोचनीय थी वहां उन्हें कम मान एवं सम्मान प्राप्त था। दासियों के साथ अनुचित सम्बन्ध होने के कारण पत्नी एवं दासी में कोई विशेष अन्तर नहीं रहता था। बहुविवाह की प्रथा

मुस्लिम समाज में आम थी। सुल्तान तथा सामन्त लोग तो सैकड़ों की संख्या में स्त्रियां रखते थे। पुनः मुस्लिम परिवारों में पर्दे की प्रथा अत्यन्त ही कठोर थी।

इतना होने पर भी उन्हें हिन्दू स्त्रियों की तुलना में कुछ अधिक सुविधायें मिली हुई थी। वे विधवा विवाह कर सकती थी। अपने पति को उपयुक्त कारणों से तलाक दे सकती थी। उनका पिता की सम्पत्ति पर भी अधिकार रहता था। उनमें शिक्षा भी अपेक्षाकृत अधिक थी। शाही घराने तथा सामन्त परिवार की मुस्लिम स्त्रियां अच्छे ढंग की शिक्षा प्राप्त करती थी।

समाज में वैश्याओं का एक अलग वर्ग था। हिन्दू और मुसलमान दोनों वर्ग की वैश्याएं होती थी। यह गाने बजाने के अतिरिक्त अपने सहवास से भी लोगों का मन बहलाया करती थी। उत्सव आदि के अवसर पर इनका विशेष मान था। वैश्यावृत्ति के चलते समाज में चोरी आदि में वृद्धि हुई और लोगों का नैतिक पतन हुआ। मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति देश में प्राचीन काल की अपेक्षा गिर गयी थी फिर भी यह कहना अनुचित होगा उनकी स्थिति दयनीय थी।

स्त्री और पुरुष समाज रूपी गाड़ी के दो पहियों के समान हैं। इसमें से अगर कोई एक भी कमजोर हो जाय तो समाज का संतुलन बिगड़ जाता है। किसी भी देश, जाति अथवा काल में नारी की सामाजिक स्थिति समाज के स्तर का सूचक होती है। इस दृष्टि से प्राचीन भारत में नारी की स्थिति श्रेष्ठ कही जा सकती है क्योंकि वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता पूर्वक हिस्सा ले सकती थीं। उनके बीच पर्दा प्रथा, बाल विवाह, तिलक-दहेज आदि कुप्रथाओं का प्रचलन नहीं हुआ था। वे स्वतंत्रता पूर्वक देश की राजनीति में हिस्सा ले सकती थीं। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की भी सुविधा थी। मध्य युग में भारत वर्ष में मुसलमानों के आगमन तथा उनके साथ सम्पर्क होने के पश्चात् भारतीय नारी की स्थिति में निसन्देह गिरावट आयी। यह ठीक है कि इस काल में रजिया, मल्लिकार्ये जहां, बीबीअम्मा, कमलादेवी जैसी प्रभावशाली और योग्य स्त्रियों का प्रादुर्भाव हुआ, किन्तु पर्दा, बाल विवाह, दहेज, सती तथा जौहर जैसी कुप्रथायें भी विद्यमान थी अतः इस काल में नारी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है।

मुगल कालीन भारत में भी नारी को सम्मान पूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था। स्त्रियां भोगविलास का साधन मात्र समझी जाती थी। शाहीमहल में पत्नियों एवं रखैलों की भीड़ लगी रहती थी। सामन्त भी सम्राट का अनुकरण कर अपने महल में अधिक से अधिक स्त्रियों को रखने की कोशिश करते थे। सामान्यतः एक सामन्त तीन या चार से अधिक स्त्रियों से विवाह करता था। सामन्तों की स्त्रियां भी ऐश्वर्य एवं विलास का जीवन व्यतीत करती थीं। सामन्त खुले आम रखैल रखते थे। उनके बीच विलासिता एवं इन्द्रिय लोलुपता यहां तक बढ़ गयी थी जब मुगल सैनिक-अभियानों में बाहर जाते तो वे अपने साथ काफी संख्या में स्त्रियों को भी ले जाते थे।

शाही घराने की स्त्रियों को मातृत्व-सम्मान प्राप्त था। मुगल अपने स्त्री वर्ग का सम्मान करते थे और उन्हें उचित राजनीतिक अधिकार दिये थे। शाही घराने में सम्बन्धित स्त्रियों को दरबार में उच्च स्थान प्राप्त था। उन्हें सम्राट के द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार की पदवियां प्रदान की जाती थी। मुगल अपनी स्त्रियों का सम्मान करते थे और उनके साथ अदब से पेश आते थे। यह बात सिर्फ सम्राटों के साथ नहीं, वरन् मुगल सामन्तों के साथ भी लागू थी। शासक वर्ग की स्त्रियां युद्धों में भी अपने पति को सहयोग देती थीं। उच्च वर्ग की स्त्रियां शिक्षा में अभिरुचि रखती थीं। बचपन से ही उनके माता-पिता के द्वारा उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था इसलिये इस वर्ग की स्त्रियों में अनेक उच्च कोटि की लेखिका तथा कवयित्रियां उत्पन्न हुईं। इस प्रकार की स्त्रियों में नूरजहां, मुमताज महल, मीराबाई, चन्द्रावती आदि के नाम लिये जा सकते हैं।

उच्च वर्ग की हिन्दू और मुसलमान स्त्रियों का जीवन स्तर सन्तोष जनक था। वे ऐशो-आराम का जीवन व्यतीत करती थीं और उन्हें विलास के सभी साधन उपलब्ध थे, किन्तु उनका वैवाहिक जीवन आनन्दमय नहीं कहा जा सकता। इसका प्रधान कारण समाज में बहु-विवाह की प्रथा का प्रचलन ही था। कुरान के अनुसार एक सुन्नी मुसलमान चार स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता था। साधारणतः हिन्दू केवल एक ही स्त्री से विवाह करते थे, किन्तु हिन्दू शासक एवं सामन्त वर्ग के लोग एक से अधिक स्त्रियों से भी विवाह करते थे। स्त्रियां गृहस्थी सम्बन्धी सारे कार्यों की देखभाल किया करती थी और उनका अधिकांश समय इसमें ही व्यतीत होता था।

मुगलकाल में देश के सामान्य सामाजिक जीवन में परिवर्तन होने के कारण स्त्रियों की अवस्था में भी यथेष्ट परिवर्तन आये। प्राचीन भारत में जो सम्मान पूर्ण स्थान था, उसमें गिरावट आयी और नारी समाज में बालिका-वध, बाल-विवाह, तिलक-दहेज, पर्दा-प्रथा, सती एवं जौहर जैसी दूषित प्रथायें घर कर गयीं। हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियों में पुत्री का जन्म अपशकुन माना जाता था और पुत्र के जन्म पर आनन्द मनाया जाता था। कुछ लोग नवजात पुत्रियों का गला भी घोट देते थे। बाल-विवाह मुगलकालीन सामाजिक अवस्था का एक लोकप्रिय पक्ष था। सामान्यतः लड़कियों की शादी आठ से दस साल की अवस्था में ही कर दी जाती थी। हिन्दू और मुसलमान दोनों इस दूषित प्रथा के शिकार हो गये थे।

समाज में तिलक-दहेज की कुप्रथा भी प्रचलित थी। सामान्य वर्ग के लोग दहेज के लोभ से अनेक विवाह करते थे। मुसलमानों में भी दहेज का प्रचलन था। इस कुप्रथा के कारण कभी-कभी लड़की की शादी एक कठिन समस्या बन जाती

थी। दहेज की यह प्रथा परम्परा से चली आ रही थी और इन दिनों इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी। यह प्रथा गरीबों की अपेक्षा अमीरों के बीच अधिक लोकप्रिय थी। सामान्यतः वर पक्ष को दहेज दिया जाता था, किन्तु बिहार तथा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में निम्न जातियों के बीच स्त्री-दहेज की प्रथा भी प्रचलित थी।

परम्परा से पर्दे का रिवाज मुस्लिम स्त्रियों के बीच रहता आया है। हिन्दुओं में यह अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय रहा है। मुगलकालीन मुस्लिम स्त्रियां, बिलकुल पर्दे में रहती थी। भारत में मुसलमानों के आगमन के पश्चात् विदेशियों से अपनी इज्जत-आबरू की रक्षा का उद्देश्य से हिन्दू स्त्रियों ने भी इस प्रथा को अपना लिया। सम्भवतः शासक वर्ग को खुश करने के उद्देश्य से कुछ हिन्दुओं से उनका अनुकरण करते हुये इस प्रथा को अपना लिया था। यह प्रथा हिन्दुओं में सिर्फ अमीर एवं सुखी-सम्पन्न परिवारों के बीच ही प्रचलित थी।

समाज में विधवा स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। उच्च जाति के हिन्दुओं में विधवा-विवाह का प्रचलन नहीं था। हाँ, निम्न जाति की स्त्रियों को इसकी स्वतंत्रता प्राप्त थी। मुसलमानों में भी विधवा-विवाह प्रचलित था।

मुगलकाल में स्त्रियों का जीवन स्तर दो वर्गों में वर्गित किया जा सकता है- उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग की नारियों का जीवन-स्तर ऊंचा था। वे ऐशो आराम की जिन्दगी बिताती थीं। किन्तु बाल-विवाह, तिलक-दहेज तथा पर्दा की प्रथाओं के कारण उनकी स्वतंत्रता प्रायः समाप्त हो चुकी थी और उनकी स्थिति निश्चित रूप से पहले से खराब हो गयी थी। निम्न वर्ग की स्त्रियों को वे सारी सुविधायें प्राप्त न थी जो उच्च वर्ग की स्त्रियों को थी। उनके बीच शिक्षा का प्रचलन प्रायः नहीं था। इन दृष्टिकोणों से उनकी स्थिति अन्य की अपेक्षा दयनीय थी किन्तु कई दृष्टियों से उनकी स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी ही कही जा सकती है। उन्हें उच्च वर्ग की स्त्रियों की तरह महलों की चारदीवारी अथवा पर्दे के अन्दर नहीं रहना पड़ता था। वे अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छन्द और स्वतंत्र थीं। मजदूर अथवा कृषि-कार्यों में अपने पुरुषों को सक्रिय सहयोग देकर वे अपनी स्वतंत्र सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति बनाये रख सकती थीं। इस प्रकार मुगलकाल में स्त्री की स्थिति पहले की अपेक्षा हीन हो गयी थी, फिर भी सन्तोषप्रद थी।

संदर्भ

1. इवोल्यूशन आफ मदर वरशिप इन इण्डिया शशि भूषण दास गुप्ता (ग्रेट विमेन ऑफ इण्डिया में संग्रहीत 1953 कलकत्ता) पृष्ठ संख्या 49-50।
2. हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता-बेनी प्रसाद (पृष्ठ संख्या-50)।
3. बीमेन ऑफ इण्डिया: राधमुकुन्द मुखर्जी पृष्ठ संख्या 1।
4. पोर्जीशन ऑफ वूमन इन हिन्दू सिविलाइजेशन-ए0एस0 अल्टेकर (पृष्ठ संख्या-410-411)
5. पोर्जीशन ऑफ वूमन इन हिन्दू सिविलाइजेशन (ए0एस0 अल्टेकर) (पृष्ठ संख्या-31)
6. ऋग्वेद श्लोक 1/115/2।
7. रिपोर्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑन एजुकेशन इन इंडिया, 1907-12, खंड 1: 219
8. प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, 1917-22, खंड 1: 229
9. सेडलर कमीशन रिपोर्ट, 1919-20, खंड 23
10. रिपोर्ट ऑफ दि प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, 1917-22, खंड 2: 162

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसान आन्दोलन

रवि कुमार गुप्ता

शोध छात्र, इतिहास विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

भूमिका

बिहार में 19वीं शताब्दी के पंचम दशक से किसानों के छिट-पुट, किन्तु सशक्त विद्रोह की परम्परा सी स्थापित हो गयी थी। किन्तु चम्पारण में गाँधी जी द्वारा किये गए महत्वपूर्ण किसान सत्याग्रह के बाद ही यहाँ के किसान आन्दोलन ने संगठित रूप लिया तथा यह लगातार दीर्घकाल तक चलता रहा। यद्यपि इस किसान सत्याग्रह की सर्वत्र चर्चा हुई है और हर तरफ से इसकी उपलब्धियों की सराहना की गयी है। फिर भी महात्मा गाँधी के नेतृत्व में लड़ी गई किसानों की यह लड़ाई इनकी मौलिक समस्याओं को हल करने में कुछ सक्षम सिद्ध हुई। सन् 1905 में और पुनः 1913 में किसानों ने सामूहिक रूप से जागीरदार की खेती करने से इनकार कर दिया और पड़ोसी क्षेत्रों में जाने का प्रयास किया। 1913 में हुए विरोध का नेता सीताराम दास नाम का एक साधु था। युद्ध ऋण में किसानों का योगदान करने से इनकार करना बिजौलिया आन्दोलन का एक तत्व था। इसने आगे चलकर गाँधीवादी संपर्क स्थापित किए, और यह 1920 के दशक तक चलता रहा। बाद में किसान आन्दोलन ने दो क्षेत्रों में सीधे और ठोस रूप से गाँधीवाद के उदय में योगदान किया जो उत्तर पश्चिमी बिहार में चम्पारण और गुजरात में खेड़ा था। यह सत्य है कि इन स्थानों में स्थानीय मुद्दों को अखिल भारतीय राजनीति के स्तर तक ले जाने के लिए गाँधी का हस्तक्षेप अपरिहार्य था। फिर भी इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि इन दोनों स्थानों पर असंतोश और विरोध की भावना गाँधी जी के आगमन से बहुत पहले ही विद्यमान थी और वह भी जिसे पुष्पादास अपने चम्पारण के अध्ययन में "स्वयं ग्रामीण जनसामान्य की ओर से ऊर्ध्वगामी दबाव" कहते हैं। चम्पारण में 1860 के दशक से तीनकठिया व्यवस्था का छिट-पुट विरोध होता आ रहा था। इस व्यवस्था के अन्तर्गत किसानों को बाध्य करते थे कि वे अपनी जमीन के कुछ भाग (एक बीघा में तीन कट्टा) में नील कि खेती करें। उसके लिए मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। इसमें अधिक समृद्ध किसानों ने इस संघर्ष को अगले दशक में भी जारी रखा। वे प्रार्थना-पत्र भेजते थे और मुकदमे करते थे।

किसान आन्दोलन एवं कांग्रेस-बिहार के कुछेक कांग्रेसी नेताओं एवं पत्रकारों से भी उनका संपर्क था और इसी निरंतर संघर्ष के चलते 1916 की लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार भुक्ल का गाँधी जी से संपर्क हुआ। वे चाहते थे कि इन कृषक-मजदूरों की अर्थिक हालत में सुधार हो इसके लिए आवश्यक था कि जमीन संबंधी सामाजिक बनावट में आमूल-

चूल परिवर्तन हो। प्रो० धनागारे ने ठीक ही लिखा है कि चम्पारण की घटनाओं ने भविष्य के गाँधीवादी किसान आन्दोलनों के आकार को स्पष्ट कर दिया था।

किसानों के बीच पैदा हो रही क्रांतिकारी भावनाओं को समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की कोशिश की गई। अगर बिहार प्रदेश किसान सभा के आन्दोलन के पूर्व के किसान आन्दोलनों की समीक्षा की जाय तो यह तथ्य पूरी तरह उजागर हो जाता है। इसका मुख्य कारण यह था कि बिहार के अधिकांश कांग्रेसी नेता पक्के गाँधीवादी थे। समझौते की गाँधीवादी तकनीक का अनुसरण करने के कारण इन नेताओं द्वारा काश्तकारों के दुःखों की जांच के लिए आयोग बैठाने एवं अच्छी ताल-मेल की सलाह दी। क्योंकि कांग्रेस की विभिन्न स्तरों के नेता ऊँची जाति एवं छोटे-बड़े जमीन्दार थे। बिहार में किसानों द्वारा सबसे संगठित संघर्ष दरभंगा महाराज की जमीन्दारी में एक किसान नेता स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किया गया। दरभंगा राज का अधिकार उत्तरी बिहार के करीब 12 प्रतिशत क्षेत्र पर था। ये क्षेत्र क्रमशः-सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इत्यादि हिस्सों में फैली हुई थी।

स्वामी विद्यानंद के किसान आन्दोलन की एक बड़ी विशेषता थी किसानों के निचले वर्ग के स्वार्थों को आगे लाना क्योंकि 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में मूल्य की वृद्धि ने किसानों को अधिक तंगी में डाल दिया था। इसका फायदा बड़े किसान उठा रहे थे, उनका भोक्षण कर रहे थे। इसके विरोध में किसानों ने एकजुटता प्रदर्शित की और इस एकजुटता से एक बात स्पष्ट हो गई कि स्वामी विद्यानंद के आन्दोलन का जनाधार काफी व्यापक और मजबूत था।

बिहार के कांग्रेसी नेताओं के इस रवैये ने आन्दोलन को खत्म करने में दरभंगा महाराज की काफी मदद की। किसान आन्दोलन का विरोधाभास बिहार के कांग्रेस की प्रतिक्रियावादी स्वरूप के अनुसरण करने के कारण हो रहा था। एक तो यह राष्ट्रवादी आन्दोलन ही सुधारवादी था और इस कारण कांग्रेस किसानों के हितों की रक्षा करना तो चाहती थी, किन्तु यह तभी सम्भव था, जब जमीन्दारों की स्वार्थों पर चोट की जाए, किन्तु कांग्रेसी असमर्थ थे। कांग्रेसी नेता, काश्तकारों को भी नजर अंदाज नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी मांगों से सामाजिक आधार की मजबूती बढ़ रही थी। इसलिए बिहार के कांग्रेसी नेताओं ने यह कोशिश कि जब महात्मा गाँधी द्वारा सत्याग्रह चलाया गया तो किसानों की मांगों की चर्चा की गई। गाँधी जी चाहते थे कि किसानों की संघर्ष वर्ग संघर्ष का रूप न ले लें। पुनः कांग्रेस का व्यवहार असहयोग आन्दोलन के समय और भी स्पष्ट हो गया और इस समय महात्मा गाँधी की आवास पर लाखों-लाख किसान एकजुट हो गये। इस समय इसके व्यापक स्वरूप बनाने के लिए नागपुर कांग्रेस में किसानों की कई तरह की समस्याओं पर प्रस्ताव पारित किया गया। परिणामस्वरूप कांग्रेस का असहयोग आन्दोलन के आवाहन ने किसान के मन मस्तिष्क में व्याप्त व्यवस्थाओं की संशय एवं भय को टाल दिया। पुनः एक बार किसानों का असंतोश एक बार फिर उभरकर सामने आने लगा। इस बार गतिविधि के केन्द्र थे- हरदोई, ब्रह्मराईच और सीतापुर (उत्तर प्रदेश के उत्तरीक्षेत्र) के किसानों के असंतोश को आन्दोलन की भावना दी कांग्रेस और खिलाफत नेताओं ने नाम दिया, "एका (एकता) आन्दोलन दिया"। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोत्तरी और उपजके रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50 फीसदी ज्यादा लगान वसूला जा रहा था। जमीनदारों के ठेकेदार (जो लगान वसूलते थे) किसानों पर तरह-तरह के जूलम कांड के बाद जब गाँधीजी ने असहयोग आन्दोलन वापस ले लिया, तब भी किसानों का यह आन्दोलन चलता ही रहा। यह आन्दोलन पहले के "किसान सभा" आन्दोलन से एक मायने में और अलग था।

अप्रैल 1920 में मंजेरी में हुए मालाबार जिला कांग्रेस सम्मेलन ने किसानों के असंतोष को हवा दी। यह सम्मेलन दो बातों के कारण बहुत महत्वपूर्ण रहा। सम्मेलन में प्रस्ताव पारित कर खिलाफत आन्दोलन का समर्थन किया गया। किसानों के वाजीब माँगो का समर्थन करते हुए एक ऐसा कानून बनाने की मांग की गई जो जमींदारों और काश्तकार के संबंधों को तय करें।

किसान आन्दोलन और राष्ट्रीय आन्दोलन में आगे चलकर कुछ दरारे आ गई और इस दरार को भरने की कोशिश कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने इस बात से की, कि कहीं नेतृत्व की बागडोर उसके हाथ से निकलकर स्थानीय जुझारू व ज्यादा लड़ाकू लोगों के हाथ में न चली जाय। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं द्वारा किसानों को हिंसा का रास्ता छोड़ने व लगान देते रहने कि सलाह देने का मकसद जमीन्दारों व अमीर तबकों के हितों की रक्षा करना था। लेकिन राष्ट्रीय नेता जानते थे कि हिंसा की राह पकड़ने पर उसका अंजाम बुरा होगा। इसलिए नेता बार-बार किसानों से भांतिपूर्ण प्रतिरोध की अपील करते थे। किसानों को लगान अदायगी बंद न करने की सलाह देने के और भी कारण थे। पहली बात तो यह कि किसानों ने लगान या जमींदारी प्रथा को खत्म करने की माँग नहीं उठाई थी। वे बेदखली एवं मनमानी वसूली बंद करने की माँग कर रहे थे।

परिणाम यह हुआ कि बिहार के कई भागों में किसानों ने जमीन्दारों को लगान देना भी बन्द कर दिया। सारण के किसान जो भुरु से ही अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं नहीं बल्कि अपनी समस्याओं के हल के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, वे इस समय और भी उबल पड़े क्योंकि सारण जिला में किसान और जमीन्दार के बीच काफी कटु संबंध थे। कई अन्य कारणों से भी किसानों की बड़ी संख्या एवं किसान सभाएँ भी सक्रिय हो उठी। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को अपना मंच दिया। फिर एक सभा पुर्णिया जिले में की गई। यहाँ किसान सभा के नेताओं के अतिरिक्त राजेन्द्र प्रसाद, दीप नारायण सिंह तथा हसन इमाम जैसे कांग्रेसी नेताओं की उपस्थिति भी थी।

भागलपुर जिले के सुपौल अनुमंडल में किसान सभा की कार्यवाही में कांग्रेसी नेताओं द्वारा किसानसभा के मंच से यह प्रस्ताव पारित किया कि – रैयतों का अपनी नकदी जमीन पर उगे हुए पेड़ों पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए एवं चारा के लिए भी व्यवस्था गैर मजरूआ जमीन से होना चाहिए। इन सभी प्रस्तावों के पारित होने के बाद असहयोग आन्दोलन के दो नेताओं ने किसान नेता स्वामी विद्यानंद की अनुमति से उस सभा को संबोधित किया तथा असहयोग संबंधी कुछ प्रस्ताव भी रखे।

बिहार के सुपौल जिले में इस सभा की कार्यवाहियों एक ओर कांग्रेस द्वारा किसान सभा के मंच के उपयोग के तथ्य को उजागर करती है एवं तत्कालीन किसान सभा के चरित्र को भी इस सभा में उपस्थित दो किसान नेता स्वामी विद्यानंद और शिव भांकर झा किसानों में नई जागृति और चेतना का विकास किया। इनका मानना था कि एक बार जब किसान जग गये और अपने हक के लिए आगे बढ़ जायें तो फिर वे हमेशा गाँधीवादी और कांग्रेसी सीमाओं में बंधे नहीं रह सकते हैं। अतः बिहार के किसान गाँधीवादी सीमा के बाहर चले आये। किसानों के स्थानीय नेताओं ने लगान नहीं देने की बात भुरु कर दी।

किसान में असंतोष की भावना काफी बढ़ चुकी थी और उसने मुजफ्फरपुर जिले में दो नील के कारखानों को जला दिया गया। किसानों ने न केवल यूरोपीय जमीन्दारों को वरन् भारतीय जमीन्दारों को भी रास्ते पर लाने की कोशिश की। सच तो यह था कि स्थानीय नेताओं द्वारा लगान न देने की बात किसानों के राष्ट्रवाद की अवचेतन की समझदारी से जुड़ी हुई थी। वहीं एक ओर सारण जिले के हथुआ की प्रसिद्ध जमीन्दारी में लगान को बहुत बड़े पैमाने पर रोक लिया गया और किसान, सरकार द्वारा नीलाम की गयी जमीन को खरीदने वाले किसान को भी ठीक करने के लिए तैयार थे। मुजफ्फरपुर जिले में किसानों ने एक न्यायालय में जहां जमीन की नीलामी हो रही थी, किसी को भी घुसने नहीं दिया। यद्यपि अन्त में चुपचाप एक आदमी ने वह जमीन खरीद ली, किन्तु उसमें खतरा काफी था।

असहयोग आन्दोलन के दरम्यान किसानों के संघर्ष और दंगों के अध्ययन से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रदेश के समकालीन आन्दोलन की तरह यह असहयोग से अलग कोई स्वतंत्र आन्दोलन नहीं था। वास्तव में असहयोग की नवीनतम प्रवृत्तियाँ किसानों के विभिन्न दंगों के कारण असहयोग आन्दोलन ने इनके विकास के लिए मजबूत आधार तैयार किया। असहयोग आन्दोलन के बीच बिहार के कांग्रेसी नेताओं ने हमेशा किसानों के हाथ लूटने आदि जैसे दंगों से दूर रहने के लिए आग्रह किया और जमीन्दारों के साथ अपने झगड़ों को प्रेम पूर्वक निपटाने की सलाह दी। इस आन्दोलन ने किसानों के बीच जो नयी चेतना तथा आक्रामक मनोवृत्ति पैदा की जिससे किसान सदैव कांग्रेसी सीमाओं से बाहर चले जाते थे। इसका मुख्य कारण यह भी था कि स्थानीय कांग्रेसी नेता वो जो खुद काश्तकार थे, यदा-कदा जमीन्दारों के खिलाफ किसानों को संघर्ष करने के लिए उकसाते रहते थे।

कुछ कांग्रेसी नेताओं ने किसान सभाओं के माध्यम से किसानों की मांगों को आगे रखने की प्रक्रिया को जारी रखा। इसका मुख्य कारण मन्टेग्यूचेम्स फोर्ड सुधारों के तहत मताधिकार का विस्तार कर दिया गया था। अब अधिकाधिक संख्या में काश्तकारों को भी मताधिकार प्राप्त हो चुका था। अतः उनके मतों के बल पर विधानन्द आदि कई किसान नेता बिहार के नए चुनावों में यहां की विधायिका सभा के लिए चुन लिये गये थे। स्वराज पार्टी के नाम पर खड़े कई कांग्रेसी नेताओं ने भी अगले चुनावों को ध्यान में रखते हुए, विधायिका में किसान की मांगों का समर्थन किया। साथ ही कौंसिल के बाहर भी कांग्रेसी नेताओं ने किसानों के दुःख-दर्दों की चर्चा करनी भुरु करदी। अगर कभी-कभी कहीं किसानों और जमीन्दारों के बीच कटुता पैदा हो जाती थी तो कांग्रेसी नेता तुरन्त ही एक जांच समिति का गठन कर देते फिर भी यह सही है कि स्वराज दल ने विधायिका में बराबर ही किसान नेताओं का साथ दिया। विधायिका के बाहर भी उन्होंने विभिन्न सभाओं में किसानों के पक्ष में प्रस्ताव पारित किये। एक ऐसी ही सभा भागलपुर जिले में हुई, जिसमें स्वराज दल के स्थानीय नेताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इन्होंने इस सभा में विभिन्न प्रस्तावों द्वारा सरकार स्थानीय परिषद तथा जमीन्दारों को किसानों की सहायता करने की सलाह दी।

1920 से 1929 के बीच विभिन्न स्तरों पर कई किसान सभाये काम करती दिखाई देती हैं, बिहार सरकार के अनुसार इनका मुख्य काम चुनाव में किसानों के मतों को अपनी ओर मोड़ना था। बिहारमें 1922 –23 ई0 में मुंगेर में भी वहीं के

एक प्रसिद्ध वकील भाह मुहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हुई थी। आगे चलकर बने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह इसके उपसभापति थे। तथा उनके मित्र नन्द कुमार सिंह तथा सिद्धेश्वर चौधरी इसके सचिव थे।

1920 के दशक में इन किसान सभाओं की कार्यवाहियों तथा सभाओं के संगठन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से दिखता है कि इन सबों की सांगठनिक भावित 1930 के दशक के किसान आन्दोलन की तुलना में बिल्कुल ही कमजोर थी, फिर भी इनकी उपलब्धियों को कम नहीं आंका जा सकता है। क्योंकि इन्होंने किसानों की समस्याओं को हमेशा जनता और सरकार के समक्ष रखा। किसान सभा ने बिहार के रैयतों का राजनीतिकरण किया और वे चुनावों में दिलचस्पी लेने लगे। साथ ही राजनीतिक दलों के सम्मुख इनके समर्थन का महत्व कायम हुआ, औपचारिक स्तर पर इन किसान नेताओं ने बिहार प्रदेश विधायिका में किसान विराधी बिलों को नहीं पारित होने देने के लिए भरपूर कोशिश की।

किसानों से संबंधित इस दशक की दूसरी कहानी है असहयोग की समाप्ति के बाद के किसानों के छिट-पुट दंगे। किसानों के ये दंगे अब यूरोपी ठीकेदारों के खिलाफ नहीं वरन् बिहार के ही नामी और बड़े जमीन्दारों के खिलाफ हो रहे थे। जुमराव महाराज के नौकरों और वहां के किसानों के बीच भीषण संघर्ष 1929 में हुआ। इसमें महाराज का सहायक प्रबंधक ग्रांट डफ मारा गया। इसी तरह एक और बड़े जमीन्दार टेकारी के महाराज की कचहरी पर उनकी जमीन्दारी के किसानों ने पुलिस की मौजूदगी में आक्रमण किया। इस आक्रमण में कुछ रैयतों की मृत्यु हुई और कुछ घायल हुए। इस दशक की एक और प्रमुख घटना है बिहार की विधायिका से बंगाल टेनेन्सी ऐक्ट के कुछ धाराओं में परिवर्तन कर ऐसा काश्तकारी अधिनियम बनवा लेने की कोशिश जो जमीन्दारों के हित में हो। इस अधिनियम के बन जाने से किसानों को काफी क्षति पहुँचने वाली थी।

ब्रिटिश सरकार जो स्वभावतः जमीन्दारों के पक्ष में थी और बिहार के जमीन्दारों पार्शदों की इस पूरे दशक में यही कोशिश रही कि किसी तरह जमीन्दारों के पक्ष का यह बिल पारित करवा लिया जाय। इस पक्ष के इसी हठ ने रैयतों को और उनके प्रतिनिधि पार्शदों के विरोध को और भी सशक्त बना दिया। स्वराज पार्टी के सदस्य खुलकर रैयतों के पक्ष में बोलने लगे। किसान-प्रतिनिधि-पार्शदों के साथ मिलकर इन्होंने बिहार की कौंसिल में जमीन्दारों पर सीधा प्रहार किया और स्पष्ट घोषणा कर दी कि काश्तकारी कानूनों में क्रांतिकारी परिवर्तन किये बिना रैयतों की आर्थिक हालत में सुधार की कोई संभावना नहीं है। जमीन्दारों के प्रतिनिधियों की ओर से एक ऐसा बिल बिहार की कौंसिल में लाया गया। जिसके विरोध में सारे बिहार के किसानों के कान खड़े हो गये। इसी विरोध को मुखर रूप देने के लिए बिहार के स्वराज दल के कुछ नेता, कुछ कांग्रेसी नेता तथा कुछ रैयतों के प्रतिनिधियों ने मिलकर राज्य के स्तर पर किसानों की एक ऐसी सुसंगठित संस्था को जन्म देने की कोषिष की जो हर स्तर पर किसानों के हितों की रक्षा करने में समर्थ हो। इन नेताओं के इसी समवेत प्रयत्न का परिणाम था सोनपुर में नवम्बर 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर "बिहार प्रांतीय किसान सभा" की स्थापना की गई।

निष्कर्ष

इस किसान आन्दोलन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आखिकार 1929 ई0 के अन्तिम दिनों में किसानों के आन्दोलन को संगठित क्यों किया गया? क्या इसके लिए सिर्फ विधायिका में जमीन्दारों द्वारा लाया गया बिल ही जिम्मेदार था? अगर ऐसा होता तो बहुत पहले ही यह प्रयत्न सफल हो गया होता। असलियत में मानें तो इसका तात्कालिक कारण बनी विष्वव्यापी आर्थिक मंदी। एक विषम भूमि-व्यवस्था से उत्पन्न बुराईयों के षिकार हुए किसान इस आर्थिक विपत्तिको सहन करने में असमर्थ थे। विष्वव्यापी मंदी के परिणामस्वरूप जब वस्तुओं के मूल्य में भारी हास हुआ तो उनके दुःखों की सीमा न रही क्योंकि उनकी क्रय भावित में भारी कमी हुई।

मंदी के कारण कृषि उपजों की कीमतें गिर गईं। 50 प्रतिशत या उससे भी ज्यादा और इसके कारण भारी करों और लगान से बढहाल किसानों की हालत और खराब हो गई। लेकिन सरकार न तो अपना टैक्स कम करने को तैयार थी और न जमीन्दारों को यह कहने को कि वे लगान की दरें कम कर दे। मूल्य तो औद्योगिक उत्पादन का भी गिरा, लेकिन उतना नहीं जितना खेती की पैदावार का। अतः कुल मिलाकर किसानों की स्थिति यह हो गई कि उन्हें टैक्सों, लगानों और ऋणों का भूगतान तो मंदी के पहले की दरों पर करना पड़ रहा था, लेकिन उनकी आय लगातार कम होती जा रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने किसान आंदोलन के अभ्युदय में एक और तरह से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसके गर्भ में युवा लड़ाकू राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक पुरी पीढ़ी पैदा हुई। उन्हें राजनीतिक दीक्षा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही मिली, लेकिन धीरे-धीरे वे वामपंथी विचारधारा के प्रभाव में आते गए, जिसका प्रचार जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस, एवं साम्यवादी वामपंथी नेताओं के गुणों द्वारा किया जा रहा था। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन

में उतार आया तो इन कार्यकर्ताओं के सामने सवाल उठा कि वे अपनी राजनीतिक उर्जा को कहाँ लगाएँ। नतीजा यह हुआ कि उनमें से बहुतों ने किसानों को संगठित करना भुरु कर दिया। सविनय अवज्ञा आन्दोलन के पश्चात् सारी राजनीतिक गतिविधियों के द्वारा उत्पन्न आग ने किसानों की उस भावित को धधकाया जिसने उस व्यवस्था के महल को जलाकर राख कर डाला।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. दत्त, के० के०, हिस्ट्री ऑफ फ्रिडम मूवमेन्ट्स इन इण्डिया, न्यू ऐज इंटरनेशनल पब्लिशर्स, दिल्ली।
2. चौधरी, बी० बी०, अग्रेरियन मूवमेन्ट्स इन बंगाल एण्ड बिहार, दिल्ली।
3. सरकार सुमित, आधुनिक भारत, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली।
4. धनागारे डी० एन०, अग्रेरियन मूवमेन्ट्स एण्ड गॉधीयन पोलिटिक्स, आगरा।
5. सरस्वती, स्वामी सहजानन्द, मेरा जीवन संघर्ष, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
6. हेनिघम स्टीफेन, अग्रेरियन रिलेसंश इन नार्थ बिहार, पिजेन्ट प्रोटेस्ट एण्ड द दरभंगा राज, 1919-20।
7. गुप्ता, पी० एन०, सारण सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, 1923।
8. चन्द्र, बिपिन, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हिन्दी कार्यान्वयन निदेशालय, नई दिल्ली।
9. पोलिटिकल स्पेशल, बिहार एंड उड़ीसा गवर्नमेंट, "नोट ऑफ द किसान कॉन्फेन्स हेल्ड एट भागलपुर" एफ एन 89, बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना।
10. शर्मा, कौशल किशोर, अग्रेरियन मूवमेन्ट्स एण्ड कांग्रेस पॉलिटिक्स इन बिहार (1927-1947) आनामिका पब्लिकेशन्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
11. जवाहरलाल नेहरू, एन ऑटोबायोग्राफी, नई दिल्ली, 1961।
12. दास, अरविन्द नारायण, अग्रेरियन अनरेस्ट एण्ड सोशियो इकॉनॉमिक चेन्ज इन बिहार दिल्ली।

बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक एवं व्यक्तित्व विकास में मनोविज्ञान की भूमिका

डॉ० प्रमोद कुमार साहु

ग्राम- ननौरा, पो०- कोयलास्थान, थाना- केवटी, जिला- दरभंगा (बिहार)

विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक किसी-किसी रूप में चलती रहती है। इसकी गति कभी तीव्र और कभी मन्द होती है। मानव विकास का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों में भी होता है और मनोविज्ञान में भी होता है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अन्तर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। आधुनिक युग में 'बाल विकास' के अध्ययनों ने मनोविज्ञानकों की रुचि दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस दिशा में हुए अध्ययनों ने बालकों के जीवन को सुखी, समृद्धिशाली बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन अध्ययनों का प्रभाव समाज के कल्याण पर भी पड़ा है। मनोविज्ञान की इस शाखा का अध्ययन जनसाधारण के लिये भी आवश्यक और रुचि का विषय रहा है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों के कल्याण में रुचि रखता है। साथ ही इस बात में भी रुचि रखता है कि उनके बच्चे कौशलों, विभिन्न योग्यताओं, व्यक्तित्व और सामाजिक विशेषताओं का अर्जन किस प्रकार करते हैं। आज मनोविज्ञान की इस शाखा मनोविज्ञानिकों के लिए ही महत्त्वपूर्ण और उपयोगी नहीं है बल्कि शिक्षकों, अभिभावकों के लिए भी इसका ज्ञान उपयोगी है। यही कारण है कि बाल विकास के अध्ययन की लोकप्रियता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। संक्षिप्त इतिहास: दार्शनिकों ने आरम्भ से ही बच्चों की प्रकृति व उनके लालन पालन के तरीकों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। तीन प्रमुख दार्शनिक नजरिये की व्याख्या इस प्रकार की गई:-

- 'मूलतः पाप प्रवृत्ति विचार'- इस मतानुसार बच्चे मूलरूप से मलिन विचारों से परिपूर्ण होते हैं। बच्चों के लिए लालन-पालन व शिक्षा द्वारा मलिनता को दूर करना अभिभावकों व शिक्षकों का ध्येय होता है।
- जोन लॉक ने बच्चों के दिमाग को एक सपाट स्लेट की तरह माना और इस विचार का खंडन किया कि बच्चा मूलरूप से बुरा होता है। लॉक को कहना था कि बच्चों के निजी अनुभव अच्छे होने चाहिए ताकि बड़े होने पर वे समाज में अच्छी भूमिका निभा सकें। कुछ दार्शनिकों ने बालकों के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। लॉक ने बालकों की रुचियों, इच्छाओं और क्षमताओं पर बल दिया है और बताया कि व्यक्तित्व-निर्माण में वातावरण का योगदान प्रमुख है। अठारहवीं शताब्दी में पेस्तालॉजी ने बाल-विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। यह विवरण पर आधारित था और उसका यह अध्ययन उसके अपने ही साढ़े तीन वर्षीय फत्र पर किया गया था।

क्रो और क्रो के अनुसार, 'बाल-मनोविज्ञान' वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारम्भ से किशोरावस्था की प्रारम्भिक अवस्था तक करता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार, पबाल-मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। आइजनेक के अनुसार, पबाल-मनोविज्ञान का सम्बन्ध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास-प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हरलॉक के अनुसार, पआज बाल-विकास में मुख्यतः बालक के रूप व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है, जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल-विकास में साथ ही साथ यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और यह वैयक्तिक हैं या सार्वभौमिक। मूसेन व अन्य के अनुसार, पआज भी बाल-विकास के अनेक अध्ययनों का सम्बन्ध आयु-प्रवृत्ति की ओर है। यह आयु-प्रवृत्ति सम्बन्धी अध्ययन विशेष रूप से चिन्तन समस्या समाधान, सृजनात्मकता, नैतिक तर्क तथा व्यवहार, अभिवृत्तियाँ और मत आदि क्षेत्रों में किये जाते हैं। बाल-विकास में सर्वाधिक शोध विकास-परिवर्तनों में अन्तर्निहित प्रक्रियाओं या मेकैनिज्म पर हो रहे हैं अर्थात् यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि विकास परिवर्तन किस प्रकार और किन कारणों से हो रहे हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि, बाल-मनोविज्ञान गर्भकालीन अवस्था के परिपक्वावस्था तक के व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं (चिन्तन, समस्या-समाधान, सृजनात्मकता नैतिक तर्क तथा व्यवहार अभिवृत्तियाँ, मत और रुचियाँ आदि) के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय कौन-कौन से विशिष्ट परिवर्तन होते हैं, यह परिवर्तन कब होते हैं, उनके क्या कारण हैं, इनकी अन्तर्निहित प्रक्रियाएँ या मेकैनिज्म क्या-क्या हैं, यह सार्वभौमिक या व्यक्तिगत हैं आदि का सम्बन्ध भी आज के आधुनिक बाल-विकास से है। उपर्युक्त वर्णित सभी परिभाषाओं में किसी में बाल-विकास और किसी परिभाषा में बाल-मनोविज्ञान शब्द का उपयोग किया गया है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक बाल-मनोविज्ञान के स्थान पर बाल-विकास शब्द का उपयोग करने लगे हैं।

मानव के जीवन का प्रारम्भ जन्म से नहीं होता है बल्कि जीवन का प्रारम्भ गर्भधारण के समय से होता है। वह यह परिवर्तन है जिसमें मानव प्राणी आन्तरिक वातावरण को त्यागकर बाह्य वातावरण में पदार्पण करता है। आन्तरिक वातावरण को त्यागना और बाह्य वातावरण में पदार्पण होना एक प्राकृतिक या स्वाभाविक प्रक्रिया है। आन्तरिक वातावरण की अपेक्षा बाह्य वातावरण में मानव प्राणी के रहने की अवधि अपेक्षाकृत बहुत अधिक है, परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि आन्तरिक वातावरण का महत्त्व कम है। दोनों वातावरण का महत्त्व अपनी-अपनी जगह अभूतपूर्व और आवश्यक है। मानव का विकास यद्यपि जीवन-पर्यन्त चलता रहता है, परन्तु 'बाल-विकास' विषय में परिपक्वावस्था तक होने वाले विकासों का ही अध्ययन किया जाता है।

मनोविज्ञान में विशिष्ट उपागम के रूप में बाल-विकास विषय- मानव व्यवहारों के अध्ययन के लिए बाल-विकास विषय में कई विशिष्ट उपागम या विचार-पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख निम्न प्रकार हैं:-

1. प्रयोगात्मक उपागम - इस उपागम के द्वारा बाल-विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में कार्य-कारण सम्बन्ध को जानने का प्रयास किया जाता है। इस उपागम के द्वारा एक विशिष्ट व्यवहार किस परिस्थिति में उत्पन्न होता है या एक परिस्थिति-विशेष में व्यक्ति किस प्रकार के व्यवहार की अभिव्यक्ति करेगा, यह अध्ययन किया जा सकता है।
2. दैहिक उपागम - नाड़ी संस्थान प्राणी के शरीर की सम्पूर्ण क्रियाओं को नियन्त्रित करता है ये क्रियायें शारीरिक भी हो सकती हैं और मनोवैज्ञानिक भी हो सकती हैं। शारीरिक वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य मुख्यतः हारमोन्स और ग्रन्थियों की क्रियाशीलता से सम्बन्धित होता है। इन हारमोन्स और ग्रन्थियों की क्रियाशीलता **Autonomic Nervous System** द्वारा संचालित होती है। बाल-विकास को देहिकशास्त्र के ज्ञान के द्वारा भी समझा जा सकता है क्योंकि जैविक आत्म तथा मानसिक आत्म एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होती है। गर्भकालीन शिशु और नवजात शिशुओं के व्यवहार से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान मुख्य रूप से इस उपागम द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
3. विकासात्मक उपागम - बाल-विकास की समस्याओं के अध्ययन के लिए विकासात्मक उपागम भी अपनाया जाता है। विकासात्मक उपागम अपनाने का मुख्य कारण यह है कि जब बालक एक नई विकास-अवस्था में पहुँचता है तब उसमें कुछ नई रुचियाँ, कुछ नई अभिवृत्तियाँ, कुछ नए लक्षणों, कुछ नए शीलगुणों का एक विशिष्ट समुच्चय, विकसित या निर्मित होता है। इस प्रकार के विशिष्ट समुच्चय कई विकास-अवस्थाओं में निर्मित होते देखे गए हैं। अतः इस प्रकार की समस्याओं को समझने में विकासात्मक उपागम ही अधिक उपयोगी है। इस उपागम के द्वारा विकास की मात्रा, गति और विकास की विशिष्टताओं आदि की जानकारी अलग-अलग तथा सम्पूर्ण रूप में भी होती है।
4. व्यक्तित्व-सम्बन्धी उपागम - बाल-विकास विषय की समस्याओं को समझने का एक यह भी उपागम है क्योंकि बालक का प्रत्येक व्यवहार उस बालक के व्यक्तित्व के किसी न किसी पहलू को अभिव्यक्त करता है। जन्म से ही व्यक्तित्व का

निर्माण प्रारम्भ हो जाता है। भिन्न-भिन्न व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का व्यवहार भी भिन्न-भिन्न होता है। अनेक अध्ययनों में देखा गया है कि व्यक्तित्व के शीलगुणों की स्थिरता व्यक्तियों के समायोजन, अभिवृत्तियों और आदतों आदि के निर्माण से सम्बन्धित होती है। अतः व्यक्तित्व के शीलगुणों के आधार पर व्यक्ति के समायोजन, अभिवृत्तियों और आदतों आदि के सम्बन्ध में भविष्यवाणी की जा सकती है। अतः बाल-विकास अध्ययनों में व्यक्तित्व उपागम भी उपयोगी है।

5. एक विशिष्ट अध्ययन-प्रणाली के रूप में बाल-विकास विषय - बाल-विकास विषय बाल-मनोविज्ञान का ही एक विकसित रूप है जिसकी अपनी विशिष्ट अध्ययन-प्रणाली है। बाल-विकास की विकासात्मक प्रकृति वाली समस्याओं का अध्ययन दो प्रणालियों द्वारा किया जाता है। पहली समकालीन अध्ययन-प्रणाली है तथा दूसरी दीर्घकालीन अध्ययन-प्रणाली है।

बाल-विकास के क्षेत्र में गर्भधारण अवस्था से युवावस्था तक के मानव की सभी व्यवहार सम्बन्धी समस्याएँ सम्मिलित हैं। इस अवस्था के सभी मानव व्यवहार सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जाता है। इन अध्ययनों में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में कौन-कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन किन कारणों से, कब और क्यों होते हैं तथा इन क्रमिक परिवर्तनों में कौन-कौन-सी अन्तर्निहित प्रक्रियाएँ हैं, यदि। बाल-विकास का क्षेत्र दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि बाल-मनोविज्ञान की सीमाओं और सीमित ज्ञान के कारण ही बाल-मनोविज्ञान का नया नाम बाल-विकास हो गया है। बाल-मनोविज्ञान के अध्ययन और अनुसन्धान की वस्तु हैं- गर्भधारण से युवावस्था तक के मानव की विभिन्न व्यवहार समस्याएँ। बाल-विकास के अध्ययन क्षेत्र में आज भी अनेक समस्याएँ ऐसी हैं जो अनुसन्धान के लिए मनोवैज्ञानिकों की प्रतीक्षा कर रही हैं। बाल-विकास में अनेक समस्याएँ होने का मुख्य कारण है कि बालक विकासशील प्राणी है जो स्थानीय दृष्टि से एक भिन्न इकाई है, जो विभिन्न वातावरण और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों में संगठित पूर्ण के रूप में व्यवहार या कार्य करती है। यह इकाई ऐसी पृष्ठभूमि में रहती है जो साधारण न होकर जटिल है और इस इकाई के व्यवहार के विकास और क्रमिक परिवर्तनों को निरन्तर प्रभावित करती रहती है। बाल विकास मुख्यतः जैविक, संज्ञानात्मक व सामाजिक-सांवेगिक से प्रभावित होता है जैविक प्रक्रियायें बालकों में शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न करती हैं। मस्तिष्क विकास, माता-पिता से मिले जीन्स, भार व ऊँचाई में वृद्धि, गत्यात्मक कौशल, किशोरावस्था में हारमोन परिवर्तन इत्यादि सभी विकास में जैविक प्रक्रियायों की भूमिका दर्शाते हैं।

बालकों के विचार, बुद्धि व भाषा परिवर्तन को संज्ञानात्मक प्रक्रियायें कहा जाता है, उदाहरण के तौर पर एक बालक का दोहा को याद करना, गणित में सवाल का हल ढूँढ लेना, कल्पना की उड़ान भरना इत्यादि संज्ञानात्मक प्रक्रियायें हैं।

जन्म से पूर्व की विकास अवस्था में मुख्यतः तीन प्रकार की विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है-शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास तथा सांवेदनिक विकास। गर्भस्थ शिशु के शारीरिक अंगों की लम्बाई-चौड़ाई बढ़ने के साथ-साथ प्रारंभ हो जाता है और साथ ही साथ उसमें विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं का विकास भी प्रारम्भ हो जाता है। बाल-विकास में उपर्युक्त सभी प्रकार की विकास प्रक्रियाओं का तथा उनकी गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। जन्म से बाल्यवस्था तक मुख्यतः शारीरिक, मानसिक, सांवेदनिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक गत्यात्मक और भाषा सम्बन्धी विकास का अध्ययन किया जाता है। बाल्यावस्था के पश्चात् किशोरावस्था तक मुख्यतः शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक विकास प्रक्रियाओं के अध्ययन के साथ-साथ उनकी विभिन्न समायोजन सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन, व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन तथा उनकी अभिवृत्तियों और रुचियों के विकास आदि से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इन सभी प्रकार के विकास में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों में अन्तर्निहित मेकैनिज्म का अध्ययन किया जाता है।

विकास के नियम और सिद्धान्त- बाल-विकास अध्ययनों का मुख्य उद्देश्य सामान्य बालकों के विकास-प्रतिमानों का अध्ययन करना है तथा इनके कारणों की जाँच करना है। प्राणी में वृद्धि और विकास के चलते रहने से प्राणी में सक्रियता और उसका जीवन चलता रहता है। बाल-विकास के अन्तर्गत विकास क्या है? वृद्धि क्या है? विकास प्रतिमानों का महत्त्व क्या है? विकास के नियम क्या हैं? विकास को प्रभावित करने वाले कारकों तथा विकास सिद्धान्तों आदि प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है।

चरित्र का विकास- चरित्र बालक के अनेक गुणों का योग है। यह गुण उसके आदर्शों, बाह्य व्यवहार और अभिवृत्तियों आदि से सम्बन्धित होता है। बालक जब विद्यालय जाना प्रारम्भ करता है तब उसे थोड़ा बहुत उचित-अनुचित का ज्ञान हो जाता है और भले-बुरे की भावना का विकास हो जाता है। सामाजिक और नैतिक मूल्यों के अधिगम का महत्त्व, नैतिक विकास प्रतिमान, नैतिक विकास की अवस्थाएँ, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक और दुराचार आदि का अध्ययन चरित्र के विकास के अन्तर्गत बाल-विकास में किया जाता है।

सृजनात्मकता का विकास-सृजनात्मकता की लोकप्रिय परिभाषाओं में इस बात पर बल दिया जाता है कि सृजनात्मकता में कुछ नई और भिन्न चीज का निर्माण होता है, अतः व्यक्ति के उत्पादन या उसकी रचना से सृजनात्मकता का मापन किया जा सकता है। परन्तु हमेशा यह आवश्यक नहीं होता है कि सृजनात्मकता से उत्पादन ही होता है। सृजनात्मकता का बुद्धि से

सम्बन्ध, सृजनात्मकता और व्यक्तित्व, बालकों के लिए सृजनात्मकता का महत्त्व और विकास, बालकों के लिए सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक आदि समस्याओं का अध्ययन बाल-विकास: बाल मनोविज्ञान के अन्तर्गत किया जाता है।

बाल्यावस्था की रुचियाँ-रुचियाँ एक प्रकार की सीखी हुई अभिप्रेरणाएँ हैं। बालक के जीवन में रुचियों का महत्त्वपूर्ण स्थान और कार्य है क्योंकि व्यक्ति क्या और कैसे करेगा यह बहुत कुछ उसकी रुचियों द्वारा ही निर्धारित होता है। जब एक व्यक्ति अपनी पसन्द के आधार पर कोई कार्य करने को अथवा कोई क्रिया करने को स्वतन्त्र होता है तो वह अपनी इन क्रियाओं को अपनी रुचि के आधार पर चुनता और करता है। बाल्यावस्था में रुचियों का विकास, बालकों की रुचियों को ज्ञात करने की विधियाँ, बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख रुचियाँ आदि समस्याओं का अध्ययन बाल-विकास मनोविज्ञान के क्षेत्र के अन्तर्गत किया जाता है।

अभिभावक-बालक सम्बन्ध- बालक के व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में अभिभावक और परिवार की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। बालक को माँ से वंचित रखकर जो अध्ययन हुए हैं उनसे यह तथ्य प्रकाश में आया है कि बालक के विकास पर प्रारम्भिक पारिवारिक अनुभवों का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अभिभावक-बालक सम्बन्ध का विकास, अभिभावक-बालक सम्बन्धों के निर्धारक, पारिवारिक सम्बन्धों में "तस आदि समस्याओं का अध्ययन बाल-मनोविज्ञान: बाल-विकास मनोविज्ञान के क्षेत्र के अन्तर्गत किया जाता है।

अन्य समस्याएँ-बाल-विकास में उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य अनेक समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है त्रुट जैसे-वंशानुक्रम से सम्बन्धित समस्याएँ, प्रशिक्षण से सम्बन्धित समस्याएँ, सामाजिक अधिगम तथा कौशलों आदि के अधिगम से सम्बन्धित समस्याएँ, बालक के समाजीकरण से सम्बन्धित समस्याएँ, बालक के व्यक्तित्व से सम्बन्धित समस्याएँ आदि। इन समस्याओं में भी क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है त्रुट साथ ही साथ इन विकास के क्रमिक परिवर्तनों की प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं को मेकैनिज्म का अध्ययन का बाल-विकास के अन्तर्गत किया जाता है।

संदर्भ सूची

पियाजे, जे. (1959): *लैंग्वेज एण्ड थोट ऑफ़ दी चाइल्ड, अनुवाद मारजोरी व रुथ गबेन (लन्डन: रटलेज)*

हरगनहाटन, बी.आर. और ओलसन, एम. (2005) : *एन इन्ट्रोडक्शन टू लर्निंग थियोरी (नई दिल्ली: प्रेन्टिस हॉल)*

बुल्फोक, ए. (2004): *एजुकेशनल साइकोलोजी (दिल्ली: पियरसन)*

रंगनाथन, सन. (2000): *आवर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन (दिल्ली: ओरिएन्ट लॉन्गमैन)*

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (2008): *वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन चाइल्ड प्रिवेन्शन (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन)*

चॉम्स्की, एन. (1995): *लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ़ लैंग्वेज थ्योरी (कैम्ब्रिज: एम आई टी प्रेस)*

हैल, एल.ए. एवं जीगलर, डी.जे. (1990): *पर्सनेलटी थियोरीज (न्यूयॉर्क: मैकग्राँ हिल)*

फोकस टीम (2006): *छह साल से कम उम्र के बच्चों पर फोकस (दिल्ली: राइट टू फूड)*

पियाजे, जे (1962): *कमेंट्स ऑन वार्डगॉट्स्कीज क्रिटिकल रिमार्क्स कन्सर्निंग दी लैन्ग्वेज एण्ड थॉट ऑफ़ दी चाइल्ड, एण्ड जजमेन्ट एण्ड रीजनिंग इन दी चाइल्ड (मैससेच्यूसेट्स: एम.आई.टी. प्रेस)*

वार्डगॉट्स्की, एल.एस. (1978): *माइन्ड इन सोसायटी (कैम्ब्रिज: हार्वर्ड युनिवर्सिटी प्रेस)*

सांप्रदायिकता के सैद्धांतिक पक्ष एवं भारतीय राजनीति

डॉ० मो० खुर्शीद आलम

ग्राम+पो०- भखराईन, प्रखण्ड- मधेपुर, जिला- मधुबनी (बिहार)

भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सांप्रदायिक भेद-भाव की आम समस्या तथा इस समस्या के विशेष राजनीतिक रूपों के बीच फर्क करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हाल के वर्षों में मुस्लिम लीग का उदय और पाकिस्तान की मांग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये समस्याएँ राजनीतिक रूप धारण कर चुकी हैं, जिस कारण विभिन्न तरह के प्रश्न उठते रहेंगे, जिसका सीधा जवाब देना किसी के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है।

इस देश में लगभग दो तिहाई आबादी हिन्दुओं की है तथा एक चौथाई मुसलमानों की और इसके अतिरिक्त कुछ छोटे-छोटे संप्रदाय हैं जो आबादी का 10वां भाग है। इसलिए सांप्रदायिक समस्या के नाम से या अलग-अलग धार्मिक संप्रदायों के आपसी संबंधों के रूप में जो प्रश्न सामने आता है, भारत में उसकी कुछ अपनी विशेषताएँ हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए यह एक गंभीर समस्या है, लेकिन यह ऐसा कोई सवाल नहीं है जो सिर्फ भारत में ही देखने में लगता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न मसलों और धर्मों के लोगों को एक ही देश में रहने के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी तो दंगा-फसाद और खून-खराबा भी हो सकता है। 20वीं सदी के विश्व से ही अवलोकन किया जाय तो हमें इस तरह की समस्याएँ देखने को मिल जाती है। उत्तरी आयरलैण्ड में ऑरेंजमेन और कैथोलिकों का झगड़ा शासनादेश के दिनों में फिलिस्तीन में अरबों और यहूदियों का संघर्ष जाशहाही रूप में स्लाव लोगों और यहूदियों का संघर्ष, नाजी जर्मनी में तथाकथित, आर्यों तथा यहूदियों का झगड़ा, ये सब कुछ ऐसे मसले हैं, जिनसे पता चलता है कि साम्राज्यवादियों ने भेद-भाव की नीति हर जगह अपनाते का काम किया। यूरोप में आज यहूदी विरोध की जो भावना देखने को मिलती है, उससे पता चलता है कि अलग-अलग नस्ल या धर्म पर आधारित भेद-भाव तथा विरोध कितनी तेजी से सामने आ सकती है।

फिलिस्तीन जब तक ब्रिटेन के संरक्षण में नहीं आया था, अरब और यहूदी लोग सदियों से शांतिपूर्ण जीवन बिताते रहे। ब्रिटेन का शासन कायम होने के बाद और साम्राज्यवादियों द्वारा अपनी ताकत के बल पर तथा पश्चिमी महाजनी पूंजी के संरक्षण में यहूदियों का आयोजन शुरू होने के बाद से हिंसात्मक संघर्षों की शुरुआत हुई। इन संघर्षों को कभी-कभी नस्लवादी या धार्मिक संघर्ष का नाम दिया जाता रहा है लेकिन सच्चाई यह है कि यह संघर्ष आक्रमण और विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ आजादी के लिए चलाये जाने वाले राष्ट्रीय संघर्ष ही है।

जारशाही रूस में और खासतौर पर जारशाही के पतन के दिनों में यहूदियों की जितनी हत्याएँ हुई, कभी भी उसकी मिसाल नहीं है। संपूर्ण विश्व इस कत्लेआम को देखकर हैरान रह गया और इन घटनाओं से इतिहास के बेशुमार उदाहरण पेश किये गये हैं। इस तरह की हिंसात्मक घटनाओं से यह समझा जाता था कि रूस की जनता मूर्ख और जंगली है तथा उसके अनियंत्रित उपद्रवों के कारण हिंसा का सहारा लेना पड़ा, लेकिन बाद के वर्षों में खुफिया रिपोर्ट के अनुसार इस कत्लेआम के लिए सरकार ने सीधे तौर पर पहल की थी तथा संचालन भी किया था।

इस प्रतिवेदन के पूर्व तक लोग ब्लैक हण्ड्रेड्स या पौट्रियाटिक नामक गुण्डा संगठनों के साथ सरकार के अनोखे सम्बन्धों की ओर संकेत करते थे। जिस दिन से रूस की जनता ने अपना देश का शासनभार स्वयं संभाल लिया, उस दिन से ही इस तरह के हत्याकांड भी बिल्कुल समाप्त हो गए। आज सोवियत गणराज्य में तमाम तरह की नस्लों और विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग बहुत चैन के साथ रहे हैं।

जर्मनी में वाइमर प्रजातंत्र के दिनों में जर्मन और यहूदी लोग शांतिपूर्वक साथ-साथ रहते थे। जब जर्मनी में नाजियों का शासन कायम हुआ, तो हत्याकाण्ड जारशाही रूस की बजाय मध्य यूरोप में होने लगा। इस प्रकार भिन्न-भिन्न नस्लों, संप्रदायों एवं धर्मों के लोग एक साथ रहें तो भी इस तरह की कठिनाइयों का होना स्वाभाविक ही है। ये कठिनाइयाँ सामाजिक, राजनीतिक आदि परिस्थितियों से उत्पन्न होती हैं। विशेष रूप से कठिनाइयाँ उन देशों में पैदा होती हैं जहाँ कोई प्रतिक्रियावादी सरकार जनता के आंदोलन के खिलाफ अपने को बनाये रखने का प्रयास करती है। इस तरह की परिस्थितियाँ यदि कहीं पैदा हो रही हों, तो यह समझना चाहिए कि अब इस शासन व्यवस्था को कोई भी ताकत रोक नहीं सकती।

भारत में अभी इसी तरह की समस्याएँ हैं। यहाँ लगभग 25 करोड़ 40 लाख से अधिक हिन्दू रहते हैं, जो कुल आबादी का 65.93 प्रतिशत है। इनमें से 19 करोड़ लोग भारत में रहते हैं जहाँ उनका अनुपात कुल जनसंख्या का 64.5 प्रतिशत होता है और साढ़े छः करोड़ लोग देशी रियासतों में रहते हैं, जहाँ उनका अनुपात रियासतों की कुल आबादी का 23.81 प्रतिशत है। यहाँ मुस्लिमों की जनसंख्या 9 करोड़ 20 लाख है जो कुल आबादी का 26.84 प्रतिशत होता है और 1 करोड़ 20 लाख से भी अधिक मुस्लिम समुदाय देशी रियासतों में रहते हैं, जहाँ उनका अनुपात आबादी का 13.93 प्रतिशत होता है।

अंग्रेजों के भारत आने से पूर्व यहाँ इस तरह के हिन्दू-मुस्लिम झगड़े कभी देखने को नहीं मिले, जैसा कि खासतौर पर इसके अंतिम दिनों में देखने को मिला। किसी एक रियासत का दूसरी रियासत के साथ संघर्ष भी हुआ और कभी यह भी देखने को मिला कि एक सियासत का राजा हिन्दू है और दूसरे का मुसलमान। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि यह झगड़ा हिन्दू-मुस्लिम के संघर्ष का रूप हो। मुस्लिम शासक हिन्दुओं को बिना किसी हिचकिचाहट के अपने यहाँ ऊँचे से ऊँचे पदों पर नियुक्त किया करते थे और हिन्दू शासन भी मुस्लिमों के प्रति इसी तरह का व्यवहार करते थे।

यह देशी रियासतों में आज भी देखने को मिलता है। एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा देशी रियासतों में सांप्रदायिक संघर्ष का अपेक्षाकृत काफी अभाव है। इसके बाद के वर्षों में जहाँ-जहाँ सांप्रदायिक संघर्ष का पता चला, जैसे 1931-32 में कश्मीर में जहाँ संघर्ष की बुनियाद में सांप्रदायिक प्रश्नों की कोई तरजीह नहीं दी गई थी, उसमें संघर्ष के मुद्दे कुछ और थे और साम्राज्यवादियों ने इन संघर्षों को सांप्रदायिक संघर्ष कहकर प्रचारित किया। यद्यपि इन संघर्षों का सांप्रदायिक मामलों से कोई सम्बन्ध नहीं था। कश्मीर में मुस्लिमों ने जो आबादी के हिसाब से 4/5 भाग थी। वे सब अपने राजा के खिलाफ आवाज उठाई, जबकि उसका राजा हिन्दू था। इस प्रकार इस विद्रोह को सांप्रदायिक विद्रोह की संज्ञा दी गई। एक समाचार-पत्र के अनुसार यह एक अजीब स्थिति है कि सांप्रदायिक विद्रोह के बावजूद एक भी हिन्दू नहीं मारा गया। वस्तुतः जैसे-जैसे भारतीय रियासतों में जनता का विद्रोह तेज होता गया और शक्तिग्रहण करता गया, वैसे-वैसे इन रियासतों में जनता के बीच भेद-भाव पैदा करने का प्रचलित प्रतिक्रियावादी तरीका अपनाया जाने लगा।

साइमन कमीशन के प्रतिवेदन में दो बिन्दुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, जहाँ अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन है। दूसरी देशी रियासतों में यह विरोध कम है। हालांकि इन दोनों इलाकों की आबादी एक सी नहीं होने के कारण देशी रियासतों तथा ब्रिटिश इलाकों की सीमाएँ सिर्फ प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही निर्धारित की गयी है। दूसरी बात है कि ब्रिटिश भारत के इलाकों में भी यह विरोध अभी हाल के वर्षों में बढ़ा है और एक पीढ़ी पूर्व तक ब्रिटिश भारत में ऐसे सांप्रदायिक संघर्ष बहुत कम थे, जिनसे जन-जीवन की शांति को कोई खतरा नहीं है। अतः सांप्रदायिक संघर्ष ब्रिटिश शासन की ओर खासतौर पर उसके अंतिम दिनों की अर्थात् साम्राज्यवादी प्रभुत्व के पतन के दौर की विशेष देन है।

इस धारणा से सरकारी महकमों में काफी रोष पैदा हुआ कि भारत में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने की मूल जिम्मेवारी अंग्रेजों के शासन की है। स्तब्धता और रोष प्रकट किया जाना कोई तर्क नहीं है, क्योंकि साम्राज्यवाद सीजर की सम्बन्धी नहीं है। साम्राज्यवादियों के छल-कपट से भरे दस्तावेज इतने हैं कि अत्यंत जाहिर तथ्यों को पाखण्डपूर्ण ढंग से नकारने से विश्व जनमत धोखा नहीं खा सकता।

शुरूआती दौर में अंग्रेज शासकों ने 'फूट डालो, राज करो' सिद्धांत की खुलेआम घोषणा की, लेकिन बाद में इन घोषणाओं के प्रति सतर्कता का रूख अपनाने लगे। एक अंग्रेज अधिकारी ने लिखा है— राजनीतिक नागरिक अथवा सैनिक हर क्षेत्र में हमारे भारतीय प्रशासन का मूल वाक्य 'फूट डालो और राज करो' होना चाहिए। 19वीं सदी के मध्य एक अंग्रेज पदाधिकारी ने स्वयं कहा था— हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हम पूरी ताकत के साथ विभिन्न धर्मों और जातियों के बीच मौजूदा भेद-भाव को बना रहने दें। हमें इस भेद-भाव को जड़ से मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। 'फूट डालो और राज करो' ही भारतीय सरकार का सिद्धांत होना चाहिए।

सन् 1888 में भारतीय मामलों के अधिकारिक विद्वान सर जॉन स्ट्रेवो ने लिखा कि 'सच्चाई यह है कि भारत में एक-दूसरे की विरोधी जातियों का साथ-साथ रहना ही हमारी राजनीतिक स्थिति के लिए एक ठोस आधार प्रस्तुत करता है। एक अन्य जगह पर अपनी टिप्पणी देते हुए उन्होंने कहा है कि यह पुराना सूत्र वाक्य 'फूट डालो और राज करो' भारत में हमारी सरकार की नीति और व्यवहार के जितना विरुद्ध है, शायद ही कोई दूसरी चीज इतनी खिलाफ है। हमारी युद्धकारी सभ्यता का एक आवश्यक कर्तव्य रहा है कि सभी वर्गों के बीच शांति बनाये रखने की मान्यता दी जाय, लेकिन इसकी वजह से हमें इस तथ्य से आँख नहीं मुंद लेना चाहिए कि इन विरोधी तत्वों का एक साथ अस्तित्व बना रहना ही भारत में हमारी राजनीतिक स्थिति का सबसे मजबूत मुद्दा है। मुसलमानों के बेहतर वर्गों को हम अपने लिए कमजोरी का नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत मानते हैं। वे संख्या की दृष्टि से अपेक्षाकृत थोड़े हैं, लेकिन उनमें काफी उत्साह है, उनके राजनीतिक हित हमारे ही हितों जैसे हैं और वे किसी भी स्थिति में हिन्दुओं के बजाय हमारे शासन को ज्यादा पसंद करेंगे।

महात्मा गाँधी ने कहा है कि किस प्रकार कांग्रेस के संयुक्त संस्थापक ए० आ० ह्युम ने उनसे साफ-साफ कहा था कि 'फूट डालो और राज शासन करो' की नीति पर ब्रिटिश सरकार दृढ़ है। वर्ष 1910 में एक विचारक ने मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में लिखा है— अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसम्बर 1906 में हुई। इसमें इतनी अधिक राजनीतिक सफलताएँ मिली हैं कि लोगों को यह संदेह होने लगा है कि इस संगठन के पीछे काफी घातक शक्तियों का हाथ है। मुस्लिम लीग की माँग पर मॉर्लेमिन्टो सुधार (1909) के माध्यम से मुसलमान के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई। मुस्लिम अलगाववाद का बीज यहीं से डाला गया।

यह भी संदेह किया जाता है कि मुस्लिम नेताओं को कुछ अंग्रेज अधिकारियों से प्रेरणा मिली है। ये लोग शिमला और लंदन में ही बैठे-बैठे अपने इशारे पर मुस्लिम नेताओं को बचा रहे हैं, तथा मुसलमानों के साथ विशेष पक्षपात करके हिन्दू और मुसलमानों के बीच जानबूझ कर मनमुटाव को बढ़ावा दे रहे हैं।

बाद के वर्षों में जो प्रमाण मिले हैं, उनसे यह संदेह और भी पुष्ट हो जाता है। 1926 में एक चिन्तक ने कुछ समय तक भारतीय मामलों के मंत्री का पद संभालने के बाद और सभी दस्तावेजों को देखते हुए एक पत्र लिखा— जिस भी व्यक्ति को भारतीय मामलों की अच्छी जानकारी है, वह इस बात से इनकार करने को तैयार नहीं होगा कि ब्रिटिश अफसरशाही आमतौर पर मुसलमानों का पक्ष लेती है। कुछ हद तक तो यह पक्षपात सहानुभूति के कारण होता है। ज्यादातर इसका उद्देश्य हिन्दू राष्ट्रवादिता के खिलाफ मुसलमानों को इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। हाल के दिनों में इसी तरह के बुनियादी दृष्टिकोण को बड़ी ही चालाकी के साथ व्यक्त किया गया है। एक अखबार के अनुसार— हिन्दू-मुस्लिम समझौते के बुनियादी महत्व पर जोर देने का अर्थ यह नहीं है कि अंग्रेज 'फूट डालो और राज करो' की नीति का पालन कर रहा है। दोनों संप्रदायों के बीच फूट मौजूद है और जब तक यह फूट बनी रहेगी, तब तक अंग्रेजों का शासन भी निश्चित रूप से बना रहेगा। इस प्रकार सांप्रदायिकता के कारणों पर विचार के बाद इसके क्रमिक विकास पर विचार किया जाएगा।

संदर्भ सूची

1. रजनीयाम दत्त — आज का भारत, मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड, 1996 पृ०-460.
2. भारत और लोकतंत्र — भाग-1, बिहारस्टेट टेक्स्टबुक पब्लिकेशन, पटना— पृ०-206.
3. डॉ० सत्या एम० राय — भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली वि० विद्यालय 199 पृ०—480.
4. विपिन चंद्र—आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली—प्रथम सं०—1996 पृ०-2.
5. जवाहरलाल नेहरू—सलेक्टड वर्क्स, संपा—गोपाल संस नई दिल्ली 1982 खण्ड-6, पृ०-107.

पंथ निरपेक्षता का उद्भव और विकास: एक अध्ययन

डॉ० जोनी इम्मानुएल तिरकी
दिलावरपुर, मिल्कीचक, दरभंगा

भारतीय संविधान के निर्माण के बाद यहाँ के विभिन्न पार्टियों के राजनेताओं द्वारा इस बात पर जोर देते हुए कहा कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष है। यह शब्द अंग्रेजी के 'सेक्युलर' शब्द के समानार्थी के रूप में प्रयुक्त किया गया था। जिन विद्वानों को धर्म शब्द का अर्थ व्याप्ति का ज्ञान था, उस समय उनका मानना था कि यह धर्मनिरपेक्ष शब्द बिल्कुल गलत है। हिन्दी साहित्य के प्रख्यात लेखक महादेवी वर्मा के अनुसार— 'हम अपने धर्म के प्रति निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं।' रिलीजन शब्द का पर्याय मत पंथ या सम्प्रदाय है, धर्म नहीं। धर्म का उपासना पद्धति से कोई सम्बन्ध नहीं है। आचार्य मनु के अनुसार—

धृति क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विष्णु सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम्।

यही धर्म की मुख्य परिभाषा है। इसमें कहीं भी पूजा-पद्धति की बातें नहीं की गई हैं। इस श्लोक में जिन दस बातों को महत्त्व दिया गया है, उन सबों का सम्बन्ध मनुष्य के दैनिक जीवन तथा आचरण से जुड़ा हुआ है।

भारत की यह परम्परा रही है कि कोई भी सम्राट अपनी प्रजा को अपनी इच्छा और विवेक के अनुसार ईश्वर की उपासना करने की स्वतंत्रता देता था, जो ईश्वर के या वेदों के अस्तित्व या प्रधानता को स्वीकार नहीं करते थे। उन्हें अपनी मान्यता के अनुरूप आचरण करने और अपने दृष्टिकोण तथा विचार का विचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। हिन्दी ग्रन्थों में और दैनिक बातचीत में 'इष्टदेवता' शब्द प्रचलित है, जिसका अर्थ अपनी रूचि है। तुलसीदास जी का कहना है— तुलसी सरनाम गुलाम है राम को जाको रूचौं सो कहै साईं कोई। तुलसी के इष्ट राम हैं। वे अन्य स्वरूपों का अपमान नहीं करते, लेकिन हर जगह अपने आराध्य को ही देखते हैं। वृन्दावन आकर श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए उनका कहना है— तुलसी मस्तक तब नवै धनुष वाण लेहु हाथ'। रूचि के अलग-अलग होने के कारण ही विभिन्न पंथ हुए हैं। कोई भी पंथ हेय नहीं होता, तथा घृणास्पद भी नहीं है। अपने आराध्य के निकट जाने के लिए बहुत से रास्ते हैं, कोई एक पंथ नहीं, क्योंकि नदियाँ अंत में समुद्र में ही विलीन हो जाती हैं।

रोम के सम्राट कौन्स्टेन्टाइन ने जब ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया तब शासन ने यह प्रयास किया कि सभी लोग ईसा के मार्ग को अपनाएँ। जो इस बात को नहीं मानते थे, उन पर विभिन्न तरह के अत्याचार किए गए, कई तरह की यातनाएँ दी गईं, स्पेन में 'इंक्विजिशन' हुआ। प्रत्येक व्यक्ति की राज्य प्रतीक्षा करता था कि वह ईसाई है या नहीं। यदि वह परीक्षण में सफल नहीं होता तो प्रायः उसे मार दिया जाता था। इसलिए ईसाई धर्म नगरों में तो फैल गए, किन्तु यूरोप के गाँवों में

लोग पुराने पंथ के अनुयायी बने रहे खासकर महिलायें पुराने पर्व और रीति-रिवाज मनाती थी। उन गाँव वालों को विलेन और महिलाओं को जादुगरनी की संज्ञा दी गई। इस तरह की महिलाओं को राजा की आज्ञा से लकड़ी के खम्भे से बाँधकर जला दिया जाता था। जॉन ऑफ आर्क को इसी तरह 1431 में जलाया गया था। पूरे यूरोप में पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था क्योंकि पोप का अर्थ 'पिता' होता है। विवाह, उत्तराधिकार आदि के नियम राज्य नहीं पोप बनाता था। पोप के द्वारा ही यह तय किया जाता था कि शिक्षा कैसी हो और कौन-सी पुस्तकों का अध्ययन कराया जाय। लगभग 1500 वर्षों तक बाइबल का अनुवाद अंग्रेजी में करने की अनुमति नहीं थी। इसके लिए जिन व्यक्तियों ने प्रयास किया, उन्हें मृत्युदण्ड दी गई। मृत्यु के कुछ वर्ष बाद उसके अस्तियों को जलाया गया, ताकि उसे नरक मिले। जब पोप और रोमन कैथोलिक चर्च के विरोध में एक नया सम्प्रदाय बना तो उसे विरोधी कहा गया। रोमन कैथोलिक की एक शाखा 'ऑर्थोडॉक्स' चर्च बन गयी, जिसका मुख्यालय कुस्तुनतुनिय में था। रूस में इस चर्च के अधिक अनुयायी हुआ करते थे। यूरोप के राज्य में जब एक पंथ को मानने वाला राजा हो जाता था तो वह अन्य पंथों को नष्ट करने का प्रयास करता था। यूरोप में 13वीं शताब्दी से शुरू होकर लाखों नर-नारी इस धर्मभेद के शिकार हुए।

सम्पूर्ण उत्तरी-दक्षिणी और मध्य अमेरिका में स्थानीय इंडा, मय, अज, टेक आदि संस्कृतियों को बलपूर्वक नष्ट कर दिया गया। स्थानीय लोगों की हत्या कर दी गई और ईसाई बना दिया गया, जिसकी संख्या करोड़ों में है। ऑस्ट्रेलिया को जोड़ लें तो तीन महाद्वीपों से स्थानीय धर्म और संस्कृति को नष्ट कर दिया गया। इंग्लैण्ड से अमेरिका चार जहाजों में जो लोग गए थे, वे 'प्रेसविटेरियन' थे। इंग्लैण्ड का राजा एंग्लिकन मत का था। वह एंग्लिकन चर्च का सर्वोपरि प्रधान था। आज भी महारानी एलिजाबेथ ही एंग्लिकन चर्च की प्रधान हैं। इंग्लैण्ड में शासन के अत्याचारों से बचने के लिए वे लोग जिन्हें अमेरिका में पिलग्रिम फादर्स (तीर्थ यात्री पितृगण) नाम दिया गया, अमेरिका गए थे।

इंग्लैण्ड में 1534 में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। पोप से सम्बन्ध विच्छेद की सम्राट हेनरी अष्टम ने एंग्लिकन चर्च की स्थापना की, जिसमें सम्राट सर्वसर्वा हो गया। उसके बाद उसकी पुत्री क्वीन मेरी ने एंग्लिकन चर्च को नष्ट करने के लिए अनेक कदम उठाये। आर्चबिशप क्रेनर और बिशप रिडली तथा लेटिमेर को जिन्दा जला दिया गया। एलिजाबेथ (1558-1601) ने पुनः एंग्लिकन चर्च को प्रतिष्ठित किया। सुधार प्रक्रिया के उपरान्त कैथोलिकों के लंदन में प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया। वे अपने घर से 10 मील की दूरी से अधिक नहीं जा सकते थे। 10 पाउण्ड कीमत से अधिक के घोड़े नहीं रख सकते थे। ऑक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चर्च के अधीन थे। 1854 तक सिर्फ एंग्लिकन चर्च के अनुयायियों को ही प्रवेश मिलता था। 1875 तक शिक्षक होने के लिए एंग्लिकन चर्च का अनुयायी होना अनिवार्य था।

इस प्रकार जब लाखों लोगों ने प्राण गँवा दिए, तब यूरोप में 1648 में वेस्टफेलिया की संधि में तय हुआ कि शासक अपने राज्य में अन्य मतावलम्बियों पर मत परिवर्तन के लिए दबाव डालेगा, इसे 'सेक्युलरिज्म' नाम दिया गया। इसका लक्ष्य राजा और चर्च अर्थात् धार्मिक को अलग-अलग रखना था। पहले तो पूरा यूरोप ही पावन रोम साम्राज्य था। ईसा को पैगम्बर बाइबिल को धर्म की पुस्तक और पोप को ईश्वर का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि मानना अनिवार्य था। लेकिन अब वैसा नहीं रहा, दूसरे पंथों को भी सहन किया जाने लगा। पर उनका आदर नहीं। इसीलिए कहा गया कि अन्य पंथों के प्रति सहिष्णुता होनी चाहिए। यह हिन्दुओं के 'सर्वधर्म समभाव' से बहुत पीछे है। हिन्दू धर्म अन्य धर्मों की तरह कोई धर्म या सम्प्रदाय नहीं है, बल्कि वे जीवन जीने की एक पद्धति है। यहाँ एक बात कहना अनिवार्य होगा कि वे तभी सत्य सिद्ध होंगे जब हिंसायाम् स्तूयते या सा हिन्दू, अर्थात् हिन्दू वह है जो अपने मन, वचन और कर्म तीनों से हिंसा से दूर रहे। हिंसा का सहारा लिया तो हमारे और उनके धर्म के बीच का वैचारिक अन्तर ही समाप्त हो जाएगा। फिर हिन्दू धर्म को जीवन जीने की कोई सर्वमान्य पद्धति कैसे कहा जा सकता है। हिन्दु धर्म मानता है कि जैसी हमारी उपासना पद्धति है, वैसे ही सबकी विश्व में यह अपवाद स्वरूप है।

समाजवाद और पंथ निरपेक्षता:-

1976 के 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए हैं। 'राष्ट्र की एकता' शब्दों के स्थान पर 'राष्ट्र की एकता' तथा अखण्डता शब्द को जोड़ा गया है। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता उद्देशिका में पूर्व से ही निहित है। वोमूर्ति वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति रामास्वामी ने यह व्यक्त किया है कि 'उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढाँचा, राष्ट्र की एकता और अखण्डता पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय तथा न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी तत्त्वों में से है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में मूलभूत संवैधानिक मूल्य अन्तर्निहित है और ये मूल्य मार्गदर्शन करते हैं।

समाजवाद

यद्यपि मूल संविधान में 'समाजवाद' शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसे संविधान के 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 'समाजवादी' शब्द का समावेश उद्देशिका में किया गया है। समाजवाद शब्द की परिभाषा संविधान में नहीं की गई थी। संविधान के 45 वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा उद्देशिका में समाविष्ट समाजवादी शब्द को पारिभाषित करने का प्रयास किया गया है, जिसके अनुसार— सभी प्रकार के शोषण, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक से मुक्ति' इसका अर्थ है।

पंथ निरपेक्षता

भारतीय संविधान के मूल पाठ में 'पंथ निरपेक्षता' शब्द नहीं था। यह शब्द 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गणराज्य से पूर्व एक विश्लेषण के रूप में जोड़ दिया गया। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ इसमें सर्वधर्म समभाव माना गया है। अर्थात् सभी धर्मों को एक समान समझना और सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना रहा है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है— भारत मजहबी या धर्मतंत्रवादी राज्य नहीं है। पंथ के आधार पर भारतीय नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। पंथ के निरपेक्षता संविधान के आधारीक लक्षणों में से एक है। व्यापक अर्थ में राज्य सभी मतों की रक्षा एक समान करेगा। साथ स्वयं किसी भी मत को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा। पंथ निरपेक्षता विधि द्वारा प्रतिपादित है और राज्य धर्म के मामले में तटस्थ रहेगा।

इस्लाम का प्रारंभ ही अन्य धर्मों के पूजा स्थलों के ध्वंस से हुआ। मक्का में 360 मूर्तियाँ थी, जिन्हें भिन्न-भिन्न जनजातियों द्वारा पूजा की जाती थी। एक पवित्र महीने में सभी जनजातियाँ अपने-अपने देवता की पूजा के लिए मक्का आती थी। इससे मक्का वासियों को प्रतिवर्ष बड़ी राशि प्राप्त होती थी। मुहम्मद साहब के स्वर्गारोहण के बाद सन् 632 में अबूबक्र खलीफा बने। उनकी मृत्यु के पश्चात् 634 में उमर खलीफा बने। किन्तु 644 में उनकी भी हत्या कर दी गई। तीसरे खलीफा उस्मान 644 से 656 तक रहे लेकिन उनकी भी हत्या हो गई। इसके बाद मोहम्मद साहब के दामाद और चचेरे भाई अली ने गद्दी संभाली तथा उन्हें भी 661 में मार दिया गया।

इमाम अली के पक्षधरों का मानना था कि उन्हें ही पैगम्बर के बाद खलीफा बनाया जाना था। प्रारंभ के तीन खलीफा अनुचित ढंग से गद्दी पर बैठ गए। इमाम अली के बाद उनके दो पुत्र हसन और हुसैन की भी हत्या कर दी गयी। यह दुखद घटना करबला में हुई। उन्हीं की याद में मोहर्रम का मातम मनाया जाता है। जो इमाम अली को वैध उत्तराधिकारी मानते थे, उन्हें शिया तथा दूसरे अहल-ए-सुन्नत या सुन्नी कहलाये। विगत 1400 वर्षों में शिया और सुन्नी संप्रदायों में वैमनस्य है। यही सद्दाम हुसैन (सुन्नी और शिया) ईरान के बीच 10 वर्षीय युद्ध का कारण था। आज ईरान में (जहाँ शिया बहुत संख्या में है) विद्रोही सुन्नी लोगों ने सीरिया की सहायता से एक बड़े भू-भाग पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान में कराँची, बलूचिस्तान और पेशावर के आस-पास के क्षेत्र में शियाओं के हत्या की घटनाएँ नित्य ही समाचार पत्रों में छपती हैं। इस्लाम में ये कमिटी का गठन किया गया जिस कार्य को एक न्यायाधीश करते थे। न्यायमूर्ति ने जाँच के बाद पाया कि हर संप्रदाय अपने को छोड़ अन्य किसी को मुसलमान नहीं मानते। एक प्रसिद्ध लेखक के अनुसार— भारतीय मुसलमानों में एक छोटे से वर्ग को छोड़कर बहुसंख्यक मुस्लिम समाज किसी भी तरह से सेक्युलर नहीं है। अधिकांश उलेमाओं का विश्वास है कि राज्य तो सेक्युलर रहे पर मुसलमानों को सेक्युलरिज्म से बचाया जाय। यद्यपि भारतीय मुसलमान अपने व्यावहारिक जीवन और सामाजिक गतिविधियों में सेक्युलर नहीं होना चाहते, किन्तु हिन्दू राष्ट्र बनने के भय से वे भारत को सेक्युलर रखना चाहते हैं। अहमदियों को तो पाकिस्तान में कुरान घर में रखने और मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जफरुल्ला खान अहमदिया थे, जिन्हें पाकिस्तान को छोड़कर इंग्लैण्ड जाना पड़ा था।

इसाई और इस्लाम मत में अपने ईश्वर और अपने मार्ग की श्रेष्ठता मानना अनिवार्य है। अन्य ईश्वर झूठा है तथा अन्य मार्ग हेय है। अपने धर्म में परिवर्तन कराना उनका धार्मिक कृत्य ही है।

चाहे, लालच देकर हो या मृत्यु का भय दिखाकर। 18वीं और 19वीं शताब्दी में धीरे-धीरे इसाई राज्यों में इस बात को स्वीकार किया कि राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और नागरिकों को अपनी इच्छानुसार कोई भी मत स्वीकार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर भी हम देखते हैं कि 20 वीं शताब्दी में जर्मनी, पोलैण्ड, ऑस्ट्रिया, रूस आदि में यहूदियों के सामूहिक विनाश में 60 लाख यहूदी मारे गये। इस परिप्रेक्ष्य में हिन्दू धर्म को देखा जाना चाहिए। हिन्दुत्व शब्द के पहले और सबसे बड़े व्याख्याकार सावरकर के अनुसार वही व्यक्ति हिन्दू है जो सिंधु स्थान हिन्दु स्थान को सिर्फ, पितृभूमि ही नहीं बल्कि पुण्यभूमि भी स्वीकार करता है। मुसलमानों और इसाइयों की पुण्यभूमि यह भारत बसुन्धरा नहीं हो सकती और इस कारण उन्हें हिन्दू के नाम से संबोधित नहीं किया जा सकता।

भारत के विगत 5-7 हजार वर्षों के इतिहास में कभी बलपूर्वक धर्मपरिवर्तन नहीं कराया गया। कोई धार्मिक स्थल नष्ट नहीं किए गए। सभी मतों को अपनी इच्छानुसार आचरण करने की स्वतंत्रता दी गई। धर्म के नाम पर कोई रक्तपात नहीं हुआ। बौद्ध और हिन्दू धर्म का प्रसार तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, मंगोलिया, इंडोनेशिया आदि में हुआ, किन्तु कहीं भी रक्तपात नहीं हुआ। साथ ही पारसी यहूदी, सीरियन इसाई और अरब लोगों को भारत में शरण और आश्रय दिया गया।

अमेरिका में शुरू में जो राज्य बने, वे भी विशेष रूप से इसाई संप्रदाय से थे। कहीं मारमोन थेरु कहीं प्रेसबिटेरियन तो कहीं कैथोलिक भी थे। जब 1776 में स्वतंत्र अमेरिका की घोषणा के लिए वे एकत्र हुए तो उन्होंने एक बुद्धिमत्तापूर्ण और दूरदर्शी निर्णय लिया। उन्होंने ये भी कहा कि मत भिन्नता के आधार पर संघर्ष की स्थिति न आने पाएँ, इसलिए आवश्यक है कि राज्य सेक्युलर अर्थात् 'पंथनिरपेक्ष रहे। इस प्रकार लिखित संविधान के साथ प्रथम पंथनिरपेक्ष राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रादुर्भाव हुआ।

सन्दर्भ सूची

1. पं० विद्यानन्द झा— भारत का संविधान: एक विश्लेषण, सरोज साहित्य प्रकाशन, दरभंगा—2013, पृ०-2.
2. राजनीतिशास्त्र के सिद्धांत— पृ०-199.
3. स्टेनले बाल्डविन का न्यूटन एक्ट में भाषण—6 मार्च 1931 को।
4. रजनीपाम दत्त— आज का भारत, मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड—1996, पृ०-509.
5. ए० बी० कीथ— ए कन्स्टीच्युशनल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, 1935-36, पृ०-473-474.

भारत में समाजवाद का उदय एवं विकास: एक अध्ययन

गायत्री कुमारी

पुत्री श्री नारायण चौधरी, ग्राम+पो- खिरहर, जिला- मधुबनी (बिहार)

भारत में आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्निर्माण के दर्शन के रूप में समाजवादी विचारधारा का जन्म 20वीं शताब्दी में हुआ। 1918 में बोल्शेविक क्रान्ति के पश्चात् रूस में निजी सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जिसका विश्व के समाजवादियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। भारतीय समाजवादी नेताओं ने भी इसके बारे में चिन्तन प्रारम्भ कर दिया। भारत में साम्यवादी आन्दोलन का जन्म नवम्बर 1917 की बोल्शेविक क्रान्ति के बाद के युग में हुआ। इन आन्दोलन से सारे प्राच्य जगत में भयंकर विस्फोट परिणाम हुए थे। दलित तथा शोषित वर्ग मास्को को एक नया स्वर्ग समझने लगे और लेनिन की एक नये पितामह और मसीहा के रूप में पूजा करने लगे। सुनपात-सेन, मानवेन्द्रनाथ राय, होची मिन्ह, माओत्से तुंग, चाऊ-एन-लाई, जे0 एल0 नेहरू आदि प्राच्य के महत्त्वशाली राजनीतिक नेताओं को रूस से प्रेरणा मिली और पूर्वी जगत के परम्परानिष्ठ तथा पाण्डित्यादी देशों में मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा प्रवेश करने लगी। मानवेन्द्रनाथ राय भारतीय साम्यवाद के संस्थापकों में से थे। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना दिसम्बर 1925 में कानपुर में हुई थी। इससे पूर्व 1921 और 1924 के दौरान भारतीय क्रान्तिकारियों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत में और अन्य देशों में साम्यवादी गुटों का उदय हुआ। ये भारतीय क्रान्तिकारी सोवियत संघ की अक्टूबर की समाजवादी क्रान्ति से प्रेरणा ग्रहण कर राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति हेतु नए मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। ये सभी गुट दिसम्बर 1925 में आयोजित कानपुर सम्मेलन में एक दूसरे के सम्पर्क में आए और उन्होंने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की।

भारत में साम्यवादी चिन्तन के बीज तो अति प्राचीन काल से ही पाये जाते हैं और ऋग्वेद तथा धर्म ग्रन्थों में विशेषकर 'धम्मपद' में मानव एकता मातृत्व और आध्यात्मिक समानता के सिद्धान्तों के दर्शन होते हैं, तथापि आधुनिक अर्थ में भारतीय समाजवादी चिन्तन बीसवीं शताब्दी की उपज है। आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्निर्माण के दर्शन के रूप में समाजवाद भारत में पश्चिम के प्रभाव से ही विकसित तथा लोकप्रिय हुआ है। पश्चिम के आधुनिक समाजवादी विचारों को भारतीय समाजवादी नेताओं ने भारतीय परिस्थितियों, वातावरण और चिन्तन के अनुरूप ढालने की कोशिश की, भारत में आधुनिक समाजवाद के उदय चिह्न को ले तो कहना होगा कि समाजवादी तत्त्वों का प्रथम दर्शन हमें अरविन्द के उन सात लेखों में मिलता है जिन्हें 1893 में उन्होंने इन्द्रप्रकाश नामक पत्र में 'पुराने के बदले नवीन दीप' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित कराया था। इन लेखों में अरविन्द ने कांग्रेस की मध्यवर्गीय मनोवृत्ति की आलोचना करते हुए सर्वहारा की दशा को सुधारने का आग्रह किया था। 1908 में तिलक ने भी 'केसरी' में कुछ लेखों में रूसी सर्व खण्डनवादियों की चर्चा की थी।

लाला लाजपत राय सम्भवतः वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने समाजवाद और 'बोल्शेविकवाद' के विषय में कुछ लिखा था। उन्होंने अपनी पुस्तकों में कांग्रेस पर पूंजी आधिपत्य की कटु आलोचना की थी। 1920 में इण्डियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन का सभापतित्व भी लाला लाजपत राय ने किया था। एम0एन0राय, जिन पर मार्क्सवाद का प्रभाव था, ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बुर्जुआ वर्ग द्वारा संचालन की आलोचना की थी। चितरंजन दास 1917 की रूसी क्रान्ति से प्रभावित हुए तथापि क्रान्ति के प्रति उनमें कोई सहानुभूतिपूर्ण आकर्षण नहीं था। दास यद्यपि समाजवादी नहीं थे, किन्तु उन्होंने भारत में ट्रेड यूनियन आन्दोलन के सम्बन्ध में बड़ी सहायता की थी। भारत में समाजवादी चिन्तन को प्रोत्साहन देने में पण्डित मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने 'सोवियत रशिया' नामक अपनी एक लघु पुस्तिका में रूस की तत्कालीन उपलब्धियों का प्रशंसात्मक वर्णन किया और विश्व इतिहास की झलक तथा आत्मकथा में कार्ल मार्क्स की वैज्ञानिक एवं आर्थिक पद्धति की भारी प्रशंसा की थी। इन पुस्तकों में हमें आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की मार्क्सवादी व्याख्या पर जवाहर लाल नेहरू के विचारों का सुनहरा परिचय मिलता है। 1930 तथा 1932 के सविनय अवज्ञा आन्दोलनों एवं दो गोलमेज परिषदों की असफलता से देश में उदासी और निराशा का वातावरण छा गया था।

नेहरू जी ने गाँधी के संरक्षण सिद्धान्त के विरोध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था- गाँधी जी द्वारा जमींदारी प्रथा का बचाव किया जाना मेरे लिए सर्वाधिक चिन्ता का विषय है। गाँधी जी उसे राष्ट्रीय एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग मानते हैं और यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि आज प्रायः कोई भी बड़ी-बड़ी जमींदारियों एवं ताल्लुकों का समर्थन करता हुआ नहीं पाया जाता। गाँधी जी द्वारा दरिद्रता की प्रशंसा किये जाने से वामपंथी विचारधारा के लोग और भी अधिक उत्तेजित हो उठे। उन्होंने यह महसूस किया कि भारत की परिस्थितियों में दरिद्रता सम्बन्धी सिद्धान्त को स्वीकार करना, उस समय विद्यमान अति निम्न स्तरीय रहन-सहन को उचित ठहराने तथा उसे प्रोत्साहित करने की भांति है। साथ ही, गाँधी जी के आधुनिक विज्ञान आर तकनीकी प्रगति के विरोध ने अनेक नेताओं के मन में कुछ गम्भीर आशंकाएं पैदा कर दी हैं और चूंकि गाँधीजी आधुनिक विज्ञान के प्रति अपने दृष्टिकोणों से तनिक भी हटने को तैयार नहीं थे, अतः वामपंथी विचारधारा के लोग गाँधीजी की राष्ट्रीय पुनर्निर्माण योजना को आशंका की दृष्टि से देखते थे। जब गाँधीजी ने अपने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को निरस्त कर खादी आन्दोलन का श्रीगणेश किया तो उनके निकटतम सहयोगी भी आश्चर्य में पड़ गये। वे गाँधीजी की कार्य-पद्धति को समझने में असफल रहे।

गाँधी जी की कार्य-प्रणाली से देश में जो निराशा और भय का वातावरण निर्मित हो गया था, उससे समाजवादी प्रवृत्ति के लोगों का आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिला। साथ ही भारतीय राजनीतिक जीवन में व्याप्त साम्प्रदायिकता के कारण ही आज तक देश में संगठित राष्ट्रीय आन्दोलन नहीं पनप सका। उनके विचार में स्वतन्त्रता का उद्देश्य केवल विदेशी शासन को समाप्त करना भर नहीं, अपितु उनका उद्देश्य देश के करोड़ों श्रमिकों एवं कृषकों को शोषण एवं सामन्तवाद के कुचक्र से मुक्त करना भी था।

भारत में समाजवादी चिन्तन का प्रारम्भ तो काफी पहले ही हो गया, लेकिन समाजवादी आन्दोलन का वास्तविक श्रीगणेश मई, 1934 में हुआ जबकि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। यह भारत में समाजवाद के संगठनात्मक विकास में एक महत्त्वपूर्ण घटना थी, 1932-33 में नासिक के केन्द्रीय कारावास में और 1933-34 में उत्तर प्रदेश तथा मुम्बई प्रान्तों में समाजवादी गुट स्थापित हो चुके थे और इन्हीं गुटों ने वास्तव में कांग्रेस समाजवादी दल के बीच कार्य किया। समाजवादियों का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन 17 मई, 1924 को घटना में आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में हुआ था।

कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख प्रतिपादकों में जय प्रकाश नारायण, डॉ0 लोहिया, अशोक मेहता, आचार्य नरेन्द्र देव आदि थे। ये समाजवादी नेता, जो कि समाजवादी आन्दोलन के प्राण समझे जाते थे। अत्यन्त ही योग्य नवयुवक उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी और मुख्यतः शहरी मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे, जिनमें से कई ने अपनी राजनीतिक विचारधारा के कारण परिवार या विवाह तक का त्याग कर दिया।"

समाजवादी दल कांग्रेस समाजवादी पार्टी था। इसकी स्थापना सन् 1934 में हुई। भारतीय साम्राज्यवादी पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेता जी सुभाष चन्द्र बोध आदि प्रमुख नेता प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् से समाजवाद का प्रचार कर रहे थे परन्तु सविनय अवज्ञा आन्दोलन की असफलता और सन् 1929 के आर्थिक संकट के समय पूंजीवादी देशों की दुर्गति तथा इन देशों में फांसीवाद की विजय और सोवियत देश की आर्थिक संकट से मुक्ति की ओर आकर्षित हुए। इनमें जय प्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव, मीनू मसानी, डॉ0 राममनोहर लोहिया, श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय, यूसुफ मेहर अली, अच्युत पटवर्धन और अशोक मेहता उल्लेखनीय हैं। इनका उद्देश्य कांग्रेस मंच द्वारा समाजवादी ढंग से स्वराज्य प्राप्ति और उसके बाद समाजवाद की स्थापना था।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् कांग्रेस राष्ट्रीय शक्तियों का संयुक्त मोर्चा न रहकर एक राजनीतिक दल बन गई, अतः अन्य स्वायत्त और संगठित दलों को कांग्रेस से निकलना पड़ा। इनमें कांग्रेस समाजवादी दल भी था। उसने कांग्रेस शब्द को

अपने नाम से हटा दिया। बाद में प्रमुख गांधीवादी विचारकों ने भी कांग्रेस छोड़ दी और समाजवादी दल में आकर सम्मिलित हो गये। सभी से समाजवादी दल ने अपना स्पष्ट रूप से समाजवाद स्वीकार किया और समाजवाद को लोकतांत्रिक समाजवाद की संज्ञा दी आर्थिक विषमता के उन्मूलन में संसदीय नियमों को बनाया और लोकतन्त्र में आस्था तथा शान्तिमय एवं संवैधानिक उपायों से परिवर्तन के पक्षधर हैं। लोकमत का निर्माण करने के लिए जन आन्दोलन को संगठित करना भी एक उपाय है। वैदेशिक नीति पाश्चात्य तथा पूर्वी गुटों के शक्ति संघर्ष से पृथक रहकर शान्ति की शक्तियों को सुदृढ़ करके तृतीय शक्ति तटस्थ राज्यों का गठन करना है।

इस सदी के प्रारम्भ में जब दुनिया के अनेक देशों में साम्यवादी समाज रचना के अनेक प्रयोग हो रहे थे। भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय नौजवानों के एक समूह ने कैंसी एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र में बंधकर समाजवाद का आयात करने के बजाय अपने देश की ही माटी और संस्कृति से एक नयी व्यवस्था की रचना के संघर्ष का सूत्रपात किया। इसमें जयप्रकाश नारायण, युसुफ मेहर अली, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, मीनू मसानी, एन0 जी0 गोरे, आचार्य नरेन्द्रदेव, सम्पूर्णानन्द, कमला देवी चट्टोपाध्याय, डॉ0 राम मनोहर लोहिया और एस0 एम0 जोशी आदि को भारतीय समाजवादी आन्दोलन के प्रमुख संस्थापक कहा जा सकता है।”

“दुनिया आज दो प्रणालियों की जकड़ में है और एक तीसरी प्रणाली भी उभर रही है। पूंजीवाद और साम्यवाद लगभग पूरी तरह से विकसित प्रणालियाँ हैं और सारा विश्व उनके चंगुल में है और इसका नतीजा है गरीबी, युद्ध और आतंक। तीसरा विचार अब विश्वमंच पर उभर रहा है। यह अब भी अपर्याप्त है, पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है, पर यह खुला हुआ है। खुली प्रणाली में सत्य और प्रगति की तब भी कुछ संभावना रहती है, बन्द प्रणाली तथ्यों को तोड़ती-मरोड़ती है और उन्हें सारहीन साबित करने के लिए उनकी उपेक्षा करती है। खुली प्रणालियाँ तथ्यों के अनुरूप चलती हैं और हर हालत में हम अपेक्षा करते हैं कि वे बदलती हुई या हठीली परिस्थितियों से फिर-फिर स्फूर्ति पाती रहेगी। यह विचार समाजवाद का विचार है। गांधीवाद का एक नया मत या सिद्धान्त प्रतिपादित करने की जगह यह बेहतर होगा कि गांधी जी के जीवन तथा कृतित्व को विश्वमंच पर पहिले से मौजूद प्रणालियों पर लागू किया जाये। जहाँ तक पूंजीवाद और साम्यवाद का सम्बन्ध है, उन पर गाँधीवाद का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें संशय है क्योंकि वे बन्द प्रणालियाँ हैं। किन्तु, समाजवाद के लिए गाँधी जी का कृतित्व उस छलनी की तरह काम कर सकता है जिससे समाजवादी विचार छन जाये और कूड़ा-करकट छनकर अलग हो जाये या उसके सामान्य रंग को साफ करने का काम करे।

संगठनों और हथियारों की मदद के बिना आधुनिक सभ्यता में व्यक्ति नगण्य होते हैं। आधुनिक सभ्यता के इस सन्दर्भ में महात्मा गाँधी आये और कहा कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारी मदद के लिए संगठन न भी हो, तुम्हारे पास हथियार न भी हों, तुम्हारे भीतर ही कुछ ऐसा है जिससे तुम्हें दमन और अन्याय का प्रतिरोध करने की सामर्थ्य मिलती है और इन्सान की तरह, मर्द की तरह, दुःख और कष्ट सहने की शक्ति मिलती है। गाँधी जी के अन्तिम तीस वर्षों में उनके कृतित्व के इस विलक्षण और सशक्त गुण ने आधुनिक मनुष्य का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया और उसे यह विश्वास दिलाया कि भविष्य में एक नयी दुनिया के निर्माण के तत्त्व मौजूद हो सकते हैं।.....बिना किसी सहायता के व्यक्ति स्वयं उत्पीड़न का प्रतिरोध कर सके, ऐसी सामर्थ्य देना, मेरी समझ में महात्मा गाँधी के जीवन तथा कृतित्व का सबसे बड़ा गुण है।’

यद्यपि भारत में समाजवादी चिंतन के बीज तो अति प्राचीन काल से ही पाये जाते हैं और ऋग्वेद तथा बुद्धधर्म के वागमय में भी मानव एकता, भ्रातृत्व और आध्यात्मिक समानता के सिद्धान्तों के दर्शन होते हैं तथापि आधुनिक समाजवादी चिंतन एवं विचारधारा मुख्य रूप से पाश्चात्य जगत की देन है। भारत में समाजवादी धारणा का प्रारम्भ मुख्यतया पश्चिम की देन मानी जाती है। इसके दो मुख्य रूप हैं- विकासवादी तथा क्रान्तिकारी समाजवाद। भारतीय समाजवादी नेताओं ने भारतीय परिस्थितियों, वातावरण और चिंतन के अनुरूप ढालने के प्रयास किये हैं।

संदर्भ सूची

1. *प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका-जनवरी-2006, पृ0 सं0 1085-86*
2. *लक्ष्मीकान्त वर्मा, समाजवादी दर्शन और डॉ0 लोहिया, सस्ता साहित्य मंडल, दिल्ली, 2008, पृ0 सं0 278-79*
3. *मुख्तार अनीस, भारतीय समाजवाद के शिल्पी, ज्ञानदीप प्रकाशन, कानपुर, 2011, पृ0 सं0 48*
4. *ब्रजेन्द्र प्रताप गौतम, समाजवादी चिंतन का इतिहास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009, पृ0 सं0 443*
5. *मौखिक इतिहास, महादेवी वर्मा जवाहरलाल नेहरू, पुस्तकालय एवं शोध संस्थान, दिल्ली, 2007, पृ0 87*

मुसलमानों में तीन तलाक का मुद्दा: एक अध्ययन

डॉ० निहाल सरवर

टाईप-बी-588, फेज-2, पी.टी.एस., पो0- दिप्तीनगर, एन.टी.पी.एस. कहलगाँव, जिला- भागलपुर,
Email: nihsarwar@gmail.com

मुस्लिम समाज में बिना निकाह के किसी पुरुष का किसी महिला के साथ अपनी इच्छा से एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करना बहुत बड़ा अपराध माना गया है। मुस्लिम समाज में कोई भी पुरुष किसी भी महिला के साथ तभी रह सकता है, जब वह पुरुष मुस्लिम समाज के सामने अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को उठाने की कसम खाता है। साथ ही साथ दोनों परिवारों की आपसी सहमति से तय की गई रकम को मेहर के रूप में, महिला को देकर उससे निकाह अर्थात् विवाह करता है। परन्तु आगे चलकर यदि किसी आपसी वैचारिक मतभेद या फिर किसी भी कारणवश वह पुरुष अपनी पत्नी को किसी भी माध्यम से चाहे वो मोबाइल पर मैसेज भेज कर या फिर स्वयं तीन बार तलाक बोल कर या लिख कर, अपनी पत्नी को और स्वयं को उस वैवाहिक सम्बन्ध से किसी भी समय अलग कर सकता है। इसे ही तीन तलाक कहा जाता है। यह तलाक पति और पत्नी दोनों को मानना ही पड़ेगा। तीन तलाक को मुस्लिम समुदाय में तलाक उल विद्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह के तलाक को इस्लामिक कानून के तहत वैधानिक मान्यता प्राप्त है। इसके बावजूद मुस्लिम वर्ग की सभी महिलाएँ इस इस्लामिक प्रथा या कानून का विरोध करती हैं। परन्तु यदि बाद में ये दोनों तलाक-शुदा पति पत्नी आपस में दोबारा शादी के बन्धन में बंधना चाहें तो इसके लिए पत्नी को पहले हलाला जैसे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हलाला एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें तलाक-शुदा पत्नी को पहले किसी दूसरे मुस्लिम व्यक्ति से विवाह करके उसके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करना पड़ता है और उसके साथ कुछ समय बिताना पड़ता है। इसके बाद दोबारा वह महिला अपने दूसरे पति को तलाक देकर ही अपने पहले पति या शौहर से विवाह कर सकती हैं।

दुनिया भर के कई मुस्लिम विद्वानों का मानना है कि तीन तलाक एक गैर इस्लामिक प्रक्रिया है। क्योंकि कुरान में तलाक की प्रक्रिया को बहुत ही कठिन बताया गया है। कुरान में कहा गया है कि यदि कोई पति और पत्नी एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, यानी कि एक दूसरे को तलाक देना चाहता है तो, इससे पहले पति और पत्नी, दोनों के परिवारों को आपस में बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर हर संभव प्रयास करके इन दोनों के वैचारिक मतभेद को दूर करने की कोशिशें

करनी चाहिए तथा दोनों को तलाक देने से बचना चाहिए। यदि तलाक देना बहुत ही आवश्यक हो तो पति या पत्नी को एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही एक दूसरे को तलाक देना चाहिए। ताकि दोबारा दोनों बिना हलाला की प्रक्रिया के भी एक हो सकते हैं। हलाला प्रक्रिया तब अनिवार्य है जब कोई पुरुष लगातार तीन अलग-अलग शादी करने के बाद दोबारा अपनी पहली पत्नी से शादी करना चाहता है।

तीन तलाक की समस्याएँ

पहले के समय में महिलाएँ अपने घर के काम में ही हमेशा व्यस्त रहती थी। इसलिये आर्थिक रूप से अपने पति के ऊपर ही निर्भर रहती थी। अगर ऐसी स्थिति में उसका पति उसको तलाक दे देता था तो उन्हें अपना घर चलाने, अपने बच्चों की देख-भाल करने तथा अपने जीवन-यापन के लिए पैसे अर्जित करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अकेले ही अपने जीवन का निर्वाह करना पड़ता है। जिसका इनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अकेले बिना किसी सहारे के इतनी कठिनाईयों का सामना करने के कारण महिलाएँ भावनात्मक रूप से भी टूट जाया करती हैं। तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए एक अभिशाप है, जो उनकी पूरी जिन्दगी बर्बाद करके रख देता है, क्योंकि कई बार तो उनकी कोई गलती नहीं होने पर भी पति इनको तीन बार तलाक बोल देता है या फिर सोशल मीडिया के किसी माध्यम जैसे कि व्हाट्सएप्प, फेसबुक पर लिखकर या फिर किसी वीडियो कॉल के एप्प के माध्यम से उन्हें तलाक बोल देता है। जिसके बाद उन्हें इस अभिशाप को झेलना पड़ता है। भारत से पहले दुनिया भर के लगभग 22 देशों ने तीन तलाक को पूरी तरह प्रतिबन्धित कर रखा है। यहाँ तक कि भारत से ही अलग होकर बने नये देश पाकिस्तान ने भी अपनी स्थापना के महज 10 वर्षों बाद ही 1956 ई0 में तीन तलाक को प्रतिबन्धित कर दिया था। मिस्र दुनिया का पहला ऐसा देश है, जिसने सबसे पहले तीन तलाक को प्रतिबन्धित किया था। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मोरक्को, ईरान, अल्जीरिया, जॉर्डन, साइप्रस जैसे इस्लामिक देशों में भी काफी समय पहले ही तीन तलाक को प्रतिबन्धित कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला तथा प्रावधान:-

भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, उच्चतम न्यायालय ने तीन तलाक की सुनवाई और इसके संवैधानिक वैधता की जाँच करने के लिए अपने पाँच जजों की एक बेंच बनाई है। इस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत कानून में दी गयी एक बार में तीन तलाक प्रथा को असंवैधानिक घोषित करते हुए इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद-14 में नागरिकों को दिए गए विधि के समक्ष समानता के अधिकार का उल्लंघन माना है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 'मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक' के अंतर्गत तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। भारतीय संसद को सुझाव दिया कि इस पर एक कठोर कानून बनाये। इसके बाद भारत सरकार ने तीन तलाक को गैर कानूनी बताते हुए इसको खत्म करने तथा मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून का एक प्रारूप तैयार करके इस विधेयक को संसद में पेश किया। भारत सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को तीन तलाक बोल कर उससे अपने सम्बन्ध तोड़ता है तो उसे तीन वर्ष की सजा तथा इसके साथ ही उसे अपनी पत्नी को जीवन-यापन करने के लिए गुजारा-भत्ता भी देना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर कोई पति अपनी पत्नी को मोबाइल या फिर किसी सोशल मीडिया के माध्यम से तलाक देता है तो इस तलाक को वैध नहीं माना जायेगा।

इस्लाम में तलाक के कई तरीके हैं। इनमें एहसान, हसन और तलाक-ए-बिदत (तीन तलाक) शामिल हैं। एहसान और हसन से पीछे हटा जा सकता है। वहीं, तलाक-ए-बिदत से मुकरने की गुंजाइश नहीं है। यानी एक बार पति अपनी पत्नी से तीन बार तलाक बोल देता है तो वह उससे पलट नहीं सकता है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक की प्रथा पर रोक लगाई थी। पाँच जजों की पीठ ने तुरंत तलाक देने के इस रिवाज को असंवैधानिक करार दिया था। उसने कहा था कि यह इस्लाम की शिक्षा के विरुद्ध है। उत्तराखंड की शायरा बानो की याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। शायरा को उनके पति ने तीन बार तलाक लिखकर चिट्ठी भेजी थी, जिसके बाद उन्होंने उन्हें (शायरा) छोड़ दिया था। इसी के बाद शायरा ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। तब शायरा की याचिका के साथ चार और मुस्लिम महिलाओं की ऐसी ही याचिकाएँ जोड़ दी गई थी।

25 जुलाई को लोकसभा ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल को पारित कर दिया। यह बिल तीन तलाक के नाम से चर्चित है। एनडीए के सहयोगी दल जदयू ने बिल पर बहस में हिस्सा नहीं लिया।

कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने राज्यसभा में यह बिल पेश किया। बिल पेश करते हुए उन्होंने कहा, 'इस मसले को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। यह महिलाओं के न्याय, सम्मान और बराबरी से जुड़ा है। यह बिल पहले राज्यसभा में पारित नहीं हुआ था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कानून मंत्री ने तुरन्त यह बिल लोकसभा में पेश किया था। तीन तलाक के मामले में तीन साल की जेल का प्रावधान करते हुए इसे आपराधिक मामला था, तब यह बिल लोकसभा से पारित हो गया था। हालांकि, राज्यसभा में राजग का बहुमत न होने के कारण यह पारित नहीं हो सका था।

विवाह लगभग हर समाज में सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। यह पारिवारिक झूठ की शुरुआत करता है और सामाजिक शिक्षा की नींव बनाता है। यह शाश्वत मानव बंधन प्रदान करता है और सामाजिक-आर्थिक और भावनात्मक स्थिरता की गारंटी देता है। विवाह को बाल पालन के लिए एक अभयारण्य, प्रतिकूलताओं की शरण और सफल संस्कृति का आधार माना जाता है। सभी युगों से, इसे महत्वपूर्ण महत्व के संस्थागत सामाजिक सम्बन्धों के रूप में माना जाता है। यह तथ्य की ओर इशारा करता है कि विवाह की संतान संतानों पर सामाजिक स्थिति को स्वीकार करती है। यह विरासत और उत्तराधिकार के सम्बन्ध में बहुत मूल्यवान है जो मानव सभ्यता के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

समकालीन भारत तीव्र सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में है। औद्योगिकीकरण की बढ़ती दर, लोगों का सामूहिक प्रवास, जीवन शैली और जीवन के व्यक्तिपरक मूल्यों, शहरी उपभोक्ता संस्कृति के आक्रमण और देर से वैश्वीकरण ने पारिवारिक संगठन और विवाह व तालक के प्रति दृष्टिकोण पर भारी प्रभाव डाला है। यह अंततः पारिवारिक संगठन की स्थिरता को परेशान करता है और स्पष्ट रूप से गंभीर तनाव और तनाव के लिए वैवाहिक समायोजन रखा है। परिणामस्वरूप, वैवाहिक कठिनाइयों पहले की तुलना में अब अधिक स्पष्ट हो रही हैं। वर्तमान में भारत में, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में तलाक की घटनाएँ बढ़ रही हैं। मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोग तलाक के लिए अधिक स्पष्टता प्रदर्शित कर रहे हैं।

वर्तमान प्रयास भारत के एक सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में आनुभविक आधार पर तलाक की घटना को समझने का प्रयास है। इस अध्ययन का उद्देश्य तलाक के मनोवैज्ञानिक-सामाजिक निर्धारकों की पहचान करना और तलाक की जीवन शैली और उनकी कथित जीवन-संतुष्टि की जाँच करना है।

शब्द 'तलाक' का मूल लैटिन व्युत्पन्न अर्थ में 'एक इकाई के विभाजन' से है। दूसरे शब्दों में, यह पति-पत्नी का स्थायी शारीरिक अलगाव है। जबकि अरबी शब्द 'तलाक' क्रिया इत्तलाक से लिया गया है, जिसका अर्थ है ढीले, सेट मुक्त या छोड़ने के लिए। तलाक, इसलिए, वैवाहिक लिंक के संदर्भ में विवाह की संस्था द्वारा बनाए गए बन्धन को समाप्त करने के लिए संदर्भित करता है। तलाक एक आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि एक लम्बे समय तक मानसिक-सामाजिक प्रक्रिया की परिणति है, जिसमें पति और पत्नी को यह पता चलता है कि साथी के साथ समायोजन मुश्किल है और शादी को बनाए रखने में प्रयासों का आगे निवेश बेकार है। इसलिए तलाक को एक अंतिम तिनके के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो उन्हें एक अवांछनीय पति के साथ रहने के लिए मजबूर होने से बचाता है। विलियम गोडे लिखते हैं- 'बेशक तलाक वैवाहिक जीवन की गहन डिग्री के लिए प्रमुख समाधानों में से एक है और यह अधिकांश समाजों और देशों में पाया जाता है। फिर भी मुझे कोई समकालीन समाज, आदिम या औद्योगिक रूप से पता नहीं है, जिसमें तलाक को एकमुश्त महत्व दिया गया है।

भारी नुकसान के बावजूद यह भावनात्मक और भौतिक जीवन का कारण बन सकता है। यह एक निर्विवाद वास्तविकता है। इसलिए बड़ी संख्या में परिवार संकट पर और बर्बादी के कगार पर हैं। इस प्रकार सामाजिक जलवायु ने अभूतपूर्व परिवर्तन की स्थिति में विवाह की संस्था बना दी है।

पति-पत्नी की ओर से तलाक कोई व्यक्तिगत कृत्य नहीं है। तलाक के नियमन के लिए किसी तरह का सामाजिक तंत्र है। एक समाजशास्त्री बताता है- 'तलाक वैवाहिक कलह की एक लम्बी प्रक्रिया का एक उत्पाद है, जो या तो प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों या वैवाहिक गठबंधन, शारीरिक विकलांग, मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी आदि के प्रति अरुचि के रूप में व्यक्तिगत कारणों से उत्पन्न हो सकता है।

भारत एक खंडित होने के साथ-साथ स्तरीकृत समाज भी है। विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्र हैं जिनमें विभिन्न समुदाय रहते हैं। प्रत्येक समुदाय या जातीय समूह, एक विशेष सांस्कृतिक क्षेत्र की सामाजिक सेटिंग के भीतर विभिन्न रीति-रिवाजों और परंपराओं का पालन करता है। प्रत्येक सामाजिक जीवन के विभिन्न नैतिक और नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करता है। भारत में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच विवाह और तलाक की प्रथा के स्वरूप में बहुत अन्तर है।

भारतीय मुसलमानों में तलाक:-

इस्लाम कहता है कि विवाह एक गंभीर और स्थायी बन्धन के रूप में लिया जाने वाला एक पवित्र अनुबंध है। इस्लाम ने तलाक के माध्यम से विवाह की समाप्ति को स्पष्ट रूप से मान्यता दी है और यह प्रथा पुरुषों और महिलाओं के लिए अनुमत है। लेकिन यह केवल उन विषम परिस्थितियों में अनुमति दी जाती है, जहाँ पति और पत्नी, हर सामंजस्यपूर्ण प्रयास को करता बताते हैं, एक साथ रहना नहीं चाहते हैं। इस्लाम में तलाक उन मामलों में सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करता है, जहाँ पति-पत्नी अब एक-दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं।

यदि हम इस्लाम में तलाक के नियम का विश्लेषण करते हैं, तो यह शादी के विघटन के बजाय विवाह या पति-पत्नी के सम्बन्ध की स्थिरता को सुनिश्चित करता है। पैगम्बर मोहम्मद तलाक की प्रथा के खिलाफ थे जब तक कि यह अपरिहार्य नहीं है। मुस्लिम न्यायविदों ने शादी के बंधन से एक महिला को रिहा करने के लिए तलाक शब्द का इस्तेमाल किया। कानूनी दृष्टिकोण से, यह निरपेक्ष शक्ति का संकेत देता है कि एक पति अपनी सहमति के बिना अपनी पत्नी को हर समय तलाक देने का अधिकारी है। तलाक का उच्चारण कई तरीकों से किया जा सकता है—;पद्ध अहसन;पपद्ध हसन और;पपपद्ध बिदअत। तल्क का अहसान रूप तल्क-ए-सुन्ना है। एक बार में बैठने पर पुनरावृत्ति नहीं होती है और न ही मासिक धर्म के दौरान इसका अभ्यास किया जा सकता है। लगभग तीन महीने की अवधि में प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए पति को नियुक्त किया जाता है। इस अवधि में तारक विटालिन को रद्द करने के प्रावधान भी हैं। अहसन तलाक में, तलाक के तीसरे उच्चारण और इदत की अनिवार्य अवधि के बाद भी, शादी रद्द करने योग्य है। पुरुष अपनी तलाकशुदा पत्नी से दोबारा शादी कर सकता है। यह प्रथा कुरान और सुरतना की शिक्षाओं के अनुसार है। सुन्नी और शिया स्कूल दोनों ही तलाक के इस रूप को स्वीकार करते हैं। तल्क का हसन रूप तल्क-ए-सुन्ना है, लेकिन इसे आमतौर पर तल्क-ए-अहसन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। पति को पवित्रता के तीन क्रमिक अवधियों के दौरान तालिक का उच्चारण करना चाहिए। तीसरे तलाक पर, विवाह को भंग कर दिया जाता है और तलाक अपरिवर्तनीय है। यदि संबंधित व्यक्ति उसका पुनर्विवाह करना चाहता है, तो उसे हलाला करना होगा, अर्थात् किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करना चाहिए, विवाह को पूरा करना चाहिए और यह वैध रूप से भंग हो सकता है। तलाक-ए-हसन को शिया और सुन्नी दोनों विद्यालयों द्वारा अनुमोदित किया गया है। अन्त में, तालाक-ए-बिदत एक तरह से तलाक है, जिसमें पति-पत्नी की सहमति या ज्ञान के बिना एकतरफा होता है। एक ही बैठक में तीन बार तलाक का उच्चारण करता है। अपरिवर्तनीय तलाक तुरन्त होता है। पुनर्विवाह करने के लिए हलाला की आवश्यकता होती है। ट्रिपल तलाक तल्क-ए-बिदत है।

तलाक मुसलमानों, गैर-मुसलमानों, मीडिया और बुद्धिजीवियों के बीच काफी विवाद और बहस के मुद्दों में से एक है। यह शायद इसलिए है, क्योंकि मुसलमानों द्वारा इसका घोर दुरुपयोग किया गया है और निश्चित रूप से मुसलमानों और गैर-मुसलमानों दोनों ने गलत समझा है। इस्लामी सिद्धांतों के विपरीत, भारतीय मुस्लिम तलाक के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं। परंपरागत रूप से तलाक की न तो सराहना की गई और न ही उच्च सामाजिक स्तर से संबंधित मुसलमानों द्वारा प्रोत्साहित किया गया। दूसरी ओर, निचले तबके के लोगों के बीच तलाक का व्यापक प्रचलन था।

भारतीय हिन्दुओं में तलाक:-

हिन्दु विवाह को संस्कार माना जाता है। एक अनुबंध नहीं, इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता है। यह केवल एक भौतिक संस्कृति के बजाय एक धार्मिक आवश्यकता है। हालांकि कौटिल्य और मनु ने इसे विशिष्ट शर्तों के तहत अनुमति दी थी, लेकिन यह तथ्य अभी तक कायम है कि भारतीय समाज में तलाक की संभावना नहीं थी। विवाह को 1955 ई0 के हिन्दू विवाह और तलाक अधिनियम से पहले एक अघोषित गठबंधन माना जाता था। अतीत में, विवाह सम्बन्ध को अलग करने की घटना बहुत असाधारण नहीं थी। हिन्दू विवाह और तलाक अधिनियम 1955 के पारित होने के बाद ही तलाक की घटना को कानूनी मंजूरी मिल सकती थी।

भारतीय समाज को समग्र रूप से देखें तो हम पाते हैं कि उच्च जातियों या वर्गों के हिन्दुओं ने न तो तलाक की अनुमति दी और न ही अतीत में पुनर्विवाह की प्रथा थी। उच्च जाति के विपरीत, निचली जातियों के बीच हिन्दुओं के एक बड़े वर्ग ने पारंपरिक रूप से तलाक का प्रचलन किया है। तलाक के प्रचलित रूपों को सामाजिक और न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त थी। तलाक के ये सामान्य प्रथागत रूप हैं— आपसी सहमति से, एकतरफा पति की खुशी में या पत्नी के त्याग से,

और तलाक के विरुद्ध। एक स्तरीकृत समाज में तलाक के पैटर्न और कारणों के बारे में बताते हुए गोडे कहते हैं— 'जहाँ एक अच्छी तरह से विकसित स्तरीकरण प्रणाली है, वहाँ यह संभावना प्रतीत होती है कि निम्न वर्ग शादी की स्थिरता पर ध्यान नहीं देता है।

निष्कर्ष:-

आज 21वीं सदी की महिलाएँ हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के उनका हाथ बँटा रही है। यहाँ तक कि सेना में भी महिलायें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। भारतीय संविधान में पुरुषों के साथ ही साथ महिलाओं को भी समानता और पूरे सम्मान के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने का अधिकार है। समाज में मौजूद इस तरह की कुप्रथाओं से महिलाओं के आत्म-सम्मान को ठेस पहुँचती है। इसके साथ ही साथ संविधान द्वारा दिये गए मौलिक अधिकारों का हनन भी होता है। इसलिये सभी धर्मों को समय के अनुसार आवश्यक बदलाव करते रहना चाहिए। जिससे कि किसी के हितों को क्षति न पहुँचे। इस तरह तीन तलाक जैसी कुप्रथाओं को समाज से पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। भारत सरकार द्वारा तीन तलाक के विरुद्ध संसद में प्रस्तुत विधेयक का पारित होना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा और कुरीतियों का अन्त होगा।

संदर्भ सूची

1. दैनिक समाचार पत्र, द हिन्दू, 21, मार्च 2016
2. drishtiias.com/hindi/printpdf/lok-sabha-clears-triple-talaq-bill
3. https://c.mp.ucweb.com/detail/ba9bc74259174ae08168fde1ae52183a?param_str=dnvebichfrmintcpwidsudswnwpflameefut&set_lang=english
4. "Hanafi jurisprudence sanctions triple talaq". 23 november 2016
5. "Law, morality, triple talaq", 16 november 2017
6. "Congress' backing of triple talaq bill indicates it's gradually withdrawing from Muslim appeasement politics", 30 July, 2015

दल-बदल विरोधी कानून: चुनौतियाँ और समाधान

डॉ० रजनीश

पिता— श्री ऋषिकेश शर्मा चंदु कुआन ग्राम+पो0—बरबीघा, जिला— शेखपुरा (बिहार)

परिचय

अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और मलेशिया जैसे देशों में भी राजनीतिक दलों द्वारा अपने नेताओं या सदस्यों को दिशा-निर्देश अथवा व्हिप जारी करने की परम्परा है लेकिन वहाँ दलबदल के संदर्भ में इस तरह का कोई कानून नहीं है। इसके बजाय इन देशों में पार्टी व्हिप के उल्लंघन के मामलों को पार्टी की सीमाओं के भीतर ही निपटा लिया जाता है और सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराने जैसी कोई मांग नहीं की जाती। हमारे वर्तमान दलबदल विरोधी कानून के खिलाफ एक अहम तर्क यह दिया जाता है कि यह सदस्यों को बोलने, असहमति जताने और अंतरात्मा के आधार पर चलने की स्वतंत्रता को नकारता है। इस तरह यह संसदीय लोकतंत्र के मूल उद्देश्य को ही कमजोर कर देता है, जो कहता है कि सांसदों या विधायकों की पहली जवाबदेही अपने निर्वाचन क्षेत्र व मतदाताओं के प्रति होती है। पार्टी व्हिप का दायरा भी सीमित किया जा सकता है। इसके लिए कुछ ऐसे विशिष्ट विषय तय किये जाएँ, जिनमें व्हिप के उल्लंघन करने पर सदस्य को अयोग्य घोषित करने की मांग पार्टी कर सकती है। इन विशिष्ट विषयों में सदन में विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव पेश होने, स्थगन प्रस्ताव आने, जिसके तहत सदन में चर्चा के बाद वोटिंग होती है तथा वित्त विधेयक लाने संबंधी मामले शामिल हो सकते हैं। इसके साथ-साथ अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया भी उतनी ही अहम है। इसके मौजूदा प्रावधान के तहत सदन के स्पीकर या चेयरपर्सन को यह अधिकार है कि वह राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने किसी सदस्य या सदस्यों को अयोग्य ठहराने के संबंध में निर्णय ले सके। इस प्रावधान में भी संशोधन किया जाना चाहिए और कुछ विशिष्ट मामलों में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले सदस्य की सदस्यता स्वतः खारिज हो जानी चाहिए। इसके साथ-साथ हमें सदन में ध्वनि मत के बजाय हरेक सदस्य का मत प्राथमिकता के लिहाज से दर्ज करने की परम्परा अपनानी चाहिए। हमारे देश में पिछले 23 सालों से गठबंधन सरकार का दौर चल रहा था, लेकिन हमारे संविधान में चुनाव से पहले या बाद में गठबंधन बनाने के संदर्भ में कोई दिशा-निर्देश नहीं दिये गये हैं। नतीजतन इस तरह के गठजोड़ से सरकार गठन के मौके और उसके बाद भी अनैतिक सौदेबाजियों का रास्ता खुलता है।

मणिपुर में सत्ताधारी गठबंधन सरकार गहरे राजनीतिक संकट में फँस गई थी। इस राजनीतिक संकट के साथ ही दल-बदल विरोधी कानून की प्रासंगिकता पर भी प्रश्नचिह्न लगता दिखाई देने लगा था। बीते दिनों मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कॉंग्रेस के टिकट पर निर्वाचित एक सदस्य को अयोग्य करार दिया गया है, जिससे दल-बदल विरोधी कानून राजनीतिक पटल के विमर्श के केंद्र में आ गया। चुनावी लोकतंत्र का यह घटनाक्रम स्पष्ट तौर पर दल-बदल विरोधी कानून में बदलाव की ओर इशारा करता है, क्योंकि इस घटनाक्रम ने चुनावी दलों के समक्ष दल-बदल विरोधी कानून के दुरुपयोग का एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया और संभव है कि ऐसी घटनाएँ भविष्य में भी देखने को मिलें। मणिपुर में दलबदल की यह राजनीति अनोखी नहीं है, इससे पूर्व कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य भी दल-बदल विरोधी कानून के प्रत्यक्षदर्शी रह चुके हैं।

वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में 'दल-बदल विरोधी कानून' पारित किया गया। साथ ही संविधान की दसवीं अनुसूची, जिसमें दल-बदल विरोधी कानून शामिल है, संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में 'दल-बदल' की कुप्रथा को समाप्त करना था, जो कि 1970 के दशक से पूर्व भारतीय राजनीति में काफी प्रचलित थी।

एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है। कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है। छह महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल काफी अहम भूमिका अदा करते हैं और सैद्धांतिक तौर पर राजनीतिक दलों की महत्त्वपूर्ण भूमिका यह है कि वे सामूहिक रूप से लोकतांत्रिक फैसला लेते हैं। हालाँकि आजादी के कुछ ही वर्षों के भीतर यह महसूस किया जाने लगा कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जाने लगी है। विधायकों और सांसदों के जोड़-तोड़ से सरकारें बनने और गिरने लगीं। 1960-70 के दशक में 'आया राम गया राम' की राजनीति देश में काफी प्रचलित हो चली थी। दरअसल अक्टूबर 1967 को हरियाणा के एक विधायक गया लाल ने 15 दिनों के भीतर 3 बार दल-बदलकर इस मुद्दे को राजनीतिक मुख्यधारा में ला खड़ा किया था। इसी के साथ जल्द ही दलों को मिले जनादेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोकने तथा अयोग्य घोषित करने की जरूरत महसूस होने लगी। अंततः वर्ष 1985 में संविधान संशोधन के जरिये दल-बदल विरोधी कानून लाया गया।

कानून में कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें दल-बदल पर भी अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकेगा। दल-बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है बशर्ते कि उसके कम-से-कम दो-तिहाई विधायक विलय के पक्ष में हों। ऐसे में न तो दल बदल रहे सदस्यों पर कानून लागू होगा और न ही राजनीतिक दल पर। इसके अलावा सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को इस कानून से छूट प्राप्त है।

दल-बदल विरोधी कानून एक उचित सुधार था लेकिन इसके अपवादों ने इस कानून की मारक क्षमता को कम कर दिया। जो दल-बदल पहले एकल होता था अब सामूहिक तौर पर होने लगा। अतः वर्ष 2003 को संसद को 91वां संविधान संशोधन करना पड़ा, जिसमें व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सामूहिक दल-बदल को भी असंवैधानिक करार दिया गया।

91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के तहत मंत्रिमंडल का आकार भी 15 फीसदी सीमित कर दिया गया। हालाँकि, किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची की धारा 3 को खत्म कर दिया गया, जिसमें प्रावधान था कि एक-तिहाई सदस्य एक साथ दल-बदल कर सकते थे।

कानून के अनुसार, सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति है। वर्ष 1993 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं होगा। विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। न्यायालय ने माना कि दसवीं अनुसूची के प्रावधान संसद और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं करते हैं। साथ ही ये संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत किसी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन भी नहीं करते। विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय दुर्भावना, दुराग्रह, संवैधानिक जनादेश और प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध पाए जाने की स्थिति में न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है।

दल-बदल विरोधी कानून की चुनौतियाँ

प्रतिनिधि लोकतंत्र की भावना के खिलाफ दल-बदल विरोधी कानून यह सुनिश्चित करता है कि विधान मंडल सदस्यों के द्वारा किये जाने वाले दल-बदल पर रोक लगाकर एक स्थिर सरकार प्रदान की जाए। हालाँकि, यह कानून विधान मंडल सदस्यों को उनके मतदाताओं के हितों के अनुरूप स्वविवेक के आधार पर मतदान करने से प्रतिबंधित करता है। दल-बदल विरोधी कानून सरकार पर विधायिका के नियंत्रण को कमजोर करता है क्योंकि यह विधान मंडल सदस्यों को राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिये गए निर्णयों के आधार पर मतदान करने के लिये बाध्य करता है। दल-बदल विरोधी कानून वास्तव में, कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण को कम करता है और कार्यपालिका के हाथों में शक्ति को केंद्रीकृत करता है। सदन के पीठासीन अधिकारी की भूमिका दल-बदल विरोधी कानून के अनुसार, सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति है। हालाँकि, ऐसे कई उदाहरण हैं जब पीठासीन अधिकारी सत्ताधारी राजनीतिक दल के निहित स्वार्थों की पूर्ति करने वाले अभिकर्ता की भूमिका निभाने लगते हैं।

दल-बदल विरोधी कानून ने राजनीतिक दल के सदस्यों को दल बदलने से रोक कर सरकार को स्थिरता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वर्ष 1985 से पूर्व कई बार यह देखा गया कि राजनेता अपने लाभ के लिये सत्ताधारी दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होकर सरकार बना लेते थे जिसके कारण जल्द ही सरकार गिरने की संभावना बनी रहती थी। ऐसी स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव आम लोगों हेतु बनाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ता था। दल-बदल विरोधी कानून ने सत्ताधारी राजनीतिक दल को अपनी सत्ता की स्थिरता के बजाय विकास संबंधी अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिये प्रेरित किया है।

कानून के प्रावधानों ने धन या पद लोलुपता के कारण की जाने वाली अवसरवादी राजनीति पर रोक लगाने और अनियमित चुनाव के कारण होने वाले व्यय को नियंत्रित करने में भी मदद की है। साथ ही इस कानून ने राजनीतिक दलों की प्रभावकारिता में वृद्धि की है और प्रतिनिधि केंद्रित व्यवस्था को कमजोर किया है।

विपक्ष का मानना है कि लोकतंत्र में संवाद की संस्कृति का अत्यंत महत्व है, परंतु दल-बदल विरोधी कानून की वजह से पार्टी लाइन से अलग किंतु महत्वपूर्ण विचारों को नहीं सुना जाता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि इसके कारण अंतर-दलीय लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ता है और दल से जुड़े सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। जनता का, जनता के लिये और जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उसकी अनुमति से शासन होता है, उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। परंतु यह कानून जनता का नहीं बल्कि दलों के शासन की व्यवस्था अर्थात् 'पार्टी राज' को बढ़ावा देता है।

कई विशेषज्ञ यह भी तर्क देते हैं कि दुनिया के कई परिपक्व लोकतंत्रों में दल-बदल विरोधी कानून जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। उदाहरण के लिये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों में यदि जन-प्रतिनिधि अपने दलों के विपरीत मत रखते हैं या पार्टी लाइन से अलग जाकर वोट करते हैं, तो भी वे उसी पार्टी में बने रहते हैं।

दल-बदल विरोधी कानून को भारत की नैतिक राजनीति में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जाता है। इसी कानून ने देश में 'आया राम, गया राम' की राजनीति को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हालाँकि विगत कुछ वर्षों से देश की राजनीति में इस कानून के अस्तित्व को कई बार चुनौती दी जा चुकी है।

निष्कर्ष

भारतीय राजनीति के राष्ट्रीय या राज्यकीय परिदृश्य में जब कभी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलना संभव नहीं लगता, तो ऐसे में निर्दलीय सांसदों या विधायकों की भूमिका सरकार बनाने व सदन में बहुमत साबित करने की प्रक्रिया में अहम हो जाती है। सत्ताधारी गठबंधन को समर्थन देने वाले निर्दलीय सांसदों या विधायकों की स्थिति के साथ उनके दायित्वों का भी स्पष्ट निर्धारण जरूरी है। एक जवाबदेह गठबंधन सरकार बनाने के क्रम में समर्थन देने वाले सभी निर्दलीय सांसद या विधायक इसके बारे में एक लिखित करार करें, जिसकी एक प्रति राष्ट्रपति या गवर्नर को सौंपी जाए। समकालीन भारतीय राजनीति की जरूरतों के हिसाब से दलबदल विरोधी कानून में सुझाए गए ये कुछ संशोधन सांसदों या विधायकों के लिए पार्टी के दिशा-निर्देशों के हिसाब से चलने की मजबूती की काफी हद तक कम कर देंगे। इसके साथ-साथ किसी भी मुद्दे या विधेयक पर निर्दलीयों का समर्थन हासिल करने के लिए उनमें इस बारे में चर्चा या विचार-विमर्श करना भी जरूरी हो जाएगा, जिससे परोक्ष तौर पर राजनीतिक पार्टियों, संसद, विधानसभाओं के अलावा सरकार के सभी रूपों में भी लोकतांत्रिक परिचर्चाओं की गुंजाइश बनेगी। इससे मुद्दों पर आधारित समर्थन या न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर स्थिरता हासिल करने का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा।

दल-बदल विरोधी कानून में संशोधन कर उसके उल्लंघन पर अयोग्यता की अवधि को 6 साल या उससे अधिक किया जाना चाहिये, ताकि कानून को लेकर नेताओं के मन में डर बना रहे। दल-बदल विरोधी कानून संसदीय प्रणाली में अनुशासन और सुशासन सुनिश्चित करने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, लेकिन इसे परिष्कृत किये जाने की जरूरत है, ताकि दुनियाँ का सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे बेहतर लोकतंत्र भी साबित हो सके। 170 वें विधि आयोग की रिपोर्ट ने यह तर्क देते हुए अंतर-दलीय लोकतंत्र के महत्व को रेखांकित किया कि एक राजनीतिक पार्टी आंतरिक रूप से अपने कामकाज में तानाशाही और लोकतांत्रिक नहीं हो सकती है।

संदर्भ सूची

1. जैन एवं फ्राडिया, भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य प्रकाशन, 2014, पृ. 22
2. शुक्ला, सोना, राजनीति विज्ञान, प्रबोध प्रकाशन 2009, पृ. 39
3. कश्यप तथा गुप्त, राजनीति कोष, महेश्वरी प्रकाशन, 2010, पृ. 42
4. कोठारी रजनी, भारत में राजनीति, पृ. 52
5. तुरखिया साधना, आदर्श चुनाव आचार संहिता, पृ. 41-42
6. मिश्र, नृपेन्द्र, अभिव्यक्ति : नए दौर में बदलाव जरूरी-समाचार पत्र, दैनिक भास्कर, भिलाई-रायपुर, 3 अगस्त, 2012, पृष्ठ 8
7. दलबदल विरोधी अधिनियम 1985, संविधान की दसवीं अनुसूची-52 वॉ संविधान संशोधन, प्रतियोगिता दर्पण : अप्रैल 2001, पृष्ठ-16-19
8. कश्यप सुभाष, साझा सरकार, संविधान समीक्षा, पृ. 28

संविधान पर विभिन्न विचार एवं अनिवार्यता

डॉ० धनंजय कुमार

ग्राम+पो०- धनौली, जिला- दरभंगा-847101

किसी भी देश या राष्ट्र को नियंत्रित, नियमबद्ध एवं सुव्यवस्थित तथा सुविकसित रूप प्रदान करने की कामना से प्रत्येक देश में संविधान का नियम किया जाता है, जो राष्ट्र के संचालन, नियमन एवं प्रगति के साधन के रूप में कार्य करता है। यह शब्द अंग्रेजी के 'कन्स्टीच्युशन' का हिन्दी रूपान्तर है। दैनिक बोल-चाल की भाषा में 'कन्स्टीच्युशन' शब्द का प्रयोग मनुष्य के शरीर के ढाँचे तथा बनावट के रूप में किया जाता है। राजनीतिशास्त्र के अन्तर्गत भी संविधान का 'कन्स्टीच्युशन' शब्द से अभिप्राय, राष्ट्र के ढाँचे, बनावट या संगठन से होता है। इसकी व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है- सम+विधान, जिसका अर्थ सुव्यवस्था, सुप्रबंध के निमित्त स्वीकृत प्रणालियों का निर्माण है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज या अलिखित नियम है, जो सरकारी या गैर सरकारी संगठन, राष्ट्र एवं समाज को सुचारु एवं सुव्यवस्थित संचालन की गतिविधियों के बारे में दिशा-निर्देश करते हुए। मानव समाज के सुव्यवस्थित समूह, जिसे राज्य का राष्ट्र कहा जाता है, को नियमानुसार संचालित करता है।

प्रत्येक राज्य या राष्ट्र के लिये किसी न किसी प्रकार के संगठन या व्यवस्था की आवश्यकता होती है। सच तो यह है कि प्रत्येक राज्य में कुछ न कुछ शासन व्यवस्था को संविधान कहा जाता है। संविधान लिखित या अलिखित प्रलेख या प्रलेखों के रूप में हो सकता है, या नियमों, लोकाचारों, परम्पराओं और व्यवहारों पर आधारित हो सकता है। इस प्रकार संयत भाषा में कहा जा सकता है कि- उन लिखित तथा अलिखित नियमों का संग्रह संविधान है, जिसके द्वारा एक ओर राज्य के स्वरूप, गठन, कार्य क्षेत्र तथा अधिकार निर्धारित किए जाते हैं और दूसरी ओर नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य तथा राज्य एवं नागरिकों के पारस्परिक सम्बन्धों की व्याख्या की जाती है। इस प्रकार संविधान वह मूल विधि है जो शासन के अंगों, राज्य की शक्तियों तथा नागरिकों के कर्तव्यों एवं अधिकारों की व्याख्या करती है।

संविधान को विभिन्न चिन्तकों ने अपने-अपने ढंग से पारिभाषित किया है, जिनमें कुछ मुख्य परिभाषाओं की चर्चा आवश्यक है। राजनीतिशास्त्र में 'संविधान' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैण्ड में किया गया था। सम्राट, हेनरी द्वितीय ने राजा तथा पादरियों के पारस्परिक सम्बन्ध के निरूपण करनेवाले राजनियमों को संविधान कहा था जो क्लैरेडन संविधान के नाम से विख्यात है। उस समय संविधान से तात्पर्य राजनियमों तथा आज्ञा पत्रों से था लेकिन, आधुनिक युग में संविधान शब्द का अर्थ अधिक व्यापक हो गया है। बुल्जे के अनुसार, संविधान उन सिद्धान्तों का संग्रह है, जिसके अनुसार सरकार की शक्तियों

और शासितों के अधिकारों तथा दोनों के बीच के सम्बन्धों का समन्वय किया जाता है। ब्राइस के अनुसार-संविधान निश्चित नियमों का वह संग्रह है, जिसमें सरकार की कार्य विधि निहित होती है, और जिसके द्वारा उसका संचालन किया जाता है। इसी विद्वान के अनुसार किसी राज्य के संविधान से तात्पर्य राज्य के उन नियमों तथा कानूनों से है, जिसके द्वारा शासन का रूप तथा शासन, नागरिकों के पारस्परिक अधिकार तथा कर्तव्य निश्चित किए जाते हैं। लीकॉक के अनुसार 'संविधान' राज्य विशेष के रूप का नाम है। प्रो० डायसी के अनुसार संविधान उन कानूनों के समूह को कहते हैं, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करते हैं। गेटेल के अनुसार वे मौलिक सिद्धान्त जिनके द्वारा राज्य के स्वरूप का निर्धारण होता है, संविधान कहलाता है। इसमें राज्य के संगठन की विधि, सरकार के विभिन्न अंगों में उसकी प्रभुशक्ति का वितरण सरकार के कार्यों का क्षेत्र तथा सम्पादन की विधि और सरकार एवं जनता पर सरकार की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। गिलक्राइस्ट के अनुसार संविधान उन समस्त लिखित और अलिखित विधियों और नियमों का संग्रह है, जिनके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है, शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है, और उन सिद्धान्तों का निर्धारण किया जाता है, जिन पर उन शक्तियों का प्रयोग किया जाना है। हरसन फाइनर के अनुसार- राज्य प्राणियों का एक ऐसा समुदाय है, जिसमें मनुष्यों और उनकी संस्थाओं के बीच शक्ति का संतुलन कार्य होता है। राजनीतिक संस्थाएँ शक्ति संतुलन का प्रवर्तन करती हैं, और मौलिक, राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था को ही संविधान कहा गया है। डॉ० व्हीयर ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि- संविधान नियमों का वह संग्रह है जो उन उद्देश्यों की प्राप्ति करता है, जिसके लिए शासन शक्ति प्रवर्तित की जाती है, तथा शासन के उन विविध अंगों की सृष्टि करता है, जिसके माध्यम से सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। इसी तरह प्रो० लास्की के अनुसार- नियमों का वह संग्रह, जिनके द्वारा यह निर्धारित होता है कि- ऐसे नियम कैसे बनाए जाएँ, किस प्रकार वे बदले जाएँ तथा उन्हें कौन बनाए, संविधान कहलाता है। वाल्स वर्ग्युड ने संविधान की व्याख्या करते हुए कहा है- संविधान एक आधारभूत कानून है, जिसके द्वारा किसी राज्य की सरकार संगठित की जाती है, और जिसके अनुसार व्यक्तियों अथवा नैतिक मनुष्यों तथा समाज के पारस्परिक सम्बन्ध निर्धारित किए जाते हैं।

उपर्युक्त विभिन्न विचारकों ने अपने-अपने ढंग से संविधान की व्याख्या की है, लेकिन इसकी सूक्ष्म परीक्षण के बाद होता है कि संविधान का सम्बन्ध राज्य की सरकार या शासन-व्यवस्था से है। अर्थात् राज्य के कार्यों को संचालित करनेवाले मूल नियमों तथा सिद्धान्तों की समष्टि को संविधान कहा जाता है। संविधान द्वारा राज्य या राष्ट्र की सरकार और संगठन को निर्धारित किया जाता है। संविधान द्वारा यह निश्चय किया जाता है कि राज्य की सरकार किस तरह की हो, उनके कौन-कौन से अंग हो, उन अंगों के कौन-से कार्य तथा शक्तियाँ हों, और उनमें क्या पारस्परिक सम्बन्ध हो। शासक तथा शासित के सम्बन्ध का भी निश्चय संविधान के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही यह भी बतलाता है कि सरकार की क्या शक्ति तथा नागरिकों के क्या अधिकार और कर्तव्य हैं। संविधान की संक्षिप्त व्याख्या करते हुए कहा जा सकता है, संविधान राजकीय आचरण का विधान है, जो यह निर्धारित करता है कि राज्य के विभिन्न अंगों का क्या आचरण हो और उसका सम्बन्ध राज्य की सरकार के स्वरूप, संगठन, शक्ति, उनके विविध अंग, उनके अधिकार और कर्तव्य, शासक और शासितों के पारस्परिक सम्बन्ध की व्याख्या से होता है। इसी की व्याख्या करते हुए प्रो० मुनरों ने कहा है- राज्य के संविधान के तात्पर्य उन मूलभूत नियमों से है जो उसकी सरकार के रूप और संगठन को निर्धारित करते हैं। संविधान में निम्नलिखित बातों का समावेश होता है- राज्य के शासन का स्वरूप तथा संगठन, सरकार के विभिन्न अंगों-कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका के अधिकार एवं कर्तव्य, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य एवं राज्य तथा नागरिकों और शासन के विभिन्न विभागों के पारस्परिक सम्बन्ध।

प्रो० स्ट्रॉंग के अनुसार- संविधान एक विचारपूर्ण लिखित उत्पादन हो सकता है, वह एक ऐसे आलेख के रूप में हो सकता है, जो समय और विकास के अनुसार स्वयं परिवर्तित या संशोधित किया जा सकता है, या वह ऐसे अलग कानूनों का समूह हो सकता है, जिन्हें संविधान के कानूनों के रूप में स्वीकृति दी गई हो अथवा पुनः ऐसा भी हो सकता है कि संविधान का आधार एक-दो मौलिक कानूनों के रूप में निश्चित हो, तथा शेष अपनी स्वीकृति के लिए प्रथाओं की शक्ति पर निर्भर हो। इस प्रकार संविधान की परिभाषा के उपरान्त उसके महत्त्व का विवेचन करना भी आवश्यक होगा।

जिस प्रकार मानव शरीर का एक ढाँचा है, जिसके अभाव में मानव शरीर खड़ा नहीं रह सकता, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य का एक संविधान होता है, चाहे उसके शासन के स्वरूप कैसा भी हो। कुछ विद्वानों के अनुसार सभी देशों के लिए संविधान आवश्यक नहीं है- जैसे-स्वेच्छाचारी शासन वाले राज्यों में संविधान नहीं होता। दी० रॉकबिले के अनुसार इंग्लैण्ड में कोई संविधान नहीं है। परन्तु ऐसे विद्वान संविधान के वास्तविक अर्थ को समझने में बिल्कुल असमर्थ थे। वे संविधान से तात्पर्य लिखित प्रलेख से लेते हैं, परन्तु संविधान से तात्पर्य उन समस्त नियमों-उपनियमों, लोकाचारों, अभिसमयों के संग्रह से है, जिनके द्वारा राज्य के नागरिकों के सम्बन्ध में शासन के अधिकारों एवं कर्तव्यों और नागरिकों के राज्य के प्रति कर्तव्यों

एवं अधिकारों का निर्धारण करता है। इस अर्थ में प्रत्येक राज्य के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। जेलिनेक के अनुसार—संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि संविधानविहीन राज्य की सत्ता ही असंभव है। संविधान के अभाव में राज्य को अराजक कहा जाता है। लोकतन्त्रात्मक शासन के लिए संविधान की अनिवार्यता असंदिग्ध है। इसी के द्वारा शासकों की निरंकुशता को नियंत्रित कर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। यदि जनतन्त्रात्मक सरकार संविधान के अधीन चलती है, जो निरंकुश शासन भी संविधान के बिना चल नहीं सकता।

वस्तुतः प्रत्येक राज्य के लिए चाहे वह गणतन्त्र हो या राजतन्त्र, लोकतन्त्र हो या अधिनायक, सभ्य राज्य हो या पिछड़ा, ऐसे नियमों तथा सम्बन्धों का होना नितान्त आवश्यक है जो सरकार के अंगों के संगठन, अधिकार तथा कर्तव्य, अधिकारों के प्रयोग, पदाधिकारियों के कार्य करने की व्यवस्था, राज्य तथा नागरिकों के सम्बन्ध आदि को निश्चित करें। इन नियमों के अभाव में सरकार के विविध अंगों के संगठन, अधिकार और कर्तव्य आदि अस्पष्ट एवं संदिग्ध रहते हैं और प्रशासन सम्बन्धी कार्य अनिश्चित रहते हैं। जिससे जटिलता बढ़ती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य जन आधारभूत सिद्धांतों का निर्धारण है जो सरकार का संचालन और संप्रभुत्व का संचालन करते हैं, अतः प्रत्येक राज्य के लिए संविधान अनिवार्य है।

सन्दर्भ सूची

1. पं० विद्यानन्द झा— भारत का संविधान: एक विश्लेषण, सरोज साहित्य प्रकाशन, दरभंगा—2013, पृ०—2. रजनीपाम दत्त— आज का भारत, मैकमिलन
2. इण्डिया लिमिटेड—1996, पृ०—509.
3. प्रो० जी० एन० जोशी—इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशन— पृ०—69.
4. ए० बी० कीथ—ए—कन्स्टीच्युशनल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया—1600— 1935—36, पृ०—473—474.

सुशासन की चुनौतियों से निपटने में सीएजी की भूमिका

डॉ० कुमार कौशल

सीतायन कुंज, छतौनी बाजार,
Email: kkaushal088@gmail.com

नैतिक मूल्यों तथा धर्म की विशद व्याख्या से युक्त भारतीय शास्त्रों में अभिशासन (सुशासन) की अवधारणा विद्यमान हैं। श्रीमद् भागवतगीता, महाभारत के शांति पर्व, चाणक्य के अर्थशास्त्र व शुक्रनीति में सुशासन के व्यापक नियम दिए गए हैं। भारत में सुशासन की अवधारणा 21वीं सदी की देन नहीं बल्कि इसकी जड़ें तो रामराज्य या स्वराज की परंपरागत अवधारणा में समाहित हैं।

“लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा” के ध्येय के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) सजग प्रहरी की भूमिका निभाता है। वह सरकार के वित्तीय प्रशासन के कार्य को कुशलतापूर्वक नियंत्रित तथा निर्देशित करता है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को “संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी” माना है। महालेखा परीक्षक सामान्य ज्ञान युक्त सांसदों को तकनीकी एवं वित्तीय आदान-प्रदान से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। यह वित्तीय व्यवहार की जाँच कर करदाताओं के धन का औचित्य सिद्ध करता है।

अभिशासन ऐसी पद्धति या प्रणाली है, जिसके द्वारा संस्था कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए यथेष्ट स्तर तक जन-जन को मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्रदान की जाती है। सुशासन के अंगों में जवाबदेहिता, पारदर्शिता, प्रभावी तथा कुशल नीति एवं सामाजिक न्याय की सुनिश्चितता शामिल है। सेवाओं की गुणवत्ता, अकार्यकुशलता, विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग पर नियंत्रण हेतु सरकारी अधिकारी व प्रशासनिक संगठनों के लिए नौकरशाही की जवाबदेहिता व नियंत्रण की व्यवस्था निश्चित किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही प्रशासनिक पारदर्शिता तथा सरकारी निष्पादन के मूल्यांकन के संबंध में सूचना की स्वतंत्रता, जो सुशासन के आधारभूत स्तंभ हैं, का होना भी अत्यन्त आवश्यक है।

सुशासन की दिशा में कार्यरत् सीएजी का सर्वप्रथम कार्य अंकेक्षण का है। औचित्यपूर्ण ढंग से एवं निर्धारित प्रक्रिया अनुसार व्यय करने का प्रयास हुआ या नहीं, इसकी जांच सीएजी द्वारा की जाती है। प्रशासनिक अकर्मण्यताएं उद्घटित करने में सीएजी प्रतिबद्ध है। सुशासन की स्थापना के लिए तथा वर्तमान राजनैतिक एवं प्रशासनिक पटल पर उभरने वाली चुनौतियों से निपटने हेतु सीएजी की भूमिका निम्न प्रकार से सराहनीय हो सकती है

क. भ्रष्टाचार पर नियंत्रण :- भ्रष्टाचार, भारत के राजनैतिक व्यवस्था की जटिल समस्या बनकर उभरा है। प्रत्येक क्षेत्र इस महामारी से गंभीर रूप से पीड़ित है। तब सीएजी एक कुशल चिकित्सक की भाँति इस रोग के उपचार हेतु यथासंभव कार्य कर सकते हैं। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु कुछ ठोस कदम निम्नलिखित हैं जिसकी परिणति सीएजी के माध्यम से हो सकती है:-

- 1. पूर्व लेखा परीक्षण :-** किसी भी कार्य के पश्चात् उसकी जांच करने पर भले ही विभिन्न अवरोधों को सीएजी दूढ़ निकालता है, परंतु इसके अतिरिक्त हमारा प्रयास समस्या को उत्पन्न न होने देने का या दूरदर्शिता पूर्ण चिंतन द्वारा आशंका को पहचानने का होना चाहिए। पश्चात् लेखा परीक्षण वास्तव में मृत्यु पश्चात् शव परीक्षण जैसा ही है। इसलिए इन विसंगतियों से निपटने हेतु पूर्व लेखा परीक्षण की अवधारणा अपनाने की आवश्यकता है ताकि मितव्ययिता का सुझाव देते हुए, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित हो सके तथा ऑडिट की उपयोगिता भी स्वयंसिद्ध हो।
- 2. निष्पादन अंकेक्षण :-** वैधानिक तथा औचित्य अंकेक्षण की तरह निष्पादन अंकेक्षण पर अधिक महत्व देने की आवश्यकता है ताकि विकासात्मक कार्यों की जांच अधिक प्रतिबद्ध तरीके से हो। सामाजिक क्षेत्र की सारी योजनाएं जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबी उन्मूलन, आधारभूत संरचना का विकास इत्यादि पर खर्च अधिक होता है पर परिणाम, मनोविज्ञानिक संतुष्टि प्रदान नहीं करता। इस प्रकार सीएजी आम लोगों के जीवनस्तर को ऊँचा उठाने हेतु कार्य कर सकता है।
- 3. विकास के छिद्रों का अन्वेषण :-** अरबों रुपये का स्विस् बैंको में होना, 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स आदि जो भ्रष्टाचार से निपटने में हमारी अक्षमता साबित करता है। भ्रष्टाचार के कारण हमारे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसकी रोकथाम हेतु सीएजी को अधिक मुस्तैदी से कार्य करना होगा।

सीएजी परियोजना क्रियान्वयन की परख हेतु अपनी सर्तकता या निगरानी टीम गठित कर सकता है, जो अनियमितता को उजागर करें। जिससे सीएजी के भय से विकास योजना के आशातीत परिणाम सामने आएँ। सीएजी की ऑडिट का किसी को भय नहीं होता क्योंकि राजनैतिक जवाबदेहिता अनुपस्थित होती है। इसके लिए राजनैतिक जवाबदेहिता की पुष्टि की जाए ताकि ऑडिट का सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो।

ख. अधिकार क्षेत्र में बढोत्तरी :- सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हुए कुशल सेवाएं नागरिकों को प्रदान करे तथा सुशासन की स्थापना हो। इस हेतु सीएजी के अधिकार क्षेत्र को बढाना चाहिए। सीएजी को उसके सांविधानिक और सांविधिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु ये अत्यंत आवश्यक है। सामान्यतौर पर यह देखा गया है कि सीएजी महत्वपूर्ण विभाग होने के बाद भी प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। रिपोर्ट सौंपने के बाद संसद कार्यवाही करती है तथा जो भी आपत्ति उठाते हैं, उस पर हमेशा कार्यवाही नहीं होती। फू ड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, खेल तथा रक्षा पर कई सुझाव दिये हैं पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

सरकारी लेखा प्रणाली तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में चुनौती से निपटने हेतु ऐसी जाँच प्रणाली विकसित हो जो कार्यान्वयन एजेन्सियों की ओर से विभिन्न योजनाओं के मद में खर्च किए गए अनुदानों का सही ब्यौरा सामने ला सकें। कल्याण कार्यक्रमों के तहत जरूरतमंदों को मिलने वाले लाभ के बारे में न तो ऑकड़ा तैयार होता है, न रिपोर्ट आती है तथा बैंक में बचे धन का पता नहीं चल पाता तब यदि इसे सीएजी के जांच के दायरे में लाने पर गड़बडी पर नियंत्रण होगा। इसके साथ सामयिक एवं रेग्युलरिटी ऑडिट की जरूरत है।

ग. संगठनात्मक सुधार :- सुशासन की प्रमुख तथा बड़ी चुनौतियों से निपटने हेतु आवश्यक है कि कुछ मामलों में सीएजी संगठनात्मक सुधार लागू कर एक महत्वपूर्ण व्यवस्था का दायित्व निभाएँ। निम्न प्रयासों से कई सुधार दृष्टिगोचर हो सकते हैं।

- 1. सामान्यतः** यह देखा गया है कि सीएजी की रिपोर्ट तथा आपत्तियों पर सभी विभाग या मंत्रालय पर्याप्त ध्यान न दे देकर अवहेलना करते हैं तब सीएजी को आवश्यक कार्यवाही न करने वाले व्यक्ति पर यथोचित दंड देने का प्रावधान बनाना चाहिए। जिससे व्याप्त सजा के कारण यथेष्ट कार्यवाही की जा सके।

2. विभागीय अंकेक्षण समितियाँ :- ऑडिट आपत्तियों की गंभीरता से लेते हुए उनके समयबद्ध निराकरण तथा पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विभागीय अंकेक्षण समितियाँ गठित की जाएँ, ताकि प्रतिवेदनों में संवैधानिक प्रावधानों के अधीन उठाई गई आपत्ति पर उचित कार्यवाही हो। विभाग के सचिव या विभागाध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष हो तथा इसमें वित्त विभाग के प्रतिनिधि तथा वरिष्ठ महालेखाकार आदि सदस्य रूप में शामिल हो। यह ऑडिट की लंबित कंडिकाएं जिनका निराकरण निचले स्तर पर नहीं हो पा रहा है उसके निराकरण के संबंध में निर्णय लेगी तथा इन समितियों की सिफारिश पर विभागीय कार्यवाही को भी सुनिश्चित किया जाएँ।

3. परिणाम मसौदा दस्तावेज :- अनियमितताओं को काफी हद तक दूर करने हेतु सीएजी विभिन्न मंत्रालय तथा विभागों के कामकाज की निगरानी तथा बेहतरी हेतु "परिणाम मसौदा दस्तावेज" तैयार करें। जिससे इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही का विवरण पेश किया जाएगा, साथ ही एक निगरानी तंत्र, पारदर्शिता हेतु विकसित होगा।

4. चुनाव :- जागरूक जनमत "जीवनरक्षक घोल" की तरह है। भारतीय राजनीति में धन तथा बल की आवक लोकतंत्र को नष्ट कर रहा है। विगत कुछ वर्षों से कई करोड़पति प्रत्याशी चुनाव में जीत दर्ज कर रहे हैं। सुशासन की चुनौती में साफ स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया हेतु "शैडो एक्सपेंडीचर रजिस्टर" का ऑडिट सीएजी करें ताकि धन्नासेट प्रतिनिधि रूपयों की पोटली खोलकर विजयश्री हासिल न करें।

पिछले दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी इस हेतु सिफारिश की थी। इसके अलावा राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों के निवेश संबंधी खर्चों का ब्यौरा सीएजी समय-समय पर ले। इसके लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व खुफिया निदेशालय सहित अन्य प्रवर्तन एंजेसियों की मदद ले सकता है। सुशासन की बयार हेतु राजनैतिक दलों को सीएजी के दायरे में लाना चाहिए तथा इन दलों के आय व्यय का वार्षिक ऑडिट हो। भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों का वित्तीय प्रबंधन पारदर्शी हो। दल अपनी ओर से परिसंपत्ति की घोषणा व सीएजी के माध्यम से लेखांकन करवाने हेतु बाध्य हो।

घ. संघीय अदालत में चुनौती देने की सीएजी की शक्ति हो :- सुशासन की रेल को तीव्र विकास की पटरी पर चलाने हेतु जवाबदेहिता का इंजन लगाना आवश्यक है। बिना जवाबदेहिता के किसी भी कार्य की वैधता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले पर सत्तापक्ष ने सीएजी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात कही, जबकि सीएजी प्रमुख ने कहा कि लोकलेखा समिति पर चर्चा के दौरान कोई सांसद उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार के मामले निपटाने तथा संविधान द्वारा स्थापित संस्था के सम्मान को क्षीण करने वालों के विरुद्ध संघीय अदालत में चुनौती देने की शक्ति होना आवश्यक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी लेखा संगठन की रिपोर्ट का उल्लंघन करने पर संगठन संघीय अदालत में चुनौती दे सकता है ताकि समय-समय पर प्रतिवेदनो तथा आपत्तियों पर उत्तर देना आवश्यक हो। सरकार ने स्वयं रिपोर्ट पर सवाल उठाकर इसकी संवैधानिक शक्ति को निम्न स्तरीय होना दर्शाया है। यह भारत जैसे लोकतंत्र के पोषक राष्ट्र हेतु अत्यंत हानिकारक है जो कालांतर में सीएजी की उपेक्षा के वृक्ष के रूप में दृष्टिगोचर होगा।

सरकार स्वयं सीएजी जैसी महत्वपूर्ण संस्था की जड़े खोद रही है। इस प्रकार कार्यपालिका या मंत्रियों द्वारा सीएजी के रिपोर्ट पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकेगा। सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री ने सरकार को हुई हानि का जो गुणा लाभ लगाया है तथा उसमें गंभीर गलतियाँ हैं यह कथन कहकर सीएजी की विश्वनीयता पर हमला बोला है। इसके अलावा कानून मंत्री तथा दूरसंचार मंत्री ने राजनीतिक दौंव-पेंचों तथा शब्दजाल के माध्यम से पार्टी का राजनैतिक मकसद पूरा करने हेतु सीएजी जैसी संस्था को भी कठघरे में खड़ा कर दिया संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है जब संवैधानिक पदों पर बैठे सरकार के महत्वपूर्ण व्यक्ति ने संवैधानिक गरिमा तथा लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा का उल्लंघन किया। एक रिपोर्ट के अनुसार, 1994 से अब तक उठाएँ गए 9000 मुद्दों में से देश के केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों में केवल 3000 मुकदमों के ही जवाब दिए जबकि संवैधानिक व्यवस्था में उठाई गई आपत्ति पर उत्तर देना आवश्यक है।

ड. सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग:- आज आम आदमी के जीवन में स्थान बनाने वाले सूचना साधन, न केवल रोजमर्रा के कार्यों में बल्कि सरकारी कार्यों के निपटारे में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सीएजी को पहुँच में आसान और सशक्त शिकायत तंत्र का निर्माण करना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में राजनीति ने आचरण खोया तो नौकरशाहों ने लूट को अपना अधिकार मान लिया है। आज सीबीआई का स्वतंत्र अस्तित्व संदिग्ध है तथा प्रशासनिक बंधन और राजनैतिक हस्तक्षेप ज्यादा होने के कारण यह अपने अस्तित्व से जूझ रही है। ठीक पिछले दिनों के घटनाक्रम ने सी. वी. सी. प्रमुख की नियुक्ति में अधिकारी को दिए गए अप्रत्याशित छूट से असहज परिस्थितियों निर्मित हो गई थी, इसलिए सीएजी यहाँ प्रभावी शिकायत निपटारे का अंग बन सकता है।

च. युवा शक्ति का उपयोग हो:- युवा किसी राष्ट्र के वर्तमान परिस्थितियों के उभार में सहायक ही नहीं होते, बल्कि भविष्य के राष्ट्र निर्माण के सूत्रधार भी होते हैं। भविष्य की नींव युवावर्ग, सीएजी तथा उसके कार्यों आदि के विषय में अनभिज्ञ होते हैं, क्योंकि हमारे शालेय पाठ्यक्रम में सीएजी की अनुपस्थिति होती है साथ ही यह देखा गया है कि जब युवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में संलग्न हो या राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हो तभी इसके बारे में यथासंभव जानकारी ग्रहण करते हैं।

छ. जनसहभागिता का दायरा बढ़ाया जाए:- सुशासन की स्थापना में जनसहभागिता एवं स्वस्थ जनमत निःसंदेह आवश्यक है। सीएजी इस दिशा में दूरस्थ शिक्षा द्वारा "ऑन लाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम" की व्यवस्था कर सकता है। जिससे नागरिक ऑडिट में अधिक से अधिक योगदान दे। राज्य स्तर पर सीएजी अपने प्रतिनिधियों द्वारा नागरिक समाज से लेखा परीक्षकों को प्रशिक्षित करें ताकि भ्रष्टाचार तथा अनियमितता संबंधी शिकायतें स्थानीय स्तर पर ही नियंत्रित हो सकें।

सीएजी की निष्पक्षता तथा मुस्लेदी से कई महारथियों (बोर्फोस, कामनवेल्थ गेम्स, 2जी स्पेक्ट्रम) के घोटाले पकड़े गए हैं तथा भविष्य में भी यह प्रक्रम जारी रहेगा। जहाँ तक सीएजी का कार्यक्षेत्र विस्तारित होता है वहाँ तक विधायिका का नियंत्रण भी बढ़ जाता है। इस प्रकार राजकोष के पैसे के खर्च पर नियंत्रण के साथ निगरानी में भी सीएजी अहम भूमिका निभाता है।

संदर्भ सूची

1. जागरण, दैनिक, राष्ट्रीय संस्करण 15 मार्च 2014, नई दिल्ली।
2. जागरण, दैनिक, राष्ट्रीय संस्करण 2 अप्रैल 2014, नई दिल्ली।
3. रामधारीसिंह दिनकर :संस्कृति के चार अध्याय:लोकभारती प्रकाशन इलाहाबाद: 2003 नवीन संस्करण
4. म:एन श्रीनिवास— आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन: राजकमल प्रकाशन दिल्ली 1987
5. इंडिया टुडे मई 2013 अप्रैल 2014

संत मगनीराम की रचना शैली: एक अनुशीलन

मनमोहन कुमार

शोध-छात्र, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, ल.ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

संत मगनीराम पढ़े-लिखे साहित्यकार थे, वे कबीर की भाँति दरेश देकर किसी बात को नहीं कहते। उनका अभिव्यक्ति पक्ष कथ्य पक्ष की ही भाँति व्यवस्थित और अर्थपूर्ण है। मैं एक उदाहरण से इस बात का संकेत देना चाहता हूँ। काव्य में कवि अपने नाम का उपयोग करता है। इसे भणित की प्रणाली कहते हैं। भनई विद्यापति सुनु वर जौवति या कहत कबीर सुनो भाई साधो या सूरदास की सवै अविद्या दूर करौ नन्दलाल या मांगत तुलसिदास कर जोरें जैसी उक्तियाँ भणित की प्रणाली को व्यक्त करती हैं। कबीर की साखियों में उनके नाम का प्रयोग मिलता है। लेकिन कुछ दोहे ऐसे भी हैं जिसमें नाम का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे—

कमोदिनी जलहरि बसै चन्दा बसै आकास।

जो जाही को भावता सो ताही के पास।

मगर संत मगनीराम ऐसे कवि हैं जिनके सभी दोहों के किसी न किसी चरण में अपने नाम का अवश्य प्रयोग करते हैं। यह सतर्कता उनकी साखियों को अभिव्यक्तिगत विशिष्ट पहचान प्रदान कर देती है। इसी तरह वे अलंकारों के प्रयोग में तथा काव्य रूपों की परिभाषा में अपने विषय ज्ञान का परिचय देते हैं। अतः वे संत काव्य परम्परा के सुन्दर दास जैसे पढ़े-लिखे कवियों की पंक्ति में स्थान पाने के अधिकारी हैं। इसी कारण उनके अभिव्यक्ति पक्ष पर विचार अपेक्षित हो जाता है।

काव्यरूप: संत काव्य परम्परा का काव्य रूप मूलतः तीन है— साखी, सवदी और रमैनी। कबीरदास जी के शिष्य धरमदास जी ने उनकी रचनाओं को व्यवस्थित किया और तीन वर्ग बनाये — साखी, सवदी और रमैनी। बाद में संत कवियों द्वारा इस परम्परा का अनुगमन किया गया। मगनीराम ने इस परम्परा का अनुमन किया है। उन्होंने साखी, शब्द तथा पद तीनों का प्रयोग किया है पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी शब्द और पद को एक ही मानते हैं। संत मगनीराम जी ने अपनी रचनाओं का शीर्षक कहीं शब्द दिया है और कहीं पद। इससे स्पष्ट है कि वे दोनों को दो मानते थे। इसे मानते हुए भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि शब्द और पद ऐसी रचनाएँ हैं जो गेय हैं और साखी से भिन्न हैं।

साखी कथ्य की दृष्टि से गुरु वचन या पूर्व परम्परा मान्य तथ्य पर प्रामाणिकता की मुहर लगाती है। लेकिन अभिव्यक्ति की दृष्टि से प्रायः दोहा छन्द में लिखी जाती है। इसे यों कह सकते हैं कि दोहा छन्द संत काव्य में साखी का पर्याय बन गया है। लेकिन तुलसीदास जी की निम्न पंक्तियों से स्पष्ट है कि दोहा छन्द को साखी से अभिन्न नहीं समझा जाता था—

साखी सबदी दोहरा कहि कहनी उपखान।
भगति निरूपहिं भगत कलि निंदहि वेद पुरान।

जायसी, तुलसी, बिहारी आदि अनेक भक्तिकालीन तथा रीतिकालीन कवियों ने दोहे में रचनाएँ लिखी हैं और वे साखी नहीं हैं। अतः दोहे में लिखित सभी रचनाओं को साखी नहीं कहा जा सकता है। मगनीराम जी ने दोहा छन्द में लिखित अपनी रचनाओं को साखी कहा है। जैसे—

साखी मगनीराम की अच्छर एक अनूप।
समुझि बूझि कर जो पढ़ै होहि रंक ते भूप।

राम सिन्धु पोथी में भी जहाँ-जहाँ साखी शीर्षक दिया गया है वहाँ दोहा छन्द अवश्य है। लेकिन नीचे फिर पद भी हैं। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि अन्य छन्द में रचित पद साखी हैं या नहीं। सब मिलाकर लगभग 1500 दोहे मगनीराम के साहित्य में प्राप्त हैं जिनमें 1350 दोहे अलग से साखी रूप में स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। शेष दोहे साखी शीर्षक से रामसिन्धु पोथी में अंकित हैं।

इन दोहों को हटा देने पर जो रचनाएँ बच जाती हैं वे सब रामसिन्धु पोथी के अन्तर्गत पद साहित्य के रूप में मान्य हैं। अतः मगनीराम द्वारा प्रयुक्त दूसरा रूप पद या शब्द है। मगनीराम ने स्वयं अनेक दोहों में साखी और पद का स्पष्टीकरण किया है जिससे स्पष्ट है कि ये संत काव्य परम्परा के इन दोनों काव्य रूपों से अच्छी तरह अवगत थे और इन दोनों रूपों का समझ बूझ कर उपयोग किया है। वे लिखते हैं—

मगनीराम सवाद पद साखी ज्यों गुड़ मौन।
जो जानै भावै सोइ और जान रस कौन।

मगनीराम ने अलग से "तिलोचन परचर्च" की रचना की है। यह भी राम सिन्धु पोथी में ही संकलित है। यह दोहा-चौपाई शैली ने लिखित भक्त त्रिलोचन की जीवन-कथा है। इसे लघुकथा काव्य कह सकते हैं। पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रमैनी के विषय में लिखा है— मेरा अनुमान है कि दोहा चौपाइयों में लिखी गयी तुलसीदास की रामायण के प्रभाव ने कबीर पंथियों को भी अपनी रामायण बनाने को प्रोत्साहित किया और सन ईस्वी की अठारहवीं शताब्दी में किसी समय दोहे चौपाइयों में लिखी बातों को रमैनी कहना रूढ़ हो गया। इससे सूचित होता है कि दोहा-चौपाई शैली में लिखित रचना के रूप में रामचरित मानस की इतनी प्रतिष्ठा हुई कि ऐसी रचनाओं को परवर्ती संत कवि धरमादास ने रमइनी अर्थात् रामायण की शैली में लिखित नामा दे दिया। यदि छन्द-पद्धति और कथा तत्त्व को आधार बनाया जाय तो मैं कहना चाहूँगा कि "तिलोचन परचर्च" मगनीराम जी द्वारा रचित वह रचना है जिसे रमैनी काव्य रूप के अन्तर्गत रखा जा सकता है। अभिप्राय यह कि मगनीराम जी ने संत काव्य परम्परा में प्रचलित तीनों काव्य रूपों का प्रयोग किया है।

रचना: शिल्प की दृष्टि से एक छोटी रचना ऐसी है जिसमें क से लेकर ह तक के वर्णों से आरंभ करके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति की गयी है। जैसे—

क करतुरी राम सब जानें।
ख खसी जात पाप हरि मानें।
र रंकार रस सो जन चाखै।
ल लवार जग सो जो बाचै।
व वाही हरि संग सो नाचै।
श शरीफ हरि का नहिं कोई।
भा भाोदाइ हरि रूप जो होई।
स सरनागत हरि को आवै।

उपयोग किया गया है। क से प्रारंभ होने के कारण इसे ककहरा कहा जा सकता है। भक्तिकाल के प्रेममार्गी सूफी कवि जायसी ने अखरावट नाम से एक रचना लिखी है। उसमें अ वर्ण से पंक्ति प्रारंभ की गयी है। इस रचना में स्वर तथा व्यंजन दोनों वर्णों का प्रयोग किया गया है। संभवतः अकार से प्रारंभ होने के कारण इसे अखरावट कहा गया है। मध्य काल में इस तरह की रचनाएँ कई कवियों द्वारा की गयी हैं। अतः इसे भी एक विशेष पद्धति मानकर इसको स्वतंत्र काव्य रूप दिया जा सकता है। मगनीराम का यह ककहरा नामक लघु ग्रंथ अखरावट की शैली की रचना है। इसमें स्वरों और व्यंजनों दोनों को न लेकर केवल व्यंजनों को लिया गया है और ककहरा पढ़ने में नाम जप का सुख समाविष्ट किया गया है।

अलंकार: अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले मान गये हैं। संस्कृत तथा हिन्दी की पूरी आचार्य परम्परा इस विषय पर दो वर्गों में विभक्त है कि अलंकार काव्य के अनिवार्य उपादान हैं या नहीं। वामन ने "सौन्दर्यमलंकार" कहकर सौन्दर्य के समस्त उपादानों को अलंकार माना। लेकिन आचार्य परम्परा, उपमा, रूपक आदि अलंकारों के अर्थ में ही इस शब्द को स्वीकार करती है। काव्य में अलंकार की स्थिति के सम्बन्ध में एक छोर पर जयदेव जैसे संस्कृत आचार्य चन्द्रलोक में कहते हैं—

अंगी करोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृती।
असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलंकृति।

अर्थात् जो लोग अलंकार विहीन काव्य को काव्य कहते हैं वे अग्नि को अनुष्ण अर्थात् शीतल क्यों नहीं कहते हैं? उन्हीं का समर्थन हिन्दी के आचार्य कवि केशवदास करते हैं—

जदपि सुजाति सुलच्छनी सुवरन सरस सुवृत्त।
भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्त।

मगर दूसरे छोर पर आचार्य मम्मट हैं जो स्पष्टतः अलंकार की सत्ता वैकल्पिक मानते हैं 'पददोषौ शब्दार्थौ सगुणवनलंकृति पुनः क्वापि। इन्हीं के स्वर में हिन्दी के कवि सुमित्रानन्दन पंत कहते हैं—

"तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार।
वाणी मेरी क्या तुम्हें चाहिए अलंकार।"

इसमें कोई सन्देह नहीं कि काव्य में अलंकार आवश्यकता के अनुसार आते हैं। सायास अलंकार युक्त काव्य लेखन पूरे काव्य जगत का एक छोटा अंश है। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट काव्य की सभी पंक्तियाँ अलंकृत नहीं होती। अतः काव्य में अलंकार को अनिवार्य मानना दुराग्रह है और इससे काव्य जगत सीमित होता है।

मगनीराम जी ने अपने पदों में अनेक स्थलों पर अलंकारों का सुन्दर प्रयोग किया है। मगर यहाँ वे अलंकार प्रिय कवि नहीं, सहज कवि हैं। यही कारण है कि जहाँ अलंकार प्रयुक्त हुए हैं वहाँ वे शोभावर्द्धक हो गये हैं। कुछ उदाहरणों से इसे स्पष्ट किया जाता है। ध्यातव्य है कि मगनीराम की अलंकारप्रियता का जैसा मनोरम रूप उनके दोहों में प्राप्त होता है वैसा पदों में नहीं। उनका प्रिय अलंकार है रूपक। उन्होंने लगभग सौ साखियों में सांग रूपकों की रचना की है। ये रूपक कसावट से पूर्ण और अर्थ की सटीकता से युक्त हैं। मगर ऐसी अलंकार दृष्टि पदों में बहुत कम है। फिर भी उन्होंने कुछ पदों में सांगरूपक खड़ा करने की चेष्टा की है। शेष अलंकारों में उपमा, वीप्सा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा आदि का यत्र-तत्र प्रयोग हुआ है।

रूपक उपमेय में उपमान का निषेधरहित आरोप रूपक है। आरोप का अर्थ है एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखना कि दोनों अभिन्न मालूम हो। इसके प्रमुख तीन भेद हैं :

1. निरंग रूपक, 2. सांग रूपक एवं
 3. पारम्परिक रूपक।
- निरंग रूपक का उदाहरण:—

रूपक:

ज्ञान भान सो तम भ्रम नास। सूझि परै तब पासहि पास।
मुक्ताहल सज्जन मुख सीप। विख विखधर मुख पाइ समीप।

सज्जन जलधर दुजन पौन। अमी ब्रिस्टि सो फल नहीं दैन।
जनक सुता दुलही जहग माया। मोह लिया ब्रह्मादिक काया।
खेत बनाया नर संसार। बीज मिलाया जीउ विचार।
हरि दरिआ जिउ उठै तरंगा। मिले तरंग संग हरि गंगा।
राजा जननी परजा बाला धेनु ररै अति भूप गुआल।

उपमा भिन्न पदार्थों के सादृश्य-प्रतिपादन को उपमा कहते हैं।" उपमा का अर्थ (उप) समीप से (या) तौलना दिखना) अर्थात् एक वस्तु के समीप दूसरी वस्तु को रखकर इनकी समानता प्रतिपादित करना।" उपमाही प्रकार-भेद से भिन्न-भिन्न अलंकारों का रूपधारण करती है। इसके चार अंग होते हैं-उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और सादृश्यवाचक। उदाहरणार्थ:-

रूपक की ही भाँति उपमा का अनेकशः प्रयोग हुआ है।
जोड़ा त्रिस्ना चोर समान। सोवत ऊपर परै निदान।
सैन अचेत ग्यान सो हीन। विहरत अहं नदी ज्यों मीन।
काल अहेरी बंसरी जाल। मार अचानक सो ततकाल।
नीर बिना ज्यों तलफै मीन। राम भजन बिनु भक्त मलीन।
जल तरंग पाप जिन्ह नाम। जो खोदा सोइ कहु राम।
जैसो कमल रहै जल बीच। मगनीराम न लागै कीच।
सज्जन जानहु धेनु समान। दुर्जन सर्प रूप पहिचान।
राम नाम ज्यों बुन्द सेवात। जँह जैसा तँह तैसी बात।
सज्जन मधुर ऊख के रूप। गंजन ही रसदेत अनूप।
सज्जन अनल मही जल मान। तरीवर महिमा संत समान।
जो करतुतिक है सोइ पंच। रामदास सम और न संच।

उत्प्रेक्षा:

उपमेय में उपमान की सम्भावना उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमा की तरह उत्प्रेक्षा में भी कहीं वाचक शब्द रहता है और कहीं नहीं। मानो, जानो, इव, मनु, जनु, निश्चय, प्रायः आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। इसके प्रमुख तीन भेद हैं:

1. वस्तुत्प्रेक्षा, 2. हेतुत्प्रेक्षा एवं
3. फलोत्प्रेक्षा। उदाहरणार्थ:-

भाँहे सबज कमान बनाव। वरुनी मानहु तीर चलाव।

सन्देह:

कि यह तन है पानी रेख। कि यह तन है वेला लेख।
कि यह तन है बुल्ला नीर। बिन सत वारन लगै सरीर।
कि यह तन है मिरग भ्रमपानी। कि यह तन सपना है जानी।
कि यह तन है आगि पयार। कि यह तन है खेह वयार।
कि यह तन है गंदा पानी। कि यह इन्द्रजाल भ्रम खानी।
कि यह तन है ज्यों तन धूर। कि यह तन है वाँस कपूर।
कि यह तन है सेंवर फूल। मगनीराम भजन मति भूल।

अनुप्रास:

यह शब्दालंकारों का राजा है। वर्ण-मैत्री एवं शब्द मैत्री इसमें ही समाविष्ट है। श्रुति मधुरता उत्पन्न करने के कारण यह अनुप्रास संगीत तत्त्वों की भी वृद्धि करता है, इसीलिए गेय पदों और भजनों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसके पाँच भेद हैं:

1. छेकानुप्रास, 2. वृत्यानुप्रास, 3. श्रुत्यानुप्रास, 4. लाटानुप्रास और 5. अन्त्यानुप्रास।

यह अलंकार विशेष रूप से उन सभी पदों में आया है जहाँ हरि या राम शब्द अनेक बार उच्चरित हुआ है। इसी तरह प्रभु के नाम कथन में तुकाग्रह के कारण प्रायः प्रयुक्त है। जैसे-

धरनीधर वंसीधर गिरिधर अजर अमर हरि पाना।
पुरुषोत्तम परमानंद प्रीतम प्रेमी परम दयाला।
परपूरक परताप नारायण प्राननाथ नन्दलाल।

छन्द: मगनीराम जी ने कई छन्दों का प्रयोग किया है। इनमें चौपाई, सोरठा, अरिल्ल, छप्पय आदि महत्वपूर्ण हैं। यहाँ छन्दों के एक-एक उदाहरण दिये जाते हैं।

मगनीराम के काव्य में छन्द और राग आदि कवि वाल्मीकि का जब कारुण भावावेश क्रौंच पक्षी के वध पर अनायास ही व्यक्त हुआ था, तो उसकी भाषा छन्दमयी ही थी। इससे यह निष्कर्ष सहज ही निकल जाता है कि स्वाभाविक भावावेश का छन्द से अटूट सम्बन्ध है। यही कारण है कि अत्यन्त प्राचीन काल से ही छन्दों की महत्ता असंदिग्ध शब्दों में स्वीकृत होती आयी है और इसी के कारण छन्द वेद के पाद माने गए हैं

छन्द: पादौ तु बदस्या छन्द' संगीतात्मकता के द्वारा काव्य को सरसता ही प्रदान नहीं करता, वरन् उसे अमर भी बनाता है। मगनीराम का सर्वाधिक प्रिय छन्द दोहा है। इनके मौलिक ग्रन्थ 'पदावली तुलसीदास के दोहावली की तरह दोहा छन्द में है।

यह हिन्दी का सर्वाधिक रससिद्ध और प्रसिद्ध छन्द है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएँ होती हैं और अन्तिम चार मात्राएँ निम्नांकित लघु-गुरु योजनाओं में से किसी भी क्रम से हो सकती हैं।

इसके अतिरिक्त अन्यान्य छन्दों में कवि की सचेष्टता न्यून है। सच तो यह है कि उनकी कीर्तिका मूलाधार 'पदावली' है। जो एक गीतिकाव्य है। जिसके गीत अनेक प्रकार की राग-रागिनियों से बँधे हैं। इन गीतों का प्रारम्भिक काव्य टेक का होता है और शेष के साथ उसकी तुकबन्दी होती है।

मगनीराम जी की प्रकृति को देखकर यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि उनको शास्त्रीय संगीत का न सही, किन्तु लोकगीतों की शैली का पर्याप्त ज्ञान था, संगीत कलाविदों ने इनके पदों में कुछ राग संकलित किए हैं, राग धमार," राग केदार, राग कान्हरा, राग विलाबाल," राग विहाग आदि। इसके अतिरिक्त मिथिला की 'चौतावरि' और 'नचारी' भी विशिष्ट राग के रूप में कवि द्वारा प्रयुक्त हैं।

संदर्भ सूची:

1. हिन्दी साहित्य उद्भव और विकास, पृष्ठ - 84.
2. रस मीमांसा, पृष्ठ - 63.
3. सौन्दर्य शास्त्र के तत्व, पृष्ठ - 204.
4. संगीत रत्नाकर, श्लोक - 29.
5. संगीत शास्त्र के तत्व, पृष्ठ-204.
6. मगनीराम ग्रंथावली - डॉ० अवधेश्वर, अरुण हंस प्रकाशन, मुजफ्फरपुर प्रथम संस्करण पृष्ठ-200.

संस्कृत साहित्य की विभिन्न विधाओं में नारियों का महत्त्व और उनका विशुद्ध प्रेम

माया कुमारी

पी-एचडी (संस्कृत विभाग), बी.आर.ए.बी.यू., मुजफ्फरपुर।

“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।
यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रियाः” ।।’

संस्कृत साहित्य की यह उद्घोषणा भारतवर्ष की पावनभूमि की उदात्त अभिव्यक्ति है। जहाँ स्त्रियों की पूजा की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, वहाँ देवताओं का निवास होता है और उन्हें अपमानित किया जाता है, मर्यादा के अनुरूप स्थान नहीं दिया जाता है वहाँ सारी क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं। भारतीय समाज में नारी त्याग तथा तपस्या का प्रतीक है। मनु के उपर्युक्त कथन से नारी स ता, सखा, भगिनी, भार्या) सुंदर, सभ्य एवं सुसज्जित समाज के निर्माण में सदैव उसकी मुख्य भूमिका रही है। परंतु स्त्रीत्व के कारण उसमें स्वभाववशात् अनेक प्रकार की दुर्बलताएँ स्वतः विद्यमान रहती हैं। इसलिए तो भारतीय समाजशास्त्रियों ने ‘न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति’² का शंखनिनाद किया। यह कथन स्त्री-समाज की निन्दा या अपमान का सूचक कथमपि नहीं है, प्रत्युत् वस्तुस्थिति का द्योतक है। नारी के संरक्षण का भार हमारे धर्मशास्त्रियों ने पुरुष प्रधान समाज के कंधों पर छोड़ दिया है। नारी के तीन रूप हैं— कन्या, पत्नी तथा माता; और इन सभी रूपों में उसकी सुरक्षा तथा प्रतिष्ठा का संरक्षण करना पुरुष प्रधान समाज का नैतिक दायित्व है। वेद का महनीय शब्द—वीर—पुरुषमात्र का सूचक है। वैदिक ऋषियों ने पुरुष के संरक्षण में नारी सुरक्षा की व्यवस्था की है जो तत्कालीन व्यवस्था और सामाजिक स्थिति को प्रतिबिंबित करता है।

कवि साहित्य का सृजन करते हैं और साहित्य समाज का दर्पण होता है। कहा गया है—

‘कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूः’ तथा
‘अपारे काव्यसंसारो कवि रेकः प्रजापतिः ।
यथास्मै रोचते विश्वं तथैव परिवर्तते ।।’

अतीत के सामन्ती समाज और दास समाज से आज के पूँजीवादी समाजपर्यन्त नारी उपेक्षित, शोषित और परतंत्र रही है। पुरुष समाज के लिए वह मनोविनोद का साधन रही है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न होने के कारण पुरुष प्रधान समाज में नारी शोषण का शिकार रही है।

संस्कृत साहित्य के आदिकवि वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भवभूति की रचनाओं से प्रतीत होता है कि नारी चरित्र की उदात्तता और महनीयता को अपनी गरिमामयी लेखनी से आलोकित कर सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करते हुए उन्होंने नैतिक मूल्यों की स्थापना की है। सीता—राम, राधा—कृष्ण, लक्ष्मी—नारायण आदि— स्त्री पात्रों के नाम पुरुषों के नाम के पूर्व लगाना इसी बात को पुष्ट करता है। वाल्मीकि, भवभूति आदि जनमानस के कवि हैं, इनका समाज पर विशेष प्रभाव रहा है। आदिकवि वाल्मीकि रचित रामायण तो हिन्दू संस्कृति का पूज्य, आराधनीय और धार्मिक ग्रन्थ है। वाल्मीकि तो रामायण के द्रष्टा और स्रष्टा दोनों हैं। अतः ऐसे कवियों ने अपने चतुर्दिक वातावरण को तत्कालीन परिस्थितियों में अवलोकन और अनुभव दोनों किया है। अतएव इनके काव्यों में विषय वैविध्य है।

नारी शब्द नृ अञ् ङीष् नि से बना है। नारी की स्त्री संज्ञा उसके लज्जाशील होने के कारण है ऋग्वेद में “नृ” का प्रयोग नेतृत्व करने, दान देने और वीरता के अर्थ में ग्रहण किया है। स्त्री शब्द ‘सत्यै’ धातु से बना है। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि के अनुसार— ‘सत्यास्ति अस्यां गर्भ’— स्त्री के उसके भीतर गर्भ की स्थिति होने से वह स्त्री है।

हमारे प्राचीन मनीषियों ने धन की देवी लक्ष्मी, शक्ति की देवी दुर्गा, विद्या की अधिष्ठात्री सरस्वती और समस्त पापों को अपने पावन अमृतरूपी जल से धोकर पतितों का उद्धार करनेवाली गंगा की महिमामण्डित गाथाओं से अपनी वाणी और लेखनी दोनों को धन्य किया है। ये नारी चरित्र की उदात्तता और पवित्रता ही तो है कि अनादिकाल से आजतक हम अपने अभीष्ट सिद्धि के लिए इनके समक्ष नतमस्तक हैं। हमारे समाज में पुरुषों का संस्कार गायत्री मन्त्र के बिना अपूर्ण है। समस्त जीवन के कर्तव्यकर्तव्य का उपदेश भगवान् कृष्ण के मुख से निकली अमृतवाणी “गीता” में विद्यमान है। हिन्दू समाज के प्रत्येक घर में गौ माता बनकर पूजी जाती हैं, जिनकी सेवा से समस्त पापों का शमन है और जिनका दूध मानव शरीर के लिए अमृत है। हमारी भूमि हमें माता अन्नपूर्णा प्रदान करती हैं जिनसे जीव अवलम्बित है।

भारतीय संस्कृति को अपनी त्याग और तपस्या से सिंचित करनेवाली नारी का धवल चरित्र सर्वदा प्रशंसनीय, पूजनीय और सराहनीय है। इसके बिना मानवता का विकास अधूरा है। प्रत्येक नारी में उद्यमिता के गुण और मूल्य होते हैं। यदि आर्थिक रूप से स्वतन्त्र हो तो निर्णय प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाकर नारी समाज को पुरुषों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ बना सकती है।

महात्मा गाँधी ने कहा था, जब नारी शिक्षित होती है तो दो परिवार शिक्षित होते हैं। किंतु जब हम नारी को शिक्षित करते हैं तो न केवल दो परिवार बल्कि दो पीढ़ियों को भी शिक्षित करते हैं।

मनुस्मृति में कहा गया है
द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धन पुरुषो अमवत ।
अर्धेन नारी तस्या स दिराजं सृजत्प्रभुः ॥

अर्थात् हिरण्यगर्भ ने अपने शरीर के दो भाग किये आधे से पुरुष और आधे से स्त्री का निर्माण हुआ। समाज स्त्री और पुरुष के संयोग से बना है। अतः समाज के संचालन के लिए जितनी आवश्यकता पुरुष की है उतनी स्त्री की भी। प्राचीन समय से स्त्री ने समाज के विकास एवं संरक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

नारी उस वृक्ष की भाँति है जो विषम परिस्थितियों में भी तटस्थ रहते हुए राहगीरों को छाया प्रदान करती है, नारी की कोमलता और सहनशीलता में ही मानव जीवन का अस्तित्व संभव है। समाज में चेतना के आविर्भाव का श्रेय नारी को ही जाता है। इस कथन में किंचित भी संदेह नहीं कि नारी ही वो शक्ति है जो समाज का पोषण से लेकर संवर्धन तक करती है। नारी प्रेम, त्याग और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है। हमारे शास्त्रों में नारी तीन रूपों में विशेषतया वर्णित है—

1. कन्यारूप में
2. पत्नीरूप में
3. मातृरूप में

कन्यास्वरूपा नारी

आर्य संस्कृति के प्रतिनिधि कालिदास ने अपनी लेखनी से आर्ष कन्या के आदर्श को पार्वती के रूप में अभिव्यक्त कर कन्यारूप में नारी—चित्रण का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। कालिदास की आर्ष कन्या अपने तपोबल द्वारा अजेय, अदम्य और इन्द्रियों पर स्वाधिकार रखनेवाली बनती है, जो कि सहज स्वाभाविक है। कुमारसंभव में कालिदास ने बड़े ही उत्कृष्ट और भव्य शब्दों द्वारा इसके महत्त्व को प्रकट किया है। जब भगवान् भोलेनाथ कामदेव की उदंडता के दण्ड स्वरूप उन्हें जलाकर

भस्म कर देते हैं तब माता पार्वती के एक कन्यारूप में सारे मनोरथ अपूर्ण रह जाते हैं। तब आर्षकन्या पार्वती एकमात्र तप को ही अभीष्ट प्राप्ति का मार्ग स्वीकार करती है। जगत की सारी आशाएँ छोड़कर वह साधना में एकाग्रमन से लीन हो जाती है। कालिदासजी कहते हैं कि उस समय पार्वती की तपस्या इतनी कठोर थी कि कठिन शरीर से प्राप्त मुनियों के तप भी उसके सामने नितान्त श्रीहीन और महत्त्वहीन प्रतीत होने लगे। नाना प्रकार के प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करती हुई आर्ष कन्या पार्वती अन्ततः अपनी कामनासिद्धि में सफल होती है। उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करती है। कालिदास ने कुमारसंभव में पार्वती के इस तप के रहस्य का बड़ा सुंदर वर्णन किया है—

इयेष सा कर्तुमवन्ध्यंरूपतां समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः ।
अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयं तथाविधं प्रेम पतिश्च तादृश ॥⁹

पार्वती अपने तपोबल पर भगवान् मृत्युंजय को पतिरूप में प्राप्त करती है। यहाँ पार्वती की तपस्या से प्राप्त फल महादेव है जो — 'तथाविधं प्रेम', 'तादृशः पतिः' हैं अर्थात् जिस प्रकार उच्च कोटि का अलौकिक प्रेम है उसी प्रकार, मृत्यु को भी जीतनेवाले पति हैं। आजतक कोई भी कन्या पतिरूप में महादेव को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुई, परंतु पार्वती के तपोबल ने उसे भी संभव कर दिखाया। यहाँ तथाविधं शब्द में गूढ़ अर्थ छिपा है। पार्वती को शंकर ने अपने मस्तक पर स्थान दिया। यह स्वयं में स्नेह और सत्कार की पराकाष्ठा ही है। किसी पति द्वारा अपनी पत्नी को उच्च स्थान देना अपने आप में अप्रतिम है। अन्य देवताओं के लिए भी यह संभव नहीं है। यह पार्वती की त्याग, तपस्या और साधना की ही प्रतिफल है, जो भारतीय कन्याओं के लिए अनुकरणीय एवं वंदनीय है। हमारे भारतीय समाज में कन्याएँ आज भी गौरीपूजन करती हैं तथा मनोवांछित फलप्राप्ति के लिए माता पार्वती से याचना करती हैं।

नारी पत्नीरूप में

हमारी भारतीय संस्कृति आदर्श पतिव्रता स्त्रियों के आख्यानों से सदैव पल्लवित पुष्पित रही है। आदिकवि वाल्मीकि—व्यास—महाकवि कालिदास—भवभूति प्रभृति कवियों की लेखनी प्रतिव्रताओं के धवल चरित्र से हमारी संस्कृति को संवर्धित करती रही हैं। आदिकवि वाल्मीकि की सीता गार्हस्थ जीवन का आदर्श है। जानकी का उदात्त चरित्र भारतीय नारियों के लिए सदा से अनुकरणीय है। रामायण में अनेक स्थलों पर इसके प्रमाण दृष्टिगत होते हैं। प्रस्तुत संदर्भ में रावण—सीता संवाद का प्रसंग द्रष्टव्य है— रावण के द्वारा पुनः पुनः सीता को भार्या बनने की प्रार्थना किये जाने पर सीता कठोर शब्दों में रावण की अवमानना करती है, जो भारतीय नारियों के मस्तक को गौरवान्वित करता है। सीता कहती है दुष्ट राक्षस रावण प्रेम करने की बात तो दूर रही, मैं तो तूझे अपने पैर से— नहीं, नहीं, बायें पैर से — भी नहीं छू सकती—

चरणेनापि सत्येन न स्पृशेयं निशाचरम् ।
रावणं किं पुनरहं कामयेयं विगर्हितम् ॥¹⁰

पति राम जब सीता को बिना शीलशुद्धि के अस्वीकार कर देते हैं तो सीता अत्यन्त क्षुब्ध होकर कहती है कि मेरे चरित्र पर लांछन लगाना किसी भी प्रकार से अनुचित है। मैं एक स्त्री हूँ और इसलिए आपने मेरे दुर्बल अंश को ही प्रमुखता से रखा है, परंतु मेरे चरित्र के सबल अंश — पातिव्रत्य धर्म को तो आपने गौण कर दिया। नारी का स्त्रीत्व तो उसके अखण्ड पातिव्रत्य के तेज से आलोकित है, न कि उसके अबला होने से। आगे सीताजी कहती हैं— आपने मेरे अनन्य प्रेम, निश्छल स्वभाव और अखण्ड पातिव्रत्य सबको पीछे कर दिया केवल मेरे नारी होने का उपहास किया। हे नरशार्दूल आपने मेरी भक्ति और पाणिग्रहण को पीछे कर मेरी स्त्री होने की दुर्बलता को ही विशेष महत्त्व दिया है—

त्वया तु नरशार्दूल क्रोधमेवानुवर्तता ।
लघुनेव मनुष्येण स्त्रीत्वमेव पुरस्कृतम् ॥
न प्रमाणीकृतः पाणिर्बाल्ये बालेन पीडितः ।
मम भक्तिश्च शीलं च सर्वं ते पृष्ठतः कृतम् ॥¹¹

ये एक पतिव्रता नारी के ओजस्वी शब्द हैं, जो भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित करते हैं।

कालिदास की भार्यारूपिणी सीता

अपने वाणी वैदग्ध्य से सुधीजनों को सहज आकर्षित करनेवाले महाकवि कालिदास ने जिस भार्यारूपिणी सीता का चित्रण अपनी लेखनी से किया है, उसकी मनोहर सुरभि से हमारा साहित्य जगत सुगंधित है। प्रजावत्सल राम अपने उच्चतम आदर्शमूर्त्यों के लिए जाने जाते हैं और पतिव्रता सीता अपने पातिव्रत्य और निष्ठा के लिए ख्यात हैं। प्रजा के लोकापवाद को दूर करने के लिए राम जब अपनी गर्भवती भार्या सीता का परित्याग करते हैं तो सीता यह कहकर अपना कष्ट भूल जाती है कि राम तो कल्याणबुद्धि हैं, अवश्य ही इसमें मेरा ही कोई हित निहित होगा—

कल्याणबुद्धेरथवा तवायं न कामचारो मयि शंकनीयः ।
ममैव जन्मान्तरपातकानां विपाकविस्फूर्जथुरप्रमेयः ॥¹²

पुनः सीता तपस्या को ही अपना धर्म मानते हुए कहती है— 'तपस्विसामान्यमवेषणीया'। जनकनन्दिनी की इस प्रार्थना में उनका त्याग और करुणा भरी है। पतिकल्याणार्थ स्वयं के सुखों का त्याग कर देना ही भारतीय संस्कृति का नारीत्व है। नारी तो दिव्य और अलौकिक गुणों की प्रतिमूर्ति है, जिसके बिना पुरुषार्थ में कृतकार्य नहीं हो सकता।

गृहस्थ का जीवन भगवत्प्राप्ति का एक सोपान है जो बिना नारी के असंभव है। दुर्गासप्तशती में भी प्रार्थना की गई है—

पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम् ।
तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम् ॥¹³

आचार्य मम्मट ने अपने काव्यप्रकाश में कान्तासम्मित उपदेश की चर्चा की है। साहित्य में नारी वस्तुतः प्रेम, रस, अनुराग, शक्ति और कल्याण की मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित है, जिससे पुरुष समाज अभिभूत है।

मातृस्वरूपा नारी

अगाध प्रेम और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति नारी अपने मातृत्वरूप में पुरुषों को लालित—पालित और संस्कारित करती है। मातृरूप में वह एक सुसंस्कृत समाज का निर्माण करती है। अपने द्वारा दिये संस्कारों से अच्छी संतति का निर्माण कर राष्ट्रहित का गौरवपूर्ण कार्य करती है। माता सीता ने वाल्मीकि मुनि के आश्रम में स्वयं लव—कुश को संस्कारित किया। शकुन्तला ने वन में रहकर ही राजा भरत का निर्माण किया। पति से तिरस्कृत सुनीति ही ध्रुव की जननी बनी और हमारी संस्कृति की आर्ष मनीषि माता मदालसा ने अपने पुत्र को पालने में ही योगी बना दिया।

शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि इति ।

अपनी त्याग और तपस्या से नारी मानवता का सृजन और संवर्धन कर राष्ट्रनिर्माण का कार्य करती है।

संस्कृत काव्यों में प्रेम

संस्कृत साहित्य की विभिन्न विधायें प्रेमपूर्ण आख्यानों से भरी पड़ी हैं। मानव जीवन को सरस बनानेवाली तथा उसे उदात्त मार्ग पर अग्रसर करनेवाली चित्तवृत्ति प्रेम ही तो है। संस्कृत कवियों ने सन्ध्या, सूर्योदय, प्रभात, अन्धकार, चन्द्रोदय, ऋतु आदि का वर्णन कर प्रेम के उद्बोधन में चारुता का समावेश किया है। संस्कृत काव्यों के प्रेम—वर्णन का अपना वैशिष्ट्य है। संस्कृत कवियों की दृष्टि में प्रेम दिव्यलोक की वस्तु होने के साथ ही इस भूतल पर विचरणशील भौतिक पदार्थ है। संस्कृत काव्यों में प्रेम का स्वरूप बोध दो प्रकार से होता है— रुद्धिग्रस्त और सहजप्रतिभाजन्य। रुद्धिग्रस्त प्रेम का चित्रण भारवि तथा माघ के महाकाव्यों में उपलब्ध होता है। इनका प्रेम वर्णन रुद्धिग्रस्त होने पर भी न तो अनुचित है और न अप्रासंगिक। इसके स्वरूप के औचित्य का निर्णय तत्कालीन सामाजिक रूचि, शिक्षा—दीक्षा तथा आचार—विचार के उपर ही किया जा सकता है। संस्कृत काव्यों की सृष्टि राजदरबारों में हुई जहाँ शिष्टता, सभ्यता और उच्च शिक्षा का प्राधान्य था। लोग भी सुसंस्कृत थे। अतएव काव्य में प्रेमाभिव्यंजना सौन्दर्य तथा कला की सीमा के भीतर पूर्ण औचित्य के साथ नियोजित की गई है। सहज प्रतिभाजन्य प्रेम हमें वाल्मीकि तथा कालिदास के काव्यों में दृष्टिगत होता है।

संक्षेपतः भारतीय संस्कृति में स्त्री अपने प्रत्येक रूप में प्रेमधारा प्रवाहित करते हुए लोकनिर्माण और उसके भविष्य के सुखद, सुसंस्कृत सृजन में तत्पर रही है। हितोपदेश में स्त्री को माता के रूप में देखनेवाला ज्ञानी कहा गया है—

मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् ।
आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः ।^१

माता ही शिशु की प्रथम गुरु शिक्षिका होती है। प्राचीन काल में गार्गी, मैत्रेयी, विदुषी अपाला, घोषा आदि विदुषी महिलाये हुई है। वैदिक मंत्रों की रचना तथा शास्त्रार्थ में समान रूप से स्त्री की भी सहभागिता है। जैसे—

1. सरमापणि संवाद — 10/108 ऋग्वेद
2. याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद
3. पुरुरवा—उर्वशी संवाद
4. यम—यमी संवाद— 10/10
5. विश्वामित्र—नदी संवाद— 3/33

काल विशेष एवं परिस्थित विशेष के अनुसार भारतवर्ष की सांस्कृतिक गरिमा के संपोषण और संवर्द्धन में नारी—शक्ति अतीव महत्त्वपूर्ण रही है। भवभूति कहते हैं— ‘स्नेहश्च निमित्तसव्य पेक्षश्च इति विप्रतिषिद्धमेतत् ।’
प्रेमतत्त्व एक दुरुह तत्त्व है जिसे यथार्थतः जानना उतना कठिन नहीं जितना आचरण में उतारना। गृहस्थ जीवन में यही प्रेम साधना है। महाकवि भवभूति ने इसी प्रेमतत्त्व की सुंदर व्याख्या की है—

अद्वैतं सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वास्वस्थासु यद
विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः ।
कालेनावरणात्ययात् परिणते यत्स्नेहसारे स्थितं
भद्रं प्रेम सुमानुषस्य कथम्येकं हि तत् प्राप्यते ।^१

इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य के मनीषियों ने अपनी रचना के माध्यम से नारी—शक्ति के प्रति अपना सम्मान अभिव्यक्त किया है। नारी रूप में हमारी संस्कृति को जीवंतता और चेतनता रूपी अमूल्य निधि ईश्वर ने प्रदान की है।

माज को एक नवीन उर्जा की प्राप्ति होती है। वस्तुतः देवताओं के समाराधन का मुख्य साधन स्त्री—पूजन ही है। भारतीय संस्कृति के गौरव और समृद्धि में नारियों का उत्कृष्ट योगदान रहा है। चाहे स्त्री किसी रूप में हो (मा

संदर्भ

1. मनुस्मृति — 3/56
2. भा० धर्म और दर्शन, आचार्य बलदेव उपाध्याय— पृष्ठ—438
3. कुमारसंभव — 5/1
4. वाल्मीकिरामायण—सु०का० 5.26.10
5. वाल्मीकिरामायण— यु०का०, स०— 116.16
6. रघुवंश — चतुर्दश सर्ग, 62 श्लोक
7. दुर्गासप्तशती— अर्गला स्तोत्रम्— 25 श्लोक
8. हितोपदेश— 1.14
9. उत्तररामचरित— 1/39

बिहार में मुसहर आंदोलन की भूमिका

डॉ. अशोक कुमार राम

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा।

शोध सारांश: मुसहर जाति अनुसूचित के अन्तर्गत आती है। जिसका दलित समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। मुसहर जाति को दलित समुदाय का प्रमुख अंग माना जाता है। स्वतंत्रता के पूर्व तक इन मुसहरों की स्थिति काफी दयनीय थी। समाज में इन्हें अस्पृश्य माना जाता था तथा कई सारे सामाजिक प्रतिबंध इन पर लगाए गए थे। मुसहर जाति के नामकरण की कहानी काफी रोचक एवं महत्वपूर्ण है। मुसहर जाति के लोग अत्यन्त गरीबी के जीवन बसर करते थे। दो वक्त की रोटी भी जुटाना इनके लिए मुश्किल था। इसलिए वे अनाज प्राप्त करने के लिए खेती में जाते थे वहाँ चूहों के बिलों को खोद कर उसमें इकट्ठा किए गए अनाज को निकाल लेते थे और किसी तरह उदर की पूर्ति करते थे इनसे बहुत से लोग चूहों को पकड़कर और पकाकर खा जाते थे। बूके चूहों को मुस नाम से भी जाना जाता है अतः इन्हें खाने की वजह से इनका नाम मुसहर पड़ गया ।

परिचय

मुसहर जाति जंगलों एवं नदियों के समीप निवास करती थी। पड़ोसी देश नेपाल में इनकी अच्छी संख्या पायी जाती है। बिहार राज्य में इनकी संभना सर्वाधिक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में मुसहरों की संख्या है। वर्तमान में जंगलों की कटाई नगरीकरण एवं औद्योगिककरण के प्रभाव तथा सरकारी एवं गैरसरकारी संगठनों के प्रयत्नों से ये जंगलों से निकल कर आम समाज के बीच आयी है। लेकिन आज भी वे जिस क्षेत्र में रहते हैं वह अन्य लोगों से दूर एक किनारे पर होता है नगरों में इन्हें सड़कों के किनारे झुगी—झोपड़िया में देखा जा सकता है। आज भी इनकी संख्या वनों एवं नदियों के किनारे पायी जाती है मुसहर लोगों का व्यवसाय निवास स्थान से प्रभावित होता है। वे जंगलों से लकड़ियों और पत्तों को तोड़कर लाते हैं। इनसे ये शादी विवाह और अन्य अवसरों पर प्रयोग में आने वाले पत्तल और कटोरी आदि का निर्माण करते हैं। बदले में धन या अनाज लेते हैं और जीविका चलाते हैं ।^१

मुसहर जाति

अनेक विद्वानों ने रोशनी डाली है और अपने—अपने मत प्रकट किए हैं। कुछ के अनुसार मुसहर वनमानुष अर्थात् जंगल में रहने वाले आदिमियों की उपजाति है। रिजले के अनुसार मुहसर मुलतः छोटानागपुर के भुईयां जनजाति की ही एक उपजाति है। हंटर ने अपने स्टेटिकल रिपोर्ट के तेरहवें भाग में लिखा है कि कुछ विद्वानों के अनुसार मुसहर जनजाति की

तरह है। इसी रिपोर्ट के सोलहवें भाग में उन्होंने इस तथ्य का प्रमाण देते हुए लिखा है कि एक पौराणिक मारभिक मत के अनुसार संभवतः थारुओं के एक पुराने मुख्य पुजारी मुसहर जाति के थे। इसी कारण इन्हें थारुओं के एक उपजाति के रूप में पुकारा गया है।

बिहार के तत्कालीन सबडिवीजन आफिसर बाबू विमला चरण ने 1872-73 में मुसहरों पर एक विशेष प्रशासनिक रिपोर्ट पटना जिले के तत्कालीन कमिश्नर को सौंपी थी। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें हंटर ने अपनी रिपोर्ट में डाली हैं। उक्त रिपोर्ट के अनुसार मुसहर और रजवार दोनों जाति अथवा वंश क्रम तुलसी वीर और कम्मा मम्मा से मानते हैं। ये लोग देवपुरुश थे। इसका जन्म गया जिले के मेवाड़ पहाड़ियों में हुआ था। इनके दो पुत्र थे। जिनका नाम मधुमीर और रधुवीर था।⁹ मुसहर पहले वाले यानी मधुमीर के पुत्र हुए और रजवार दुसरे यानी रधुवीर के पुत्र हुए। इन लोगों के बीच अलगाव के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है लेकिन अब ये लोग एक दुसरे का छुआ खाना तक ग्रहण नहीं करते हैं। कई इलाकों के मुसहर स्वयं को शबरी का वंशज मानते हैं। भारतीय जनश्रुति के अनुसार शबरी जो हिन्दू धर्म ग्रंथ रामायण की एक महिला पात्र हैं और नीचे जाति की हैं वह मातंग ऋषि के साथ जंगल में रहती थी। जब जंगल में इन दोनों की मृत्यु हो गई तो इन दोनों ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जन्म लिया। यहाँ इनके दो पुत्र हुए। इनमें से दीनाभगत ने जमीन्दारों के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी/ तिरहुत क्षेत्र में इसी दीना भगत की पूजा दीना भद्री भगवान के रूप से हुए। इस क्षेत्र के मुसहर इन्हें अपना कुल देवता मानते हैं।

संभवतः

वाल्मिकी रामायण में दर्ज शबरी की जाति की वजह से मुसहर समुदाय ने स्वयं को शबरी का वंशज मानते हैं। वाल्मिकी रामायण के अनुसार शबरी राबर जाति की थी जो एक जंगली जाति है। हट्टन के अनुसार वर्तमान में यह जाति उड़ीसा के जंगलों में रह रही है। कई विद्वानों ने मुहसर समुदाय को चूहा खाने वाली जाति के रूप में भी रेखांकित किया है। धूरिय के अनुसार मुसहर का नाम उसके मैदानी-चूहा खाने वाली जाति की ओर इंगित करता है।¹⁴

धार्मिक प्रवृत्ति :-

आम हिन्दुओं की तरह मुसहर लोग भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग मूलतः हिन्दु धर्म को ही मानते हैं। के. एस.सिंह के अनुसार — ये लोग कुल देवी के रूप में काली की पूजा करते हैं। इसके अलावा दुर्गा विष्णु महादेव और बजरंगीबली की पूजा करते हैं। गाँव का भगवती स्थान इनकी पूजा का प्रमुख स्थान होता है। वे लोग वासुकी धाम और गुणाधाम नामक धार्मिक स्थल वर्ष में एक बार या किसी विशेष मेला एवं उत्सव पर अवश्य जाते हैं। वे लोग अन्य हिन्दु जातियों की तरह ही होली दीवाली रामनवमी छठ जातिया आदि पर्व भी मनाते हैं। ये लोग तुलसीवीर रामवीर बहादुरवीर, असनवीर आदि जातिगत देवताओं को भी पूजा करते हैं। ये लोग अपने दो पूर्वज को जनजातीय देवता के रूप में पूजते हैं। ये पूर्वज हैं दोसी और अंसारी। इनमें से अंसारी वह पहले मुसहर थे, जिन्होंने डोली उठाने का काम किया था। इसी कारण इन्हें दुलादेवी के नाम से भी पुकारा जाता है। इनके एक दुसरे भगवान हैं सादल लाल। संभवतः ये इनके पूर्वज ही होंगे। वनराज जिन्हे ये लोग जंगल के राजा मानते हैं की भी पूजा करते हैं। वगाहट एवं महावीर और गनशाम एवं वंशपति को ये लोग पति पत्नी के रूप में पूजते हैं। प्रतिवर्ष मुसहर समुदाय इस दंपति शादी की सालगिरह भी मनाते हैं ये लोग ग्रामीण देवता की पूजा सामूहिक रूप से करते हैं।¹⁵

सच्चिदानंद सिन्हा ने मुसहर लोगों के कुछ अन्य देवताओं की चर्चा की है। इनमें कुछ प्रमुख हैं—गौरिया बनी और आदि भगवती। मुसहर समुदाय गौरिया की पूजा कुलदेवता के रूप में करते हैं। गौरिया एक लुटेरा था और दिल्ली से अपने कुछ साथियों के साथ पटना आया। यहाँ वह राबिन हुड बन गया। अनेक मुठभेड़ों के बाद अंत में पटना जिला स्थित शेरपुर के निकट महनावन नामक स्थान पर मारा गया। इस इस जगह उनकी एक समाधि भी है। इनकी पूजा पटना में ही प्रारंभ हुई थी लेकिन धीरे-धीरे सभी प्रांतों में होने लगी। मुसहर एक मात्र ऐसी जाति है जो आज भी गौरिया देवता को सूअर की बलि चढ़ाते हैं।¹⁶

हंटर के अनुसार मुसहर के तीन मुख्य जातिगत देवता होते हैं जिनकी ये लोग पूजा करते हैं। ये देवता हैं — हंसराज, वंशराज और दीनाभद्री। इनमें से पहले दो संत नेपाल स्थित मुहंग क्षेत्र के माने जाते हैं। ये लोग मुस्लिम वीर लाल खमा का भी बहुत सम्मान करते हैं। 1870 ई में भागलपुर क्षेत्र में इन लोगों में मुस्लिम धर्म अपनाने की प्रवृत्ति देखी गई थी। उस समय इन लोगो ने मुस्लिम भगत की प्रेरणा से सूअर पालन प्रारंभ कर दिया। क्योंकि सूअर इनके भोजन का मुख्य आहार था। ये लोग अपने पूर्वज कम्मा मम्मा और कलमीवीर को भी पूजा करते हैं। इन लोगों के पुजारी इनकी आत्मा को बुलाते हैं और उनकी प्रेरणा से आम लोगो की इच्छा की पूर्ति करते हैं। इच्छा, पूर्ति के बाद लोग इन्हे सूअर की बलि चढ़ाते हैं।

मुसहर समुदाय के लोग मशान डाक और अन्य देवताओं की भी पूजा करते हैं। वास्तव में इनकी सोच के अनुसार डाक मशान आदि भूत हैं। भूत पर इन लोगों को बहुत विश्वास होता है।¹⁷

मुसहरों की मान्यता है कमूलरूप से देवताओं को सूअर का मांस बहुत पसंद है। विशेष अवसरों पर खासकर डाक और मशान की शादी की साल गिरह पर इन्हें सूअरों की बलि दी जाती है। ये दोनों बहुत ताकतवर देवता माने जाते हैं। डाक देता का प्रतीक चिन्ह पृथ्वी पर निर्मित तीन पत्थर ह। जिसमें पूरब की ओर मुंह बना रहता है। पर्वत पर सात चिन्ह होते हैं। इनकों सिन्दूरी रंग से चिन्हित किया जाता है और इन्हें शुद्ध दुध चढ़ाया जाता है। सुगंधित सामग्री इनके सामने प्रतिदिन जलाई जाती है। वस्तुतः मुसहर समुदाय कुछ मामलों में अपनी परम्परागत छवि से अलग भी हैं। उनमें शोषण के विरुद्ध लड़ने की अदभुत क्षमता है। एकता उनकी पूंजी है। आपस में वह चाहे जितना लड़ ले बाहर वालों के सामने उसकी एकता मील की पत्थर साबित होती है। यही कारण है कि इस जड़विहीन समुदाय को प्रारंभ में ही जमींदारों (जमीन मालिकों) द्वारा अछूत के रूप में बसाया गया। अधिकांश जगहों पर इन्हें जानबूझकर गांव के दक्षिण छोर पर बसाया गया ताकि इनकी ओर से चलने वाली हवा भी गांव में प्रवेश नहीं कर सके इनकों स्वतंत्रपहचान से वचित रखने की साजिश के तहत जाती के नाम से भी दूर रखा गया। नई इलाकों में इस जाति को स्थायी पहचान और समाज से दूर रखने के उद्देश्य से जमींदारों द्वारा टुकड़ों में बसाया ताकि ये लोग आपस में मिलकर जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ न उठ खड़े हो सके। इसलिए इन्हें अन्य मजदूर जातियों के लोगो के साथ विभिन्न इलाकों में बसा दिया गया।¹⁸

मुसहर अनेक धार्मिक अंधविश्वासों को मानते हैं। तिरहुत के मुसहर के मुख्य देवता दीना भद्री बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इस इलाके के प्रत्येक मुसहर टोले में प्रवेश द्वारा पर दो लम्बे — लम्बे बास गड़े होते हैं। ये दो बास इनके कुल देवता दीना और भद्री बाबा के प्रतीक होते हैं। वैसे तो प्रतिदिन वे लोग इनकी पूजा करते हैं लेकिन हर वर्ष आखिर महीना में एक उत्सव के रूप में इनकी पूजा की जाती है। मुसहर समुदाय के कुलदेवता दीना भद्री को लेकर लोक कथा प्रचलित है। इस समुदाय द्वारा गाये जाने वाले दीनाभद्री गीत में इनकी पूरी गाथा समायी हुई है। कोई लिखित इतिहास नहीं होने के कारण इस गीत को सबसे प्राथमिक माना जाता है। आगा— आगा दीना चलें छय पीछा—पीछा भद्री चलें छय/तरण वाण पितम्बर सोना छत्र मुकुट कान में कुण्डल सोना के तीन जनेऊ के रेखा वांही में छय रवि के रेखा/रामलखन के सूरत श्याम रूप दीना छय और गोर/रूप भद्री नारायण सन रूप छलाहे, देवमुनी सन वाणी ओंय जन्म के लव—कुश ये जन्म में दीना भद्री, कालुका सरदार और निरसा के बेटा छलखिन जोगियों गांव के वासी राम—राय सरकार।¹⁹ दीनाभद्री गीत के इस अंश में दीनाभद्री को भगवान के रूप में चर्चा की गई है। इस गीत के अनुसार दीना और भद्री दोनों सहोदर भाई हैं और लव कुश के रूप में हैं। माता शबरी ने जब इस इलाके में निरसो के रूप में जन्म लिया तथा भगवान से लवकुश के रूप में दो बेटों की इच्छा की तत्पश्चात इन दोनों भाइयों ने मुसहर समुदाय के लिए जमींदारों से बड़ी-बड़ी लड़ाईया लड़ी थी और इच्छा मृत्यु प्राप्त कर स्वर्ग चले गए। एक दूसरी लोक कथा के अनुसार दीना भद्री दोनों सहोदर भाई थे। इनका जन्म महय नेपाल में स्थित मोरंग क्षेत्र में हुआ था। ये दोनों मुसहर जाति के पहलवान थे। इन दोनों भाइयों ने अपनी जाति की सुरक्षा के लिए लोगों से लड़ाई लड़ी और इस तरह अपनी जाति (मुसहर) के अजय वीर सावित हुए। इनकी मृत्यु बहुत कालों तक नहीं हो पाई तब एक युद्ध में इन्होंने अपनी मृत्यु का राज बताया कि यदि दोनों भाइयों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में सुलाकर मारा जाए तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा ही कर उन्हें मारा गया और इन्हे कुलदेवता के रूप में स्थापित किया गया।²⁰

भारतीय सामाजिक संरचना में मुसहर समुदाय सबसे निचले पायदान पर आता है। खासकर मिथिलांचल में इनकी स्थिति बहुत दयनीय रही है। इस इलाके में किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कृपा का भाव दर्शाना होता है तो यह आम जुमला बोला जाता था एकदम मुसहर है। यानी मुसहर से बड़ी गाली इस इलाके के लिए कोई नहीं थी। लेकिन आज स्थिति भिन्न है। आज यह समुदाय कर्मठ कृषि मजदूर के साथ कर्मठ राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। आज इनका नाम एक गाली नहीं है। गाली के उस पहले दौर से कर्मठता के दौर में आने के दौरान इन्होंने संघर्ष की एक ली पारी खेली है। इन दौर के बीच इनके संघर्ष की एक लंबी दास्तान है जो न सिर्फ रोमांचक बल्कि हमारे सजाजिक न्याय के खोखलेपन और ब्रिटिश कालीन शासन के अत्याचार का खुला दस्तावेज भी है।²¹

वस्तुतः तीस के दशक में दलित प्रश्न का राष्ट्रीय स्तर पर काफी गहमागहमी थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के कम्यूनल एबार्ड (1931) गाँधी — अम्बेदकर विवाद और पूना समझौता (1932) केन्द्रीय विधानसभा के अस्पृश्यता उन्मूलन विधेयक और तत्संबंधी विवाद 1933 ई0 आदि के कारण दलितों का मुद्रा चारों ओर छाया हुआ था। त्रावणकोर के मंदिरों का द्वारा अछूतों के लिए खोला जा रहा था। 1936 ई तो महाराष्ट्र के नासिक में कलाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह पाँच वर्षों 1930—35 ई तक अनवरत चलने के बावजूद असफल रहा था। राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेशिक और जिला स्तर पर दलित वर्ग के संगठन बन रहे थे।

निष्कर्ष

मुसहर जाति अनुसूचित जातियों के अन्तर्गत आती है जिसका दलित समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। मुसहर जाति को दलित समुदाय का प्रमुख अंग माना जाता है। मुसहर जाति के नामकरण की कहानी काफी रोचक एवं महत्वपूर्ण है। मुसहर जाति के लोग अत्यन्त गरीबी के जीवन बसर करते थे। मुसहर जाति जंगलों एवं नदियों के समीप निवास करती थी। मुसहर समुदाय को प्रारंभ में ही जमींदारों (जमीन मालिकों) द्वारा अछूत के रूप में बढाया गया। अधिकांश जगहों पर इन्हें जानबूझकर गांव के दक्षिण छोर पर बसाया गया ताकि इनकी ओर से चलने वाली हवा भी गांव में प्रवेश नहीं कर सके। मुसहर अनेक धार्मिक अंधविश्वासों को मानते हैं। तिरहुत के मुसहर के मुख्य देवता दीना भद्री बाबा के नाम से जाने जाते हैं। मुसहर समुदाय के कुलदेवता दीनाभद्री को लकर लोक कथा प्रचलित है।

संदर्भ सूची

1. हरिओम मिश्र:- मुसहर जातियों की सामाजिक एवं आर्थिक दशा, दिल्ली 2014-24
2. रिजले:- दी पीपुल ऑफ नादर्न इंडिया, कलकत्ता, 1908-38
3. रीता सिंह:- बिहार के मुसहर, 1996-42
4. भारती आशा:- रामकथा के गोण पात्र इतिहास शोध संस्थान नई दिल्ली 1986-136
5. जे एस0 हट्टन :- भारत में जातिप्रथा, दिल्ली, 1983-21
6. वही पृष्ठ 21-22
7. अनिरुद्ध प्रसाद:- बोलेन्टरी इफेक्ट इन द डेवलपमेंट आफ मुसहर कम्युनिटी इन बिहार, 1985-49
8. वही पृष्ठ 49-51
9. जी0 एस धुरिये:- कास्ट एड क्लास इन इंडिया, बंबई 1957-254
10. के0 एस सिंह :- इंडियाज कम्युनिटीज, दिल्ली, 1991 -240
11. सच्चिदानंद सिन्हा:- कास्ट सिस्टम मिथ एंड रियल्टी प0 118

भारतीय संविधान और बाल-मजदूरी: बिहार के संदर्भ में एक अध्ययन

डॉ० प्रियम्बदा कुमारी

सहायक प्राध्यापिका, अर्थशास्त्र विभाग, जे० के० पी० डी० कॉलेज, कर्पूरीग्राम, समस्तीपुर

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई थी और प्रथम विश्वयुद्ध (1914-18) की विभीषिका से जो जान-माल की क्षति हुई थी, उसने ऐसे संगठन की स्थापना करने के लिए विश्व के तमाम नेताओं को विवश कर दिया था। सन् 1919 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना हुई जिसमें बच्चों के नियोजन को विनियमित करने का प्रावधान किया गया अर्थात् 12 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों को ही काम करने का सुझाव इस संगठन ने दिया। इसके पश्चात् भारत में रॉयल कमीशन ऑन लेबर इन इण्डिया की स्थापना सन् 1929 में हुई, जिसने अपनी रिपोर्ट 1931 में प्रस्तुत किया, जिसमें बच्चों के काम की दशाओं का दुःखद वर्णन किया गया था।

गौरतलब बात यह थी कि बच्चों से उनके नियोजक मनमाने ढंग से लम्बी अवधि तक काम लेते थे अर्थात् काम के घंटे निर्धारित नहीं थे। सब कुछ मालिक की मर्जी पर निर्भर करता था। यहाँ तक की बेगार, बँधुआ और गुलामी की हद तक बच्चे काम करते थे और जिन्हें किसी न किसी बहाने से भारीरूप से दण्डित भी किया जाता था। कुछ क्षेत्रों में तो बच्चों के माँ-बाप अपने बच्चों को नियोजकों के अधीन गिरवी के रूप में रख देते थे। इसमें सूदखोरों, जमींदारों और कारखाना मालिकों की तिकड़ी अपना स्वार्थ सिद्ध करती थी। कमीशन के भावों में, "कई भाहरों में बड़ी संख्या में तरुण बच्चों का नियोजन दीर्घ अवधि तक के लिए होता है और अनुशासन कड़ा होता है। निस्संदेह, विश्वास का कारण है कि भारीरूप दण्ड तथा निन्दनीय प्रकार के अन्य दण्ड भी कभी-कभी छोटे बच्चों को दिए जाते हैं। इन स्थानों पर 5 वर्ष के बच्चे भी बिना भोजन, मध्याह्न अवकाश या साप्ताहिक छुट्टी के काम करते मिल जाते हैं-वे दो आना की मजदूरी पर 10-12 घंटे रोजाना काम करते हैं।"

उल्लेखनीय है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के करौंठी सत्र में कामगारों के हितों की रक्षा के लिए संकल्प पारित किया गया था जिसमें निम्नलिखित बिन्दु बाल-श्रम के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण है-(क) दासता एवं उसकी सीमान्त दशाओं से श्रमिक को मुक्त किया जाएगा। (ख) महिला कामगारों की सुरक्षा तथा मातृत्व अवकाश का विशेष प्रावधान हो। (ग) विद्यालय जाने की उम्र के बच्चों को खानों और कारखानों में नियोजित नहीं किया जाना चाहिए। (घ) अपने हितों की रक्षा के लिए श्रमिकों को संघ बनाने का अधिकार होगा। इन बिन्दुओं को श्रम उप समिति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समर्पित अपनी रिपोर्ट में 1940 में निम्न रूप से भामिल किया-(1) बच्चों की कार्य एवं जीवन दशाओं (काम के घंटे सहित) का विनियमन किया जाएगा। (2) शिक्षा-व्यवस्था से सह-सम्बन्ध स्थापित कर बच्चों के नियोजन की न्यूनतम उम्र धीरे-धीरे 15 वर्ष की

जाए। (3) काम के घंटे एक दिन में 9 तथा सप्ताह में 48 तक सीमित हों। (4) मजदूरी निर्धारण की ऐसी युक्ति निकाली जाए जिससे मजदूर जीवन निर्वाह मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी प्राप्त कर सकें।

यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि बीसवीं सदी के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से प्रसिद्ध राजनेता गोपाल कृष्ण गोखले ने तत्कालीन ब्रिटिश भासन से मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की अपील की थी, जिससे सभी बच्चों को पढ़ाई का अवसर मिले तथा मजदूरी में मजदूरी नहीं करनी पड़े। रॉयल कमीशन की अनुशांसा के आलोक में 1933 में चिल्ड्रेन (प्लेजिंग ऑफ लेबर) ऐक्ट बना, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि यदि किसी बच्चे के माँ-बाप अपने बच्चे को किसी नियोजक के यहाँ नियोजन हेतु बन्धपत्र भरते हैं, तो उसे अवैध माना जाएगा। दरअसल, बाल-श्रमिक विरोधी कानून की सही भुरुआत इस बाल अधिनियम से होती है। हालांकि उसके पूर्व कारखाना अधिनियम (1881) पारित हुआ था जिसमें 7 वर्ष के नीचे के बच्चों को कारखाने में काम करने की मनाही थी और एक ही दिन में दो कारखाने में काम करने एवं एक दिन में 9 घंटे से अधिक काम लेने की भी मनाही थी। इसमें पहली बार एक माह में चार दिन का अवकाश देने का भी प्रावधान था किन्तु यह कानून सिर्फ उन कारखानों में लागू होता था जिनमें 100 या उससे अधिक कामगार कार्य करते थे। उसके बाद बहुत सारे कानून राष्ट्रीय और प्रान्तीय स्तर पर बनाए गए, जो बाल-मजदूरी को विनियमित करने अथवा प्रतिषिद्ध करने अथवा सुरक्षा प्रदान करने से सम्बन्धित थे। किन्तु विभिन्न कानूनों में बाल-श्रमिकों की उम्र, सेवाशर्तें एवं सुरक्षा का निर्धारण अलग-अलग किया गया। विभिन्न कानूनों में बाल-श्रमिकों की उम्र भिन्न-भिन्न है, यानी किस उम्र के बच्चों को बाल-श्रमिक माना जाए, इस पर मतभेद है और यह मतभेद इन कानूनों में झलकता है।

जहाँ एक ओर कारखाना अधिनियम (1881) में 7 वर्ष से कम उम्र के काम करने वाले बच्चों को बाल-श्रमिक माना गया है, वहीं दूसरी ओर खान अधिनियम (1952) में 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को बाल-श्रमिक माना गया है। किन्तु अधिकांश कानूनों में 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को बाल-श्रमिक माना गया है। उदाहरणार्थ, बाल-नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, बाल नियोजन (संशोधन) अधिनियम 1949, बाल नियोजन (संशोधन) अधिनियम, 1951, भारतीय बन्दरगाह अधिनियम 1931, मोटर परिवहन कामगार अधिनियम 1961, एप्रेंटिस अधिनियम 1961, बीड़ी एवं सिगार (नियोजन की भाँति) अधिनियम 1966, खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम 1983, बाल-श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम-1986 आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के काम करने वाले बच्चों को बाल-श्रमिक माना गया है। धीरे-धीरे बाल-श्रमिक की परिभाषा में काम करने वाले बच्चों की उम्र सीमा बढ़ती गई है।

उदाहरण के तौर पर, कारखाना अधिनियम 1881 में यह आयु सीमा 7 वर्ष थी जो बाद में कारखाना (संशोधन) अधिनियम 1891 में 9 वर्ष निर्धारित की गई। इसके पश्चात् खान अधिनियम 1901 में इसे बढ़ाकर 12 वर्ष किया गया। फिर भारतीय खान अधिनियम 1923 के द्वारा इसे 13 वर्ष किया गया। भारतीय बन्दरगाह (संशोधन) अधिनियम 1931 तथा कारखाना (संशोधन) अधिनियम 1934 में इसे 12 वर्ष किया गया। दूसरी ओर कारखाना (संशोधन) अधिनियम 1922 के अनुसार यह उम्र सीमा 15 वर्ष रखी गई। बाल (श्रमिक बन्धक) अधिनियम 1933 में 15 वर्ष, खान (संशोधन) अधिनियम 1935 में 15 वर्ष, व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम-1958 में 15 वर्ष तथा बाल नियोजन (संशोधन) अधिनियम 1978 में 15 वर्ष निर्धारित की गई है।

यदि हम ज्यादा मान्य उम्र सीमा भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में बनाना चाहें, तो कह सकते हैं कि 14 वर्ष की उम्र सीमा ज्यादा मान्य है क्योंकि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार (खण्ड 3 के अनुच्छेद, 24) के अनुसार यह उम्र सीमा 14 वर्ष निर्धारित की गई है। उसी प्रकार राज्य के नीति-निर्धारक सिद्धान्तों के तहत (अनुच्छेद-39 एवं 45 में) बच्चों की उम्र सीमा 14 वर्ष रखी गई है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय बाल नीति के 1974 के प्रस्ताव में 14 वर्ष की उम्र सीमा को दर्शाया गया है जिसमें पुनः यह निर्णय लिया गया कि 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, उनके लिए स्वास्थ्य एवं पोषाहार सम्बन्धी सेवाएँ तथा कार्यक्रम भुरु किए जाएँगे, औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में अक्षम बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा मुहैया कराई जाएगी तथा उपेक्षा, क्रूरता एवं भोषण के विरुद्ध बच्चों की सुरक्षा के उपाय किए जाएँगे। इसके अलावा यह भी संकल्प दुहराया गया कि 14 वर्ष के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों अथवा भारी कार्यों में लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बाल-श्रमिकों पर गुरुपदास्वामी समिति ने अपना प्रतिवेदन दिसम्बर 1979 में सरकार को सौंप दिया।

गुरुपदास्वामी समिति ने बाल-श्रमिक तथा बाल-श्रमिक भोषण में भेद करने पर जोर डाला क्योंकि यद्यपि ये दोनों समस्याएँ हैं किन्तु उनका स्वरूप, विस्तार एवं गहराई अलग-अलग है। समिति के भावों में, "बाल-श्रमिक उस समय पूर्ण बुराई बन जाता है जब उसे अपनी सारी क्षमता से अधिक काम करने पड़ते हैं, जब उसके नियोजन के घंटे उसकी शिक्षा, मनोरंजन तथा विश्राम में बाधा डालते हैं, जब उसकी मजदूरी उसके द्वारा किए गए कार्यों की मात्रा के अनुरूप न हो और जब जिस व्यवसाय में वह लगा हुआ हो, वह उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए घातक हो।"

इस प्रकार गुरुपदास्वामी समिति की अनुशांसाओं के आलोक में स्वतन्त्र रूप से एक नया कानून बनाया गया जिसे हम बाल-श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के रूप में जानते हैं। यह कानून 23 दिसम्बर, 1986 से समूचे भारत

देश में प्रवृत्त है। इस अधिनियम के भाग-3 को छोड़कर अन्य सारे प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए और भाग-3 उस तारीख से लागू समझा गया, जब केन्द्र सरकार ने गजट (राजपत्र) में अधिसूचना जारी की और विभिन्न राज्यों में तथा विभिन्न प्रतिष्ठानों की श्रेणियों के लिए भिन्न-भिन्न तारीख नियत की गई।

इस कानून के तहत केन्द्र सरकार अपने नियन्त्रणाधीन प्रतिष्ठानों अथवा रेलवे प्रशासन या बन्दरगाह या खान या तेल क्षेत्र सम्बन्ध में सक्षम समुचित सरकार है तथा अन्य मामले में राज्य सरकार समुचित सरकार हैं। इस कानून का वास्तविक कार्यान्वयन बाल-श्रमिक नियमावली बनाए बिना नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस अधिनियम के भाग-3 में ही बच्चों के काम की स्थिति यथा-काम के घंटे, काम की प्रकृति, अवकाश, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा उम्र के बारे में प्रावधान है। वहीं बाल-श्रमिकों के सम्बन्ध में पंजी का संधारण, मशीनों के पास बाड़ लगाने तथा अन्य चीजें भी वर्णित हैं। अभी तक समूचे भारत में सभी राज्यों ने बाल-श्रमिक नियमावली नहीं बनाई है।

बिहार सरकार ने 1996 में बाल-श्रमिक नियमावली का निर्माण किया। बाल-श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अनुसार अधिकतम काम के घंटे वही होंगे जो ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित किए जाएँ। इसके अलावा धारा-7 में यह भी प्रावधान है कि एक दिन में किसी बाल-श्रमिक से अधिक-से-अधिक 6 घंटे काम लिया जा सकता है और उसी में विश्राम के लिए समय भी शामिल है। इसके अलावा किसी भी बच्चे को रात के 7 बजे से 8 सुबह के बजे के बीच काम कराने की मनाही है तथा वह उक्त 6 घंटे के अलावा अधिकाल कार्य नहीं कर सकता। इसके अलावा किसी बच्चे से किसी प्रतिष्ठान में ऐसे दिन काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या सहमति नहीं दी जाएगी, जिस दिन वह पहले से किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम करता हो। यह प्रावधान बाध्यकारी (मैनडेटरी) है अर्थात् इसका अनुपालन करना किसी उद्योग या प्रतिष्ठान या नियोजक के लिए अनिवार्य है। धारा-8 में प्रावधान है कि प्रत्येक बाल-श्रमिक को सप्ताह में कम-से-कम एक दिन का अवकाश मिलेगा और उस छुट्टी की सूचना का प्रदर्शन प्रतिष्ठान में दृष्टिगोचर स्थान पर किया जाएगा। इसी प्रकार धारा-9 में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी प्रतिष्ठान में कोई बाल-श्रमिक रखा जाता है तो उसके नियोजन होने के तीन दिनों के अंदर नियोजक को सम्बन्धित निरीक्षक को सूचना देनी होगी जिसमें उस प्रतिष्ठान का नाम और पता, प्रबन्धन करने वाले व्यक्ति का नाम और पता, व्यवसाय या प्रक्रिया की प्रकृति आदि की सूचना भेजनी होगी। इसके अलावा धारा-10 में प्रावधान है कि यदि बाल-श्रमिक की उम्र के सम्बन्ध में निरीक्षक तथा प्रतिष्ठान के मालिक के बीच कोई विवाद-उत्पन्न हो जाय तो निरीक्षक द्वारा उसे प्राधिकृत चिकित्सा पदाधिकारी के पास भेज दिया जाएगा। धारा-11 में प्रत्येक नियोजक को बाल-श्रमिक का नाम, उम्र, काम करने के घंटे, विश्राम का समय, काम की प्रकृति आदि से सम्बन्धित रजिस्टर संधारित करना होगा। धारा-13 में बाल-श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में 24 प्रकार के विषयों यथा-काम के स्थल पर सफाई और असुरक्षा से मुक्ति, कूड़ा-करकट एवं अवरोधों का निपटारा, रोशनदान और तापमान, धूल और धुआँ, कृत्रिम नमीकरण, रोशनी, पीने का पानी, भौचालय, मूत्रालय, थूकदान, मशीनी पर बाड़ लगाना, मशीनों के गतिमान होने पर उस पर या उसके नजदीक काम, खतरनाक मशीनों पर बालकों का नियोजन, खतरनाक मशीनों पर बालकों का अनुदेशन, प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षण, बिजली काटने के तरीके, स्वचालित मशीनें, नयी फर्श, मशीनों की भुरुआत, सीढ़ियों और छत पर पहुँच के साधन, गड्डे, चौबच्चे, फर्श में प्रवेश आदि, अत्यधिक वजन, आँखों की सुरक्षा, विस्फोटक एवं ज्वलनशील गैस धुआँ आदि लगने की स्थिति में सावधानियाँ, भवन का अनुरक्षण, भवनों तथा मशीनों की सुरक्षा आदि पर सरकार नियम बना सकती है। अर्थात् बाल-श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियमावली में इन 24 विषयों पर स्पष्ट रूप से सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित प्रावधान बनाने का अधिकार केन्द्र एवं राज्य सरकार को अपने-अपने क्षेत्र में है। इस अधिनियम की धारा-14 में इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले नियोजकों को सजा देने का भी प्रावधान है। धारा-14 (1) के अनुसार पहली बार धारा-3 के उपबन्धों का उल्लंघन करन पर किसी बाल-श्रमिक के नियोजक को कम-से-कम तीन माह और अधिक-से-अधिक 20 हजार रुपये का जुर्माना किया जा सकेगा अथवा दोनों सजा दी जा सकेगी।

बाल-श्रम की समस्या भारत में ही नहीं दुनिया के कई देशों में एक विकट समस्या के रूप में विराजमान है, जिसका समाधान खोजना जरूरी है। भारत में 1986 में बालश्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के अनुसार बालश्रम तकनीकी सलाहकार समिति नियुक्त की गई। इस समिति की सिफारिश के अनुसार, खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति निषिद्ध है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में शोषण और अन्याय के विरुद्ध अनुच्छेद 23 और 24 को रखा गया है। अनुच्छेद 23 खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है और संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल के कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्टरी या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जायेगा और न ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त किया जायेगा। यह फैक्टरी कानून 1948 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध करता है। 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किसी फैक्टरी में तभी नियुक्त किये जा सकते हैं, जब उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण पत्र हो। इस कानून में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए हर दिन

साढ़े चार घंटे की कार्यवाधि तय की गयी है और रात में उनके काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर भी इतने कड़े कानून होने के बाद भी बच्चों से होटलों, कारखानों, दुकानों इत्यादि में दिन-रात कार्य कराया जाता है और विभिन्न कानूनों का उल्लंघन किया जाता है। जिससे मासूम बच्चों का बचपन पूर्ण रूप से प्रभावित होता है।

आज विश्व में जितने बाल श्रमिक हैं उनमें सबसे ज्यादा भारत देश में हैं। एक अनुमान के अनुसार विश्व के बाल श्रमिकों का एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा भारत में है। एक अनुमान के अनुसार भारत के 50 प्रतिशत बच्चे अपने बचपन के अधिकारों से वंचित हैं। न उनके पास शिक्षा की ज्योति पहुँच पा रही है और न ही उचित पोषण। हालांकि फ़ैक्ट्री अधिनियम, बाल अधिनियम, बाल श्रम निरोधक अधिनियम आदि भी बच्चों के अधिकार को सुरक्षा देते हैं। किन्तु इसके विपरीत आज की स्थिति बिलकुल अलग है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2 करोड़ बाल मजदूर हैं और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार तो भारतीय सरकारी आंकड़ों से लगभग ढाई गुना ज्यादा 5 करोड़ बच्चे बाल मजदूर हैं। असल में कहा जाए तो बच्चे अपनी उम्र के अनुरूप कठिन काम गरीबी के कारण करते हैं। गरीबी ही बच्चे को बाल श्रमिक बनने को मजबूर करती है। इसके अलावा भी बढ़ती जनसँख्या, सस्ती मजदूरी, शिक्षा का अभाव और मौजूदा कानूनों का सही तरीके से क्रियान्वित न हो पाना जैसे कारण बाल श्रम के लिए जिम्मेदार हैं।

वर्तमान में भारत देश में कई जगहों पर आर्थिक तंगी के कारण माँ-बाप ही थोड़े पैसों के लिए अपने बच्चों को ऐसे ठेकेदारों के हाथ बेच देते हैं, जो अपनी सुविधानुसार उनको होटलों, कोठियों तथा अन्य कारखानों आदि में काम पर लगा देते हैं। उन्हीं होटलों, कोठियों और कारखानों के मालिक बच्चों को थोड़ा बहुत खाना देकर मनमाना काम कराते हैं और घंटों बच्चों की क्षमता के विपरीत या उससे भी अधिक काम कराना, भर पेट भोजन न देना और मन के अनुसार कार्य न होने पर पिटाई, यही बाल मजदूरों का जीवन बन जाता है। इसके अलावा भी काम देने वाला नियोक्ता बच्चों को पटाखे बनाना, कालीन बुनना, वेल्डिंग करना, ताले बनाना, पीतल उद्योग में काम करना, कांच उद्योग, हीरा उद्योग, माचिस, बीड़ी बनाना, कोयले की खानों में, पत्थर खदानों में, सीमेंट उद्योग, दवा उद्योग आदि सभी खतरनाक काम अपनी मर्जी के अनुसार कराते हैं। कई बार श्रम करते-करते बच्चों को यौन शोषण का शिकार भी होना पड़ता है और खतरनाक उद्योगों में काम करने से कँसर और टीबी आदि जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। एक तरह से बाल श्रमिक का जीवन जीते जी नरक बन जाता है।

आज बाल मजदूरी समाज पर कलंक है। इसके खात्मे के लिए सरकारों और समाज को मिलकर काम करना होगा। साथ ही साथ बाल मजदूरी पर पूर्णतया रोक लगनी चाहिए। बच्चों के उत्थान और उनके अधिकारों के लिए अनेक योजनाओं को शुरू किया जाना चाहिए जिससे बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव दिखे। शिक्षा का अधिकार भी सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। यह कानून बने काफी समय हो गया है लेकिन पूरी तरह अमल दिखाई नहीं देता। बालश्रम की समस्या का समाधान तभी होगा जब हर बच्चे के पास उसका अधिकार पहुँच जाएगा। देश के किसी भी हिस्से में कोई भी बाल श्रमिक दिखे, तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह बाल मजदूरी का विरोध करे क्योंकि बच्चे ही भारत के भविष्य हैं। जब तक बच्चों को उनके अधिकारों और शिक्षा से वंचित रखा जायेगा तब तक देश के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करना बेमानी है।

संदर्भ सूची

1. जुयाल, बी. एन. वगैरह, 'चाइल्ड लेबर: द दवाइस एक्सप्लायटेड' (1985), गांधियन इन्स्टीट्यूट ऑफ स्टडीज, वाराणसी
2. नीरा बुरा, 'बॉर्न टू वर्क : चाइल्ड लेबर इन इण्डिया' (1997), ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली
3. वीनर, माइनर, 'द चाइल्ड ऐण्ड द स्टेट इन इण्डिया', (1991), ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली
4. यूनिसेफ, 'एक बच्चा होने का अधिकार', (1994)
5. श्रीनिवासन, के. (सं.), 'डेमोग्राफिक ऐण्ड सोशियो-इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड इन इण्डिया', (1979), हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई
6. मोहसिन, नदीम, 'चाइल्ड राइट्स ऐण्ड एब्यूजेज' (1994), ए. एन. सिन्हा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, पटना

बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के महत्वपूर्ण कारक: एक अध्ययन

डॉ० कल्पना कुमारी

ग्राम-अरगा (पश्चिम), पो.-अरगा, भाया-बहेड़ी, जिला-दरभंगा (बिहार)

इतिहास साक्षी है कि मगध साम्राज्य के काल से ही बिहार में उद्योग की प्रमुखता रही है। लेकिन, कम्पनी शासन के आगमन के साथ ही बिहार में उद्योगों में गिरावट शुरू हो गयी थी और सन् 1836 ई. के आते-आते बिहार बंगाल का एक कनीय उपग्रह बन गया। जबकि यह पहले उत्तर प्रदेश के साथ उसी रूप में वर्गीकृत था। इस तरह बिहार कभी इस पड़ोसी प्रान्त और कभी उस पड़ोसी प्रान्त (उत्तर प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा) के साथ जोड़ दिये जाने के कारण एक लम्बे अरसे तक अपनी अलग पहचान बनाने में असमर्थ रहा और आर्थिक विकास भी नहीं कर सका। 1 अप्रैल 1912 को बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। फिर बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक प्रान्त बिहार बना। जिसकी राजधानी पटना बनी। 1935 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। बिहार में पड़ोसी राज्यों की तुलना में उच्च शिक्षा का प्रसार बहुत बाद में हुआ। पहले यहाँ न तो कोई मेडिकल कॉलेज था और न इंजीनियरिंग कॉलेज। बिहार के अलग प्रान्त बनने से पहले शिक्षा के लिए निर्धारित निधि या अनुदान का अधिकांश भाग बंगाल के पल्ले में पड़ जाता था। अंग्रेजी शासन काल में विश्वविद्यालयों की स्थापना के इतिहास से भी यह मालूम होता है कि प्रमुख पड़ोसी राज्यों की तुलना में कई दशक के बाद बिहार के प्रथम विश्वविद्यालय (पटना विश्वविद्यालय) की स्थापना हुई। इन लंबे अंतराल के कारण बिहार की दो-तीन पीढ़ियां देश के बहुत ही निर्णायक दौर में उच्च शिक्षा के अर्जन में पीछे पड़ गयीं। कहा जाता है कि औद्योगिक विकास, आधुनिकता और सामाजिक गतिशीलता रेल की पटरियों के साथ दौड़ती है। किन्तु दुर्भाग्य ऐसा कि जब ब्रिटिश राज में पूर्वांचल में रेल की पटरियां बिछाई गयी तो वो भी रानीगंज तक आकर ही प्रथम चरण में रुक गयीं। क्योंकि रानीगंज में 'लेसर ऐश कंटेन' वाला उत्तम कोटि का कोयला मिलता था। स्वतंत्रता के बाद 2000 में झारखंड राज्य भी इससे अलग कर दिया गया। भारत के चार प्रमुख महानगरों दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई और मद्रास (चेन्नई) में से कोई भी महानगर बिहार में अवस्थित नहीं है, जहाँ मास मीडिया के बड़े-बड़े गढ़ अवस्थित हैं। इसलिए महानगरों में स्थित दूरदर्शन केन्द्रों और राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में न तो बिहार की अच्छाइयों को और ना ही बिहार के नेताओं, विद्वानों, कवियों, कलाकारों, जन-सेवकों या अन्य विभूतियों को उतना स्थान नहीं मिल पाता है। जितना कि प्रमुख महानगर वाले राज्यों को मिलता है। इन कारणों से बिहार में जो पिछड़ापन बरपा हुआ है, उस पिछड़ेपन से बिहार अभी पूरी तरह बाहर नहीं निकल सका है।

बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि, वानिकी, उद्योग एवं पर्यटन पर समान रूप से आधारित है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में खनिज सम्पदा जैसे परम्परागत साधनों का महती योगदान है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता तथा राज्य से बाहर रह रहे लोगों द्वारा भेजी गयी राशि का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था को 'मनीआर्डर-अर्थव्यवस्था' की संज्ञा भी दी जाती है। राज्य की आर्थिक-सामाजिक स्थिति नदियों की ज्यादा संख्या कारण यह राज्य परम्परागत आर्थिक साधनों के मामले में कमजोर है। यहाँ की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अर्थव्यवस्था में विभिन्नता पाई जाती है। जहाँ अन्य राज्यों की अधिकांश जनता कृषि कार्यों में संलग्न है, वहीं बिहार का लगभग 65 प्रतिशत भू-भाग बाढ़ प्रभावित है जिसके कारण कृषि अत्यन्त श्रम-साध्य कार्य है। अतएव यहाँ की अधिकांश जनता नौकरी पेशे से सम्बन्धित है। सभी लोगों को राज्य में काम नहीं मिल सकता है। अतः लगभग 57 प्रतिशत परिवारों के सदस्य प्रतिवर्ष राज्य से बाहर रोजगार के उद्देश्य से चले जाते हैं। यहाँ के लगभग 90 प्रतिशत शिक्षित अन्य शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। विशेषकर सुरक्षा सेनाओं तथा अर्द्ध-सैनिक बलों में यहाँ के लोगों की संख्या अच्छी-खरासी है। बिहार में रोजगार की वार्षिक वृद्धि दर 1.17 प्रतिशत है जबकि जनसंख्या वृद्धि दर 2.25 प्रतिशत वार्षिक है। इस अन्तर के कारण यहाँ स्वाभाविक रूप से बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। रोजगार के अभाव के कारण लगभग 64.5 प्रतिशत जनता कृषि कार्यों में मजबूरीवश जुटी हुई है। लेकिन उन्हें कृषि कार्य से पूँजी लागत तक निकालना कठिन हो रहा है। बिहार में प्रति-व्यक्ति सकल घेरलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र से 20 प्रतिशत, वानिकी से 9 प्रतिशत, खनन कार्यों से 4 प्रतिशत तथा कृषि क्षेत्र से 67 प्रतिशत आय हो रही है।

बिहार में औद्योगिक पिछड़ापन के कारक

बिहार में जनसंख्या वृद्धि के साथ ही साथ बेरोजगारी की दर में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है। मात्र 14 प्रतिशत भू-भाग ही कृषि-योग्य है। उस पर्वतीय क्षेत्र की कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई बार भू-क्षरण, अति वर्षा आदि के कुप्रभाव के कारण कृषि पूर्णतया चौपट हो जाती है। प्रदेश में बेरोजगारी के लिए निम्न कारणों को मुख्यतः जिम्मेदार माना जा सकता है—

जनसंख्या वृद्धि

बिहार सहित पूरे देश में बेरोजगारी में वृद्धि का मुख्य कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। बिहार में जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर 2.25 प्रतिशत है जबकि रोजगार वृद्धि की दर मात्र 1.17 है। इस प्रकार बेरोजगारों की संख्या में प्रतिवर्ष 1.08 प्रतिशत की वृद्धि होती जा रही है। रोजगार के अवसरों का सृजन तभी होता है जब कृषि, उद्योग, पर्यटन आदि का विकास एवं विस्तार हो। औद्योगीकरण, शहरीकरण, शिक्षा हब बनने, नागरिक सुविधाओं के विकास एवं विस्तार तथा अन्य अनेक कारणों से कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल निरन्तर घटता जा रहा है, जिस कारण कृषि में रोजगार की सम्भावनाएं समाप्त प्रायः हो गई हैं। प्रदेश में औद्योगीकरण मात्र तीन जनपदों तक ही सिमट कर रह गया है। इन उद्योगों में भी सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद स्थानीय लोगों को सीमित संख्या में ही रोजगार प्राप्त हो रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि स्थानीय लोग राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर कारखानों में आए दिन अशान्ति उत्पन्न करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उद्यमी ठेकेदारों के माध्यम से बाहरी श्रमिकों को ही काम पर रख रहे हैं। इन उद्योगों में काम चाहने वाले अधिकांश श्रमिक अकुशल हैं, उन्हें अत्यन्त कम मजदूरी की पेशकश की जाती है जबकि औद्योगीकृत स्थानों पर आवास उच्च किराये पर ही उपलब्ध हो पाते हैं। इस प्रकार अल्प मजदूरी में श्रमिकों को अपना तथा अपने परिवार का भरण-पोषण करना कठिन हो जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में घोषित औद्योगिक पैकेज की अवधि सन् 2013 से घटकर सन् 2010 कर दिये जाने के कारण भी रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। यदि उक्त औद्योगिक पैकेज लम्बी अवधि के लिए स्वीकृत कर दिया जाता तो इससे आकर्षित होकर बड़ी संख्या में उद्यमी प्रदेश में अपने उद्योग स्थापित करते जिससे रोजगार स्तर में सुधार होता और इस प्रकार आय में वृद्धि से निर्धनता में कमी सम्भव हो पाती।¹

रोजगारपरक शिक्षा का अभाव

प्रदेश में जहाँ एक ओर शिक्षित बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है वहीं दूसरी ओर व्यवसाय-प्रधान शिक्षा की पर्याप्त कमी है। प्रदेश का कृषि क्षेत्र पहले से ही अल्प-रोजगारी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी से ग्रसित है, उद्योगों में भी केवल उन्हीं व्यक्तियों को काम पर रखा जाता है जो उद्योग-सम्बद्ध गतिविधियों में पारंगत हों। उद्योगों में इलैक्ट्रीशियन, टर्नर, फिटर, वैल्डर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, कैमिस्ट, फार्मैसिस्ट आदि के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इनका प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, बहुधन्धी संस्थानों आदि के माध्यम से दिया जाता है। प्रदेश में उक्त संस्थान अत्यन्त सीमित संख्या में हैं। वैसे भी ये संस्थान आम जनता की पहुँच से काफी दूर हैं। इनमें प्रवेश प्रक्रिया भी बड़ी कठिन है और यदि प्रवेश हो भी जाता है तो निर्धन छात्र/छात्राओं को धनाभाव के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें रहने के लिए मंहगे आवास किराये पर लेने पड़ते हैं जो उनकी क्षमता से बाहर की बात है। यदि घर के आस-पास लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खुल जायें तो न केवल निर्धन छात्र अपितु महिलाएं भी विविध प्रकार के धन्धों का प्रशिक्षण लेकर कुशल अथवा अर्द्ध-कुशल श्रमिक के रूप में कार्य कर

सकती हैं। ऐसी स्थिति में प्रशिक्षित लोग स्व-रोजगार भी अपना सकेंगे और इस प्रकार अपनी आय में वृद्धि करके निर्धनता में कमी कर सकने में समर्थ हो सकेंगे।

हस्तकला एवं लघु उद्योगों का पतन

आधुनिक युग विज्ञान एवं तकनीक का युग है। उद्योगों में भी यन्त्रीकरण, स्वचालन तथा प्रौद्योगिकीय प्रगति के कारण हस्तशिल्प एवं लघु उद्यमों की अवनति हुई है। वृहदस्तरीय उद्योगों के सम्मुख लघुस्तरीय उद्योग प्रतिस्पर्द्धा में टिक नहीं पा रहे हैं जिसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि अधिकांश लघु उपक्रम या तो बन्द हो चुके हैं अथवा बन्दी के कगार पर पहुँच गये हैं। श्रम प्रधान उद्योग होने के कारण इनके बन्द होने से बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। बड़े कारखानों में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा विनिर्मित उत्पाद उच्च गुणवत्तायुक्त होते हैं जिस कारण उपभोक्ता इन्हीं उत्पादों को अधिक पसंद करते हैं। यही कारण है कि हस्तनिर्मित एवं कलात्मक वस्तुओं की मांग कम होती जा रही है। अतः स्पष्ट है कि बेरोजगारी बढ़ाने में हस्तकला तथा लघु उद्योगों की अवनति ने भी काफी योगदान किया है। रोजगार स्तर में कमी के परिणामस्वरूप आय-स्तर में कमी आई है अर्थात् निर्धनता में वृद्धि हुई है।¹

दोषपूर्ण नियोजन

बिहार अपने आर्थिक विकास के लिए नियोजन का सहारा लेता आ रहा है। बिहार ने सन् 1951 से नियोजन की पद्धति को अपनाया है। रोजगार की दृष्टि से भारतीय नियोजन अत्यधिक दोषपूर्ण रहा है। नियोजन काल के प्रारम्भिक वर्षों में रोजगार सृजन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में योजनाकारों की यह धारणा थी कि आर्थिक विकास के साथ ही साथ रोजगार अवसरों में वृद्धि होती जायेगी। देश में तीव्र आर्थिक विकास के लिए वृहद-स्तरीय पूँजी प्रधान एवं उच्च प्रौद्योगिकी एवं तकनीकयुक्त उद्योगों को अनिवार्य समझा गया। इसमें सन्देह नहीं कि वृहदस्तरीय उद्योग औद्योगीकरण को मजबूत आधार प्रदान करते हैं परन्तु ये कम परिमाण में ही रोजगार उपलब्ध करा पाते हैं। देश में भारतीय परम्पराओं, दशाओं एवं वातावरण के अनुकूल देशीय तकनीक का उपयोग कर सकने वाले उद्योगों की स्थापना नहीं की गई अन्यथा रोजगार सम्भावनाओं में पर्याप्त वृद्धि होती और इसके परिणाम स्वरूप निर्धनता में कमी आती। सन् 1978 से रोजगारपरक कार्यक्रमों के साथ-साथ निर्धनता उन्मूलक कार्यक्रमों को लागू किया गया परन्तु पर्याप्त जन-जागरूकता की कमी, प्रशिक्षण एवं विपणन के अभाव, सरकारी मशीनरी की शिथिलता आदि अनेक कारणों से ये रोजगारपरक एवं निर्धनता उन्मूलक कार्यक्रम अपेक्षित परिणाम परिलक्षित न कर सके। एक के बाद एक असफलता ने सरकार को कार्यक्रमों के नाम परिवर्तन एवं संविलियनीकरण के लिए बाध्य कर दिया गया। 1 अप्रैल, 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का शुभारम्भ किया गया जिसमें रोजगार के स्थान पर 'स्व-रोजगार' पर ध्यान केंद्रित किया गया। उक्त योजना ऋण-सह-अनुदान योजना है। परन्तु इस योजना ने भी अपेक्षित सफलता नहीं पाई है। देश में छठी योजना के उद्देश्य के रूप में रोजगार वृद्धि के संकल्प को दोहराया जाता रहा है परन्तु व्यवहार में इतनी उदासीनता रही कि कई योजना प्रारूपों में देश में बेरोजगारी एवं निर्धनता के सम्बन्ध में उचित आंकड़े भी नहीं दिये जा सके। बिहार में नियोजन की स्थिति और भी कमजोर है। नवोदित राज्य होने के कारण विगत 12 वर्षों में अभी तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का टोटा पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में नियोजन कार्य कैसे सुदृढ़ हो सकता है। केन्द्र सरकार द्वारा घोषित एवं प्रायोजित योजनाएं यहाँ पर भी लागू की जा रही हैं परन्तु बेरोजगारी एवं निर्धनता दिनों-दिन बढ़ती ही जा रही है। सार्वभौम रोजगार योजना, रोजगार गारण्टी योजना तथा मनरेगा बेरोजगारी एवं निर्धनता की समस्या को थोड़ा-बहुत हल कर पायी हैं परन्तु इसके बावजूद बेरोजगारों विशेषकर शिक्षित बेरोजगारों तथा निर्धनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है। नियोजन को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि तथ्यों, सूचनाओं एवं समक संग्रहण का आधार सुदृढ़ हो तथा संकलनकर्ता सेविवर्ग न केवल शिक्षित हों अपितु प्रशिक्षित एवं दक्ष भी हों।

रोजगारपरक कार्यक्रमों का शिथिल क्रियान्वयन

प्रदेश में 1 अप्रैल, 1999 से पूर्व चल रहे स्व-रोजगारपरक तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राईसेम), ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, दस लाख कुँए योजना, कल्याण योजना तथा सिद्रा को समेकित कर दिया गया है और अब इनमें से कोई भी कार्यक्रम अलग से नहीं चल रहा है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का गठन करते समय पूर्व में प्रचलित स्वरोजगार कार्यक्रमों की शक्तियों एवं दुर्बलताओं का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि स्वरोजगार के माध्यम से बेरोजगारी एवं निर्धनता की समस्या पर एकमुश्त प्रहार कर ग्रामीण निर्धनों का आर्थिक उन्नयन सुनिश्चित किया जा सके। 1 अप्रैल, 1999 से प्रारम्भ की गई स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के निष्पादन परिणाम परिलक्षित करते हैं कि इन योजनाओं में

निर्धारित भौतिक लक्ष्य पर्याप्त ऊँचे रहे हैं जबकि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध कराये गये वित्तीय संसाधन अत्यन्त अल्प रहे। वित्तीय संसाधनों की मात्रा कम होने के कारण भी निर्धन इन योजनाओं की ओर आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं। इन योजनाओं के शिथिल क्रियान्वयन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है – पात्र व्यक्तियों का चयन न हो पाना। रोजगारपरक एवं निर्धनता उन्मूलक कार्यक्रमों का लाभ केवल वे ही बी०पी०एल० परिवार उठा सकते हैं जिनका चयन एवं चिन्हीकरण ग्राम सभा द्वारा किया गया हो। आरक्षित वर्गों के प्रति अभी भी ग्रामीण समाज में विद्वेष की भावना व्याप्त है जिस कारण पात्र व्यक्तियों का चयन नहीं हो पाता है। रोजगारपरक एवं निर्धनता उन्मूलक योजनाओं के शिथिल क्रियान्वयन में सही योजना का चयन न हो पाना भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। किसी योजना में सीमित कार्य-दिवसों के लिए रोजगार की गारण्टी दी गई है, तो किसी में उपादान स्वीकृति है, तो किसी में स्व-रोजगारसृजन की बात कही गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि महानगरों में पैदा हुए तथा पले बड़े हुए योजनाकार ग्रामीण निर्धनता एवं समाज से तनिक भी परिचित नहीं है अन्यथा सभी योजनाएं विगत 34 वर्षों में असफल न हुई होतीं।

रोजगारपरक एवं निर्धनता उन्मूलक योजनाओं के शिथिल क्रियान्वयन में स्थानीय परिस्थितियों के आंकलन का अभाव भी एक प्रमुख कारण है। स्थानीय परिस्थितियों में जनसंख्या का आकार एवं संरचना, जनसंख्या का घनत्व, कृषि एवं उद्योगों की स्थिति तथा विकास, ढाँचागत सुविधाओं की उपलब्धता, निर्धनों का कुल जनसंख्या में प्रतिशत, निर्धनता की गहनता, सूक्ष्म उपक्रमों की सम्भावनाएं, कच्ची सामग्री की उपलब्धता, विनिर्मित उत्पाद की स्थानीय खपत, भूमि की उर्वरा-शक्ति, भूमि-स्वामित्व की स्थिति, संसाधनों का वितरण, नागरिकों का शैक्षिक स्तर तथा प्रबन्धकीय एवं तकनीकी योग्यता, विपणन सुविधाएं आदि सम्मिलित हैं। इन घटकों का मूल्यांकन करने के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के विशेषज्ञों के अभाव के कारण आर्थिक क्रियाकलापों का मूल्यांकन नहीं हो पाता जिसके परिणामस्वरूप रोजगार सृजन प्रभावित होता है जो बेरोजगारी एवं निर्धनता के परिमाण में वृद्धि कर रहा है। सभी रोजगारपरक एवं निर्धनता उन्मूलक कार्यक्रम जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जिला परिषद् तथा विकासखण्ड कार्यालय के माध्यम से लागू किये जाते हैं। इन सभी कार्यालयों में वाणिज्यिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों से सम्बन्धित विशेषज्ञों एवं तकनीकी स्टाफ की कमी होती है जिस कारण रोजगारपरक एवं निर्धनता उन्मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता दृष्टिगोचर होती है। नौकरशाही का प्रभुत्व, अविवेकपूर्ण मापदण्ड, ग्राम पंचायतों का अहितकारी शक्ति-ढाँचा तथा रोजगारपरक एवं निर्धनता उन्मूलक कार्यक्रमों के मध्य समन्वय के अभाव का भी इन कार्यक्रमों के निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है जिसके फलस्वरूप बेरोजगारी एवं निर्धनता के स्तर में कमी के स्थान पर वृद्धि हुई है।

बाहरी व्यक्तियों का आगमन

बिहार की जलवायु, परिवहन सुविधाएं तथा भौगोलिक स्थिति ऐसी हैं कि बाहरी व्यक्ति सहज ही आकर्षित हो चले आते हैं और फिर काम-धन्धे के साथ ही यहीं पर बस जाते हैं। प्रदेश की उत्तर-पूर्व सीमा नेपाल से जुड़ी है। बड़ी संख्या में नेपाली मजदूर सुदूर स्थानों पर कार्य करते मिल जायेंगे। बंगलादेशी शरणार्थी भी बड़ी संख्या में यहीं पर आकर बस गये हैं। प्रदेश की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के ठाकुरद्वारा, अलीगंज, रोशनपुर, रामपुर, स्वार, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद आदि स्थानों से कुशल, अद्ध-कुशल एवं अकुशल श्रमिक जिनमें दिहाड़ी मजदूर, राज-मिस्त्री, पलम्बर, कारपेण्टर, वैल्डर, पेण्टर, आदि प्रमुख हैं, यहाँ पर काम करने आते हैं। इनमें से कुछ तो रोज बसों एवं रेलगाड़ियों अथवा अन्य सवारी साधनों से अपने घर लौट जाते हैं जबकि कुछ ने यहीं पर स्थायी अथवा अस्थायी आवास बना लिया है। इन सबका दुष्प्रभाव यह है कि स्थानीय लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। पर्वतीय मूल की सवर्ण जातियाँ श्रमिक के रूप में अपने क्षेत्र में काम करना अपनी शान के खिलाफ समझती हैं जबकि दिल्ली जैसे शहरों में उन्हें होटल-ढाबों में बर्तनों की सफाई जैसे कार्यों से भी परहेज नहीं है। इसके अतिरिक्त मैदानी क्षेत्रों में कुछ श्रम ठेकेदार उद्योगों में श्रमिकों की आपूर्ति करते हैं। ये श्रमिक बिहार से बाहरी क्षेत्रों के होते हैं जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बंगाल के श्रमिकों का बाहुल्य रहता है। बाहरी व्यक्तियों के आगमन का दुष्परिणाम अब निर्धनता एवं बेरोजगारी-स्तर में वृद्धि के रूप में प्रकट हो रहा है।

श्रम-गतिशीलता में कमी

कृषि जोतों के लगातार घटते आकार के कारण कृषि उत्पादितता में कमी, बढ़ते मशीनीकरण तथा अधिक जोत वाले कृषकों का लघु एवं सीमान्त कृषकों में रूपान्तरण ने कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी को बढ़ाया है। इन सबका परिणाम यह है कि खेतिहर श्रमिक गाँवों से पलायन करने को बाध्य हैं। इस प्रकार खेतिहर श्रमिकों द्वारा गाँव से अर्द्ध-शहरी एवं शहरी क्षेत्रों, कृषि से उद्योग-धन्धों, सेवाओं एवं संनिर्माण कार्यों तथा एक कृत्य को छोड़कर दूसरे कृत्य में नियोजित होना ही श्रम गतिशीलता कहलाता है।

राष्ट्रीय न्यायदर्श सर्वेक्षण संगठन के 25वें दौर में खेतिहर श्रमिकों में गतिशीलता के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक 60 प्रतिशत खेतिहर श्रमिक (पुरुष) और 45 प्रतिशत लघु कृषक (पुरुष) कार्य करने के लिए दूसरे गाँवों अथवा नजदीक के शहर में जाने को इच्छुक थे। असम, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में सबसे कम संख्या में लघु कृषकों (12 से 13 प्रतिशत) एवं कृषि श्रमिकों (16 से 22 प्रतिशत) ने ग्राम से बाहर जाकर कार्य करने की इच्छा प्रकट की। इसी प्रकार सभी श्रमिकों में सर्वाधिक राजस्थान राज्य (6.4 प्रतिशत) तथा सबसे कम असम, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश राज्य (2 से 4 प्रतिशत) के श्रमिकों ने बाहर जाकर कार्य करने की इच्छा प्रकट की। स्पष्ट है कि देश के श्रमिकों में गतिशीलता का स्तर पर्याप्त न्यून है जिसका इनकी आय से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। केवल खेतिहर श्रमिकों में गतिशीलता का उच्च-स्तर पाया जाता है। भीषण बेरोजगारी एवं निर्धनता की समस्या से ग्रस्त खेतिहर श्रमिकों में गतिशीलता अधिक दिखाई पड़ती है क्योंकि अच्छे रोजगार अवसर और उच्च मजदूरी इन श्रमिकों की गतिशीलता में अभिवृद्धि करते हैं।

स्पष्ट है कि सरकार की नीति बिहार के उद्योगों के लिए विनाशकारी थी और बिहार को एक उपनिवेश के रूप में विकसित करने की थी। इसके अनेक दशाओं में बाजारों को शोषित करने के लिए बाहरी उद्योगपतियों के प्रयास में उनको प्रत्यक्षतः सहायता पहुँचाई है। जिसके कारण कुटीर उद्योग-धन्धों का विनाश हो गया।

संदर्भ सूची

1. डॉ. निगम सुधीर कुमार एवं डॉ. अवस्थी जी.डी. बिहार का आर्थिक विकास, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ, 2009, पृ. 136
2. डॉ. कुलश्रेष्ठ आर.एस. औद्योगिक अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 1997, पृ. 79
3. डॉ. सिन्हा बी.सी. एवं डॉ. द्विवेदी घनश्याम विकास नियोजन एवं नीतियाँ, एस.बी.पी. डी. पब्लिशिंग हाउस, आगरा, 2010, पृ. 119
4. कोली एल.एन. भारतीय अर्थव्यवस्था, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2012, पृ. 95
5. प्रो. एस.एन. लाल भारतीय अर्थव्यवस्था, सर्वेक्षण एवं विश्लेषण, शिव पब्लिकेशन हाउस, इलाहाबाद, 2004, पृ. 85
6. डॉ. निगम सुधीर कुमार एवं डॉ. अवस्थी जी.डी. बिहार में स्वरोजगार, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ, 2011, पृ. 116
7. दत्त रुद्र एवं सुन्दरम् के.पी. भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली, 2005, पृ. 22

कुपोषण का निदान

डॉ० कुमारी शबनम

(सहायक प्राध्यापक) गृह विज्ञान विभाग

ग्राम-पोस्ट – सुपौल, भाया- वासुदेवपुर, चंदेल, थाना – पटोरी, जिला-समस्तीपुर (848504)

कुपोषण देश में भयानक रूप से फैला हुआ है। कुपोषण अमीर एवं गरीब दोनों वर्ग के लोगों में फैला हुआ है। कुपोषण स्त्री, पुरुष एवं बच्चों सभी में फैला हुआ है। कुपोषण के कारणों का जब तक निदान नहीं होगा, देश से कुपोषण दूर नहीं होगा। राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय यद्यपि समस्तीपुर से नजदीक ही है, लेकिन सभी लोग अज्ञानता के कारण लाभ नहीं उठा पाते हैं। कुपोषण केवल उपलब्ध साधनों के सहारे ही नहीं बल्कि उन साधनों के उपयोग तथा फूड भैल्यू जानने से भी दूर हो जाता है। कुपोषण के लिए हीन भावना भी कुपोषण को बढ़ावा देता है। कुपोषण दूर करने के लिए संतुलित आहार क्या है, इसमें कौन से तत्व हैं, विस्तृत रूप से इसकी जानकारी सभी को देना आवश्यक है। अपने घर के पास सभी तरह के शाक-सब्जी उगाना चाहिए।

कुपोषण से संबंधित प्रचार कार्य अधिक तेजी से करना चाहिए। सरकारी एजेंसी, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग, सरकार का सूचना एवं प्रसारण विभाग, स्वयं सेवी संस्थान इत्यादि का सहयोग इस दिशा में काफी सहायक है।

सरकार द्वारा अनेक संस्था चलाये जा रहे हैं, जो कुपोषण रोकने में अधिक कारगर है। इसमें ऑगनवाड़ी सेविका तथा इस विभाग का पदाधिकारी काफी मेहनत एवं लगन से कार्य करते हैं।

इस क्षेत्र में समय-समय पर विटामिन की टिकिया, दूध का पाउडर का वितरण किया जाना चाहिए। मलेरिया, कालाजार, डायरिया, पेचिस तथा दमा एवं कमजोरी को दूर करने के लिए मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक मुहल्ला में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की व्यवस्था होनी चाहिए।

भारतवर्ष में एफ०ए०ओ० भी बच्चों को कुपोषण के रक्षा के लिए कार्य कर रही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक विशेषज्ञ समिति ने 5 से 10 वर्ष के बच्चों को निम्नलिखित प्रोटीन कैलौरी प्रदान करने की सिफारिस की है—

बच्चों के लिए आवश्यक देय प्रोटीन

उम्र	कैलोरी	प्रोटीन
5-10	45	0.89

इन दिनों बच्चों में कुपोषण के मुख्य कारण, खाने की गंदी, आदतों का होना है। बहुत बच्चे कार्बोहाइड्रेड युक्त भोजन मात्र ले रहे हैं। जिससे खाँसी जुकाम अधिक हो रहा है। ऐसे व्यक्ति आहार में विटामिन विल्कुल भी नहीं लेते हैं। विटा. मिन-सी के लिए फलों का जूस, मौसमी, संतरा, टमाटर, नींबू, सलाद के रस को ग्रहण करना चाहिये। फल एवं सब्जी मात्रा विटामिन के लिए लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन इन दिनों इसका सेवन सुन्दरता प्रदान करने के लिए भी किया जाता है।

संतुलित आहार का आयोजन

कुछ लोग कैलोरी विटामिन मिनरेल्स जैसे वैज्ञानिक शब्दों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। इसके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। हाल ही के कुछ वर्गों में पोषण के क्षेत्र में कुछ वैज्ञानिक ने काम किया है। जो कि आधारभूत साल में माने जाने जाते हैं। अगर ये भोजन प्रतिदिन आहार में दिया जाय तो वे सम्पूर्ण परिवार की जरूरतों को भली-भाँति पूरा कर सकेंगे।

ये साल भोजन समूह आसानी से पहचान लिये जाते हैं। इन्हें प्रतिदिन भोजन का आधार होनी चाहिए, एक आहार में कुछ भोज्य समूह होनी चाहिये और बाकी दूसरे में लेकिन ये अवश्यकता वस्तुएँ दिन में कभी-कभी स्थान तलाश कर लेते हैं। अन्य वस्तुएँ इच्छानुसार दी जाती हैं। लेकिन यहीं अच्छा है कि हम इन साधारण किस्म कार्यक्रमों से ज्यादा दूर न जायें अगर आहार के इन मूल समूहों से कोई भी चूक जाता है तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण कुछ पदार्थों में कमी हो जाती है। अतः ये सात मूल आहार है—

- 1. पीली एवं हरी पत्तियों वाली सब्जियाँ**— ये या तो पके या पकाकर या ताजे एवं भुनकर उपयोग में लाये जाते हैं। ये पत्ता गोभी, चुकुन्दर, अंगूर, पालक इत्यादि हरी सब्जियों से आँख एवं त्वचा के लिए जरूरी विटामिन प्रदान करती है और संक्रमण से भी रक्षा करते हैं। ये रक्त के लिए आवश्यक लौह तत्व भी प्रदान करते हैं।
- 2. फल** :- हमें प्रतिदिन दो फल जिसके एक माथ एवं एक अन्य साइट्स फल अवश्य खानी चाहिये। इसके अतिरिक्त केला, टमाटर, सेब, नाशपाती, अंगूर आदि कुछ उच्च कटिपंथीय फल भी होना आवश्यक है। परिवर्तन के लिए इरेतर कुछ अन्य दौंतों एवं शक्तिशाली रक्त शिराओं के लिए आवश्यक विटामिन भी प्रदान करती है। ताजे फल इस कार्य हेतु सर्वोत्तम होते हैं। ताप एवं ऊष्मा विटामिन सी को नष्ट कर देते हैं।
- 3. आलु एवं अन्य सब्जियाँ**— दो या दो से ज्यादा सब्जियाँ नित्य खाना चाहिए। इनमें प्रमुख है आलु, गाजर, प्याज, मटर, चुकुन्दर, सोयाबीन इत्यादि। विटामिन और खनिज लवण सब्जियाँ में पाये जाते हैं। आलु अपने छिलके सहित पकाने पर खनिज लवण का एक अच्छा स्रोत है। सब्जियाँ अनेक प्रकार से उपयोग में लाये जा सकते हैं। गाजर विटामिन का बहुत अच्छा स्रोत है। सब्जियाँ ताकत प्रदान करती है। जो पाचन में सहायक होती है।
- 4. दूध एवं दुग्ध उत्पादन पदार्थ**— एक व्यस्क के लिये एक से ढ़ेढ पाव या अधिक दूध प्रतिदिन एवं एक चौथाई दूध नित्य नवजात शिशु एवं गर्भवती महिलाओं के लिए अतिआवश्यक है। दूध द्रवीय सफेद या तरल सहित होना चाहिये। दूध एवं शर्बत का भोजन में भी उपयोग किया जाता है। जैसे सूप, खीर इत्यादि के रूप में दूध प्रोटीन का एक अति महत्वपूर्ण स्रोत है। यह हमारे दाँत, हड्डियाँ एवं मसल्स के लिए अत्यावश्यक खनिज प्रदार्थ विटामिन और कैल्सियम भी प्रदान करती है।
- 5. प्रोटीन** :- प्रोटीन शरीर का प्रमुख तत्व है। पेशी और उत्तक तथा विशिष्ट तरल जैसे रक्त का यह महत्वपूर्ण संगठन है। यह शरीर का निर्माण करते हैं और उत्तकों का मरम्मत करते हैं। इसे इस कारण बॉडी बिल्डिंग भी कहा जाता है। शरीर को आवश्यक पदार्थ जैसे इन्जाइम्स तथा एंटीवाडीज की प्रकृति मुख्य रूप से ही प्रोटीननीय ही रहती है। आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन से ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। परन्तु मुख्यतः यह काम वसा और कार्बोहाइड्रेड ही करता है। अतः प्रोटीन शरीर को अन्य जेनरली कार्यों को करता है। पशुजन्य भोज्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, अंडे तथा दूध में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। गेहूँ की अपेक्षा चावल में कम प्रोटीन पायी जाती है। परन्तु गुणवत्ता की दृष्टिकोण से यह उच्च श्रेणी का होता है। जड़ वाली सब्जियों और फलों में प्रोटीन कम रहते हैं। तेलहनों में से तेल निकालने के बाद तेलहनी फसल में बचे तेल में भी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है।
- 6. प्रोटीन का जैविक मूल्य** :- प्रोटीन की मात्रा के साथ-साथ भोज्य पदार्थ में प्रोटीन की पोषक गुणवत्ता से भी उसके आहार मूल्य का निर्धारित किया जाता है। एसीनों एसीड शरीर को उत्पन्न के निर्माण एवं मरम्मत का काम करते हैं जब ये खाद्य प्रोटीन के एमीनों एसीड उत्तकों में अधिक मौजूद होते हैं तो इनका मूल्य उच्च माना जाता है। खाद्य सपिडस इनमें से हटा तो शरीर अपनी आवश्यकतानुसार इधर-उधर से एवं अन्य स्रोतों से स्वतः निर्मित कर सकती है। लेकिन बच्चे इस प्रकार के एजीनों प्लीड्स की व्यवस्था स्वतः नहीं कर सकता है।

खाद्य पदार्थ	प्रोटीन का जैविक	प्रोटीन कार्य क्षमता की अनुपात
अण्डा	99	3.9
दूध	84	3.1
मछली	76	3.3
मांस	74	2.3
चना	68	1.7
चावल	68	2.2
गेहूँ	65	1.5
मक्का	59	1.2
मूंगफली	55	1.7

तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि पशुजन्य प्रोटीन वनस्पति की अपेक्षा अधिक उच्च जैविक मूल्य का होता है। एकांकी स्रोत के रूप में जैसे दूध, अण्डा पूर्ण से प्राप्त प्रोटीन की श्रेणी से आपसी संसुभोजन से बढ़ जाती है। दाना अनाज और पत्ते वाली सब्जियों को मिलाकर प्रयोग करने पर उत्तम श्रेणी का प्रोटीन प्राप्त होता है। बढ़ते बच्चों की वृद्धि के कारण श्रेष्ठ प्रोटीन की आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक रहती है। इसी प्रकार गर्भवास्था और मात्री अवस्था में महिला की प्रोटीन संबंधी आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक रहती है। साथ ही बेहतर यही होता है कि इन लोगों के आहार से कुछ पशुजन्य भोज्य पदार्थों को भी शामिल किया जाय, क्योंकि उनका पोषक मूल्य आशंका का रहता है।

अनाज और रोटियाँ

पके हुए चावल एक प्लेट, फल प्लेट तथा तीन रोटियों खाने के एक शारीरिक परिश्रम करने वाले लोगों को लेना अनिवार्य है।

वसा प्रदान करने वाली भोज्य पदार्थ

प्रत्येक मुनष्य में वसा की निश्चित मात्रा का होना आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के तेलीय पदार्थों के द्वारा वसा की पूर्ति होती है। वसा शरीर में ताप एवं ऊर्जा प्रदान करता है। वसा का स्रोत, तेल, घी, डालडा, मक्खन, पनीर, मूंगफली, सरसों, वादामा, सोयाबीन, सूर्यमुखी इत्यादि है। अधिक वसा लेने पर रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है।

संदर्भ सूची

1. आहार एवं पोषण विज्ञान – डॉ० प्रमीला वर्मा
2. सामाजिक अनुसंधान एवं शोध – मोहम्मद सुलेमान
3. *Nutrition Concepts & Controversis – Sizer & Lonipney.*
4. आहार विज्ञान – डॉ० वृन्दासिंह
5. पोषण एवं पोषाहार – मंगला कानगो

बिहार में अगस्त क्रांति छात्र एवं किसानों की भूमिका।

शिवनाथ चौधरी

ल. ना. मि. वि., का., दरभंगा

शोध सारांश: महात्मा गांधी द्वारा 7 अगस्त 1942 को भारत में आज भी पहले की तरह अहिंसा के सिद्धांतों में विश्वास रखता हूँ और अगर आप इससे थक गये हैं तो मेरे साथ न आवे जब 12 अगस्त 1942 को पहले की विशाल जनसभा को संबोधित करते हुये स्थानीय कांग्रेसी नेता ने लोगों को क्रांति के राह पर चलने को कहा तो जनरागृह ने एकाएक उधे स्वर में कहना पुरु किया: लेकचर सुनने की जरूरत नहीं चलें काम करो। 8 अगस्त 1947 के दिन बंबई में आखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में महात्मा गाँधी द्वारा करो या मरो की घोषणा हम भारत को आजाद करेंगे या इस प्रयास में मर जायेंगे। लेकिन देश को गुलामी की बेडियों में जकड़ा हुआ देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। जन आंदोलन की पुरुआत किसान एवं छात्र के आलोंक में सारे प्रमुख कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अगस्त 1942 से भारत में जिस तीन जनादोलन की ज्वाला अकस्मान भड़क उठी उसे, विभिन्न नामों जैसे 'अगस्त क्रांति' इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1942 एवं 1942 रिवेलियन इंडियन स्ट्राल 1942 स्पोनटेनियश रिवोल्यूशन आदि से अविहित किया किन्तु सबसे अधिक लोक प्रिय नाम अगस्त क्रांति ही अधिकांशतः व्यवहार में लाया जाता है।'

परिचय

यद्यपि कांग्रेस और महात्मा गाँधी के द्वारा आवाहन के बाद ही इस आंदोलन की आग भड़की तद्यपि इस आंदोलन में सारी गाँधीवादी सीमाओं को तोड़कर जन विद्रोह का रूप धारण किया। 1873 की क्रांति के बाद यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सबसे बड़ी चुनौती थी। 7 अगस्त 1942 को भारत के वायसराय लार्ड लिनलिभर्गों ने भारत सचिव एमरी को लिखा कि आंदोलन का स्वरूप पूर्णतः क्रांतिकारी हो गया। वास्त में ब्रिटिश साम्राज्यवाद को 1942 में दी गई चुनौती 1857 की चुनौती से कहीं अधिक गंभीर थी क्योंकि 1942 की अगस्त क्रांति के विद्रोही देश को एक सूत्र में पिरोने वाले राज्यवाद के झंडे के नीचे लड़ रहे थे और निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि अगर जापानी आक्रमण के प्रतिरोध के लिए ब्रिटिश सरकार की सेना की बहुत बड़ी टुकड़ी पूर्वी भारत में नहीं होती तो इन विद्रोही को बहुत बड़ी सफलता मिल जाती।² बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को छात्रों एवं किसानों का एक जुलूस सचिवालय पर झण्डा फहराने के लिए चला। गोलियाँ चली और सात छात्र मारे गये। इसका गहड़ा एवं तीव्र प्रभाव पड़ा नेता जेल में थे किसान तथा छात्र ने

मोर्चा संभाला। शहीद छात्रों—शहीद उमांकात प्रसाद सिंह, शहीद रामानन्द सिंह, शहीद सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, शहीद देवपद चौधरी शहीद राजेन्द्र सिंहा शहीद रामगोविन्द सिंह।⁹

प्रस्तुत शोध निबंध में अगस्त क्रांति के छात्र एवं किसानों की साझेदारी के विश्लेषण का प्रयास किया गया। शुरूआती दिनों में कुछ दिनों तक तो भारत छोड़ो आंदोलन शहरों में सिमटा हुआ था और छात्रों के हाथ में या किंतु मध्य अगस्त तक यह गाँवों तक छा गया और धीरे-धीरे इसमें ब्रिटिश सरकार के विरोध में एक तीव्र किसानों विरोध का रूप धारण कर लिया।¹⁰

बिहार के बेगुसराय के अनुमंडलधिकारी ने लिखा— विद्यालय के छात्रों ने आंदोलन की शुरूआत की, किंतु बाद में कांग्रेस कार्यकर्ता ने उसमें भाग लेना शुरू किया। कांग्रेस के नर्म तत्वों ने आंदोलन को सीमित रखने की कोशिश की, किंतु जब उन्होंने ग्रामीण जनता को इस आंदोलन को जोड़ दिलया गया तो इसमें आर्थिक रूप ले लिया और सरकार की विशाल सम्पदा खासकर रेलवे स्टेशन के गोदाम में रखने गये अन्नागर ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। 21 अगस्त 1942 तक के घटनाक्रम की सरकारी रपट का सारांश इस तथ्य को पुष्टि करता है कि बिहार प्रांत के विभिन्न भागों के किसानों लगातार सरकारी सम्पत्ति पर आक्रमण कर रहे थे। हाजीपुर में 4000 के भीड़ जिताने में सुख्यता यादव जाति के लोग थे, हाजीपुर रेलवे स्टेशन की आग के हवाले कर दिया और माल गोदाम को लूट लिया। सितम्बर 1942 के अंत तक सरकारी परटे औपनिवेशिक राज्य की सम्पत्ति खजानों और रेलवे स्टेशन पर ग्रामीण द्वारा हो रहे हमलो का जिक्र करता है।¹¹ सरकार को अपनी भेजी गई रपट में भंगा के जिलाधिकारी ने लिखा—9 अगस्त को कुछ जगह पर उपद्रव हुये लेकिन 10 अगस्त को संपुर्ण जिले में स्कूल और कॉलेज के छात्रों में प्रदर्शन किया थे छात्र लेहिरियासराय में 13 अगस्त तक चलते रहे ही दिन एक संघर्ष में 31 दंगाई और 28 सिपाही घायल हुये 15 और 16 अगस्त को कुछ छिटपुट घटनाये घटी लेकिन तब तक छात्र नेता सारे जिलों में तूफान मचा रहे थे। छात्रों एवं किसानों को कुछ वकीलों से सहायता मिल रही थी 15 अगस्त तक समस्तीपुर में उपद्रव होते रहे किंतु उसी दिन उस क्षेत्र से गुजरती हुई सेना ने गोली चलाई जिसके परिणाम स्वरूप 15 घायल हो गये। दरभंगा जिले में विद्रोहियों ने 20 थानों पर आक्रमण किया इसी तरह पूर्णिया जिले के रूपौली थाने को घर कर विद्रोहियों ने आंग लगा दी और इसके सारा कर्मचारी जिन्दा जल गये इसी तरह उत्तरी भागलपुर तथा मुजफ्फरपुर जिले के करीब-करीब सभी थानों पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया तथा सारण जिले के अधिकारियों जिले के मोनापुर थाने पर आक्रमण करके और पुलिसवालों को हत्या करने वाला में जुब्बा सहनी सबसे आगे थे। इसके बाद जुब्बा सहनी को फाँसी की सजा हुई। इसी जिले में पुपरी थाने के अनुमंडलाधिकारी एक पुलिस इन्स्पेक्टर एक हवलदार तथा उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई। इस जुर्म के अपराध में फाँसी की सजा पाने वाले रामफल धानुक ने न्यायालय में 10 सितम्बर 1942 को कुबूल किया।¹²

मुजफ्फरपुर जिले में 14 अगस्त को काँटी से मुजफ्फरपुर के बीच और काँटी से कुढ़नी स्टेशन के बीच रेल पटरियाँ उखार दी। कुढ़नी डाकघर को क्षति पहुँचाई गई। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सड़क पर अंग्रेज सैनिक का एक जत्या गश्त लगा रहा था उसने रामपुर हरि में एक भीड़ पर गोली चलाई। हाजीपुर में स्थानीय हाई स्कूल का शिक्षक श्री अक्षय कुमार ने अपनी पद से इस्तीफा देकर छात्रों का नेतृत्व कर रहा था। हाजीपुर के रेलवे स्टेशन गोदाम और जेल पर लोगों ने आक्रमण किया। गौदाम लूट लिया गया और जेल का फाटक तोड़ दिया गया। 79 कैदी छुड़ा लिये गये डाकघर को भी क्षति पहुँचाई गई। जिनमें डॉ० गुलजार प्रसाद, श्री राजेश्वर पटेल आदि थे। 15 अगस्त को बहुत बड़ी भीड़ में वासुदेव नारायण सिंह के नेतृत्व में लालगंज थाना पर आक्रमण किया और राष्ट्रीय झण्डा फहरा दिया। थाना पर उस समय आर० एन० पांडेय सब डिप्टी मजिस्ट्रेट स्थापित थे एवं सीतामढ़ी के अनुमंडलाधिकारी श्री हरदीप सिंह को उत्तेजित भीड़ में मार डाला।¹³

13 अगस्त को कटिहार की रजिस्ट्री ऑफिस को छात्रों ने लुटा। 14 अगस्त को मुंगेर के फाटकफगेंटपर कई लोग गिरफ्तार हुये। 15 अगस्त को बेगुसराय में और भी अनेक गिरफ्तारियाँ हुई। अगस्त में ही पसरहा कांड के समान ही एक घटना हुई जो रूईहर गाँव में घटी जहाँ से आधे मील की दुरी पर वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सरकारी जाँच में पता चलता है कि एक कांग्रेसी नेता जानी सिंह के नेतृत्व में 260 लोगों ने वायुयान चालकों एवं उनके सैनिकों के हथियार छिनकर उसकी हत्या कर दी। बिहार के कुछ गाँव में कांग्रेसी की समानान्तर सरकार की स्थापना हुई। उदाहरणों के लिए पटना जिले के मोकामा थाने में सुदूर देहाती क्षेत्र मिलकर एक कांग्रेसी सरकार की स्थापना की और वहाँ के कुर्मी जाति के संपन्न किसानों से जबरन कर वसुलना शुरू किया। 12 अगस्त को स्थापित इस सरकार के राजा सूरज गोप तथा प्रधानमंत्री अक्कल गोप घोषित हुये और गणेश गोप जौहरी गोप तथा हरिजन गोप मंत्री हुये। प्रदाप सिंह उनकी सेना का सेनापति थे। जगरूप गोप, चौकीदारी एवं खादी राय उनके सहायक थे। इतना ही नहीं यादवों एवं दुसादों के बीच एक सेना की निर्माण हुआ जिसके प्रमुख सैनिक रामपति गोप, झासी दुसाद फौजी दुसाद, आदि थे।¹⁴ गाँधी जी के आहवान का असर बिहार में भी पड़ा बिहार के शाही क्षेत्रों में इस आन्दोलन का नेतृत्व छात्र एवं पढ़ने-लिखने लोग कर रहे थे। गाँधी जी की गिरफ्तारी के बाद राजेन्द्र प्रसाद के नेतृत्व में बिहार मे यह आन्दोलन चल रहा था परंतु उनकी भी गिरफ्तारी हो गई।

आन्दोलन को कैसे चलाया जाय इसके लिए कुछ काम दिए गए थे जिसमें यह सुझाव दिया गया कि कार्यकर्ता गाँव-गाँव जाये और महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं के आदेश ग्रामवासियों को सुनोय एवं उन्हें हर तरह से बलिदान करने को तैयार करे जुलूस निकाली जाए, सभाएँ की जाय, वकील और मोख्तार अपना काम छोड़ दे। छात्र स्कूल कॉलेज जाना छोड़कर आन्दोलन में कुद पड़े। लोगे चौकीदारी युनियम टैक्स देना बंद कर दे पुलिस के जवान और जेल के वॉर्डस से अनुरोध है कि से सरकारी चौकीदारी छोड़ दे। रेलमियों स्टीमरों पर काम करने वालों से अनुरोध तथा कारखानों मे काम करने वालों मजदूरों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना काम छोड़ दे।¹⁵ गाँवों मे आन्दोलन मे सहायता देने के लिए जान माल की रक्षा के लिए पंचायतें गठित की जायें सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फराया जाये। सरकारी कर्मचारियों से आन्दोलन में सम्मिलित होने का आग्रह किया जाय सरकारी कर्मचारियों से आन्दोलन में पुलिस को हथिहार छिन ली जाने और सुरक्षित स्थान पर उन्हें रख दिया जाय। सरकारी कार्यालय बंद कर दिया जाये और कर्मचारियों आदि को यह कहकर आश्वस्त किया जाये। कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें फिर काम पर बुला लिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के इस आन्दोलन को किसान चला रहे थे जिसमें मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर मे इस आन्दोलन में काफीला की शुरूआती दौर में कुछ दिनों तक तो भारत छोड़ो आन्दोलन शहरों के सिमटा हुआ था और छात्रों के हाथों मे था किन्तु मध्य अगस्त यह गाँवों तक छा गया और धीरे-धीरे इसमें ब्रिटिश सरकार के विरोध मे एक तीव्र किसान – विद्रोह का स्वरूप धारण कर दिया।¹⁶ 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान बिहार के छात्र एवं किसानों की भागीदारी पर केन्द्रित है। इस आन्दोलन के छात्र शहर में तथा किसान गाँव में इसका नेतृत्व कर रहे थे। 14 जुलाई 1942 को वर्धा मे कांग्रेस कार्य कारिणी समिति की बैठक हुई जिसमें भारत से ब्रिटिश शासन का शीघ्र अंत करने का निश्चय किया गया।¹⁷

निष्कर्ष

हम यह कह सकते है कि किसान एवं छात्रों ने बिहार मे 1942 के आंदोलन के काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इस दोनों घड़ों को मिलने से यह आंदोलन केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नही रहा बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों तक फैल गया। छात्रों की सहभागिता का सबसे प्रमुख उदाहरण 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पर झण्डा फहराने के क्रम में शहीद होना। इससे बिहार के अन्य शहरों में संवाद गया और 14 अगस्त 1942 को मुजफ्फरपुर के काँटी रेलवे स्टेशन के बीच पटरियों उखाड़ दी गई यहाँ पर छात्रों एवं किसानों ने मिलकर इस आंदोलन को बढ़ाया 1942 के आंदोलन में अधिकांशतः छात्र एवं किसान की भाग लिये थे।

संदर्भ सूची

1. अम्बा प्रसाद: *इंडियन रिवोल्ट ऑव 1942 नई दिल्ली 1958 पृ० 40*
2. दरवारा सिंह: *इंडियन स्ट्रगल 1942, महाराष्ट्र 1956*
3. सुमित सरकार: *मोर्डन इण्डिया, दिल्ली, 1983 पृ० 388*
4. चन्दनमित्र: *रामलखन शुक्ला संपादित आधुनिक भारत का इतिहास, दिल्ली, 1987 पृ० 586*
5. बलदेव नारायण: *अगस्त क्रांति, पटना, 1947*
6. प्रशांत गौरव: *बिहार का राजनीतिक इतिहास, आलोक भारती प्रकाशन, पृ० – 134*
7. *वही पृष्ठ 135*
8. सुमित सरकार: *मोर्डन इंडिया, दिल्ली, 1982 पृ० 395*
9. रंजीत गुहा: *किवट इंडिया इन बिहार एण्ड द इस्टर्न युनाईटेड प्रोगिसेज द हुअल रिवोल्ट, नई दिल्ली, 1983 पृ० 130 –131*
10. *वही पृष्ठ 130– 132*
11. फ्रांसिस जी० हाधिनस: *स्पेन्मेनियश रिवोल्युशन, दिल्ली, 1971 पृ० 142*
12. *वही पृष्ठ, 143*

प्राचीन भारत में ग्राम-नगर विभेद का एक अध्ययन

कमलेश चौधरी

ल० ना० मि० वि०, का०, दरभंगा

शोध सारांश: ग्राम्य: जीवन और लोक-संस्कृति के किसी भी अध्ययन विशेष में ग्राम नगर विभेद का विस्तार पूर्वक अध्ययन आवश्यक है। प्रस्तुत शोध आलेख में प्राचीन भारत के सन्दर्भ में, ग्राम्य-नगर विभेद विषयक कतिपय विन्दुओं को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। ग्राम और 'लोक' का पूर्ण सम्यक भाव तब तक स्पष्ट नहीं हो सकता जब तक कि हम यह न समझ ले कि वे किस प्रकार 'नागर' और सभ्य शिष्ट के प्रतिकूलार्थ हैं।

परिचय

मानव वैज्ञानिकों एवं समाज शास्त्रियों ने ग्राम-नगर और लोग-शिष्ट विभेद विषयक अध्ययनों में वस्तुतः इतिहासकारों की अपेक्षा अधिक गहरी रुधि दर्शायी है। सम्प्रदायों (समुदायों) में व्यक्ति पूर्ण होते हैं, जो समुदाय में लक्ष्य या उद्देश्यों के विस्तृत आयामों को सन्तुष्ट करते हैं। समूह एक समुदाय के व्यक्तियों के बीच भावनाओं का संघटित स्वरूप है।¹ वास्तव में टोनीज ने इस विषय में काफी व्यापक रूप से विचार प्रगट किये हैं, जिसमें बीच-बीच में संशोधन भी होते रहे हैं। उनहोंने समुदाय और समाज अथवा संघ के बीच विशिष्ट भेद रेखांकित किया है। सम्प्रदाय (समुदाय) नितान्त निजी वैयक्तिक और पृथक्कारी समवाय ग्रामीणों का वासस्थल मित्रों का समूह आदि। संघ सामाजिक जीवन के रूप में परिभाषित होता है जहाँ पर सम्बन्ध सापेक्ष साभिप्राय और सचेष्ट होते हैं। संघ में व्यक्ति की सहभागिता विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु आंशिक होती है और सामान्यता: रुचि पर आधारित होती है। टोनीज के ही व्यापक सामान्तर समुदाय और संघ का भेद सी० एच० कूले द्वारा आरम्भिक समूहों और अन्या में भेद के रूप में लक्षित कराया गया है। दुखीम ने फिर भी इस समस्या को कुछ भिन्न दृष्टिकोण से देखा है। डिवीजन आफ लेवर इन सोसाइटी (893) में उसने इस तथ्य को स्थापित करने की चेष्टा की है कि जनसंख्या की वृद्धि के परिणाम स्वरूप श्रम के वर्तमान विभाजन के माध्यम से समाज का स्वरूप यात्रिक सुददता पर आधारित समाज से संगठनात्मक सुददता पर आधारित समाज में परिवर्तित हो जाता है। खण्ड समाज श्रम विभाजन पर आधारित एक आधुनिक समाज बन जाता है।²

वह समाज जिसमें यात्रिक सुददता पख्याप्त होता है, उसकी महानतम विशिष्टता इस बात में है कि उसमें व्यक्ति एक दूसरे से न्यूनतम रूप में भिन्न होते हैं। संगठनात्मक सुददता वह है जिसमें सर्वसम्पति अथवा समवेत समैक्य विविध पार्थक्य से अभिव्यक्ति अथवा उद्भूत होता है। आर रेडफील्डस की दि लिटिल कम्युनिटी ग्राम-नगर पार्थक्य के अध्ययन में महत्वपूर्ण

योगदान मानी जाती है। लघु समुदाय के अध्ययनार्थ औघित्य रूप में रेडफील्ड लिखते हैं कि मानव जाति का तीन चौथाई हिस्सा अब भी गांवों में रहता है लघु समुदाय की चार विशिष्टताओं का परिगणन रेडलील्ड इस प्रकार करता है—

1. पृथकता:— जहाँ समुदाय का प्रारम्भ और अंत स्पष्ट होता है।
2. लघुता:— या तो स्वयं में वह व्यक्तिगत पर्यवेक्षण की ईकाई होती है, या फिर कुछ विशालतर तथापि संभाग होते हुए समग्र का पूर्ण प्रतिनिधि बनकर व्यक्तिगत पर्यवेक्षण की इकाई प्रदान करता है।
3. समांगता:— मस्तिष्क की स्थितियां और प्रक्रिया यौन और आयु की समतुल्य स्थितियों में सभी मनुष्यों के लिए होती है, तथा एक पीढ़ी का जीवन गत पीढ़ी के जीवन की आकृति करता है।
4. आत्म परिपूति:— लोगों की सभी अथवा अधिकतम आवश्यकताओं और क्रियाओं की पूरिपूति में सहायक होता है लघु समुदाय गटन गहरी व्यवस्था का एक पालना है। इस प्रकार छोटे और बड़े धनिष्ट और अवैयक्ति समग्र भावात्मक लगाव और आंशिक लगावों जो रुधियों के बैद्विक सामंजस्य पर आधारित हैं, के अंतविरोधी पर आघृत समाजशास्त्रियों द्वारा रेखांकित किए गये हैं।³

नागर क्रान्ति की अभिष्ठा बी० गार्डन चाइल्ड द्वारा उस प्रक्रिया को घोषित करने हेतु प्रदान की गई थी जिसके द्वारा गाँवों और छौटी वस्तियों में रहने वाले आदिम खेतिहारी ने सर्वप्रथम व्यापक और जटिलतर सभ्य समाजों की रचना की थी। नागर क्रान्ति की अवधारण को विकसित करने में चाइल्ड महोदय ने एल० एच० मोर्गन के शोध का अनुपालन एवं विस्तारण किया जिसमें 1877 में प्रकाशित एन्शियंट सोसाइटी नामक अग्रतम कृति में सभ्यता को असभ्यता से पृथक विशिष्टता प्रदान की थी।⁴ भारतीय परिस्थितियों में जो ऐतिहासिक विकास शहरों और गीवों का हुआ वह नये पाषाण युग की विकास की उत्पत्ति थी। कृषि के अन्तर्गत गाँवों की सभ्यताओं की स्थापना हुई एवं राजनैतिक प्रमुब्व तथा सुरक्षा की आवश्यकता से शहरों का विकास—वर्धन हुआ। शहर अपेक्षाकृत अधिक रक्षित स्थल एवं राजनैतिक व प्रशासनिक शक्ति केन्द्र थे। सत्यासीन अधिकारियों के आवास स्थल भी थे वस्तुतः सुरक्षा आवश्यकताएँ सामरिक सैन्य रजनीति एवं संचार संप्रेषण की दृष्टि से विशिष्ट परिवेश की आकांक्षा होती है— इसी तथ्य ने व्यापार केन्द्रों की स्थापना हेतु भी शहरों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, चुकि गांव की अपेक्षा शहर अधिक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। साथ ही राजनैतिक अधिकारियों सम्प्रात नागरिकों, वृद्धिजीविकों विद्वानों ओर साहसी अनुसंधानकताओं हेतु शहर अपेक्षाकृत अधिक समीपवती होते हैं तथा इन पर निर्भर करने वाले अधिकारियों घनी आवादी वाले शहरों में रहने के अभिलाषी होते हैं, इसी लिये शहरों का हडप्पा सभ्यता में ग्राम-नगर सम्बन्ध और अन्तर सुस्पष्ट नहीं है।⁵ हडप्पा कालीन शहर मिस्री बस्ती के रूप में थे, जो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था से परिपूर्ण थे। शहर महत्वपूर्ण व्यापार केन्द्र भी थे समुह पार व्यापार का महत्वपूर्ण उदाहरण लोथल में पाया जा सकता है। हडप्पा कालीन ग्रामों के विषय में हमारा ज्ञान अल्प है।

प्राचीन भारत में उपलब्ध श्रेणी गांव-नगर वैशिष्ट्य से सम्बद्ध साक्ष्य यह नहीं बताते कि शहरों के विकास ने ही समग्र चर्तुमुखी विकास की गाड़ी को गाति प्रदान की है। प्राचीन भारत के सांस्कृतिक आर्थिक नक्शों में शहरों की इतनी प्रभावपूर्ण स्थिति थी जितनी कि प्राचीन मध्य पूर्ण निकट पूर्व या पश्चिम में अथवा जैसा कि भारत में परिलक्षित होती है प्रत्युत गांव और ग्रामीण सभ्यता में शहरों और नागर सभ्यता के विरोध में अपनापन अधिक है। इसके अलावा भारत में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व में शहरीकरण एक आधुनिक घटना है जो औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप विकसित हुआ।⁶

प्राचीन भारत में शहर को गांव से पृथक करने वाली भौतिक विशिष्टताएँ उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी कि दोनों के भाव-बोध में अन्तर है। एक ग्रीमीण शहरों की अनाध्यात्मवादी मानता है और एक शहरी गावों में परिष्कार का अभाव पाता था। प्रारम्भिक वैदिक सभ्यता पारम्परिक रूप से कृषि प्रधान चारागाह प्रधान और पूर्णता: ग्राम प्रधान मानी जाती है। यद्यपि वहां भी इन्द्र के विनाशकारी पुरों के संदर्भ पाये जाते हैं। इस संदर्भ में विशेष रुचिकर तथ्य है वैदिक वाडमय में दुतगामी रथों का प्रयोग, जो इस बात का संकेत देते हैं कि उस समय गमनागमन हेतु सड़के काफी अच्छी थी जो शहरीकरण का आभास देती है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि हडप्पा व वेदकालीन सभ्यताओं के ऐतिहासिक सम्बंधों का समकालीनता की सम्भावना को नकारे बिना पुनः निरीक्षण किया जाता।⁷

हडप्पा युगीन और वेदकालीन सभ्यताओं की पररूपर तुलनात्मक दृष्टि से ऐतिहासिक स्थिति जो भी रही है, परन्तु दोनों के बीच यह दर्शाना अतीत रुधिकर लगता है कि वे प्राचीन भारत की उत्तर कालीन संस्कृति के शहरी और ग्रामीण पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये साक्ष्य इस बात की भरपूर पुष्टि करते हैं कि प्रारम्भिक भारत में नागर और ग्राम सांस्कृतिक विभेदात्मक तत्त्वों की स्पिति क्या थी। यह वैदिक युग से हडप्पा युग के अन्तविरोध का सुस्पष्ट करती है।⁸

शहरों के घारों और सुरक्षात्मक प्राचीन और परिखा के महत्व की अनेकशः आवृत्ति साहित्य में हुई है। नगर राजनैतिक प्रभुसत्ता का केन्द्र था। कौटिल्य नगर की परियोजना में राजमहल प्रमुख केन्द्र थे। व्यापारियों और व्यापारिक गातिविधियों की नगर में संलग्नता हमारे साक्ष्य में अंकित है पट्टन पुट वेधन जैसी अभिधाएँ स्पष्ट इंगित करती हैं कि वे मुख्यतया व्यापार

केन्द्र थे। निगम जो प्राया नगर का पर्याय माना जाता था भी व्यापार और व्यापारियों से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध था। निगम शब्द के अनेकानेक अर्थ दिये गये हैं।⁹

उत्तरकालीन साहित्य में भी नगरीय केन्द्रों का व्यापारिक गुण रेखांकित किया गया है। पतंजलि पर समालोचना करते हुए गांवों को बाह्यार्णो और कृषकों से तथा शहरों को श्रेणियों से भरपूर वर्णन किया गया है। उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट है कि शहरी अर्थव्यवस्था से ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक कृषिमूलक थी। पालि साहित्य में हमें ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं। कुछ श्रेष्ठि व गृहपति ऐसे होते थे। जिनके पास गाँव होते थे। वे मालगुजारी वसूलने गांव जाते थे। कौटिल्य अर्थशास्त्र में शहर को वर्णन है जिसके अनुसार राजा कुटुम्बिकों के लिये बगीचे अनाज, अन्य सामाग्रीयों के भंडारग्रह की व्यवस्था करता था। भिन्न-भिन्न श्रेणी के अधिकारी जिन्हें सरकार द्वारा कृषि भूमि प्राप्त थी। भी गांवों में नहीं रहते थे। पर भूमि गांवों में ही होता थी। कौटिल्य ने जमींदारी के विकास को निरूत्साहित किया था, ऐसा कुछ विद्वानों व छिन्तकों को अनुमान है, परन्तु यह अनुमान सही नहीं लगता।⁹

इसी प्रकार गांवों में भी व्यापारिक अभिरूचि ग्राम जीवन का महत्पूर्ण अंग थी। यहा तक कि उसयुग में भी जब व्यापार वृत्ति को हासोन्मुख समझा जाना था। गांवों की आबादी में व्यापारीयों की महा भूमिका थी। शुद्ध कृषकों के अलावा ब्राह्मण व्यापारी शिल्पकार ग्राम जीवन में महत्पूर्ण भूमिका निभाते थे। सामान्य रूप से गांव छोटे और बिखरी हुई आवादी वाले होते थे। कौटिल्य के अनुसार एक आदर्श ग्राम में 1 सौ से लेकर 500 परिवारों का समाहार होना चाहिए मनु की मेधातिथि एक ग्राम को अनेक घरों का समूह कहकर परिभाषित करती है। जातकों में 500 परिवारों के समवाय को गांवों के रूप में परिभाषित किया गया है।¹⁰

निष्कर्ष

ग्राम्यजीवन और लोक-संस्कृति के किसी भी अध्ययन विशेष में ग्राम-नगर विभेद का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया गया है। प्राचीन भारत के संदर्भ में ग्राम्य-नगर विभेद विषयक कतिपय बिन्दुओं को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। प्राचीन भारत में उपलब्ध श्रेणी गांव-नगर वैशिष्ट्य से संबंध साक्ष्य यह नहीं बताते कि शहरों के विकास ने ही समग्र चर्तुमुखी विकास की गाड़ी को गति प्रदान की है। प्रारम्भिक वैदिक सभ्यता पारम्परिक रूप से कृषि प्रधान चारागाह प्रधान और पूर्णतः ग्राम प्रधान मानी जाती है। हड़प्पा युगीन और वेदिककालीन सभ्यताओं की परस्पर तुलनात्मक दृष्टि से ऐतिहासिक स्विति जो भी रही हों, परन्तु दानों के बीच यह दर्शाना अतीत रूधिकर लगता है कि वे प्राचीन भारत की उत्तर कालीन संस्कृत के शहरी और ग्रामीण पहलुओं को प्रतिनिधित्व है।

संदर्भ सूची

1. टी. बी. बोटोमोर: सोशियोलॉजी ए गाइड टु प्रब्लम्स एण्ड लिटरेचर, बम्बई, 1972
2. टोनीज: एक कम्युनिटी एण्ड एसोसिएशन 1857, अंग्रजी अनुवादा लंदन, 1955
3. टी. बी. बोटोमोर: इन्टरनेशनल इनसाइक्लो पीडिया आफ सोशल साइंस पृ 378-382
4. एरन्, रेमण्ड: मेन करेन्ट्स इन सोशियोलॉजिकल थाट, वाल्यूमन्य पेलिकन बुक्स, 1980 पृ 22-25
5. एनए. रेमण्ड: मेन करेन्ट्स इन सोशियोलॉजिकल थाट वाल्यूम 2 पृ 22-25
6. वही पृष्ठ 22-25
7. आर. पी. कांगले: कौटिल्य अर्थशास्त्र, 1963
8. टी. बी. बोटोमोर: इन्ट्रेशनल इनसाइक्लोपीडियों ऑफ सोशल साइंस वाल्यूम - 3, 1976
9. लनार्ट लेवी: लार्स पापुलेशन एनवासमेंट एंड क्वालिटी आफ लाइफ, 1974 पृ 31-33
10. अमितारे: विलेजेस एंड टाउन्स एण्ड सेक्यूलर विल्डिंग्स इन एशियंट इण्डिय कलकत्ता, 1964



JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH

**A Peer-Reviewed Journal under New UGC Regulations
A Bi-annual and bi-lingual Journal**

Department of Political Science
SAMASTIPUR COLLEGE, SAMASTIPUR
LALIT NARAYAN MITHILA UNIVERSITY, DARBHANGA



www.jidr.org



editor123ajidr@gmail.com
drmalamgeer@gmail.com



9431425239
7004287153